नगर आपदा प्रबंधन योजना

दरभंगा , बिहार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार सरकार

को प्रस्तुत

AFC India Ltd.

(Formerly Agricultural Finance Corporation Ltd.)

(An ISO 9001-2015 Company)

Delhi Office: 1-107A, 3rd Floor, Kirti Nagar New Delhi 110015

www.afcindia.org.in

आभार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा दरभंगा नगर आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण का निर्णय लिया गया जोकि दरभंगा नगर को सुरक्षित बनाने में एक महती भूमिका निभाएगा। इस योजना के माध्यम से दरभंगा नगर को विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए आपदा के पहले, दौरान और पश्चात क्या किया जाना चाहिए उसकी स्पष्ट रुपरेखा एक मार्गदर्शिका के रूप में दरभंगा नगर निगम के लिए तैयार किया गया है. इस कार्य को आरंभ करने के लिए माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बहुत-बहुत आभार। नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के स्वरुप के निर्धारण तथा समय-समय पर उचित मार्गदर्शन के लिए माननीय सदस्य श्री पी.एन.राय एवं माननीय सदस्य श्री मनीष वर्मा के द्वारा दिए गए निर्देश और सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रहे, विशेषकर आपदा के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया योजना विभिन्न आपदाओं के लिए एक SoP की तरह उपयोगी रहेगा. इसके लिए हम आपलोगों का आभार व्यक्त करते हैं।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना दरभंगा के निर्माण में अनेक अधिकारियों यथा लाइन विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, अग्नि शमन विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा हितधारकों का योगदान भी योजना निर्माण में अमूल्य रहा है। इस योजना के अंतर्गत, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को मुख्यधारा में रखकर तथा इनके सहभागिता के साथ इस योजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के विकास में नगर की मेयर श्रीमती अंजुम आरा तथा सभी वार्ड पार्षदों की भूमिका प्रशंसनीय रही है। इन हितधारकों ने शोधकर्ताओं को आपदा से संबंधित अपने विचारों, अनुभवों तथा आवश्यकताओं से अवगत कराया।

इस योजना के विकास में दरभंगा नगर निगम के उपनगर आयुक्त, श्री सुधांशु कुमार; सहायक अभियंता, मो. शहूद आलम तथा श्री संतोष कुमार, CMM ने योजना के विभिन्न आयामों का विश्लेषण कर अद्यतन और प्रासंगिक बनाने में मदद की।

इस योजना के निर्माण में AFC इंडिया लिमिटेड के AGM श्री नरेंद्र बदुनी और उनके शोधकर्ताओं ने योजना को कलमबद्ध करने, प्राप्त विचारों और आवश्यकताओं को सन्दर्भ के अनुसार व्यवस्थित करने तथा उसे आपदा के सन्दर्भ में परिभाषित करने का कार्य किया ताकि आपदा प्रबंधन योजना, नगर निगम के लिए प्रासंगिक हो सके।

कुमार गौरव
नगर आयुक्त
दरभंगा नगर निगम

आभार

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, दरभंगा के निर्माण में अनेक अधिकारियों तथा लाइन विभागों यथा चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, अग्नि शमन विभाग इत्यादि द्वारा आपेक्षित सहयोग दिया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा हितधारकों का योगदान भी योजना निर्माण में अमूल्य रहा है। इस योजना के अंतर्गत, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को मुख्यधारा में रखकर तथा इनकी सहभागिता के साथ इस योजना का निर्माण किया गया है। दरभंगा नगर के अलग-अलग वार्डों में रहने वाले लोग विशेष रूप से वंचित, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिलाओं और बच्चों की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इन हितधारकों ने शोधकर्ताओं को आपदा से संबंधित अपने विचारों और अनुभवों से अवगत कराया ।

दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त श्री कुमार गौरव, (भा. प्र. से.), का योगदान आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण में सराहनीय रहा है। इन्होने इस योजना में शामिल आपदा से सम्बंधित प्रतिक्रिया योजना वाले अध्याय का स्वयं ही निर्माण किया है । नगरीय आपदा प्रबंधन योजना की प्रस्तुति के समय भी सुझाव प्राप्त हुए जिन्हें निर्मित योजना में सम्मिलित किया गया है।

इस योजना के विकास में नगर के मेयर श्रीमती अंजुम आरा की भूमिका भी प्रशंसनीय रही है। श्री सुशंशु कुमार (बि.न.से.), उपनगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, ने योजना के विभिन्न आयामों का विश्लेषण कर अद्यतन और प्रासंगिक बनाने में मदद की। इन्होंने नगर निगम की प्रशासनिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर रूप रेखा तथा जोखिम से निपटने की आवश्यक तैयारियों पर समुचित प्रकाश डालते हुए योजना को सारगर्भित प्रारूप प्रदान करवाने में यथोचित भूमिका निभाई।

मो. शहूद आलम, सहायक अभियंता, नगर निगम दरभंगा; तथा नगर प्रबंधक ने योजना निर्माण में अपने बहुमूल्य सुझावों से योजना निर्माण के प्रत्येक पहलू को अभिसिंचित किया जो की उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त दरभंगा नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने नगर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य संबंधित पहलुओं को समझाने में अपनी महत्ती भूमिका निभाई है।

नरेंद्र बदुनी
AGM
AFC इंडिया लिमिटेड

शब्द संक्षेप

ADM:	Additional District Magistrate
AES:	Acute Encephalitis Syndrome
AWC:	Anganwadi Centre
AWW:	Anganwadi Worker
BAPEPS:	Bihar Aapda Punarvas Evam Punernirman Society
BDRRF:	Bihar Disaster Risk Reduction Framework
BEO:	Block Education Officer
BIPARD:	Bihar Institute for Public Administration and Rural Development
BRCC:	Block Resource Centre Coordinator
BSDMA:	Bihar State Disaster Management Authority
BSEIDC:	Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation
CBDRR:	Community-Based Disaster Risk Reduction
CERT:	Community-Emergency Response Team
CDRT:	Community Disaster Response Team
CMG:	Crisis Management Group
CPC:	Child Protection Committee
CSO:	Civil Society Organisation
CWC:	Child Welfare Committee
DDMA:	District Disaster Management Authority
DDMP:	District Disaster Management Plan
DMD:	Disaster Management Department
DRR:	Disaster Risk Reduction
DTF:	District Task Force
EOC:	Emergency Operations Centre
ESF:	Emergency Support Functions
EWS:	Early Warning System
FMISC:	Flood Management Information System Centre
HFL:	Highest Flood Level
ICDS:	Integrated Child Development Scheme
IAY:	Indira Awas Yojana
IPRD:	Information and Public Relations Department
LSG:	Local Self Governance
NDMA:	National Disaster Management Authority

NDRF: National Disaster Response Force
NHM: National Health Mission
NIDM: National Institute of Disaster Management
NRC: Nutrition Rehabilitation Centre
PDS: Public Distribution system
PHED: Public Health Engineering bepartment
PIP: Program Implementation Plan
PWD: People with Disabilities
PWD: Public Works Department
RCD: Road Construction Department
RVS: Rapid Visual survey
SDMA: State Disaster Management Authority
SDMP: State Disaster Management Plan
SDO: Sub-Divisional Officer
SDRF: State Disaster Response Force
SFDRR: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SHG: Self Help Group
SOP: Standard Operating Procedure
STF: State Task Force
THR: Take-Home Ration
TOT: Training of Trainers
UDHD: Urban Development and Housing Department
ULB: Urban Local Bodies

विषय सूची

शब्द संक्षेप.....iii

विषय सूची.....v

तालिका सूची.....x

चित्र सूची.....xi

अध्याय-1: परिचय..... 1

1.1 संदर्भ 1

1.2 योजना का उद्देश्य 3

1.3 योजना का दायरा 5

1.4 योजना विकास पद्धति 7

1.4.1 मर्गदर्शक दस्तावेज 7

1.5 नगर आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन.....8

1.6 योजना की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण.....8

अध्याय -2 : नगर परिचय.....10

2.1 नगर प्रोफ़ाइल.....10

2.2 दरभंगा के मुख्य सम्पर्क.....12

2.3 भूगोल 12

2.4 दरभंगा का प्राकृतिक ढलान 12

2.5 प्रशासनिक डिविज़न.....13

2.6 परिवहन और संचार नेटवर्क.....14

2.7 जलवायु और मौसम 15

2.7.1 वर्षा 15

2.7.2 तपमान 16

2.7.3 नमी 16

2.7.4 बादल 16

2.7.5 हवा 17

2.8 जननांकीय विवरण.....17

2.9 आर्थिक और व्यावसायिक विवरण.....18

2.10 योजना एवं जोनिंग 19

2.11 महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा एवं भवन.....20

2.11.1 ट्रैफ़िक और यातायात 20

2.11.2 अस्पताल 21

2.11.2.1 सरकारी अस्पताल 21

2.11.2.2 ग़ैर सरकारी अस्पताल, दरभंगा 21

2.11.3 स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान 23

2.11.4 जलापूर्ति 24

2.11.5 स्ट्रीट लाइट 24

2.11.6 सीवरेज 24
2.11.7 ड्रेनेज 24
2.11.8 हाउसिंग 25
2.12 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 25
2.13 दरभंगा में स्थित कारखाने एवं उद्योग 26
2.14 दरभंगा में प्राकृतिक संसाधन 26
2.15 दरभंगा में वनस्पति और जीव 31
2.16 सांस्कृतिक दृष्टिकोण 31
2.17 दरभंगा नगर के बदलते स्वभाव 31
2.18 दरभंगा नगर के अंदर मलिन बस्तियों का क्षेत्र 32
अध्याय -3 : ख़तरा, जोखिम एवं क्षमता आकलन (HRVCA) 34
3.1 दरभंगा नगर का आपदा तीव्रता कैलेंडर 35
3.2 नगर की सम्भावित आपदाएँ 36
3.2.1 भूकम्प 36
3.2.1.1 भूकंप क्षमता विश्लेषण: 37
3.2.1.2 39
3.2.1.3 भूकंप बचाव हेतु उपकरणों की आश्यकता: 39
3.2.2 बाढ़ एवं जल जमाव 40
3.2.2.1 बाढ़ 40
3.2.2.2 जल जमाव 41
3.2.2.3 बाढ़ एवं जल जमाव से संबंधित क्षमता विश्लेषण : 42
3.2.2.4 जल-जमाव एवं बाढ़ बचाव उपकरण : 44
3.2.3 अगलगी 46
3.2.3.1 क्षमता विश्लेषण : 47
3.2.3.2 नगर में कार्यरत hydrant का विवरण 48
3.2.3.3 अग्नि आपदा सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड जहां Hydrant की स्थापना ज़रूरी है 49
3.2.3.4 दरभंगा अग्निशामानलय के पास उपलब्ध संसाधन: 50
3.2.4 सड़क दुर्घटना 51
3.2.4.1 क्षमता विश्लेषण: 52
3.2.4 तेज आँधी तूफ़ान 53
3.2.6.1 तेज हवा के दौरान होने वाली क्षति के प्रकार 54
3.2.6.2 तेज हवा का एरोफ़िल प्रभाव 54
3.2.6 लू 56
3.2.6.1 गर्म हवाएँ/लू के स्थितियों के उत्पन्न होने से संबंधित मापदंड 56
3.2.6.2 बिहार में गर्म हवाएँ/लू के प्रति भेद्यता मानचित्रण 57
3.2.7 शीत लहर 59
3.2.4 संचारी रोग 60
3.2.4.1 दरभंगा में मेडिकल ऑक्सिजन सप्लाइअर 61
3.2.8 अन्य ख़तरे 61
अध्याय 4 : आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत रूपरेखा 62
4.1 आपदा प्रबंधन का संरचनात्मक ढाँचा 63
4.2 आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) 64
4.3 इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (IRS) 65
4.4 आपातकालीन सहायता समूह: 68
4.4.1 संचार समूह 68

4.4.2 खोज एवं बचाव समूह 68
4.4.3 राहत और आश्रय समूह 69
4.4.4 स्वास्थ्य और स्वच्छता समूह 70
4.4.5 पेयजल आपूर्ति समूह 70
4.4.6 बिजली आपूर्ति समूह 71
4.4.7 यातायात संचालन समूह 72
4.4.8 सार्वजनिक कार्य समूह 72
4.4.9 मलबा निस्तारण समूह 73
4.4.10 सूचना प्रसार और हेल्प लाइन समूह 73
4.4.11 नुक़सान आकलन समूह 74
4.4.12 डोनेसन मैनेजमेंट समूह 74
4.4.13 मीडिया संचालन समूह 75
4.4.14 कानून और व्यवस्था प्रबंधन समूह 75

अध्याय-5 : आपदापूर्व तैयारी के उपाय 76

5.1 विभिन्न विभागों / एजेन्सीयों के कार्य और उनकी भूमिका : 76

5.2 आपदावार विभिन्न एजेंसियों/ विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारी 82

अध्याय-6 : क्षमता निर्माण: प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता 86

6.1 संस्थागत क्षमता का विकास 87

6.2 समुदाय/सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता का विकास 91

6.3 जन जागरूकता 93

अध्याय - 7: आपदा से निपटने के लिए मोचन योजना 95

7.1 आपदा मोचन योजना: 95

7.3 नगर नियंत्रण कक्ष 96

7.4 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली 97

7.5 पूर्व चेतावनी तंत्र 98

7.6 लॉजिस्टिक सपोर्ट 98

7.7 जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं से संयोजन 98

7.8 आपातकालीन समर्थन कार्य 99

अध्याय 8 : प्रतिक्रिया योजना और उसकी मानक संचालन प्रक्रिया 101

8.1 भूकंप - प्रतिक्रिया योजना 101
8.1.1 भूकंप के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय 102
8.1.2 भूकंप के संबंध में पूर्व तैयारी - 103
8.1.3 भूकंप के दौरान प्रतिक्रिया - 106

8.2 बाढ़ एवं जल जमाव - प्रतिक्रिया योजना 113
8.2.1 जल जमाव के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय 114
8.2.2 जल जमाव के संबंध में पूर्व तैयारी 116
8.2.3 जल जमाव के दौरान प्रतिक्रिया - 117

8.3 अगलगी - प्रतिक्रिया योजना 124
8.3.1 अगलगी के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय 125
8.3.2 अगलगी के संबंध में पूर्व तैयारी 128
8.3.3 अगलगी के दौरान प्रतिक्रिया - 131

8.4 सड़क दुर्घटना - प्रतिक्रिया योजना 137

8.4.1 सड़क दुर्घटना के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय....138
8.4.2 सड़क दुर्घटना के संबंध में पूर्व तैयारी -....138
8.4.3 सड़क दुर्घटना के दौरान प्रतिक्रिया -....140

8.5 गर्म हवा / लू - प्रतिक्रिया योजना....144
8.5.1 गर्म हवा / लू के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय....145
8.5.2 गर्म हवा / लू से सुरक्षा हेतु नगर निगम के द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी -....145
8.5.3 गर्म हवा / लू के दौरान प्रतिक्रिया -....146

8.6 शीतलहर - प्रतिक्रिया योजना....150
8.6.1 शीतलहर के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय....150
8.6.2 शीतलहर के संबंध में नगर निगम के द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी -....151
8.6.3 शीतलहर के दौरान प्रतिक्रिया -....152

8.2 तेज आंधी तूफ़ान, वज्रपात - प्रतिक्रिया योजना....155
8.2.1 तेज आंधी तूफ़ान के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय....156
8.2.2 तेज आंधी तूफ़ान के संबंध में पूर्व तैयारी....157
8.2.3 तेज आंधी तूफ़ान के दौरान प्रतिक्रिया -....158

8.7 महत्वपूर्ण संपर्क नंबर -....164

8.8 दरभंगा नगर में उपलब्ध संसाधन की सूची....165

अध्याय - 9 : रिकवरी, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास योजना....175

9.1 प्रशासनिक राहत....175

9.2 बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करना....176

9.3 क्षतिग्रस्त इमारतों/ सामाजिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण....176

9.4 आजीविका फिर से सुनिश्चित करना....176

9.5 सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक मदद....177

9.6 आपदा से क्षति और हानि का आकलन....177

9.7 बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण....179

9.8 बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए किए जाने वाले कार्य....180

9.9 सामाजिक और आर्थिक रिकवरी....181

अध्याय -10 आपदा और जोखिम न्यूनीकरण योजना....183

10.1 अल्पकालिक, मध्यम-कालिक और दीर्घ-कालिक आपदा न्यूनीकरण योजना....183

10.2 आपदा मोचन के संरचनात्मक उपाय:....187

10.3 शमन रणनीति के तहत विकास योजनाओं से जुड़ाव :....187

10.4 कार्य योजना....189

10.5 समुदाय का प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ....190

10.6 बीमा....190

10.7 स्वयंसेवकों का क्षमता वर्धन....191

10.8 जन जागरूकता....191

10.9 नगर में आपदा प्रबंधन के लिए उपकरण एवं मशीनरी की आवश्यकता....191

अध्याय -11 : वित्तीय व्यवस्था....193

11.1 आपदा प्रबंधन के लिए बजटीय और वित्तीय प्रावधान निम्नलिखित हैं: 195

11.2 आपदा न्यूनीकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम 195

11.3 अन्य विकल्प: 196

11.3.1 **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** (MPLADS): 196

11.3.2 **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** (MLALADS): 196

11.3.4 **जोखिम और सूक्ष्म बीमा** 197

11.3.5 Corporate Social Responsibility (CSR) 197

अध्याय -12: योजना क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 199

12.1 नगर आपदा प्रबंधन योजना क्रियान्वयन 199

12.2 अनुश्रवण और मूल्यांकन फ़्रेमवर्क: 199

अनुलग्नक I : रेसिलीयंट सिटी चेकलिस्ट UNDRR 203

अनुलग्नक II : लाइन विभागों द्वारा दिए गए आँ 204

Annexure III: BSDMA के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण 214

नाविकों को दिए गए प्रशिक्षण की सूची 214

SDMA द्वारा भूकम्प रोधी निर्माण हेतु प्रशिक्षित अभियंताओं की सूची 215

BSDMA द्वारा राज मिस्त्रियों को दिए गए प्रशिक्षण की सूची 218

BSDMA द्वारा BEPC के अभियंताओं को दिए गए प्रशिक्षण की सूची 219

BSDMA द्वारा RVS पर दिए गए प्रशिक्षण की अभियंताओं की सूची 220

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित MT की सूची 220

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित वरिष्ठ अभियंताओं की सूची 220

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित दरभंगा के MT की सूची 221

अनुलग्नक V: BSDMA द्वारा जारी किए गए एडवाईजरी 223

तालिका सूची

तालिका 1 दरभंगा नगर के मुख्य सम्पर्क..... 12
तालिका 2: दरभंगा नगर की वार्ड वार जनसंख्या..... 17
तालिका 3 दरभंगा में ग़ैर सरकारी अस्पताल..... 21
तालिका 4 : दरभंगा में शिक्षण संस्थानों की संख्या..... 23
तालिका 5 वार्ड वार भूकंप प्रवण वाले मोहल्ले..... 38
तालिका 6 भूकंप की तैयारी के रूप में उपकरणों की आश्यकता..... 39
तालिका 7 : नगर निगम के पास जल जमाव से निपटने के लिए मौजूद यांत्रिक संसाधन..... 42
तालिका 8 दरभंगा शहर के जल-जमाव वाले क्षेत्रों..... 42
तालिका 9 दरभंगा नगर में आगज़नी से हुए जीवन क्षति का विवरण..... 46
तालिका 10 : दरभंगा नगर के अगलगी प्रवण क्षेत्र..... 47
तालिका 11: नगर में भवन एवं तथा उनमें की अग्निशमन का विवरण..... 48
तालिका 12 नगर में अग्निशमन वाहनों की संख्या..... 48
तालिका 13 : नगर निगम दरभंगा में क्रियाशील हाईड्रेंट की सूची..... 49
तालिका 14 अग्नि आपदा सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड जहां Hydrant की स्थापना ज़रूरी है..... 49
तालिका 15 दरभंगा में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं का विवरण..... 51
तालिका 16 : तेज हवा का एरोफ़िल प्रभाव..... 54
तालिका 17 : आंधी तूफ़ान से प्रभावित होने वाले क्षेत्र..... 55
तालिका 18 दरभंगा नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं अधिकतम तापमान..... 56
तालिका 19 दरभंगा नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं न्यूनतम तापमान..... 59
तालिका 20 : जिले में आपातकालीन कार्यों और संबंधित लीड की संरचना..... 66
तालिका 21: आपदा पूर्व तैयारी के संदर्भ में नगर निगम की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ..... 76
तालिका 22 : आपदा के पूर्व में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ..... 79
तालिका 23 : आपदा पूर्व तैयारी के लिए अग्निशमन सेवा की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ..... 80
तालिका 24 : आपदा के पूर्व भवन निर्माण विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ..... 80
तालिका 25 : आपदा के पूर्व परिवहन विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ..... 80
तालिका 26 : आपदा के पूर्व स्वास्थ्य विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ..... 81
तालिका 27 : आपदा के पूर्व समेकित बाल विकास विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ..... 81
तालिका 28 : आपदावार विभिन्न एजेंसियों/ विभागों द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी..... 82
तालिका 29 : नगर विकास विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय..... 87
तालिका 30 : ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय..... 88
तालिका 31 : अग्निशमन सेवा विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय..... 89
तालिका 32: भवन निर्माण विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय..... 90
तालिका 33 : परिवहन विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय..... 90
तालिका 34 : स्वास्थ्य विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय..... 90
तालिका 35 : समेकित बाल विकास विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय..... 91
तालिका 36 : सामुदायिक संस्थाओं के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय..... 91
तालिका 37 : मुख्य हितधारकों की आपदा तैयारी व क्षमतावर्द्धन पर प्रशिक्षण..... 92
तालिका 38 : आपदा की तैयारी में संचार..... 94
तालिका 39 : आपदा के बाद हुए नुक़सान के आकलन की प्रविधि और ज़िम्मेदारियाँ..... 178
तालिका 40 : बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए किए जाने वाले कार्य की तालिका..... 180
तालिका 41 : अनुश्रवण और मूल्यांकन फ़्रेमवर्क..... 200

चित्र सूची

चित्र 1 : योजना विकास पद्धति 7
चित्र 2 नक्शा: नगर निगम, दरभंगा 11
चित्र : 3 दरभंगा नगर निगम का प्रशासनिक ढाँचा 13
चित्र4 : दरभंगा नगर को जोड़ने वाली सड़कों का नेटवर्क 14
चित्र 5 दरभंगा का माह वार तापमान और वर्षा 15
चित्र 6 दरभंगा नगर का बदलता स्वरूप 32
चित्र7 :दरभंगा नगर के अंदर मलिन बस्तियों का क्षेत्र 33
चित्र 8 : BMTPC_भूकंप प्रवणता मानचित्र_2019 36
चित्र 9 : नगर में आवास की स्थिति 37
चित्र10 दरभंगा नगर का जल-निकासी चित्रण 41
चित्र11 : बिहार में तेज आंधी या चक्रवात के ज़ोन 53
चित्र 12 गर्म हवाएँ भेद्यता सूचकांक (स्रोत – बिहार हीट एक्शन प्लान) 57
चित्र 13 BSDMA द्वारा लू / गर्मी के लिए जारी की गयी एडवाईजारी 58
चित्र 14 : BSDMA द्वारा शीत लहर के लिए जारी की गयी एडवाईजारी 60
चित्र 15 : आपदा प्रबंधन का संरचनात्मक ढाँचा ..... ***Error! Bookmark not defined.***
चित्र 16 इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम 65
चित्र 18 जागरूकता के चरण 93
चित्र 19 : नगर आपदा प्रबंधन का संरचनात्मक ढाँचा 200

अध्याय-1: परिचय

विस्तृत नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 के स्वीकृत राज्य आदेश संख्या आoप्राo विविध 01/ 2011/1867/ आoप्राo,पटना दिनांक 10.05.2016 के प्रस्तावना में उल्लेखित क्रियाकलापों में सुरक्षित शहर, सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित बुनियादी सेवाएं तथा सुरक्षित आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के संदर्भ में तैयार किया गया है।

उक्त प्रस्तावना के अनुसार सुरक्षित शहर से तात्पर्य है, शहरवासियों में पूर्ण सुरक्षित स्वयं व्यवहार एवं आदतों (Resilient and Safe Behaviour) का विकास, शहरी सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उनके उपयोग की समझ विकसित करना, पूर्व चेतावनी तथा आपातकालीन सेवाओं तक आम जनों की पहुंच सुनिश्चित करना तथा इन क्रियाकलापों के माध्यम से शहरवासियों में आपदाओं से स्थानीय स्तर पर निपटने की क्षमता विकसित करना।

1.1 संदर्भ

प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाएं असमय होती हैं और हाल के वर्षों में यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि पीड़ितों की संख्या और आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। इस तरह की घटनाओं के दुष्परिणाम को कम करने के लिए योजनाबद्ध तरीक़े से काम करने की आवश्यकता है जिसके लिए सटीक योजना, विभिन्न हितभागियों में परस्पर समन्वय, सशक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली और बेहतर पूर्वाभ्यास बहुत ज़रूरी है। यह आपदा के समय अनुकूल प्रतिक्रिया के लिए भी ज़रूरी है। वर्ष 2005 के बाद से आपदा से निपटने के मूलभूत सोच में सकारात्मक बदलाव होने से आपदा से निपटने की तैयारी पहले से अधिक प्रभावी हो गयी है। योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों के साथ-साथ इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पेशेवरों को शामिल करने के महत्व को मान्यता दी जा रही है। संघीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकार के साथ-साथ जनता और अन्य प्रभावी समूहों की भागीदारी और समन्वय में भी वृद्धि हुई है।

आपदा प्रबंधन के पांच मुख्य चरण हैं: रोकथाम (Prevention), तैयारी (Preparedness), शमन (Mitigation), प्रतिक्रिया (Response) और पुनर्प्राप्ति (Recovery)। इसके लिए संस्थागत उपाय जैसे कानून, योजना, दिशानिर्देश और निगरानी को और भी सटीक बनाने की आवश्यकता है। पूर्वतैयारी संभावित खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए व्यापक अभ्यास के माध्यम से विभिन्न हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्तिगत और संस्थागत व्यवहार परिवर्तन के लिए भी निरंतर काम करने की ज़रूरत है। संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को अपनाकर भी जोखिमों को कम किया जा सकता है।

एक बार योजना विकसित हो जाने के बाद इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उसका जीवंत दस्तावेज बनना आवश्यक है जो व्याप्त खतरों, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हो। योजना की सही समझ और उसके उचित क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा जो जानकारी प्राप्त की जाती है, उसका योजना निर्माण चक्र को फिर से शुरू करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। जैसे-जैसे नए पाठ सीखे जाते हैं, जानकारी प्राप्त होती है और प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित किया जाता है, योजनाएँ विकसित होती रहती हैं । योजना की नियमित समीक्षा समुचित प्राधिकार से होना चाहिए। इस तरह की समीक्षा हर वर्ष होनी चाहिए। इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रख कर दरभंगा नगर आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया गया है।

"आपदा की सटीक तैयारी ज़िंदगी और मौत के बीच सार्थक अंतर ला सकती है"

सही तैयारी से आपदा को सीमित किया जा सकता है:

व्यापक आपातकालीन योजनाएँ जैसे भूकंप-रोधी निर्माण नियमावली, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, अग्निरोधक उपाय और आपातकालीन सुरक्षा चौकियों की व्यवस्था, आपदाओं को रोकने या कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि यदि एक बड़े भूकंप से बचने के लिए एक इमारत का निर्माण भूकंप-रोधी निर्माण नियमावली के अनुसार किया जाता है, तो संरचनात्मक क्षति कम होने की संभावना होगी और परिणामस्वरूप लोगों की मृत्यु भी कम होगी। सही योजना और रोकथाम के उपायों की समुचित व्यवस्था और पूर्व तैयारी, समुदायों, विशेष रूप से संवेदनशील आबादी पर प्राकृतिक आपदा के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते हैं।

सटीक तैयारी से जीवन क्षति को कम किया जा सकता है:

आपदापूर्व तैयारी जीवन और मृत्यु के बीच का मामला हो सकता है। यह आर्थिक, संरचनात्मक और भौतिक नुक़सान के साथ साथ जीवन के नुक़सान को भी कम कर सकता है। बाढ़ या किसी और आकस्मिक आपदा के समय पहले से निर्धारित सुरक्षित स्थानों तक लोगों को ले जाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोग खतरनाक स्थानों में फंसे नहीं। पानी और भोजन के सुलभ भंडार लोगों को भूख से मरने या निर्जलीकरण से पीड़ित होने से रोक सकते हैं। आपातकालीन आश्रय स्थल लोगों को खतरनाक परिस्थितियों से बचा सकते हैं और आपदा आने के बाद रहने के लिए एक अस्थायी आश्रय प्रदान कर सकते हैं।

आपदा के प्रकार और स्थिति की बारीकियों के आधार पर उसकी पूर्व तैयारी की जानी चाहिए। आग के लिए तैयार रहने से आपको भूकंप से बचने में मदद नहीं मिल सकती है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में लोगों को बाढ़ से बचाने की योजना के उपयोगी होने की संभावना नहीं है। चलने

फिरने योग्य रोगियों को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल से निकालने का तरीका दिव्यांग रोगियों या विशेष उपकरणों पर आश्रित रोगियों के लिए काम नहीं कर सकता है। हमें अपने समुदायों के लिए सभी संभावित खतरों के साथ-साथ बेघर, बुजुर्गों और विकलांगों सहित अन्य जोखिम समूहों की सामाजिक परिस्थितियों के साथ विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने की आवश्यकता है।

संभावित आपदाओं को ठीक से पहचानने और रोकने के लिए एक प्रणाली होने से लेकर प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए रणनीति बनाने तक, आपातकालीन प्रबंधन मामलों में हर कदम पर, उचित योजना और प्रतिक्रिया का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर कम करना हो सकता है।

सटीक तैयारी से डर के माहौल को कम किया जा सकता है

आपदाएं और आपात स्थिति पीड़ितों और उनके परिवारों पर मनोवैज्ञानिक असर डालती हैं। हालांकि किसी दर्दनाक घटना का सामना करने के प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभावों को पूरी तरह से रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन समानुभूतिपूर्ण योजना बनाकर और अनावश्यक कठिनाई को कम करने का प्रयास कर परेशानियों को कम किया जा सकता है। यह जानना कि क्या करना है और कहाँ जाना है, अनिश्चितता के डर को कम कर सकता है और इसमें शामिल सभी लोगों को जल्द सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

सटीक तैयारी से पुनर्निर्माण और पुनर्वास को आसान किया जा सकता है

पूरी तैयारी के साथ लागू किए गए योजना के पश्चात भी आपदा या आपात स्थिति में अक्सर संपत्ति और/या जीवन का नुकसान होता है। आपातकालीन तैयारियों से यह सुनिश्चित हो पाता है कि नुकसान ज्यादा विनाशकारी न हों। महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सुरक्षित स्थान पर बैकअप ले कर रखना चाहिए और नियमित अंतराल पर उसे अद्यतन करते रहना चाहिए। जैसे सरकार में नेतृत्व के महत्वपूर्ण पदों के लिए उत्तराधिकार की योजनायें बनी होती हैं, उसी तरह आपदा संभावित क्षेत्र में हर परिवार की वसीयत बनी होनी चाहिए। आपदा की स्थिति में जब सरकारी एजेंसियों के कार्यालय को नुक़सान होता है तो ऐसी स्थिति में राहत कार्यों के समुचित संचालन के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है जिसको पूर्व से ही चिन्हित कर रखा जाना चाहिए जहां से वे अपने दायित्वों का निष्पादन कर सके। अगर इस बात की पहले से योजना बनी हो कि आपदा में होने वाले संभावित नुक़सान के बाद सब कुछ कैसे क्रियाशील हो पाएगा, यह परिस्थितियों को तेज़ी से सामान्य होने में मदद कर सकता है।

1.2 योजना का उद्देश्य

आपदा ज़िंदगी के हर आयाम को प्रभावित करती है । आपदाओं की वजह से एक ओर जान माल की व्यापक क्षति होती है तो दूसरी ओर यह आधारभूत संरचनाओं, मूलभूत सुविधाओं और

आजीविका को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है । वैश्विक स्तर पर 2015 में हुए SENDAI -Conference ने इस विषय पर होने वाली चर्चा को और व्यापक बनाया, जिससे देश के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर और यहाँ तक कि गावों और नगर के स्तर पर भी आपदा को केंद्र में रख कर विकेंद्रीकृत योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के ऊपर एक व्यापक बहस की शुरूआत हुई । हालाँकि पूर्व से ही भारत सरकार के 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में बहुत ही विस्तारपूर्वक इसे व्याख्यायित किया गया है।

वर्ष 2016 में बिहार सरकार के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 को सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ लागू किया गया है । रोड मैप के अंतर्गत 2015 से 2030 तक के लिए चार प्रमुख लक्ष्य रखे गए।

1. वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव जीवन क्षति को बेसलाइन के आँकड़ो की तुलना में 75% कम करना।
2. वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल एवं नाव दूर्घटना) में बेसलाइन की तुलना में पर्याप्त कमी लाना।
3. वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में बेसलाइन की तुलना में 50% कमी करना
4. वर्ष 2030 तक बिहार में आपदाओं से होने वाली क्षति में बेसलाइन से 50% कमी लाना।

इसके साथ इसी रोडमैप में आपदा न्यूनीकरण और सुरक्षित बिहार के निर्माण के लिए पाँच स्तंभों की बात की गयी है । ये पाँच स्तंभ हैं 1. सुरक्षित गाँव 2. सुरक्षित आजीविका 3. सुरक्षित मूलभूत सेवाएँ 4. सुरक्षित मूलभूत संरचनाएँ तथा 5. सुरक्षित शहर ।

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2	स्तम्भ 3	स्तम्भ 4	स्तम्भ 5
सुरक्षित गाँव	सुरक्षित आजीविका	सुरक्षित मूलभूत सेवाएँ	सुरक्षित मूलभूत संरचनाएँ	सुरक्षित शहर

सुरक्षित शहर की चर्चा करते हुए इसमें चार महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है:

- आपदा और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों का आकलन और पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना ।
- आपदा पूर्व तैयारियों, आपदा के समय प्रतिक्रिया और आपदा के बाद शमन कार्यों को समाहित करते हुए 'जोखिम सूचित विकास योजना' के माध्यम से "जलवायु परिवर्तन प्रेरित आपदा" को सम्बोधित करना ।

- पर्यावरण के ऊपर प्रभाव आकलन के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना।
- आपदा से उबरने के लिए 'बिल्ड बैक बेटर' के सिद्धांत को अपनाना ।

बिहार सरकार का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30" एक मील के पत्थर की तरह है जिससे स्पष्टता मिलती है कि विभिन्न संस्थाओं की मदद से आपदा जोखिमों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनायी जा सके और इसमें शामिल सभी हितभागियों का क्षमतावर्धन भी किया जा सके। साथ ही, ज़िले के ज़िला आपदा प्रबंधन योजना के साथ भी इसका तारतम्य स्थापित किया जाना ज़रूरी है ताकि योजना की उपयोगिता बनी रहे ।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के द्वारा शहरी क्षेत्र में आपदाओं से निपटने और उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए एक संवेदनशील योजना का राह प्रशस्त किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर निकाय प्रशासन विकेंद्रीकृत आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए प्रेरित हो सके, स्थानीय स्तर पर आपदा से निपटने में सक्षम बन सके, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के तरीक़ों को बढ़ावा दिया जा सके और संसाधनों (स्थानीय और विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त) का अधिकतम उपयोग किया जा सके ।

इस योजना के द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

- दरभंगा नगर की आपदाओं का समेकित मूल्यांकन
- आपदाओं की तैयारी, उससे निपटने की रणनीति और पुनर्वास की योजना
- दरभंगा के स्थानीय निकाय, सरकारी और ग़ैर सरकारी संस्था तथा नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर सभी की सहभागिता से नगर आपदा प्रबंधन योजना बनाना
- जोखिम समूह जैसे मलिन बस्ती में रहने वाले लोग, दिव्यांग, वृद्ध, महिलाओं और बच्चों के अनुकूलित आपदा प्रबंधन की योजना बनाना
- विभनन आपदाओं के संदर्भ में उचित प्रतिक्रिया योजना का निर्माण

1.3 योजना का दायरा

इस योजना में 19.18 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैली तथा 48 वार्डों में विभक्त दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के संभावित आपदाओं यथा प्राकृतिक, मानव प्रेरित, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पन्न, इस के संदर्भ में एक व्यापक खतरा, जोखिम संवेदनशीलता और क्षमता विश्लेषण किया गया है। विगत दशकों में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में स्थान परिवर्तन हुआ है। इसके कारण शहरी जनसंख्या में एक दशक में 24.17% की वृद्धि हुई है। अधिक जनसंख्या घनत्व के दबाव का कुप्रभाव वहां की नागरिक सुविधाओं पर पड़ा है। इन विभिन्न असुरक्षित और अनियंत्रित बसावटों पर आपदाओं के कारण कई बार व्यापक जान माल की हानि के साथ जन सुविधाओं यथा शिक्षा चिकित्सा तथा संचार

संपर्क संरचना की सुविधाओं में व्यवधान होता आया है। विगत 10 से 15 वर्षों के आपदा इतिहास के आधार पर पूर्व में घटित तथा भविष्य में संभावित बहु-खतरा का विश्लेषण एवं इसका मानचित्रण भी किया गया है। वर्ष के 12 महीनों में सभी आपदाओं के घटित होने के एक संभावित काल को अनुमानित किया गया है जिसे तीव्रता कैलेंडर में दर्शाया गया है। इस वार्षिक आवर्ती के आधार पर इनकी अधिकतम तीव्रता (पूर्व अनुभव आधारित), इसके चपेट में आने वाले संभावित वार्ड तथा वहां स्थित संवेदनशील आबादी तथा आधारभूत संरचनाओं की क्षति का जोखिम, नागरिक सेवाओं तथा सुविधाओं में व्यवधान का पूर्वानुमान लगाने एवं स्थानीय स्तर पर इससे निपटने की क्षमता का आकलन किया गया है। आपदाओं की विभीषिका का एक सीमा से अधिक होने पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध क्षमता से इनका सामना करना संभव नहीं होने पर बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी, अतः ऐसी विषम परिस्थिति में नगर निगम की इन बाहरी सहायता स्रोत तक पहुंच होनी / बनानी आवश्यक होगी। बाहरी मदद स्रोत का व्यवहारिक आग्रह करते हुए इस तक त्वरित पहुँच बनाने तथा सहायता प्राप्त करने की औपचारिकताओं को भी चिन्हित करने का प्रयास किया गया है।

1.4 योजना विकास पद्धति

नगर आपदा योजना को विकसित करने में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रह करने के साथ-साथ विभिन्न प्रक्रियाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया, जिसमें हितभागियों के अनुभवों और विचारों को समेकित करते हुए योजना को आख़िरी रूप दिया गया। योजना के निर्माण में समुदाय की सहभागिता को पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। समुदाय के हर तबके की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक बैठक, छोटे समूह में चर्चा और विभिन्न स्तरों पर परामर्श बैठक की गयी। इस प्रक्रिया में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों जैसे जोखिम वाले समूहों के अनुकूल नगर की आपदा योजना विकसित की गयी।

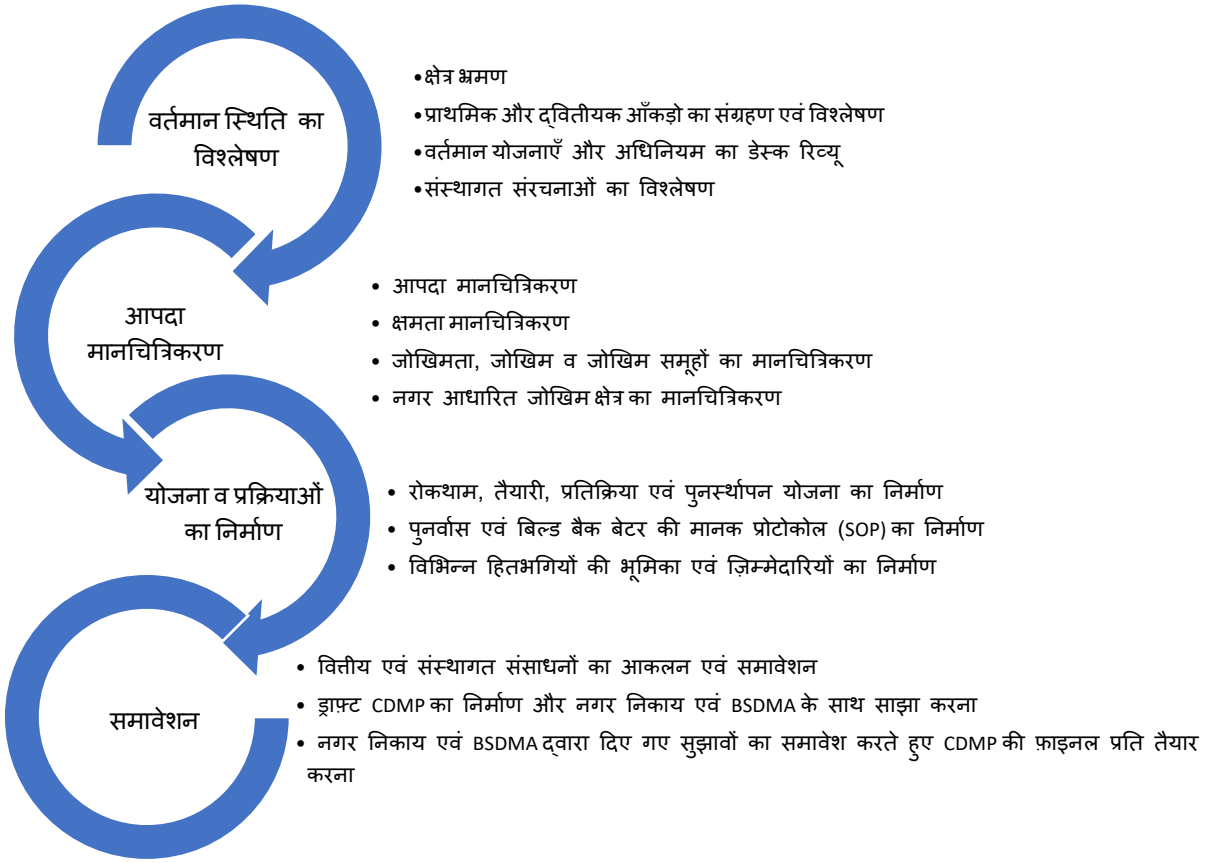

चित्र 1 : योजना विकास पद्धति

1.4.1 मर्गदर्शक दस्तावेज

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005	SENDAI Framework -2015	बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30	ज़िला आपदा प्रबन्धन योजना
IPCC रिपोर्ट 2020	नगर पालिका अधिनियम	Goal 11 of Sustainable Development Goals (SDGs)	स्मार्ट सिटी मिशन

1.5 नगर आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दरभंगा नगर आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की जवाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए सशक्त स्थायी समिति की होगी। इसी अधिनियम के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थायी समिति के लिखित आदेश द्वारा, यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अपने किन्ही शक्तियों या कार्यों को महापौर या आयुक्त नगर निगम दरभंगा को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

आपदा प्रबंधन के लिए कोई एक विभाग या संस्था कभी भी सारी जिम्मदारियों को नहीं निभा सकता है। कोई भी आपदा जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है और पहले से भी बेहतर संरचनात्मक सुधार (Build Back Better) के लिए विभिन्न विभागों/संस्थाओं को मिल कर काम करना होता है। नगर आपदा प्रबंधन योजना को प्रभावी रूप से तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों/संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय का प्रयास किया गया है। नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के दौरान विभिन्न विभागों, संस्थाओं, ग़ैर सरकारी संस्थाओं और समुदाय के साथ व्यापक विवेचना से यह बात स्पष्ट हो कर सामने आयी कि आपदा प्रबंधन के संस्थागत रूपरेखा को सम्बल प्रदान करने के लिए विभिन्न लाइन विभागों के साथ समन्वय किया जाना काफ़ी ज़रूरी है।

1.6 योजना की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण

ज़िला स्तर पर भारत और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय स्तर पर ज़िला पदाधिकारी, ज़िला प्राधिकरण के अधीन रहते हुए, आपदा प्रबंधन योजना में निहित प्रावधानों का नियमित रूप से पुनरावलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे। इसके लिए योजना क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ज़रूरी हो जाता है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है। कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी ख़ास माह में अधिक होती है और कुछ आपदाएँ बिना किसी पूर्व सूचना/ आभास के अचानक ही घटित होती हैं। दोनो तरह की आपदाओं का जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनःप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। पहले के सफल अनुभवों से सीख लेते हुए उसका उपयोग पूरी प्रक्रिया में किया जाता है। प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के बाद इसका दस्तावेज़ीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनों तरह के प्रयासों की विवेचना की जानी चाहिए। इन समीक्षा दस्तावेज़ों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनःमूल्यांकन कर उसे अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि भीषण आपदा के समय योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता की जाँच की जाए । आपदा के बाद, उससे निपटने की

योजना के प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना ज़रूरी है । इस मूल्यांकन से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन से उपाय आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य संचालन, पुनर्स्थापित या पुनःप्राप्ति में अधिक प्रभावी साबित हुए हैं। भविष्य के आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को शामिल किया जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपदा के दौरान अनुपालित योजनाओं के सटीक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए सूचक (indicators) का तय किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इन सूचकों में समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण, आवास, आधारभूत संरचना, असमय मृत्यु और विभिन्न विभागों/ एजेन्सीयों से होने वाले जुड़ाव के मानक शामिल होने चाहिए

नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुछेद 33(1) में उल्लेखित शक्तियों का उपयोग करते हुए नगर आपदा प्रबंधन योजना के पुनरावलोकन और सुधार के लिए एक समिति का गठन करेगी। जिसे स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय -2 : नगर परिचय

इस अध्याय में दरभंगा नगर की रूप रेखा, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक विभाजन, शहरी सीमा एवं पहुँच, जलवायु एवं मौसम की रूप रेखा, जनसांख्यिकी, आर्थिक रूप-रेखा, व्यावसायिक रूप रेखा, शहरी योजना एवं ज़ोनिंग, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक उपागम, जीवन रक्षक संरचना (ट्रैफ़िक एवं परिवहन व्यवस्था, अस्पताल, विद्यालय/महाविद्यालय/जलापूर्ति व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सीवर, ड्रेनेज, रिहायशी मकान, ठोस कचरा प्रबंधन) आधारभूत संरचनाएँ, उद्योग एवं कल-कारख़ाने, प्राकृतिक संसाधन एवं वनस्पति एवं जीव को सम्मलित किया गया है।

2.1 नगर प्रोफ़ाइल

दरभंगा शहर, दरभंगा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। दरभंगा नगर निगम के अंदर कुल 48 वार्ड हैं। यह बिहार में पाँचवा -सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है लेकिन क्षेत्र के मामले में यह राज्य के कुल 130 -शहरों में 30वें स्थान पर आता है। दरभंगा नगर निगम का कुल क्षेत्रफल 19.18 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के मुताबिक, इसकी कुल जनसंख्या 296039 - है और इसकी साक्षरता दर 80% है।

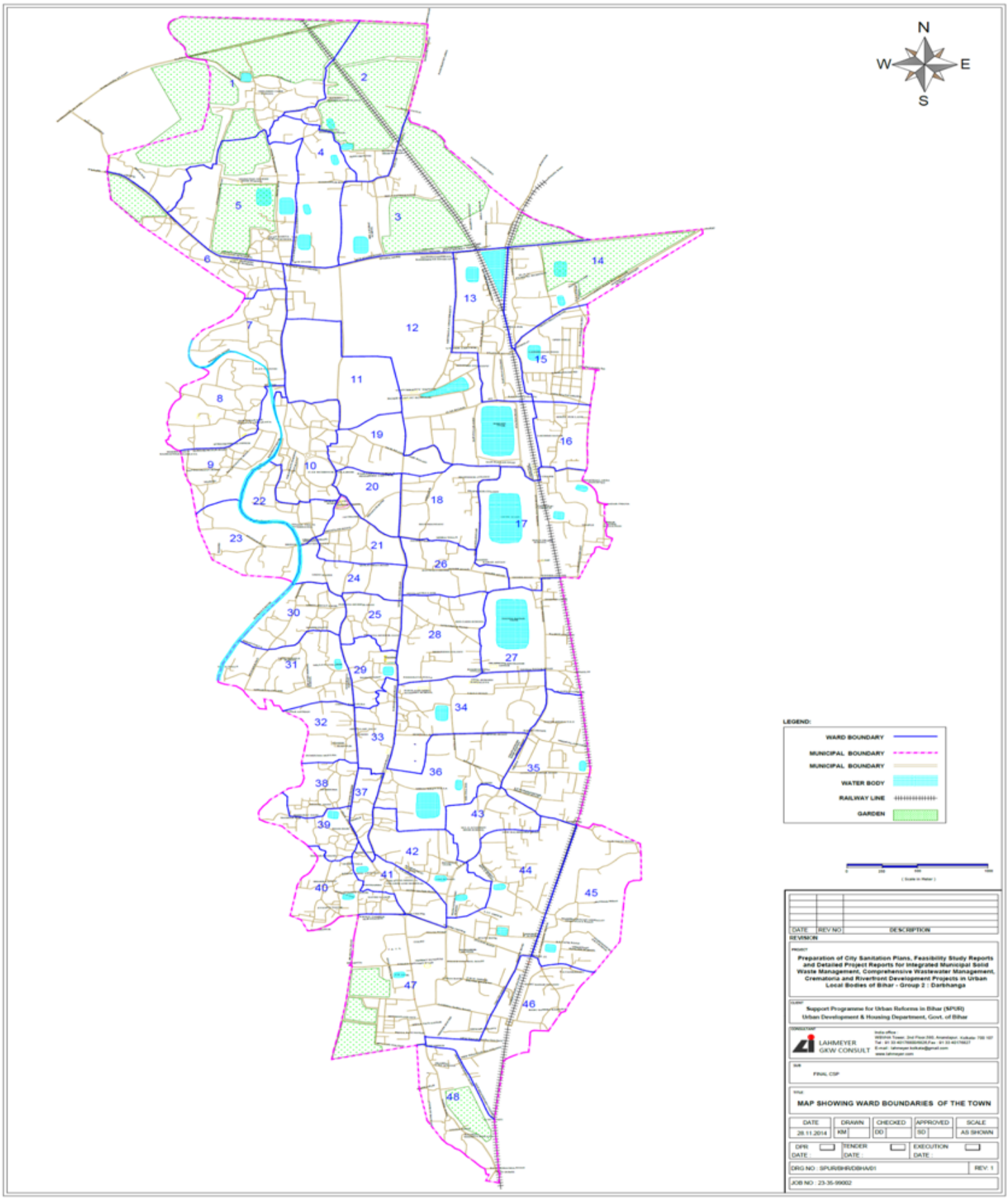

चित्र 2 नक्शा: नगर निगम, दरभंगा

2.2 दरभंगा के मुख्य सम्पर्क

तालिका 1 दरभंगा नगर के मुख्य सम्पर्क

पदनाम	ईमेल	मोबाइलसंख्या	लैंडलाइनफ़ोन
जिला पदाधिकारी	dm-darbhanga.bih@nic.in	9431235000	0627-2240200
वरीय पुलिस अधीक्षक	sp-darbhanga-bih@nic.in	9431822992	06287742992
नगर आयुक्त	darbhanga.ulb@gmail.com	9470488936	
उप विकास आयुक्त	ddc-darbhanga-bih@nic.in	9431818365	
अपर समाहर्ता /IC	adm.darghanga @gmail.com	9473191318	
जिला पंचायती राज पदाधिकारी (DPRO)	dpro.darbhanga @gmail.com	8102842008	
सिविल सर्जन	dhs_darbhanga @rediffmail.com	9470003245	0627-2233513
डी.आई.ओ (NIC), भारत सरकार	rajeev.jha@nic.in	9431443898	
जिला कृषि पदाधिकारी		9431818745	
जिला आई.टी. प्रबंधक	darbhanga.itmanager@gmail.com	9122586086	
जिला शिक्षा पदाधिकारी	deodarbhanga.edn@gmail.com	8544411207	
जिला परिवहन पदाधिकारी	dto-darbhanga-bih@nic.in	6202751046	
अनुमंडल पदाधिकारी	sdo-darbhanga.bih@nic.in	9473191319	
सी.ओ. दरभंगा	codarb-dar.bih@nic.in	8544412514	
प्र.वि.प. दरभंगा	bdodarb-dar.bih.nic.in	9431818208	
नगर थानाध्यक्ष	sadardbg-bih@gov.in	9431822490	06272-258928

2.3 भूगोल

दरभंगा उत्तर बिहार में 25°53' और 26° 27' उतरी अक्षांश और 85°45' और 86° 25' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। दरभंगा के पश्चिमी भाग से बगमती नदी बहती है जबकि कमला नदी का प्रवाह शहर के पूर्व की तरफ़ से है। इसके उत्तर और पूर्व में दरभंगा ज़िले का सदर प्रखंड, दक्षिण तथा पश्चिम में दरभंगा ज़िले का बहदरपुर प्रखंड है।

2.4 दरभंगा का प्राकृतिक ढलान

दरभंगा नगर की भौगोलिक बनावट को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि **शहर का प्राकृतिक ढलान पूर्व की ओर है। यह भी उल्लेखनीय है कि बाग़मती का स्तर शहर के अधिकांश भागों से थोड़ा**

ऊपर है। बाग़मती नदी के तरफ़ नगर सुरक्षा बांध बना हुआ है जिसमें 17 स्लुइस द्वार बने हुए हैं। बाग़मती नदी के जल स्तर के बढ़ने पर स्लुइस गेट को बंद कर दिया जाता है जिस कारण नगर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि स्लुइस गेट को बंद हो जाने से नगर का पानी बाहर नहीं निकल पाता है। इस जल जमाव का लोगों के जन जीवन और व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दरभंगा नगर का लगभग हर वार्ड में जल जमाव की समस्या रहती है।

2.5 प्रशासनिक डिविज़न

दरभंगा नगर 48 वार्डों में विभाजित है। दरभंगा नगर के ढाँचे को समझने के लिए उसकी शासन संरचना को समझना ज़रूरी है। नगर निगम, दरभंगा की शासन संरचना को दो विंगों में विभाजित किया गया है:

1. निर्वाचित विंग एवं 2. प्रशासनिक विंग

कार्य-संचालन व्यवस्था: बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 के तहत विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए नगर निगम मुख्यालय

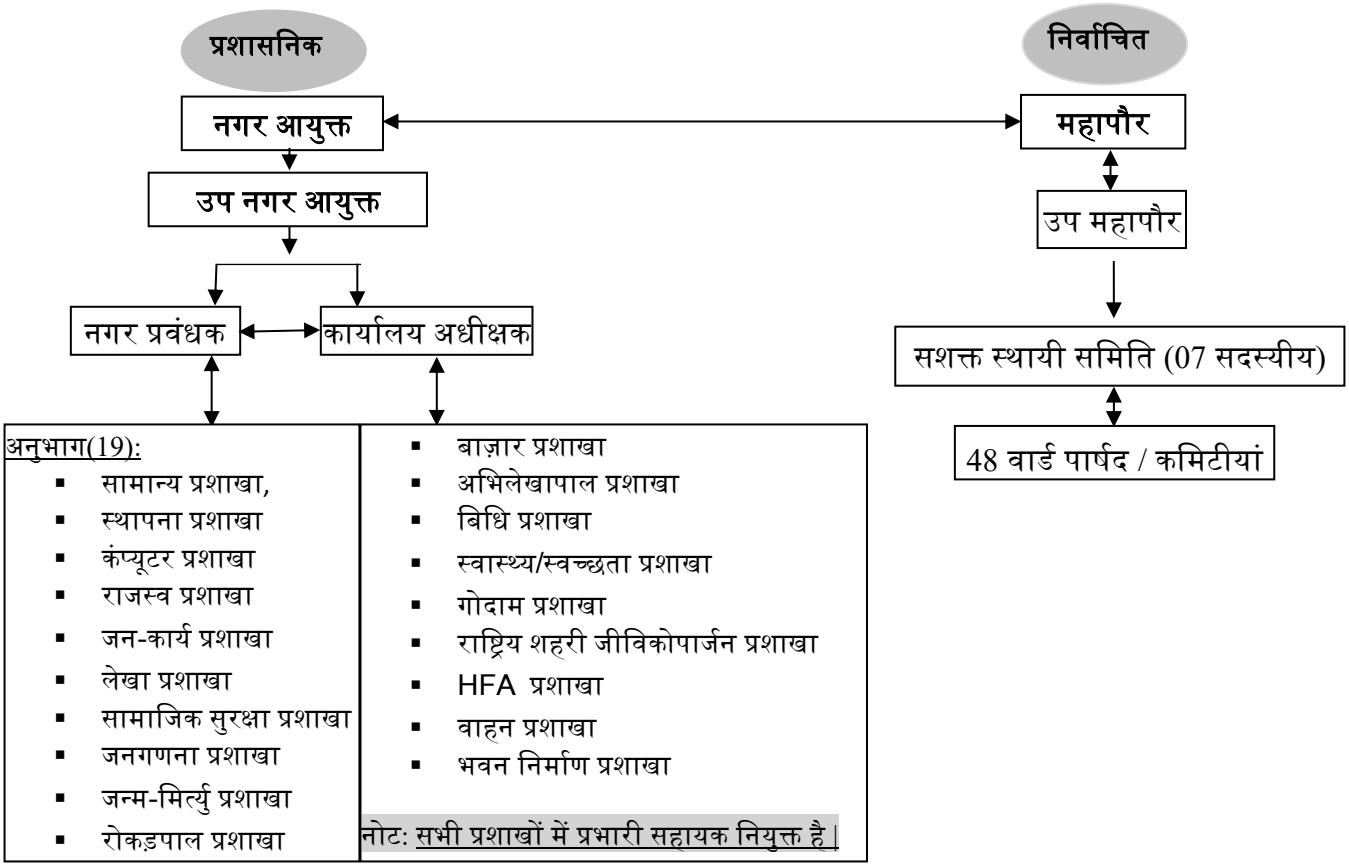

चित्र : 3 दरभंगा नगर निगम का प्रशासनिक ढाँचा

2.6 परिवहन और संचार नेटवर्क

दरभंगा नगर संचार के बेहतर माध्यमों से जुड़ा हुआ है। दरभंगा शहर से होकर NH-27 (इसे NH-57 के नाम से भी जाना जाता है) गुजरती है जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। NH-27 पोरबन्दर से शुरू होकर शिल्चर तक जाती है, जिस दौरान यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसम से गुजरती है। NH-105 दरभंगा को नेपाल की सीमा से जोड़ता है। भूमार्गीय परिवहन का बहुत बड़ा हिस्सा इन राष्ट्रीय राजमार्गों से पोषित होता है। दरभंगा से होकर कई राज्य उच्चपथ भी गुजरते हैं। अंतर ज़िला आवागमन और स्थानीय व्यापार के लिए ये राज्य उच्चपथ जीवनरेखा की तरह काम करती है। दरभंगा रेलवे के महत्वपूर्ण नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है।

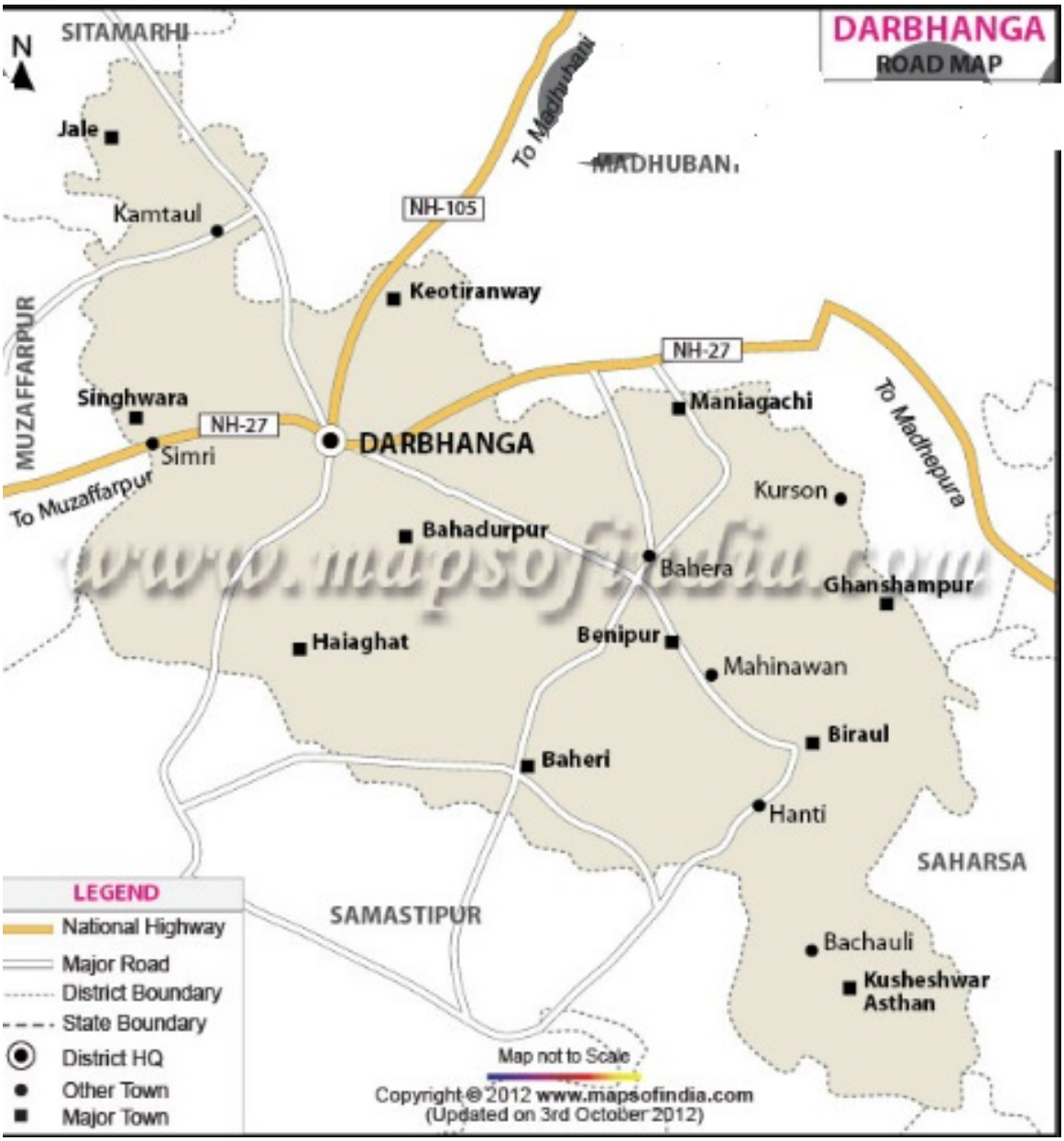

चित्र4 : दरभंगा नगर को जोड़ने वाली सड़कों का नेटवर्क

2.7 जलवायु और मौसम

दरभंगा की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 25^0 C रहता है। यहाँ लगभग 54.6 इंच वर्षा लगभग हर वर्ष होती है। नीचे दिए गए ग्राफ़ के विश्लेषण से पता चलता है कि दरभंगा शहर के अंदर तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है, अत्यधिक गर्मी और कंपकपाती हुई ठंड का मौसम होता है।

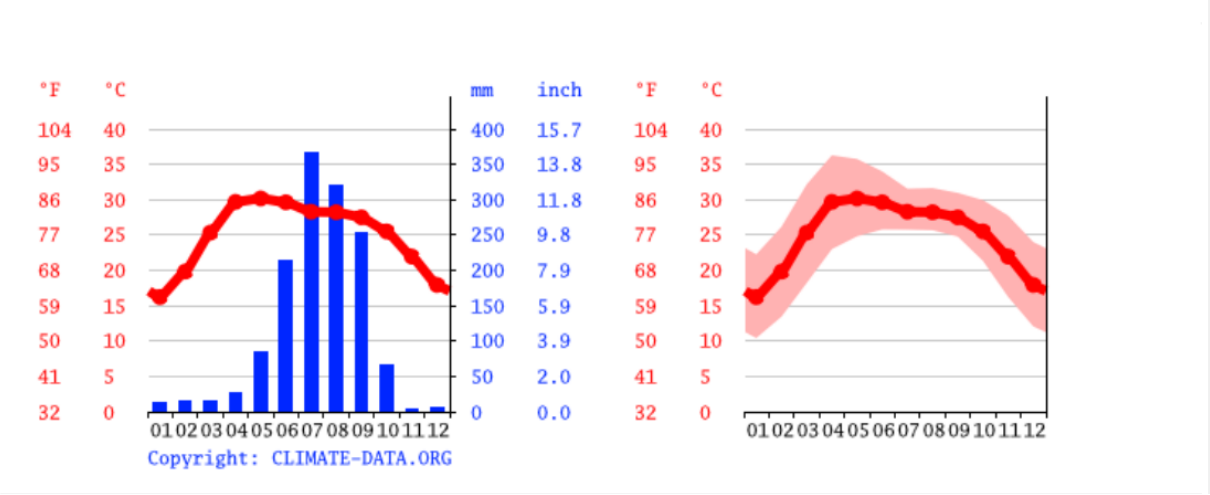

चित्र 5 दरभंगा का माह वार तापमान और वर्षा

दरभंगा की जलवायु को वर्ष की चार ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। ठंड का मौसम नवंबर के मध्य से शुरू होता है और लगभग मार्च के मध्य तक रहता है। गर्म मौसम आता है और जून के मध्य तक जारी रहता है जब दक्षिण-पश्चिम मानसून शुरू होता है। जून से सितंबर दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम है। मानसून के बाद का महीना अक्टूबर और नवंबर मानसून से सर्दियों की स्थिति के लिए संक्रमणकालीन अवधि का गठन करता है।

2.7.1 वर्षा

दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में वर्षा वार्षिक सामान्य वर्षा का लगभग 84 प्रतिशत हो जाता है। 314.7 मिमी के औसत के साथ सबसे अधिक वर्षा वाला महीना जुलाई है। साल-दर-साल वार्षिक वर्षा में भिन्नता बहुत ज्यादा नहीं है। 1951 से 2000 की पचास वर्षों की अवधि में, सबसे अधिक वार्षिक वर्षा 1985 में हुई थी जब यह सामान्य से 170% थी। 1992 सबसे कम वर्षा वाला वर्ष था और यह सामान्य का 63% था। इस पचास वर्ष की अवधि में 9 वर्षों में वर्षा सामान्य से 80% कम थी, जिसमें से दो वर्ष लगातार थे। तालिका 2 से देखा गया है कि 48 वर्षों में से 37 वर्षों में वार्षिक वर्षा 801 मिमी और 1400 मिमी के बीच थी। दरभंगा में एक वर्ष में औसतन 48 बरसात के दिन (अर्थात 2.5 मिमी या अधिक वर्षा वाले दिन) होते हैं।

2.7.2 तपमान

दरभंगा में एक मौसम विज्ञान वेधशाला है। इस स्टेशन के आंकड़ों से संकेतित तापमान और अन्य मौसम संबंधी स्थिति को सामान्य रूप से जिले के प्रतिनिधित्व के रूप में लिया जा सकता है। ठंड का मौसम नवंबर के मध्य से शुरू होता है जब मौसम के बढ़ने के साथ दिन और रात दोनों के तापमान में काफी तेजी से गिरावट आती है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है **जब औसत अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान लगभग 9.3 डिग्री सेल्सियस होता है।** उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिले को प्रभावित करने वाली शीत लहरों में, **न्यूनतम तापमान कभी-कभी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है।** मार्च में दिन गर्म हो जाते हैं जबकि रातें ठंडी बनी रहती हैं। मई तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से वृद्धि होने लगती है। **मई 35.6 डिग्री सेल्सियस औसत अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म महीना है। गर्मी के मौसम के उत्तरार्ध में यानी मई और जून में अधिकतम तापमान कभी-कभी व्यक्तिगत दिनों में लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।** जून के दूसरे सप्ताह में जिले में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ दिन के तापमान में गिरावट होती है, लेकिन रात का तापमान अधिक बना रहता है। अक्टूबर में जबकि दिन का तापमान मानसून के महीनों की तरह जारी रहता है, हालांकि रातें ठंडी होती हैं।

31 मई 1995 को दरभंगा में अब तक का उच्चतम अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और 31 जनवरी 1971 और 03 फरवरी 1971 को अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

2.7.3 नमी

वर्ष का सबसे शुष्क भाग गर्मियों के महीने होते हैं जब सापेक्षिक आर्द्रता विशेष रूप से दोपहर में 50% से 60% के बीच होती है। मानसून की अवधि के दौरान आर्द्रता अधिक होती है जब यह 70% से 80% के बीच होती है। शेष वर्ष में सापेक्षिक आर्द्रता आमतौर पर 60% और 70% के बीच होती है।

2.7.4 बादल

मानसून के महीनों में आसमान में भारी बादल छाए रहते हैं। सर्दी और गर्मी के मौसम में आसमान आमतौर पर साफ या हल्के बादल छाए रहते हैं।

2.7.5 हवा

मानसून के बाद, सर्दी और गर्मी के शुरुआती मौसम में हल्की पश्चिमी या शांत हवाएं चलती हैं। अप्रैल से शांत या पूर्वी हवाएं दिखाई देती हैं और ये दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में प्रबल होती हैं।

2.8 जननांकीय विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार, दरभंगा नगर की कुल आबादी 298094 है। नगर के वार्डों की औसत जनसंख्या 6158 है। नगर की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या 47.1% है। दरभंगा शहर की औसत साक्षरता दर 75.65 प्रतिशत है जबकि पुरुष और महिला साक्षरता 82.30 और 68.20 प्रतिशत है। **2011 की जनगणना के अनुसार दरभंगा ज़िले के शहरी क्षेत्र में दिव्यंगों की कुल संख्या 5991 है, जिसमें 3464 पुरुष एवं 2527 महिला हैं। 10-16 वर्ष आयु वर्ग में सबसे अधिक दिव्यांग जनों की संख्या है।** पिछले दशक में नगरीय आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ा है जिससे नगर कि जननांकीय विवरण में काफ़ी बदलाव हुए हैं। शहर की आधारभूत संरचना के ऊपर तेज़ी से बढ़ते दबाव ने कई मलिन बस्तियों को विकसित किया है।

तालिका 2: दरभंगा नगर की वार्ड वार जनसंख्या

SN	वार्ड संख्या	आबादी (2011 जनगणना के अनुसार)			
		कुल आवादी	पुरुष	महिला	कुल शिशु (0-05 वर्ष)
दरभंगा: 48 वार्ड		298094	155,633	140,605	42,157
1	1	8689	4524	4165	1492
2	2	6806	3675	3131	1092
3	3	6396	3424	2940	871
4	4	7082	3662	3420	1050
5	5	5882	3087	2795	850
6	6	5670	3025	2645	885
7	7	7997	4216	3781	1074
8	8	7475	3931	3544	1133
9	9	6806	3659	3147	997
10	10	5658	2957	2901	725
11	11	7508	3915	3593	924
12	12	7330	3850	3480	776
13	13	5072	2651	2421	548
14	14	8391	4455	3939	1277
15	15	6365	3335	3030	774
16	16	4557	2416	2141	530
17	17	8904	4648	4256	1273
18	18	5088	2691	2397	560
19	19	3637	1880	1757	461
20	20	7301	3817	3484	1120

SN	वार्ड संख्या	आबादी (2011 जनगणना के अनुसार)			
		कुल आवादी	पुरुष	महिला	कुल शिशु (0-05 वर्ष)
21	21	5730	3008	2722	877
22	22	8348	4419	3929	1283
23	23	6471	3401	3070	1126
24	24	6045	3121	2924	992
25	25	3707	1938	1769	609
26	26	5712	3048	2664	727
27	27	5074	2684	2390	712
28	28	8426	4406	4020	1227
29	29	4646	2457	2189	718
30	30	7341	3838	3503	1229
31	31	7452	3811	3641	1288
32	32	4945	2558	2387	745
33	33	5261	2705	2556	737
34	34	6841	3595	3219	1005
35	35	5171	2768	2403	598
36	36	5672	2953	2719	858
37	37	4373	2288	2085	651
38	38	5036	2659	2377	879
39	39	6549	3447	3102	1045
40	40	8895	4687	4208	1437
41	41	5502	1841	1661	426
42	42	6263	3290	2973	748
43	43	6824	3569	3255	768
44	44	2411	1259	1152	230
45	45	4744	2483	2261	583
46	46	5085	2638	2447	650
47	47	4894	2679	2215	490
48	48	8062	4265	3797	1107

2.9 आर्थिक और व्यावसायिक विवरण

मिथिला क्षेत्र के प्रमुख शहरों में दरभंगा का स्थान है। बिहार के सांस्कृतिक राजधानी के रूप मे भी दरभंगा को जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, बाग़वानी और जलीय उत्पादों पर आधारित है। विशेष रूप से आम, मखाना और मछली का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एक प्रमुख आर्थिक स्रोत है।

फल उत्पादन के क्षेत्र में दरभंगा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ का आम और मखाना अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और बीते वर्षों में इनका उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़िला मुख्यालय होने के कारण यह शहर इन कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण और विक्रय का अच्छा अवसर प्रदान करता है। इस कारण से दरभंगा नगर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ने का एक मंच प्रदान करता है और कई छोटे बड़े एवं खुदरा और थोक व्यवसाय भी किए जाते है।

ज़िले में युवा आबादी अधिक होने और रोज़गार के सीमित अवसर के कारण आमतौर पर आजीविका के अवसरों के लिए श्रमबल का पलायन देखने को मिलता है। सरकार द्वारा श्रमबल के गुणात्मक विकास के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय कौशल मिशन और दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना में युवाओं का उत्साह देखने को मिलता है।

2.10 योजना एवं जोनिंग

होल्डिंग टैक्स वसूली के दृष्टिकोण से शहर के होल्डिंग को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

- प्रधान मुख्य सड़क से जुड़ा होल्डिंग
- मुख्य सड़क से जुड़ा होल्डिंग
- अन्य सड़क से जुड़ा होल्डिंग

दरभंगा शहर के लगभग 25 वार्डों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न होती है। **जल मल के निकासी** के लिए शहर को **जोन** में बांटकर सभी नालों की सफाई कर जलमल निकासी को सुगम बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए

- उत्तर पश्चिम जोन
- पूर्वी-पश्चिम जोन

ठोस कचरा प्रबंधन को ध्यान में रख कर भी नगर को **तीन ज़ोन** में बाँटा गया है।

- **वार्ड संख्या 1 से 16 तक ज़ोन I,**
- **वार्ड संख्या 17 से 32 तक ज़ोन II तथा**
- **वार्ड संख्या 32 से 48 तक ज़ोन III**

शहर के सर्वांगीण विकास एवं विस्तार के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा जोनिंग किया जाना अपेक्षित एवं प्रतिक्षित है।

2.11 महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा एवं भवन

2.11.1 ट्रैफ़िक और यातायात

दरभंगा शहर को आस पास के ज़िलों और प्रखंडों से जोड़ने के लिए सड़कों का एक जाल फैला हुआ है। **दरभंगा के शहर के अंदर ही आवागमन को सुलभ बनाने के लिए कुल 400 km का जाल है जो 10 फ़ीट और 12 फ़ीट चौड़ी हैं। हालाँकि, सर्वे रिकार्ड के अनुसार शहर के अंदर सड़कों की लंबाई 250 km ही है।** नगरीकरण के अत्यधिक दबाव और अनियोजित विकास के कारण ट्रैफ़िक की समस्या बनी रहती है। शहर में कई ब्लैक स्पॉट है जिनके कारण अनेक सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। इस विषय में लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जाते रहते हैं। ट्रैफ़िक पर अत्यधिक दबाव होने के कारण हमेशा रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है जिसका वायु गुणवत्ता पर काफ़ी नकारतमक प्रभाव पड़ता है। दरभंगा में सड़क नेटवर्क जनसंख्या दबाव के अनुपात में अपर्याप्त है, इसके और बेहतर रखरखाव की ज़रूरत है। नगर निगम द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों पर पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है । समुचित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली नहीं होने के कारण अधिकांश नागरिकों को निजी वाहनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिससे यातायात का भार बढ़ता है।

शहर में कुछ निर्दिष्ट पार्किंग स्थल हैं और सूची नीचे है।

- बस पार्किंग स्थान
- निजी बस स्टैंड कादिराबाद दरभंगा
- निजी बस स्टैंड लहेरियासराय
- बीएसआरटीसी कादिराबाद दरभंगा
- बीएसआरटीसी लहेरियासराय

टैम्पू पार्किंग स्थल

- लहेरियासराय बस स्टैंड के पास
- वीआईपी रोड पर मुस्लिम स्कूल के सामने
- डॉ. एच.एन.द्विवेदी के घर के पास

कार पार्किंग स्थल -

1. कर्पूरी चौक पर DMCH गर्ल्स हॉस्टल के पूर्व में।
2. रिक्शा पार्किंग स्थल - 1
3. सिविल कोर्ट के पास लहेरियासराय।
4. वीआईपी रोड पर बुल्ला चौक के पास।
5. वीआईपी रोड पर आईएमए बिल्डिंग के सामने।
6. वीआईपी रोड पर हीरो होंडा एजेंसी के सामने।
7. दरभंगा संग्रहालय के पूर्व में।
8. बेला मोड़ पर।
9. लालबाग डाकघर के सामने।
10. महाराजी ताल के पास राम चौक पर।

11.सुभाष चौक पर एसबीआई सिटी शाखा के पास।

मोटरसाइकिल और साइकिल पार्किंग स्थल -

1. दरभंगा रेलवे स्टेशन के परिसर में ।
2. लहेरियासराय रेलवे स्टेशन के परिसर में।

2.11.2 अस्पताल

दरभंगा नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था है तथा सरकारी एवं निजी दोनो प्रकार के अस्पतालों का एक विशाल नेट्वर्क है।

2.11.2.1 सरकारी अस्पताल

दरभंगा में 01 मेडिकल कॉलेज और 5 शहरी स्वास्थ्य उप केंद्र (अली नगर, चुना भट्टी, MCH राज कैम्पस, उर्दू और ख़्वाजा सराय) हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, उत्तरी बिहार का गौरव, 1925 में एक मेडिकल स्कूल के रूप में शुरू किया गया था और 1946 में इसे एक कॉलेज में अपग्रेड किया गया था। बाद में यह एक बहु अनुशासनात्मक संस्थान के रूप में विकसित हुआ, यहां तक कि 1958 से अधिकांश संकायों में पी.जी. की डिग्री दी जा रही है। सिटी स्कैन सुविधाओं के अलावा, एक कैंसर वार्ड भी कार्य कर रहा है।

2.11.2.2 ग़ैर सरकारी अस्पताल, दरभंगा

तालिका 3 दरभंगा में ग़ैर सरकारी अस्पताल

क्र0 सं0	संस्थान का नाम और पता	बेड की संख्या	अभियुक्ति
1	डॉ मिथिलेश झा क्लिनिक जी0 एन0 गंज, लहेरियासराय, दरभंगा	2	9431250112
2	पारस ग्लोबल हॉस्पीटल (ए यूनिट ऑफ पारस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड)	100	9065528348
3	यूरो स्टोन रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड भी0 आई0 पी0 रोड, लहेरियासराय,	50	9308760525
4	ए0 आर0 दत्ता मेमोरियल क्लिनिक (फार्मेसी) कटहलवाड़ी, सदर , दरभंगा	00	9431086266
5	माँ भगवती नर्सिंग होम, भगवती मंदिर के पीछे, मिर्जापुर, दरभंगा	10	9835080841
6	आर0 बी0 मेमोरियल हॉस्पीटलए बेंता रोड, लहेरियासराय, दरभंगा	133	9431219396
7	आई0 बी0 स्मृति आरोग्य सदन, दिघ्घी पश्चिमी टोला, दरभंगा	45	9661700300
8	शुभम नर्सिंग होम शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, दरभंगा	30	9905911360 9835443268
9	दरभंगा आई0सी0यू0 एण्ड क्लिनिक प्रथम तल्ला, आनन्द स्कैनिंग सेन्टर, बेंता	10	9835084767
10	ठाकुर क्लिनिक एण्ड मेटेरनिटी सेन्टर, शाहगंज, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा	10	9934251359
11	फरिदिया हॉस्पीटल c/o- सलफीया अनानी मेडिकल कॉलेज, अंसारी बाजार, लहेरियासराय, दरभंगा	75	9431844454
12	श्री सांई हॉस्पीटल, भी0 आई0 पी0 रोड, अल्लपट्टी, लहेरियासराय	28	9470782908
13	सिटी हॉस्पीटल साहसुपन, किला घाट रोड, नाका न0–5, दरभंगा	48	9430997078
14	श्यामा सर्जिकल संस्थान आई0 टी0 चौक, जी0 एम0 रोड, दरभंगा	25	9431219719
15	दरभंगा चिल्ड्रेन हॉस्पीटल द्वितीय तल्ला, गामी सेन्टर, भी0आई0पी0 रोड बेता चौक	25	9097183710
16	जोगिन्दर मेमोरियल मेडिकल हॉस्पीटल हॉस्पीटल रोड, लहेरियासराय, दरभंगा	100	9312847468
17	अमृत नर्सिंग होम राज कुमार गंज, दरभंगा	12	9431253180
18	श्री बालाजी हॉस्पीटल हॉस्पीटल रोड, लहेरियासराय, दरभंगा	25	7739722252

क्र0 सं0	संस्थान का नाम और पता	बेड की संख्या	अभियुक्ति
19	आर0ए0 हेल्थ केयर मौलागंज, लालबाग, दरभंगा	10	9431287406
20	शेखर नेत्रालय एण्ड ईयर नोज थ्रोएट हॉस्पीटल नाका नं0–06, करमगंज, लहेरियासराय, दरभंगा	24	9431219274
21	गोदावरी जीवछ मेमोरियल हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर शाहगंज, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा	33	9334486580 9835067981
22	एम0 एम0 इमर्जेंसी हॉस्पीटल एण्ड ट्रामा सेन्टर नामा नं0–06, रहमगंज,	25	7979097481
23	श्री विषुधानन्द हॉस्पीटल प्रा0 लि0 ईदगाह रोड, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा	30	9430898431
24	रोज द मेडिसिटी एण्ड आई0भी0एफ0 सेन्टर दिघ्घी वेस्ट, मिश्रटोला, दरभंगा	35	893593ण्7408
25	प्रसाद पॉली क्लिनिक बंगलागढ़, सदर, दरभंगा	20	9560387796
26	सर्राफ ऑर्थो स्पाईन एण्ड मेटरनिटी सेन्टर, लहेरियासराय, दरभंगा	32	9835607105
27	महावीर नेत्रालय दोनार चौक के पश्चिम, (महिन्द्रा ट्रेक्टर के उपर),	12	7763801663 9931373063
28	प्राइम हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर NH-57, Opp- न्यु बस स्टैण्ड,	20	9250247506
29	भारती हेल्थ केयर जी0एन0गंज, रोज पब्लिक स्कुल, लहेरियासराय,	10	7870772564
30	श्यामा चिल्ड्रेन हॉस्पीटल गुड्डु रेस्ट हाउस, अल्लपट्टी चौक, दरभंगा	27	9931002496
31	आर0 के0 आर्थो आश्रम मदारपुर, लालबाग दरभंगा 846004	30	9431219021
32	भीजन सेन्टर फॉर आई0 एण्ड ई0 एन0 टी0 सेन्टर, लहेरियासराय, दरभंगा	20	9431403041
33	स्काई रीड्ज मेडिकल सेन्टर, भी0 आई0 पी0 रोड लहेरियासराय, 846003	20	8809062214
34	देल्ही लेप्रोस्कॉपी एण्ड स्टोन क्लिनिक हॉस्पीटल रोड, लहेरियासराय	10	9108834636
35	हॉप हॉस्पीटल रसुलपुर खुर्द, अल्लपट्टी, लहेरियासराय, दरभंगा 846003	12	9431414253
36	ग्लोबल हेल्थ केयर एण्ड डायबीटीज रीसर्च सेन्टर नियर जीसीयस एण्ड मैरी स्कूल	20	9431085834
37	गुप्ता चिल्ड्रेन हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर अल्लपट्टी दरभंगा	15	9431286668
38	बाबा कुशेश्वरनाथ स्वास्थ्य सेवा सदन, रामपुर राउत कुशेश्वरस्थान, दरभंगा	12	8051514041
39	दुर्गा सर्जिकल सेन्टर, हॉस्पीटल रोड नियर आनन्द रेस्ट हाउस लहेरियासराय,	12	9431414144
40	एस0आर0 आरोग्य निकेतन, हाटगाछी, सुपौल, बिरौल, दरभंगा–847203	20	7488672379
41	अमर हॉस्पीटल, इन्दिरा कॉलोनी, अल्लपट्टी,लहेरियासराय, दरभंगा	10	9431887596
42	न्यू संजीवनी हॉस्पीटल, बेलवागंज, लहेरियासराय, दरभंगा	25	9939793115
43	एपेक्स सुपर स्पेलिंट हॉस्पीटल, अल्लपट्टी लहेरियासराय, दरभंगा	30	7979859945
44	ए0 एस0 मेमोरियल रिसर्चसेटर, साहगंज वेता लहेरियासराय, दरभंगा	20	9431219767
45	सुरभी लेपोस्कोपी एण्ड र्सचिकल हेल्थ क्लिनीक, वेता रोड लहेरियासराय,	10	9334969850
46	श्रीराम शल्य निल्यम हॉस्पीटल, वी0 आई0 पी0 रोड0 लहेरियासराय, दरभंगा	10	9835052570 943006397
47	डा0 निरज प्रसाद, हेरिटेज हॉस्पीटल, दोनार अल्लपट्टी, लहेरियासराय, दरभंगा	30	9709532624
48	ए0 बी0 मेमोरियल हॉस्पीटल, शम्भुबाबु कंपलेक्स न्यु बलभद्रपुर लहेरियासरा,	20	9431270087
49	अल–हेलाल हॉस्पीटल, बिबीपाकर, करमगंज, लहेरियासराय, दरभंगा	20	9031212600
50	रॉयल हॉस्पीटल एण्ड ट्रामासेंटर, फेजुलाखांन चौक दरभंगा	10	7764875959
51	डा0 नुतन राय, एस0 एस0 महिला सेवा सदन, जी0 एम0 रोड0 दरभंगा	20	9430940199
52	डा0 लाहिदुल इसलाम एम0 एच0 हॉस्पीटल अलीनगर दरभंगा	10	8051881080
53	डा0 विजय शंकर प्रसाद, न्यु प्रसाद सर्जिकल क्लिनीक, दिघी लालबाग	12	9431050876
54	डा0 सादिया नाज लाईफ टाईम हॉस्पीटल प्रा0लि0, नाका नं0–5,	12	8102928190
55	डा0 राम कुमार सत्यपालसत्या दृष्टि हॉस्पीटल, नियर–होली मैरी इन्टरनेशनल	12	9572631920
56	डा0 मन्दिरा कुमारी वोमेन एण्ड गेस्ट्रोकेयर सेन्टर, कटहलबाड़ी, नियर–मेडोना	2	7979859945
57	डा0 पूर्नेन्दु कुमार पंकज, वार्ड नं0–43,	10	8789751901
58	डा0 एयाज आलमएलाईट हॉस्पीटल, हॉस्पीटल रोड, लहेरियासराय, दरभंगा	9	9199510626
59	डा0 मनीष कुमार प्रसाद सहाय नर्सिंग होम, हॉस्पीटल रोड, लहेरियासराय, दरभंगा	25	9431609596

क्र0 सं0	संस्थान का नाम और पता	बेड की संख्या	अभियुक्ति
60	डॉ0 एस0एन0 गोइत, गोइत हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेन्टर,,लहेरियासराय,	25	9973982817
61	डॉ0 सलीम अहमद, मेट्रो हॉस्पीटल एण्ड मेट्रो आई0भी0एफ0, बाकरगंज,	20	9334441284
62	डॉ0 ओम प्रकाशए राज गोपाल हेल्थकेयर सेन्टर अल्लपट्टी,	30	9934723601
63	डॉ0 नवल किशोर साहुए जगदीश नारायण मेटरनिटी सेन्टरए मौलागंज, मदारपुर, लहेरियासराय, दरभंगा	12	9473386756
64	मनोज कुमार यादवए मेडिवर्ल्ड मल्टी स्पेशयलिटी हॉस्पीटल, दिल्ली मोड़,	50	9955506433
65	डा0 कुमुदिनी झाए अनन्त आरोग्य निकेतन, बेंता, लहेरियासराय,, दरभंगा	30	9431819457
66	दामोदर मण्डल सुजान मैक्स क्योर हॉस्पीटल, इन्दिरा कॉलोनी,	10	9939754361
67	डॉ. प्रशान्त कुमार, सत्य साईं हॉस्पीटल, लहेरियासराय, दरभंगा	10	9470212940
68	पासवान नर्सिंग होम दिलावरपुर, बहादुरपुर, दरभंगा	12	7542919203
69	लोट्स हॉस्पीटल, भी0आई0पी0 रोड, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा	15	9013983496
70	माँ भगवती नर्सिंग होम, बेंता चौक, लहेरियासराय, दरभंगा	5	9835080841
71	एस0 आर0 मेमोरियल हॉस्पीटल रसुलपुर रोड, अल्लपट्टी, लहेरियासराय,	35	8797440542
72	लाईफ केयर हॉस्पीटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, हॉस्पीटल रोड, लहेरियासराय,	12	7209531661
73	सोनी चाइल्ड केयर सेन्टर, सूर्या रेस्ट हाउस गेट, बेंता चौक, लहेरियासराय,	20	7762086307
74	ए0एल0 मेमोरियल हॉस्पीटल पकड़ी चौक, अलीनगर, दरभंगा	12	9122862153
75	निशात आई क्लिनिक, हॉस्पीटल रोड, लहेरियासराय, दरभंगा	4	9431414640
76	चन्द्रशेखर चैरिटेबुल हॉस्पीटल अल्लपट्टी, भी0आई0पी0 रोड, दोनार,	15	9263102109
77	त्रिवेणी हॉस्पीटलए बंगाली टोला, भी0आई0पी0 रोड, लहेरियासराय,	10	9263102109
78	साईं सेवा सदन भुल्ला चौक, बेंता, भी0आई0पी0 रोड, लहेरियासराय, दरभंगा	12	7050368192

2.11.3 स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान

दरभंगा शहर अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है। दरभंगा नगर में सरकारी और निजी स्कूलों का एक पूरा नेटवर्क फैला है। पहले से बने स्कूल के भवन आपदा रोधी निर्माण के मानकों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे भवनों की पहचान कर उनके रेट्रोफ़िट्टिंग करने की ज़रूरत है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्कूलों में बच्चों को आपदा की तैयारी और उससे निपटने के उपाय पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपदा को लेकर व्यवहार परिवर्तन के लिए बच्चों को एक उत्प्रेरक की तरह विकसित किया जा रहा है। सभी सरकारी विद्यालयों में आपदा की तैयारी और उससे निपटने के उपाय के लिए **सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम** चलाया जा रहा है। दरभंगा में स्कूलों के साथ-साथ अन्य संस्थानों की सूची नीचे दिए गए तालिका में देखा जा सकता है:

तालिका *4 :* दरभंगा में शिक्षण संस्थानों की संख्या

SL	Particulars	Numbers
1	विश्वविद्यालय	2
2	कॉलेज	12
3	डाक प्रशिक्षण विद्यालय	1
4	नर्सेज ट्रेनिंग स्कूल	1
5	मेडिकल कॉलेज (डीएमसीएच)	1

SL	Particulars	Numbers
6	गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज	1
7	केन्द्रीय विद्यालय	1
8	उच्च विद्यालय	13
9	मिडिल स्कूल	61
10	प्राथमिक स्कूल	33

2.11.4 जलापूर्ति

दरभंगा नगर निगम और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) नगरपालिका क्षेत्र में जलापूर्ति की आपूर्ति और रखरखाव के लिए वैधानिक प्राधिकरण हैं। पेयजल आपूर्ति की योजना, डिजाइन, निर्माण, कार्यान्वयन, रखरखाव, संचालन और प्रबंधन सहित पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए दोनों एजेंसियां संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। हर घर नल का जल-शहरी निश्चय के तहत हर घर को पाइप्ड पेयजल कनेक्शन के माध्यम से 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति दिया जाना प्रस्तावित है। **अभी तक 55000 घरों में से 29000 घरों को पाइप्ड पेयजल कनेक्शन दिया जा चुका है।**

2.11.5 स्ट्रीट लाइट

दरभंगा शहर के मुख्य सड़कों पर 14805 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। लेकिन, नए इलाक़ों में अनियोजित शहरीकरण के कारण अभी तक स्ट्रीट लाइट की व्यापक व्यवस्था नहीं हो पायी है। स्ट्रीट लाइटों का रख रखाव और उनमें ख़राबी आने पर अविलम्ब ठीक कराए जाने के प्रयास के अंतर्गत एक Toll Free Number, नगर निगम की ओर से जारी किया गया है। स्ट्रीट लाइट के अलवा सभी मुख्य चौराहों पर फ़्लड लाइट टावर लगाया जा चुका है।

2.11.6 सीवरेज

वर्तमान में दरभंगा नगर के अंतर्गत सीवरेज नेटवर्क नहीं है। कस्बे के निचले इलाकों में काफी देर तक गंदा पानी जमा रहता है। लघु और मध्यम अवधि में, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवेज संग्रह प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। अधिकांश निचले क्षेत्रों में बारिश के पानी भर जाने और सीवरेज और वर्षा जल नालियों की अनुपस्थिति, विशेष रूप से मानसून के दौरान समस्याएँ पैदा करती हैं।

2.11.7 ड्रेनेज

यूएलबी के पास नालों की लंबाई 105[1] km की है जिससे शहर का लगभग 40% गंदा पानी या स्टॉर्म वाटर की निकासी हो जाती है। नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के अनुसार, नाली का कवरेज बहुत कम है और अधिकांश क्षेत्रों में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या होती है जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के प्रजनन स्थल बन जाते हैं।

[1] City Sanitation Plan, Darbhanga

2.11.8 हाउसिंग

SPUR के तहत किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में 2011 में शहर में 134 झोपड़पट्टियों की पहचान की गई थी, जिसमें 54596 लोगों को आश्रय देने वाले 10630 झोपड़पट्टी वाले परिवार थे। 2011 की जनगणना के अनंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार, डीएमसी के लिए झुग्गी आबादी 37.49%[2] है।

शहर में रहने योग्य के आधार पर आवास की स्थिति शहर में घरों को अच्छी, रहने योग्य और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार दरभंगा में 54% घर अच्छी स्थिति में हैं, 35% रहने योग्य हैं और शेष 11% जर्जर स्थिति में हैं। दरभंगा नगर निगम में 81% घर स्थायी संरचनाएं हैं, जबकि 11% अर्ध-स्थायी और शेष 8% अस्थायी संरचनाएं हैं। 81% परिवार अपने स्वामित्व वाले घरों में रह रहे हैं जबकि 13% किराए के आवास में रहते हैं और शेष 4% अन्य प्रकार के आवास हैं।[3]

स्लम क्षेत्रों में सेवा का स्तर बहुत खराब है। अधिकांश मलिन बस्तियों में कोई नालियां नहीं हैं और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ठीक से नहीं है। मानसून में स्थिति बिगड़ने के साथ अंधाधुंध डंपिंग से नालियां चोक हो जाती हैं। जोखिम वाले आवासों की एक विस्तृत सूची बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि समुदाय को रेट्रोफ़िट्टिंग के तरीक़ों के बारे में बताया जा सके। नए आवास का निर्माण मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए और नगर निगम को इस बात की सख़्ती से निगरानी करनी चाहिए कि कोई भी निर्माण समुचित प्राधिकार की अनुमति के बाद बने।

2.12 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, दरभंगा नगर निगम द्वारा प्रतिदिन लगभग **160 टन कचरा उत्पन्न होता है।** नगर पालिका द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था है और उठाए गए कचरे का सेग्रीगेशन नियमित तौर पर होता है। **डीएमसी के पास ठोस कचरा एकत्र करने के लिए कुल 43 वाहन हैं। ठोस कचरा डंपिंग निचले इलाकों और गंगवारा गांव में किया जाता है जो लगभग 3.75 एकड़ है।** इसके अलावा ठोस कचरे के निपटान के लिए कोई व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया निपटान स्थल मौजूद नहीं है। साथ ही, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध बुनियादी ढाँचा और मानव-शक्ति अपर्याप्त है।

नगर निगम के कचरे में घरेलू कचरा, फल और सब्जी बाजारों से कचरा, होटल और रेस्तरां, सड़क की सफाई, कार्यालय / संस्थान आदि शामिल हैं। ठोस कचरे का लगभग 60% घरेलू कचरा होता है, 14% अस्पताल और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट होता है, और लगभग 10%[4] बाजार/वाणिज्यिक कचरा और 7% गैर-खतरनाक औद्योगिक कचरा होता है।

[2] SPUR, Bihar, 2011
[3] CDP Darbhanga
[4] SWM DPR Darbhanga

दरभंगा ठोस अपशिष्ट DPR के अनुसार 23 ऐसे प्रमुख खुले डंपिंग पॉइंट (द्वितीयक संग्रह बिंदु) की पहचान की गई है जहाँ से परिवहन वाहन कचरे को बस स्टैंड के पास एफसीआई गोदाम और नाका नं-6 डीएमसीएच अस्पताल के पास ले कर जाते हैं । कचरे के अंतिम निपटान के लिए कोई स्वच्छ लैंडफिल साइट नहीं है।

2.13 दरभंगा में स्थित कारखाने एवं उद्योग

दरभंगा में आम तौर पर कृषि एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं। सामान्य रूप से कहा जाए तो औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है। आज के दिन में यहाँ किसी प्रकार के बड़े उद्योग या कारख़ाने नहीं हैं। उद्योगों में काम करने योग्य यहाँ की कार्यशील आबादी का अधिकांश हिस्सा दूसरे शहरों और राज्यों में विस्थापित हो गया है। लेकिन हथकरघा और अन्य घरेलू उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

दरभंगा अपने स्थानीय कलारूपों जैसे मिथिला पैंटिंग्स, हस्थशिल्प, मिट्टी के बर्तन और लाह की चूड़ियों के लिए भी जाना जाता है। हलाँकि दरभंगा मे बड़े उद्योगों का अभाव है लेकिन यहाँ दो **औद्योगिक क्षेत्र - धर्मपुर (वार्ड संख्या 16) एवं बेला (वार्ड संख्या 14)** हैं। दरभंगा नगर में दो लघु उद्योग, 426 अत्यंत लघु उद्योग और 181 कारीगर आधारित उद्योग पंजीकृत हैं। दरभंगा शहर के अंदर एक दुग्ध डेरी उद्योग भी है।

2.14 दरभंगा में प्राकृतिक संसाधन

दरभंगा नदियों और उनके जल निकायों के लिए जाना जाता है। दरभंगा में विशाल आर्द्रभूमि है, जो न केवल अत्यधिक उत्पादक हैं बल्कि जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। कुशेश्वरस्थान दरभंगा का एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल है। इन जल निकायों का उपयोग मत्स्य पालन, मखाना और सिंघारा खेती, सिंचाई आदि में किया जाता है। दरभंगा को एक विशिष्टता प्रदान करने और आजीविका को स्थायित्व देने में इनका विशेष महत्व है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंदर हराही, दिग्गी और गंगा सागर बड़े जल स्रोत के रूप में मौजूद हैं। दरभंगा नगर में तालाबों और घाटों की सूची नीचे दी गयी है।

क्र ०	वार्ड नं0	पोखर/घाट का नाम
	वार्ड नं0 - 1	
1	1	मौलांगज घाट पोखर
2	2	अलीनगर गोपाल साह पोखर
	वार्ड नं0 - 2	
3	1	मंठ पोखर
4	2	छठी पोखर

क्र ०	वार्ड नं0	पोखर/घाट का नाम
5	3	गेना पोखर
6	4	नयकी पोखर
7	5	नेपाली कैम्प
8	6	गणेश मंदिर पोखर
9	7	नवटोलिया पोखर
अतिरिक्त पोखरों का नाम		
10	8	पासवान टोला
11	9	दुर्गा मंदिर गुमती पार
12	10	नाई पोखर
	वार्ड नं0 - 3	
13	1	घाट/बेलादुल्लाह
	वार्ड नं0 - 4	
14	1	नीम पोखर
15	2	चित्रागुप्त पोखर
16	3	खर्गा पोखर
	4	पटवा पोखर
	वार्ड नं0 - 5	
17	1	बागमती किनारे भवता घाट
18	2	कटहल बनी पोखर
	वार्ड नं0 - 6	
19	1	वागमती नदी
20	2	नारद घाट और बालू घाट
	वार्ड नं0 - 14	
21	1	मिठू मिस्त्री पोखर
22	2	चुनाभठ्ठी दूर्गा मंदिर
23	3	विलट महथा पोखर
24	4	बंगाली पोखर

क्र ०	वार्ड नं0	पोखर/घाट का नाम
25	5	गंगवारा पोखर
	वार्ड नं0 - 15	
26	1	ध्रमपुर श्मशान घाट पोखर
	वार्ड नं0 -16	
27	1	कटरहिया पोखर
	वार्ड नं0 -17	
28	1	नवरत्न पोखर
29	2	विद्याबाबू पोखर
30	3	पटवा पोखर
31	4	बलो पोखर
	वार्ड नं0 - 20	
32	1	बागमती नदी के किनारे तमौली घाट
	वार्ड नं0 - 21	
33	1	लाल पोखर
34	2	हरिबोल पोखर
	वार्ड नं0 - 22	
35	1	ईमली घाट, नूनू सहनी घाट, कालीस्थान, जितु गाछी घाट पफुलबाड़ी घाट वृन्दावन घाट, नयका पूल तक
	वार्ड नं0 - 23	
36	1	ब्रहमस्थान, बाजितपुर
37	2	पासवान टोला (नया घाट)
38	3	किलाघाट महदौली, रामबाग,
	वार्ड नं0 - 24	
39	1	घाट में 21,23 के लोग जाते है।
40	2	पूरब भिण्डा
	वार्ड नं0 - 30	

क्र ०	वार्ड नं0	पोखर/घाट का नाम
41	**1**	सकवा टोला, खरकट्टा टोला, सहनी घाट, मठ टोली, सो.एम. आर्ट कालेज
42	**2**	घाट
	वार्ड नं0 **- 31**	
43	1	घाट पक्का बन गया है।
	वार्ड नं0 **- 33**	
44	1	भोला साह पोखर, रहमगंज
	वार्ड नं0 **- 34**	
45	1	मतरंजन पोखर
46	**2**	नर्स क्वाटर घाट
	वार्ड नं0 **- 35**	
47	**2**	मदमदिया पोखर
	वार्ड नं0 **- 36**	
48	1	गामी पोखर
	वार्ड नं0 **- 37**	
49	1	जिला स्कूल पोखर
	वार्ड नं0 **- 40**	
50	1	सैदनगर काली स्थान
	वार्ड नं0 **- 41**	
51	1	दारूभट्टी कचहरी पोखर
	वार्ड नं0 **- 42**	
52	1	बिजली बोर्ड कार्यालय
53	**2**	मंहथ पोखर
	वार्ड नं0 **- 43**	
54	1	गामी पोखर, शाहगंज
	वार्ड नं0 **- 44**	

क्र ०	वार्ड नं0	पोखर/घाट का नाम
55	1	पोखरिया पोखर
56	2	लक्ष्मीपुर पोखर
57	3	मिनर्वा पोखर
	वार्ड नं0 - 45	
58	1	राय साहब पोखर
59	2	रामटोली पोखर
60	3	नवटोलिया पोखर
61	4	राम जानकी पोखर बलभद्रपुर
	वार्ड नं0 - 46	
62	1	रामजानकी पोखर
63	2	महादेव मंदिर पोखर
64	3	कबिलपुर पोखर
	वार्ड नं0 - 47	
65	1	के. एम. टैंक,
66	2	जेल परिसर पोखर
67	3	नाका नं0 7
68	4	बलभद्रपुर बाबू साहेब
	वार्ड नं0 - 48	
69	1	भूतनाथ मंदिर
70	2	सुराही पोखर
71	3	बलूआही पोखर
72	4	भईया पोखर
अतिरिक्त पोखरों का नाम		
73	मिर्जा खां पोखर	
74	दिग्घी पोखर	
75	हराही पोखर	
76	गंगासागर पोखर	

2.15 दरभंगा में वनस्पति और जीव

दरभंगा में पाए जाने वाले पेड़ों में शीशम, खैर, पलमायरा, खजूर, आम, कटहल, इमली आदि शामिल हैं। जिले में कुछ घास के मैदान भी हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक जिले में जंगली जानवर मौजूद थे। लेकिन बढ़ते विकास और शहरीकरण के साथ, वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया और जंगली जानवर लगभग विलुप्त हो गए। भेड़िये और लकड़बग्घा बहुत कम पाए जाते हैं जबकि गीदड़ आम हैं। कभी-कभी लोमड़ी और जंगली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं। दरभंगा में पाए जाने वाले पक्षियों में विभिन्न प्रकार की बटेर, तीतर और बत्तख हैं। स्निप, सारस और गौरैया भी आमतौर पर देखे जाते हैं। मछलियां भरपूर होती हैं। रोहू, बछवा, टंगरा, कतला, सिंघी, बोरी और हिलसा यहाँ पायी जाने वाली सामान्य मछलियाँ हैं।

2.16 सांस्कृतिक दृष्टिकोण

दरभंगा सदियों से साहित्य, संस्कृति, न्याय और दर्शन की भूमि रही है। इस भाषा का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता इस स्थान पर आते थे। दरभंगा अपनी समृद्ध कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसे 'बिहार की सांस्कृतिक राजधानी' भी माना जाता है। देश के अन्य राज्यों की तरह, दीवाली, होली, दशहरा, राखी, रामनवमी, ईद, क्रिसमस आदि दरभंगा में मनाए जाने वाले कुछ सामान्य त्योहार हैं। इन आम त्योहारों के साथ, दरभंगा कुछ अन्य मेलों और त्योहारों को भी बहुत धूमधाम और उल्लास के साथ आयोजित करता है। जन्माष्टमी मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला, दशहरा मेला, दीवाली मेला और सौरथा सभा दरभंगा में विभिन्न स्थानों पर कभी-कभी आयोजित होने वाले विशेष मेले हैं। दरभंगा में मनाए जाने वाले कुछ क्षेत्रीय त्योहार मधुश्रवणी, कोजागरा, इंद्र पूजा और जाट-जटिन हैं। दरभंगा कला और संस्कृति में समृद्ध है और अपनी मधुबनी पेंटिंग्स के लिए सबसे लोकप्रिय है जो अपनी अनूठी कलाकृति के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं।

2.17 दरभंगा नगर के बदलते स्वभाव

पिछले दो दशकों में बिहार राज्य में नगरीकरण के तेज़ी से बदलते स्वभाव को स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है। नगरीकरण के स्वभाव में बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण कारक इसकी आबादी में होने वाला गुणात्मक वृद्धि है। दरभंगा बिहार category-2 के आने वाले उन शहरों में शामिल है जिनमें शहरीकरण का अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। आबादी और नगरीकरण में तेज़ी से होने वाला यह वृद्धि दरभंगा के नगर के स्वभाव को तेज़ी से बदल रहा है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की समझ क्षेत्र की संपूर्ण जनसांख्यिकीय संरचना को समझने के लिए विकास की कुंजी है। शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूमि और निवासी शहरी हो

जाते हैं। यह स्थान और लोगों दोनों में परिवर्तन को दर्शाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर प्रदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले अप्रवासण के कारण अनधिकृत मलिन बस्तियों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। ये मलिन बस्तियाँ शहर के आधारभूत संरचना के ऊपर एक अनावश्यक दबाव पैदा करते हैं। शहरीकरण के अनियोजित फैलाव से पर्यावरण संतुलन को भी ख़तरा पैदा होता जा रहा है। इस प्रक्रिया में वन क्षेत्रों का कटाव काफ़ी बढ़ा है और परम्परागत जलस्रोतों के रूप में इस इलाक़े में सदियों से उपयोग किए जाने वाले जलाशयों का निरंतर भराव भी किया जा रहा है।

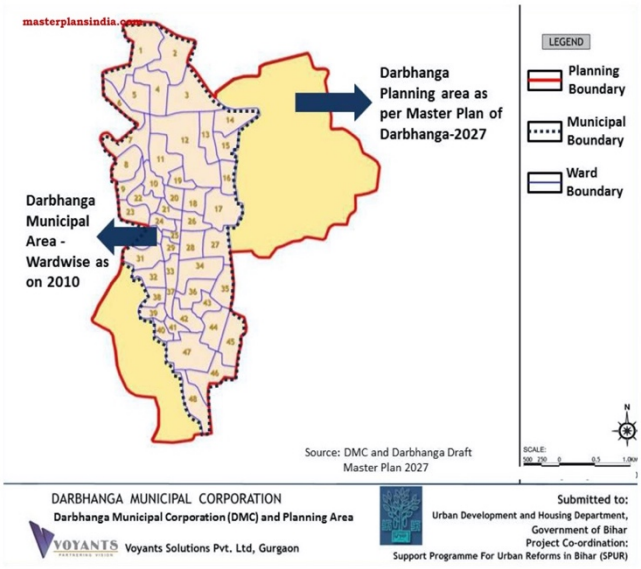

चित्र 6 दरभंगा नगर का बदलता स्वरूप

2.18 दरभंगा नगर के अंदर मलिन बस्तियों का क्षेत्र

नगर में मलिन बस्तियों की संख्या 134 है। ये मलिन बस्तियाँ शहर के आधारभूत संरचना के ऊपर एक अनावश्यक दबाव पैदा करते हैं। शहर की मलिन बस्तियों की आधारभूत संरचना में सुधार के लिए राज्य सरकार ने गली, नाली,सामुदायिक भवन, शौचालय जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाया। इन प्रयासों के बावजूद भी मलिन बस्तियों में रह रही आबादी के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में बहुत प्रयास किए जाने की ज़रूरत है।

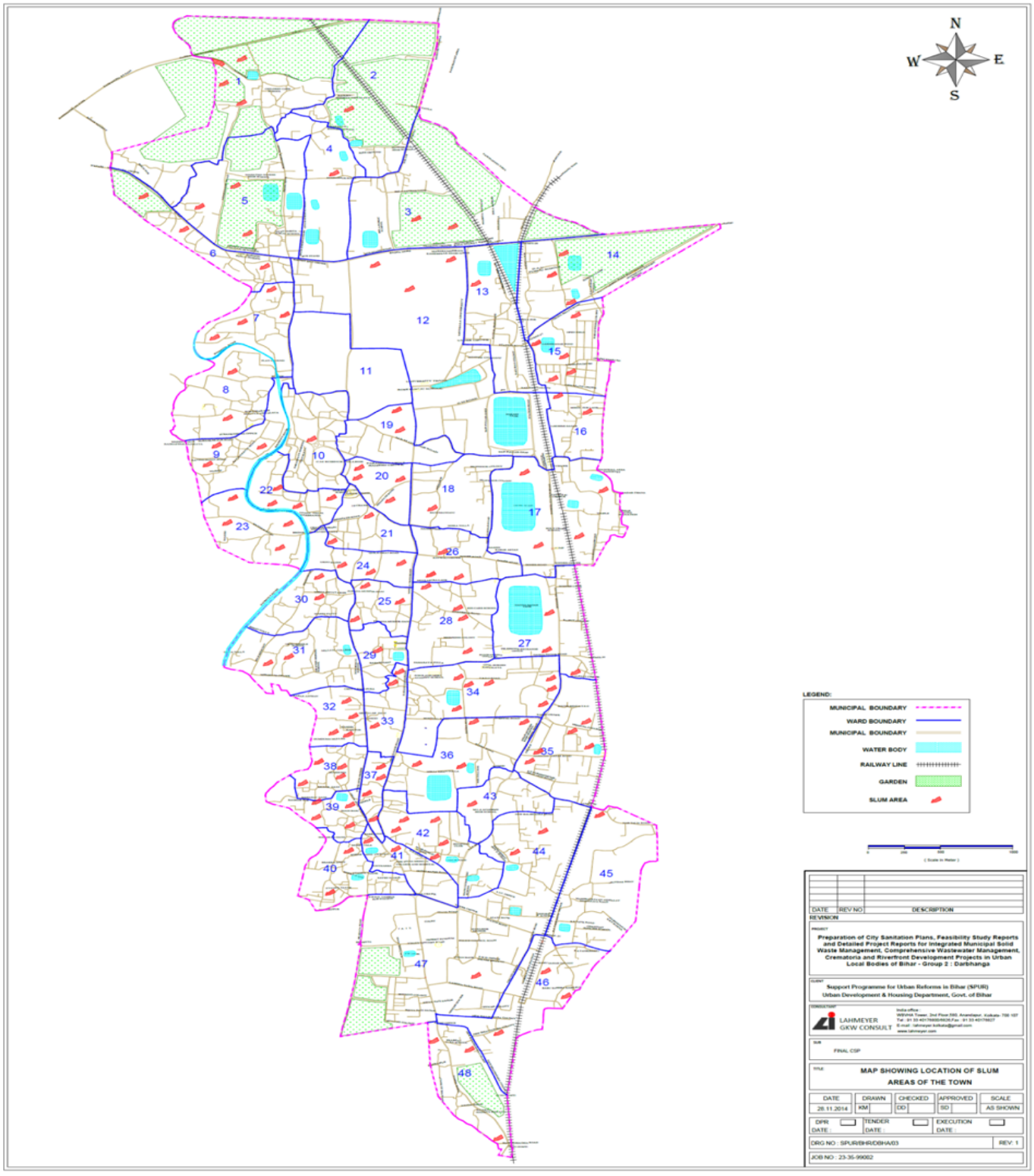

चित्र7 :दरभंगा नगर के अंदर मलिन बस्तियों का क्षेत्र

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय -3 : ख़तरा, जोखिम एवं क्षमता आकलन (HRVCA)

दरभंगा नगर आपदा प्रबंधन योजना के इस अध्याय में नगर में सम्भावित आपदा के ख़तरे, जोखिम एवं क्षमता का आकलन किया गया है। आपदा की दृष्टि से बिहार के संवेदनशील नगरों में से एक दरभंगा है। दरभंगा नगर अपने जलवायु और भौगोलिक स्थिति के कारण कई आपदाओं के ख़तरों से घिरा रहता है। दरभंगा की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है। दरभंगा शहर के अंदर तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है, अत्यधिक गर्मी और कंपकपाती हुई ठंड का मौसम होता है । यह देखने को मिलता है कि नदियों के काफ़ी क़रीब होने के बावजूद सुरक्षित पेयजल के स्रोत की उपलब्धता एक समस्या बनी रहती है । आपदा जोखिम विश्लेषण के अनुसार दरभंगा "A" समूह के अंदर आता है। दरभंगा अति बाढ़ प्रभावित होने के साथ-साथ भूकम्प के ज़ोन - V में आता है । ज़िला मुख्यालय होने की वजह से जनसंख्या का घनत्व और अनियोजित बस्तियों से यहाँ की बहुसंख्यक आबादी अप्रत्याशित जोखिम से घिरी रहती है । तीव्र शहरीकरण के कारण वन और हरित क्षेत्रों में लगातार कमी आयी है जिससे वायु प्रदूषण उतरोत्तर बढ़ता रहा है और शहर के पर्यावरण के लिए अनुपयुक्त है । शहर में वाहनों की अत्यधिक संख्या और पर्यावरणीय मानकों का ध्यान नही दिए जाने के कारण ज़हरीले गैसों के उत्सर्जन से स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। शहर के 25 वार्डों में जल जमाव एक मुख्य समस्या है। शहर का प्राकृतिक ढलान जमे हुए पानी को जल्दी बाहर नहीं निकलने देता और सही जल निकास की व्यवस्था के अभाव में विशेष रूप से मानसून के समय में स्थिति और भी विकराल हो जाती है।

दरभंगा नगर में आगजनी की घटनाएँ आमतौर पर गर्मी के दिनों कई बार सुनने को मिल जाती हैं। अग्निकांड एक अलग ही ढंग का आपदा की स्थिति पैदा करती है। सामान्यतः समाज का सबसे गरीब तबका ही शिकार होता है। फूस और अस्थाई सामग्रियों से बने उनके झोंपड़े जल जाने से एक ओर उन्हें जाल माल की क्षति उठनी पड़ती है तो दूसरी ओर उनके आश्रय की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

दरभंगा शहर को अक्सर आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें बाढ़, बज्रपात, शीतलहर, आगजनी की घटनाएँ, भूकंप एवं भगदड़ आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। भूमि का व्यावसायिक उपयोग, उद्योगों की वृद्धि, उच्च जनसंख्या घनत्व, बढ़ती गरीबी और शहरी बुनियादी सुविधाओं की कमी आपदा की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। शहर के स्लम क्षेत्र सीवेज और ठोस अपशिष्ट निपटान प्रणाली की कमी के कारण महामारी के लिए भी संवेदनशील है एवं आपदाओं के दौरान नुकसान को बढ़ाते हैं।

3.1 दरभंगा नगर का आपदा तीव्रता कैलेंडर

क्र	समस्या	जनवरी	फ़रवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	भूकम्प												
2	जल जमाव												
3	बाढ़												
4	अगलगी												
5	सड़क दुर्घटना												
6	तेज आंधी तूफ़ान												
7	लू												
8	शीत लहर												
9	वायु प्रदूषण												

तीव्रता		उच्च		मध्यम		निम्न

3.2 नगर की सम्भावित आपदाएँ

3.2.1 भूकम्प

भूकम्प एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसमें जीवन और सम्पत्ति का व्यापक नुक़सान होता है। **BMTPC के भूकम्प मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दरभंगा शहर सिस्मिक ज़ोन-V के अंदर आता है। East Patna Sub Surface Fault दरभंगा नगर से होकर गुजरता है।**

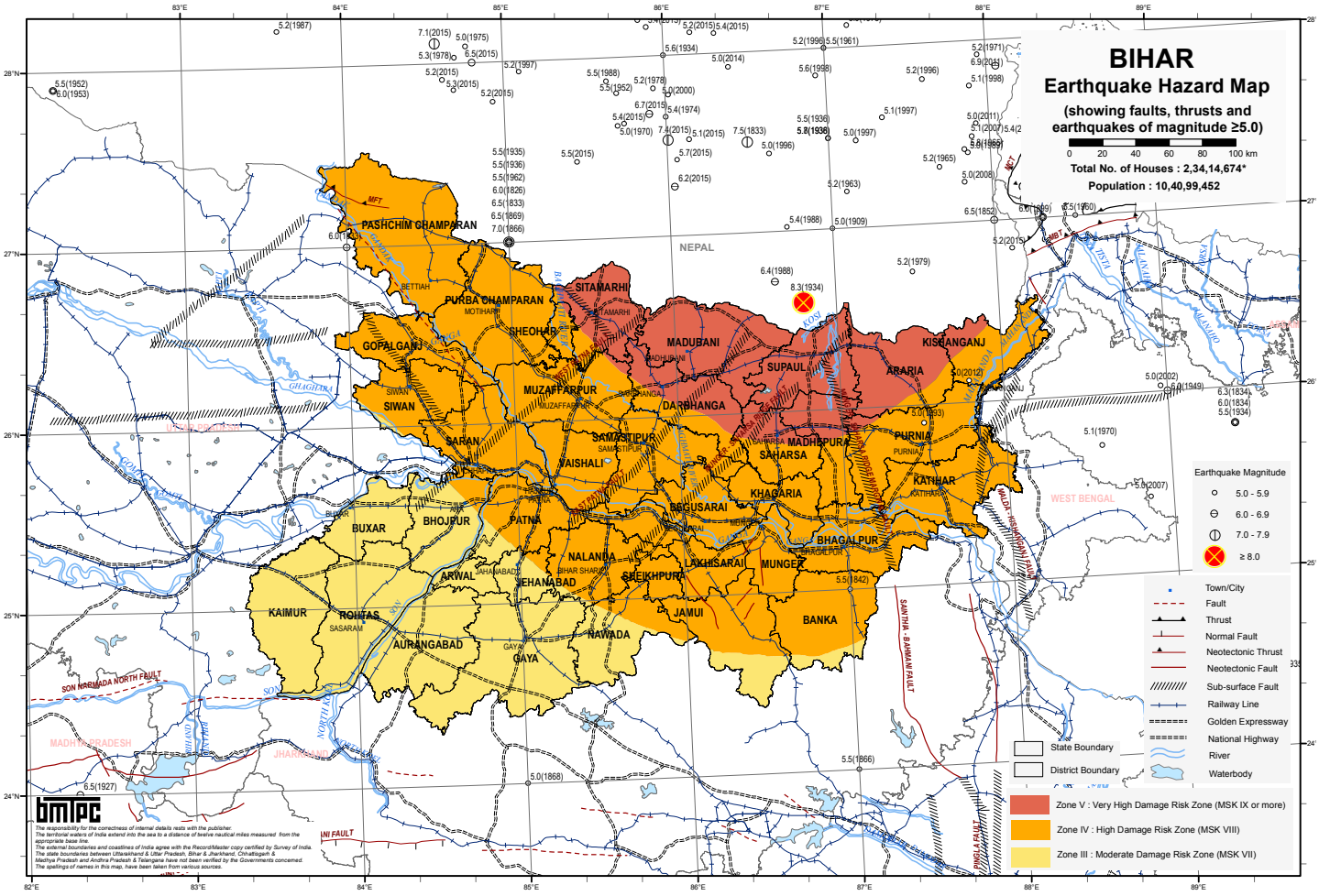

BMTPC : Vulnerability Atlas - 3rd Edition : Peer Group, MoHUA, GOI; Map is Based on digitised data of SOI; Seismic Zones of India Map IS: 1893 (Part I): 2002, BIS; Earthquake Epicentre from IMD; Seismotectonic Atlas of India and its Environs, GSI; Houses/Population as per Census 2011; *Houses including vacant & locked houses. Disclaimer: The maps are solely for thematic presentation.

चित्र *8 : BMTPC_भूकंप प्रवणता मानचित्र_2019*

15 जनवरी 1934 में आए 8.4 तीव्रता का भूकम्प एवं 21 अगस्त 1988 में आए 6.7 तीव्रता के भूकम्प ने दरभंगा नगर में व्यापक क्षति पहुँचायी जिसमें क्रमशः 83 एवं 17 लोगों की मृत्यु हुई थी तथा सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसी प्रकार मई 2015 में आए भूकम्प के कारण भी कई घरों में दरार पड़े थे।

City Development Plan-Darbhanga 2014 के अनुसार, शहर में रहने योग्य के आधार पर आवास की स्थिति शहर में घरों को अच्छी, रहने योग्य और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में वर्गीकृत किया

गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार दरभंगा में 54% घर अच्छी स्थिति में हैं, 35% रहने योग्य हैं और शेष 11% जर्जर स्थिति में हैं। दरभंगा नगर निगम में 81% घर स्थायी संरचनाएं हैं, जबकि 11% अर्ध-स्थायी और शेष 8% अस्थायी संरचनाएं हैं। 81% परिवार अपने स्वामित्व वाले घरों में रह रहे हैं जबकि 13% किराए के आवास में रहते हैं और शेष 4% अन्य प्रकार के आवास हैं।[5]

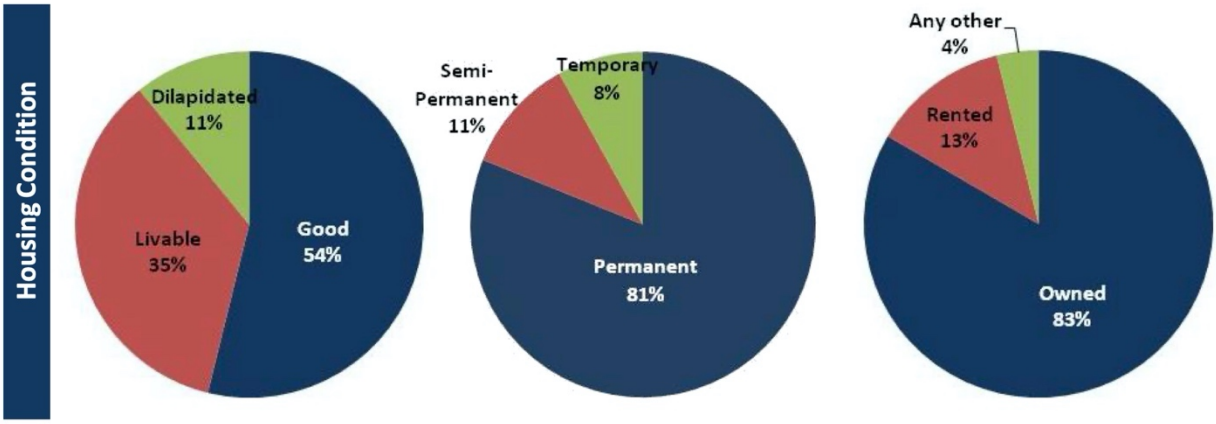

चित्र 9 : नगर में आवास की स्थिति

पिछले 10 वर्षों में दरभंगा में कम तीव्रता के भूकम्प आए हैं। इन भूकम्पों में सबसे तेज असर 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकम्प का रहा। लेकिन सौभाग्य से इस भूकम्प के कारण भी दरभंगा शहर में किसी तरह के जान माल की नुक़सान नहीं हुई ।

3.2.1.1 भूकंप क्षमता विश्लेषण:

इमारतों की संरचनात्मक एवं संकरी सड़कें, जनसँख्या का घनत्व आदि भूकंप में क्षति की संवेदनशीलता को बढाती है। जिसके कारण दरभंगा नगर की सघन आबादी भूकम्प के गम्भीर ख़तरे में रह रही है। ऐसे में बिना नक़्शे के बन रही इमारतें निश्चित तौर पर भूकम्प के लिहाज़ से संवेदनशीलता का विषय है। ऐसा देखा गया है कि शहर के पुराने मकानों में भी एक बड़ी आबादी रह रही है। इस तरह की परिस्थिति भूकंप के दौरान एक बड़े नुक़सान के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है।

दरभंगा एक ऐतिहासिक नगर है, जहां शहर के बीच वाले हिस्से में पुराने भवनों की संख्या बहुत ही अधिक है। नगर के कई वार्डों में विशेष कर वार्ड संख्या 10, 11, 12 और 47 में काफ़ी पुराने, भूकंप की दृष्टि से असुरक्षित संरचनायें हैं। वार्ड संख्या 11, में पुराना क़िला है, जिसकी दीवारें और गुम्बदों को पिछले भूकंपों में काफ़ी नुक़सान पहुँचा है और वे किसी भी तीव्र भूकंप के झटकों में गिर सकते हैं। इसी प्रकार वार्ड संख्या 47 में ज़्यादातर सरकारी प्रतिष्ठान पुराने भवनों में अवस्थित हैं।

[5] City Development Plan Darbhanga-2014, prepared under SPUR program

वार्ड वार समुदाय, वार्ड पार्षद तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ विस्तृत वार्ता में यह बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आयी कि नगरवासी भूकम्प की तैयारी को लेकर बिल्कुल अनजान थे और कभी किसी मॉक ड्रिल का हिस्सा नही रहे। इसी क्रम में वार्ड वार, वैसे मोहल्लों की सूची तैयार की गई जिनमे यह सम्भावना है कि भविष्य में आने वाले किसी बड़े भूकंप से व्यापक क्षति हो सकती है। वार्ड वार मोहल्लों की सूची निम्न है:

तालिका *5 वार्ड वार भूकंप प्रवण वाले मोहल्ले*

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	भूकम्प प्रवणता
1	1	शिव धारा, अली नगर	उच्च
2	2	मंथ पोखर, पासी मोहल्ला	उच्च
3	3	बेला दुड़ला, बेला चौक, नौवागढही	उच्च
4	4	नयाटोला सुंदरपुर, छठी पोखर, कालेगंज, सोनार टोला, भेदराबाद	उच्च
5	5	आज़म नगर लीची बाड़ा, रूहेलागंज	उच्च
6	6	पूरा वार्ड	उच्च
7	7	बंगलागढ़, राम चौक, रूहेल्लागंज - कैदराबाद	उच्च
8	8	धोबी टोला, नवटोलिया, न्यू कॉलोनी	उच्च
9	9	ब्राह्मण टोला, रतनुपट्टी (गद्दी, साह चौक, चनरिया)	उच्च
10	10	बड़ा बाज़ार, गुल्लो बाड़ा, टावर, सौदागर मोहल्ला, राम चौक	उच्च
11	11	राम बाग़ कॉलोनी, राज हाई स्कूल, हजारीनाथ मंदिर के लाइन में पिछले भूकंपों में क़िला के गुंबद और दीवार क्षतिग्रस्त हो गए हैं और संभावना है कि भविष्य के भूकंप में यह गिर सकता है जिससे व्यापक क्षति कि संभावना है	उच्च
12	12	कटहलबाड़ी गुरुद्वारा, कैदराबाद बस स्टैंड, राजकुमारगंज	उच्च
13	13	रिवानी तकियागरखई, भंडार चौक, राकेश गली, केबिन चौक से उत्तर का इलाका	उच्च
14	14	धोबी टोला	उच्च
15	16	ज्ञान भारती, पासवान टोला	उच्च
16	17	पूरा वार्ड	उच्च
17	19	पासी टोला	उच्च
18	20	लाल बाग़, भगवानदास, मीरशिकार टोला, सकमा पुल	उच्च
19	21	मुफ़्ती मोहल्ला, क़िला घाट, सेना पथ	उच्च
20	22	बसंतगंज, कबीराबाद, जीतूगाछी, मसरफ बाज़ार (चौक)	उच्च
21	23	कर्पूरी चौक (धोबी आँगन)	उच्च
22	25	उर्दू बाज़ार, पुरानी मुंसफ़ी, फ़ैज़ुल्ला खाँ	उच्च
23	26	मोगलपुरा, नाग मंदिर, सहनी टोला, मतियारी सराय, बारी टोला,	उच्च
24	27	अल्लपट्टी	उच्च
25	28	मौलागंज, मोगलपुरा	उच्च
26	30	मिर्ज़ा हयात बेग, फ़क़ीरा खाँ, राजटोली	उच्च
27	31	महेशपट्टी, लीची बाग, मीरग्यासचक, रहमखाँ, जमालपुरा	उच्च
28	33	रहम गंज, यूसूफ गंज, बीबी पाकड़, कसाब टोला	उच्च
29	34	TBDC रोड	उच्च
30	35	शाहगंज, अयाच्ची नगर	उच्च
31	36	हॉस्पिटल रोड, पानी टंकी (इस्माइल गंज)	उच्च
32	38	दुमदुमा, बहादुरगंज, दिलदारगंज, चकजोहरा, महाराजगंज, इमामबाड़ी	उच्च
33	39	बाकरगंज मोमिन टोला, पुराणी मछट्टा सराय, सत्तर खां, महाराजगंज	उच्च
34	40	अभंदा, सैदनगर, कृष्णानगर, सराय, रामदास, नूनथरवा	उच्च
35	42	बेलवा गंज, इस्माइल गंज, जी.एन. गंज, बलभद्रपुर (पासवान टोला)	उच्च
36	44	न्यू बलभद्रपुर	उच्च
37	46	कबिलपुर (मलिन बस्ती)	उच्च
38	47	पूरा वार्ड (सभी महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान इसी वार्ड में हैं और वे पुराने हैं तथा लगभग तीन चौथाई क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र है)	उच्च
39	48	पूरा वार्ड	उच्च

3.2.1.2 क्षमतावर्धन:

- BSDMA द्वारा वर्ष 2017 से ही अभियंताओं/ वास्तुविदों/संवेदकों/ निर्माणकर्ताओं/ प्रखंड स्तर राजमिस्त्रियों को भूकम्प रोधीनिर्माण एवं रेट्रोफिट्टिंग तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षितों की सूची प्राधिकरण के वेबसाइट www.bsdma.org पर उपलब्ध है।
- **भूकंप सुरक्षा क्लिनिक- दरभंगा नगर के अंदर एक राजकीय पॉलीटेक्निक एवं दरभंगा अभियांत्रिकी महाविद्यालय है जहां भूकंप सुरक्षा क्लिनिक बनाया जा रहा है जिससे ज़िले के लोगों को भूकंपरोधी संरचना के निर्माण में मदद मिलेगी।**

भूकम्प आपदा की प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्ध संसाधनों की होती है। नीचे संबंधित उपकरण तथा उनकी आवश्यक संख्या दिया गया है जिसके होने से भूकम्प से निपटने में दरभंगा नगर को आवश्यक मदद मिल पाएगी। आवश्यक यह भी है कि उपलब्ध संसाधनों की संख्या हमेशा बरकरार रखी जाए तथा समय-समय पर उसकी उपयोगिता की जाँच की जानी चाहिए।

3.2.1.3 भूकंप बचाव हेतु उपकरणों की आश्यकता:

तालिका 6 भूकंप की तैयारी के रूप में उपकरणों की आश्यकता

क्र०	उपकरण	आवश्यक संख्या
1	कंक्रीट कटर	5
2	स्टील कटर	5
3	वुड कटर	5
4	इमरजेंसी लाइट	20
5	हैंड हेल्ड कटर	5
6	स्प्रेडर्स	5
7	कॉम्बीटूल और मिनी कटर	10
8	लिफ्टिंग किट	50
9	हेड टॉर्च	50
10	हेलमेट और सर्च लाइट	50
11	चमड़ा और रबर हैंड ग्लव्स	100
12	इंसुलेटेड फायरमैन एक्स	30
13	न्यूमेटिक जैक	30
14	कंप्रेसर के साथ एयर सिलेंडर	10
15	श्वास उपकरण सेट	100

3.2.2 बाढ़ एवं जल जमाव

3.2.2.1 बाढ़

दरभंगा 'नगर निगम' कमोबेश पश्चिम में बागमती नदी और पूर्व में उत्तर-पूर्वी रेलवे लाइन से घिरा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र यूएलबी के उत्तरी और साथ ही दक्षिणी किनारे को कवर करते हैं। दरभंगा नगर में **बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है जिसका प्रमुख कारण बाग़मती नदी में जल स्तर का बढ़ना है।** बागमती नदी और उत्तर-पूर्वी रेलवे लाइन के बीच के क्षेत्र में मानसून के समय बाढ़ की प्रवणता बढ़ जाती है। वर्तमान में नगर के पश्चिमी क्षेत्र जिधर **बाग़मती नदी है में 17 स्लुइस गेट बने हुए हैं।** जिनका इस्तेमाल नगर प्रशासन के द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए किया जाता है। दरभंगा नगर के लिए बाढ़ और जल जमाव एक मिश्रित घटना है। **वर्ष 2017 से 2021 तक लगभग प्रत्येक वर्ष नगर में बाढ़ एवं जल जमाव की समस्या देखने को मिली है। दरभंगा नगर का वार्ड संख्या 8,9 और 23 बाढ़ के दौरान बुरी तरह प्रभावित होते हैं।**

मानसून के समय अत्यधिक वर्षापात एवं नदियों में जल-स्तर में बृद्धि के कारण शहर की जल निकासी व्यवस्था लगभग समाप्त हो जाती है। नदियों का जल आप्लावित (overflow) कर जाता है और शहर के विभिन्न नालों के द्वारा शहर में प्रवेश कर जाती है जो जल-जमाव का कारण बनती है। शहर के नीची भूमि वाले इलाकों में जल-जमाव अधिक दिनों तक रहता है। दरभंगा नगर-निगम द्वारा पम्प के माध्यम से प्रायः जल निकासी करायी जाती है परन्तु यह चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। नगर में जमे हुए पानी को बाग़मती नदी के जल स्तर नीचे हो जाने पर इन्ही स्लुइस गेट के माध्यम से बाहर निकाला जाता है।

कमला नदी शहर से लगभग 07 किलोमीटर पूर्व में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है जो शहर के अपशिष्ट जल के लिए प्राप्त करने वाली नदी के रूप में कार्य करती है। पूरा शहर समतल स्थलाकृति का एक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें बागमती नदी की ओर पश्चिमी भाग की सामान्य जमीनी ढलान और पूर्वी क्लस्टर से कमला नदी की ओर है। पूर्वोत्तर रेलवे कॉरिडोर के समानांतर तीन प्रमुख टैंक/ तालाब हैं जो कमला नदी के अंतिम मार्ग से फ्रिंज वेटलैंड्स के माध्यम से संयुक्त प्रवाह के लिए ऑन-लाइन रिटेंशन बेसिन के रूप में कार्य करते हैं। ये तीन समकारी जलाशय (हराही तालाब, दिघी तालाब और गंगा-सागर तालाब) यूएलबी के अपशिष्ट के साथ-साथ वर्षा जल प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3.2.2.2 जल जमाव

हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान शहरी पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत वर्तमान में जल-जमाव को प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। अव्यवस्थित कचरा निपटान, अपर्याप्त डिजाइन/ संसाधन आदि के कारण सड़क किनारे नालियों का जाम होना, अनुचित जल निकासी आदि जल-जमाव के मुख्य कारण हैं। **उल्लेखनीय है कि चट्टी चौक ओऊलेट जो गायत्री मंदिर से लेकर लहेरियासराय टावर तक जिसे नासी नाला भी कहते हैं की अधिकतम चौड़ाई 80 फ़ीट था वह अब मात्र 4 फ़ीट रह गयी है।** इस वजह से पानी के निकास का प्राकृतिक रास्ता अतिक्रमण से प्रभवित होने के कारण जल जमाव की बड़ी समस्या पैदा करता है।

नगर के तीन प्रमुख पोखर गंगा सागर, डिग्गी और हराहि में नगर के नाले मिलते हैं। ये तीनों पोखर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। गंगा हराहि पोखर का पानी अधिक होने पर कगवा गुमटी (रेल पुलिया संख्या 26) से निकला जाता है, वहीं डिग्गी पोखर का पानी अधिक हो जाने पर अलर पट्टी संप हाउस से निकला जाता है। गंगा सागर पोखर का पानी अधिक हो जाने पर भटवा सम्प हाउस एवं चट्टी चौक के द्वारा निकाल जाता है। इसके अतिरिक्त रेलवे पुलिया संख्या 22, 22A, 23 तथा 24 से निकाला जाता है। नगर में जमे हुए पानी को नगर प्रशासन के द्वारा नगर के पूर्व में बहने वाली कमला नदी में निकाला जाता है। उल्लेखनीय है कि नगर का प्राकृतिक ढलान कमला नदी की ओर है।

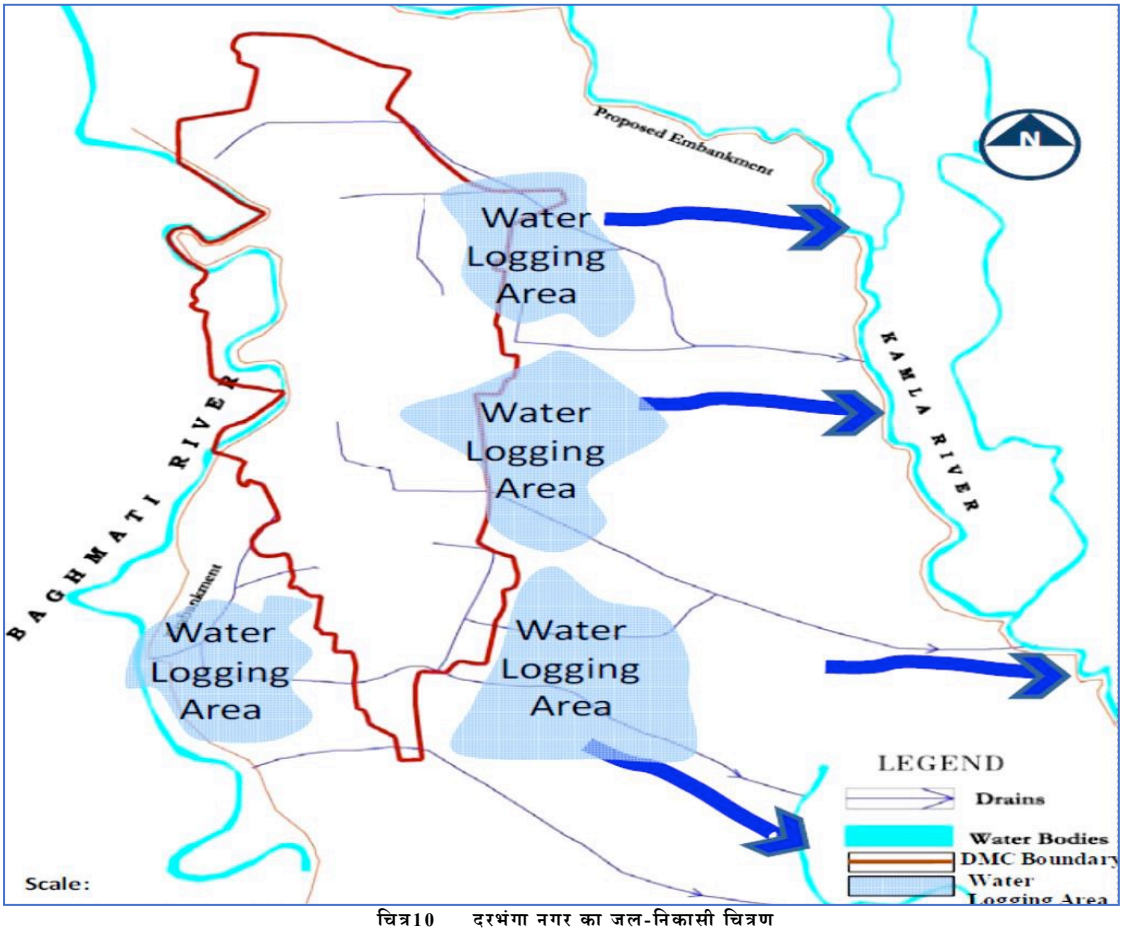

चित्र10 दरभंगा नगर का जल-निकासी चित्रण

3.2.2.3 बाढ़ एवं जल जमाव से संबंधित क्षमता विश्लेषण :

जल जमाव की स्थिति में नगर निगम द्वारा जल निकासी के लिए सम्पिंग की व्यवस्था मोटर पम्प के द्वारा की जाती है। नगर निगम के पास जल जमाव आपदा से निपटने के लिए अपनी तैयारी भी है। नगर निगम के पास लगभग दो दर्जन शक्तिशाली मोटर हैं जो जल जमाव की स्थिति में आम नगर वासियों को राहत देने का काम करती हैं।

तालिका *7 :* नगर निगम के पास जल जमाव से निपटने के लिए मौजूद यांत्रिक संसाधन

क्र०	पम्प-सेट	पम्प सेट की क्षमता	फ्यूल / इंधन का प्रकार	संख्या
1	किर्लोस्कर पम्प	26 HP	डीजल	7
2	किर्लोस्कर पम्प	10 HP	डीजल	17
3	किर्लोस्कर पम्प	5 HP	डीजल	7
4	कचड़ा उठाव गाड़ी			50
5	Auto Tipper			11
6	ट्रेक्टर			6
7	कम्पेक्टर			2
8	JCB एक्सकैवेटर			6
9	रोबोट गाड़ी (कचड़ा उठाव)			4

स्रोत - नगर निगम, दरभंगा

दरभंगा नगर का वार्ड संख्या 8,9 और 23 बाढ़ के दौरान बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं जिनमे सबसे ज़्यादा नुक़सान कच्चे घरों को होता था।

बाढ़ के दौरान राहत शिविर लगाने हेतु नगर प्रशासन के द्वारा तीन जगहों पर, **CM Art कॉलेज, मदरसा हमिदीया एवं विश्वविद्यालय क्षेत्र, को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा वार्ड संख्या 30 में प्राथमिक विद्यालय शेर मोहम्मद एवं राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय, वार्ड संख्या 31 में मिल्लत कॉलेज एवं इस्लामिया कॉलेज को भी राहत शिविर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बाढ़ आने पर नगर प्रशासन द्वारा संबंधित अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर इन जगहों पर राहत शिविर लगाए जाते हैं।**

वार्ड सदस्यों के अनुसार दरभंगा शहर में बाढ़ एवं जल-जमाव की समस्या लगभग प्रत्येक वर्ष देखने को मिलती है। जल-जमाव वाले क्षेत्रों की विवरणी निम्नवत है:

तालिका 8 दरभंगा शहर के जल-जमाव वाले क्षेत्रों

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	बाढ़ / जलजमाव
1	1	शिव धारा, अली नगर, पासवान टोला, ताज विष्णुपुर डीह	बाढ़
2	2	मंथ पोखर	जलजमाव

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	बाढ़ / जलजमाव
3	3	बेला दुड़ला, बेला चौक	जलजमाव
4	4	नया टोला (बाढ़ प्रभावित है), नयाटोला सुंदरपुर, सोनार टोला, खडहा टोला (जलजमाव से प्रभावित)	बाढ़ एवं जलजमाव
5	5	आजम नगर, बिष्णुपुर (2 स्लुइस गेट है)	बाढ़
6	6	आजम नगर लीची बाड़ा, कुम्हार टोला, ततमा टोली, बालू घाट (4 स्लुइस गेट लगा हुआ है और जब गेट बंद कर दिया जाता है तो बैक फ्लो होता है)	बाढ़
7	7	कबरा घाट, मिश्रीगंज, काफिगंज, पटेल चौक, राम चौक (महादलित टोला) - 2 स्लुइस गेट हैं	बाढ़
8	8	पूरा वार्ड	बाढ़
9	9	पूरा वार्ड	बाढ़
10	10	बड़ा बाज़ार, गुल्लो बाड़ा, टावर, राम चौक	जलजमाव
11	11	कुम्हार टोली से हसन चौक, अंसारी मोहल्ला	जलजमाव
12	12	कैदराबाद चूड़ी मार्किट, कटहलबाड़ी डेन्मी रोड (MMT कॉलेज)	जलजमाव
13	13	दीवानी तकिया (निचला क्षेत्र है)	बाढ़ एवं जलजमाव
14	14	धोबी टोला, बंगाली कैंप, जानकीनगर, डी.ए.वी. स्कूल के पीछे	जलजमाव
15	16	पूरा वार्ड	बाढ़
16	17	गाँधी नगर, कटरहिया	जलजमाव
17	19	लालबाग पोस्ट ऑफिस से पुअर होम चौक तक, MRM स्कूल, नुनिया टोला, बंगला स्कूल, बाड़ी टोला	जलजमाव
18	20	लाल बाग़, भगवानदास, मीरशिकार टोला, धुनियाटोला	जलजमाव
19	22	जीतूगाछी, फुलवारी, इमलीघाट, शिवाजी चौक	बाढ़
20	23	पूरा वार्ड	बाढ़
21	24	सासुपन, सेनापथ कॉलोनी, मीरमंजन	बाढ़
22	25	पूरा वार्ड	जलजमाव
23	26	मोगलपुरा, सहनी टोला, बारी टोला,	बाढ़
24	27	अल्लपट्टी	जलजमाव
25	28	बैंकर्स कॉलोनी (साहू भवन रोड), मोगाल्पुरा-मदारपुर मुख्य सड़क	जलजमाव
26	30	मिर्ज़ा हयात बेग, शेर मोहम्मद, भीगो (8 स्लुइस गेट लगे हैं)	बाढ़
27	31	जमालपुरा, नयाटोला भीगो, सहनीटोला भीगो, मीरग्यासचक	बाढ़
28	32	काजीपुरा, अब्दुल्लागंज, छोटी काजीपुर मनहर रोड, पश्चिम बाग़ - यह क्षेत्र बागमती नदी के निचले क्षेत्र में आता है जिस कारण बागमती नदी के ओवरफ्लो से प्रभावित होता है - 1 स्लूइस गेट है जो कामयाब नहीं है	बाढ़ एवं जलजमाव

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	बाढ़ / जलजमाव
		अब्दुल्लागंज, महेशकट्टी नोसैया, काजीपुरा, मासूमनगर (जलजमाव से प्रभावित)	
29	33	युसुफगंज, बीबी पाकड़, रहमगंज	जलजमाव
30	35	DMCH पोस्ट ऑफिस, भटवा पोखर, शाहगंज, गुमटी नं 22 से बेता	जलजमाव
31	36	DMCH कैंपस (मलिन बस्ती), हॉस्पिटल रोड, बेता, अंधरिया बाग़	जलजमाव
32	37	कर्मगंज, इमामबाड़ी, सहनी टोला (गायत्री मंदिर) - यह सभी क्षेत्र बागमती नदी के निचले क्षेत्र में आता है जिस कारण बागमती नदी के ओवरफ्लो से प्रभावित होता है, नाका नं 6, ईदगाह गली, कर्मगंज, सहनी टोला (जलजमाव से प्रभावित)	बाढ़ एवं जलजमाव
33	38	चकजोहरा, दुमदुमा (कुर्मी टोला, कायस्थ टोला), महेशपट्टी	जलजमाव
34	39	चकजोहरा न्यू कॉलोनी, महाराजगंज पश्चिमी, सराय सत्तार खां, राम टोली (बागमती नदी के पास अवस्थित है)	बाढ़ एवं जलजमाव
35	40	अभंदा, सैदनगर, कृष्णानगर, सराय	जलजमाव
36	41	कनक मंदिर, दारु भट्टी के पीछे, गुदड़ी	जलजमाव
37	42	बंगाली टोला, जी.एन. गंज, वी.आई.पी. रोड	जलजमाव
38	43	बेता (नागेन्द्र झा कॉलेज), वी.आई.पी. रोड (एम.एल.ए. अकादमी स्कूल)	जलजमाव
39	44	शाहगंज, बलभद्रपुर, न्यू बलभद्रपुर, खादी भंडार के पास	जलजमाव
40	45	सुन्दर वन, आर.एस. टैंक (नाली निकासी की समस्या)	जलजमाव
41	46	कबिलपुर, न्यू ख्वाजा सराय	जलजमाव
42	47	गुदरी बाज़ार, बलभद्रपुर, हाउसिंग कॉलोनी	जलजमाव
43	48	पूरा वार्ड (नाली का निर्माण डिफेक्टिव है)	जलजमाव

3.2.2.4 जल-जमाव एवं बाढ़ बचाव के लिए आवश्यक उपकरण :

बाढ़ एवं जल जमाव आपदा की प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्ध संसाधनों की होती है। जल जमाव एवं बाढ़ से बचाव हेतु आवश्यक उपकरण जो वर्तमान में नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है की सूची इस प्रकार है:

क्र०	उपकरण	आवश्यक संख्या
1	बोरवेल कैमरा/पानी के नीचे खोज करने वाला कैमरा	6
2	इन्फ्लेटेबल बोट (OBM के साथ और OBM के बिना (10 एचपी)	6
3	HRP नावें (OBM के साथ और ओबीएम के बिना (10 एचपी))	5
4	लाइफ बॉय	20
5	लाइफ जैकेट	200

क्र०	उपकरण	आवश्यक संख्या
6	गमबूट	5
7	हेलमेट	10
8	स्ट्रेचर	50
9	सुरक्षा गॉगल्स	50
10	चेन पुली ब्लॉक	10
11	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम	50
12	रोप लैडर	10
13	डायमंड सॉ कटर	5
14	सर्च लाइट्स	10
15	हाई-पावर टॉर्च	20
16	हाइड्रोलिक या पेट्रोल से चलने वाला वुड कटर	5
17	एयर सिलेंडर के साथ डाइविंग सूट	20
18	पेट्रोल संचालित कंप्रेसर	10

3.2.3 अगलगी

दरभंगा शहर में आग से होने वाली क्षति या नुक़सान आम बात है सामान्यतः लोगों की अज्ञानता के कारण झुग्गी बस्तियों, भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों में आग का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। व्यावसायिक अग्निकांड में ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित नियमों का उलंघन मुख्य कारण बनता है। दरभंगा नगर में बहुत कच्चे मकान और झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं और यहाँ शार्ट सर्किट या किसी अन्य लापरवाही से आग लग जाने पर यह बड़े इलाक़े में फैल जाती है। जब आग बड़ी और बेक़ाबू हो जाती है तो लोगों के साथ साथ उनके सामानों का आपातकालीन निकास आवश्यक हो जाता है। ऐसा नही हो पाने के कारण व्यापक रूप से जीवन क्षति भी देखने को मिलती है। वार्ड पार्षदों एवं वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा के दौरान यह पता चला कि ठंड के मौसम में भी अगलगी की घटना घटती है जिसका मुख्य कारण कच्चे मकानों में अलाव का जलाना है। हालाँकि ऐसे आग पर समुदाय के द्वारा तत्काल ही क़ाबू पाने का प्रयास किया जाता है लेकिन विषम परिस्थिति में इसके व्यापक परिणाम होने की सम्भावना हमेशा रहती है।

तालिका 9 दरभंगा नगर में आगज़नी से हुए जीवन क्षति का विवरण

क्र0सं0	वर्ष	अग्निकांड की संख्या	धायल मनुष्य	मृत्य मनुष्य
1	2020	22	01	00
2	2021	40	00	00
3	2022	26	05	00

स्रोत - ज़िला अग्निशमन विभाग, दरभंगा

अगलगी से प्रवण क्षेत्र सोनार गली से गांधी चौक, लेहरियासराय गदरी बाज़ार और दरभंगा गदरी बाज़ार है। विशेष यह है कि यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला तथा संकीर्ण गलियों वाला क्षेत्र है जहां आग लगने पर तत्काल सहायता पहुँचाना मुश्किल होगा। जिस कारण आग से नुक़सान की सम्भावना ज़्यादा होगी।

तालिका *10* : दरभंगा नगर के अगलगी प्रवण क्षेत्र

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	प्रवणता
1	1	पासवान टोला, ताज विष्णुपुर डीह	उच्च
2	2	पासी मोहल्ला, पासवान मोहल्ला, मंथ पोखर पर राम मोहल्ला, नवटोलिया यादव मोहल्ला, नया धरारी बेला (जनवरी में एक लड़की जल गयी)	उच्च
3	4	बेला औद्योगिक क्षेत्र, परमेश्वर चौक, सुंदरपुर	उच्च
4	5	पूरा वार्ड (बिजली के तार के कारण)	उच्च
5	6	बालू घाट बागमती नदी के किनारे बांध के अन्दर नदी के मुहाने पर बड़ी संख्या में फूस के मकान बने हुए हैं)	उच्च
6	8	सतियारा टोला, नवटोलिया, डीह, फुलबरिया टोला, वियला टोला	उच्च
7	9	पासवान टोला, रामटोला रत्नोपट्टी	उच्च
8	12	कटहलबाड़ी	उच्च
9	13	दिवानीतकिया गरखई, राकेश गली, केबिन चौक के उत्तर का इलाका	उच्च
10	17	भीरा एवं भवानी टोला - दोनार चौक,कटरहिया बस्ती	उच्च
11	20	धुनिया टोला, सकमा पुल, जेठियाही	उच्च
12	21	मुफ़्ती मोहल्ला	उच्च
13	22	कबिराबाद (कॉटन के गोदाम में पूर्व में आग लगी है), बसंतगंज (पूर्व में यहाँ आग लगी है) - इस क्षेत्र में बहुत पतली सड़कें हैं जहाँ फायर टेंडर नहीं जा सकते हैं कबिराबाद मोहल्ले में बिजली के पोल कि कमी के कारण लोग दूर तक टोका खींच कर ले जाते हैं और इस कारण खतरा बढ़ जाता है	उच्च
14	23	वाजितपुर, अंसारी बस्ती	उच्च
15	28	मदारपुर से भगवती चौक मुख्य मार्ग के ऊपर से 33000 वोल्ट के तार गुजर रहे हैं जो एक खतरा है. हांलांकि अभी तक कोई घटना नहीं घटी है.	उच्च
16	30	शेर मोहम्मद, फकीरा खां	उच्च
17	31	नया टोला भीगो, जमालपुरा, मीरग्यासचक	उच्च
18	37	नूनिया टोला	उच्च
19	38	चमरटोली, दुमदुमा	उच्च
20	40	अभंदा, पासवान टोला, यादव टोला, सहनी टोला, ब्रह्मस्थान, सैद नगर	उच्च

3.2.3.1 क्षमता विश्लेषण :

आग के कारण आपदा के ज़्यादातर मामलों में भवन निर्माण के डिज़ाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके आलावे मकानों में आग बुझाने के उपकरण, रेत की बोरी जैसे उपाय सामान्यतः नहीं किए गए होते हैं जो नुक़सान को कई गुना बढ़ा देता है। नगर में किसी भी बड़े अगलगी से निपटने के लिए अग्निशमन दस्ता तैयार रहता है जो एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्य करता है।

इस कार्य के लिए अग्निशमन दस्ता के पास दो तरह के अग्निशमन वाहन हैं और hydrant की भी व्यवस्था की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है।

तालिका *11:* नगर में भवन एवं तथा उनमें की अग्निशमन का विवरण

3000 वर्ग फुट से बड़ी भवन संरचना की संख्या	कुल भवन की संख्या जिनमें अग्निशमन की अधारभूत संरचना उपलब्ध है।	अग्निशमन के लिए उपलब्ध संरचनाओं के प्रकार
165	135	होज रील, डाउन कमर सिस्टम, वेट राइजर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रींकलर सिस्टम, अन्डर ग्राउंड वाटर स्टैटिक टैंक, ओभर हेड वाटर टैंक, स्मोक, यार्ड हाईड्रेंट, डिटेक्शन सिस्टम, सियामिस कनेक्शन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फ़ायर कंट्रोल रूम, फायर डैम्पर आदि की व्यवस्था संबंधित भवनों में आवश्यकतानुसार की गई है।

स्रोत - ज़िला अग्निशमन कार्यालय

तालिका 12 नगर में अग्निशमन वाहनों की संख्या

अग्निशमन वाहन के प्रकार	अग्निशमन वाहन की संख्या	अग्निशमन वाहन की जल क्षमता
वाटर टेंडर-1613,	1	4500 लीटर
टेम्पू एक्सल-709,	1	3000 लीटर
मिस्ट यूनिट	10	400 लीटर
जिलांतर्गत कुल अग्निशमन वाहनों की संख्या	19 (12 दरभंगा फ़ायर स्टेशन, 3 बेनिपुर फ़ायर स्टेशन और 4 बिरौल फ़ायर स्टेशन के अंतर्गत हैं)	

स्रोत - ज़िला अग्निशमन कार्यालय

समुदाय के साथ चर्चा के दौरान यह बात निकल कर सामने आयी कि आमतौर पर उन्हें अग्निकांड से निपटने (पूर्व तैयारी, आपदा का सामना और उससे उभरना) का कौशल नहीं सिखाया गया है। इस बात कि आवश्यकता महसूस की जाती है कि हर स्तर पर अगलगी को लेकर व्यापक क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम सतत चलाया जाए ।

3.2.3.2 नगर में कार्यरत hydrant का विवरण

नगर में महत्वपूर्ण स्थानों पर hydrant की व्यवस्था की गई ताकि अगलगी की स्थिति में राहतकार्य को अविलम्ब शुरू किया जा सके। नगर निगम के व्यवस्था के अलावा वाटर सप्लाई के

लिए पम्प हाउस में हायड्रंट जैसी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निजी भवनों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि वहाँ hydrant लगे हों। नगर में hydrant की वस्तुस्थिति का जायज़ा लेने पर यह पता चलता है कि नगर के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में कम है और अग्नि आपदा के सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड की पहचान कर वहां Hydrant लगाना ज़रूरी है। नगर निगम दरभंगा के अंतर्गत अनुमंडल अग्निशामालय दरभंगा में क्रियाशील हाईड्रेंट की सूची निम्न है:

तालिका *13* : नगर निगम दरभंगा में क्रियाशील हाईड्रेंट की सूची

क0सं0	अग्निशामालय का नाम	जल श्रोत का व्योरा	संख्या
1	अग्निशामालय दरभंगा,	बिग बाजार दरभंगा	01
		श्यामा सर्जिकल संस्थान	01
		पारस हॉस्पीटल, बेंता दरभंगा	01
		कृष्णा होटल, दरभंगा	01
		विशुधानंद हॉस्पीटल, दरभंगा	01
		होटल द्वारिका इंटरनेशनल दरभंगा	01
		पेंटालुईस दरभंगा	01
		आई0वी0 स्मृति हॉस्पीटल, दरभंगा	01
		दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिसन कम्पनी लिमिटेड देकुली, दरभंगा	01
		अग्निशामालय दरभंगा	01

स्रोत - ज़िला अग्निशमन विभाग

3.2.3.3 अग्नि आपदा सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड जहां Hydrant की स्थापना ज़रूरी है

दरभंगा नगर में अग्निप्रवणता को देखते हुए कुल 6 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं एवं अन्य अतिरिक्त अग्नि आपदा सम्भावित क्षेत्रों की विवरणी अधोलिखित है, जहाँ की hydrant स्थापना कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

तालिका 14 अग्नि आपदा सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड जहां *Hydrant* की स्थापना ज़रूरी है

क्र0सं0	अग्निशामालय का नाम	सर्वाधिक अग्निप्रवण क्षेत्र(घटते क्रम में)	अग्निप्रवण क्षेत्र से निकटतम अग्निशमन वाहन कि स्थिति	अभियुक्ति
01	दरभंगा	दिल्ली मोड़	अग्निशामालय से दूरी 05 किलोमीटर लगभग	वर्णित क्षेत्रों के अलावे दोनार इंडस्ट्रीयल एरिया, टावर चैक, डि0एम0सी0एच0 एरिया, काफी संकीर्ण एवं सघन होने के कारण यदि यहां भी hydrant की स्थापना की जाती है तों अग्निकांड की स्थिति में उसे नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
02		सकतपुर थाना	मिस्ट युनिट प्रतिनियुक्त	
03		जाले थाना	मिस्ट युनिट प्रतिनियुक्त	
04		अल्लपट्टी	अग्निशामालय से दूरी 04 किलोमीटर लगभग	

स्रोत - ज़िला अग्निशमन विभाग

अग्नि आपदा के समय सभी महत्वपूर्ण विभाग मिलकर समन्वय से काम करते हैं। जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्र०वि०पदा०, अंचलाधिकारी, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य एवं जन-प्रतिनिधियों के समन्वय से अग्निकांड के घटना स्थल पर पहुचने एवं राहत और बचाव कार्य को गति प्रदान की जाती है।

नगर में ऐसे व्यावसायिक संस्थान एवं प्रतिष्ठान जिनमें आग लगने की सम्भावना हो सकती है उनके fire safety audit का प्रावधान किया गया है जिसे हर वर्ष किया जाता है।

3.2.3.4 दरभंगा अग्निशामानलय के पास उपलब्ध संसाधन:

Sl. No.	Item Name	अग्निशामालय दरभंगा में उपस्थित उपकरण की सूची	आवश्यकता
01	Bolt Cutter	**02 nos**	
02	Jack With Ston lift	**01 nos**	
03	Sledge Hammer	**02 nos**	
04	Smoke hammer	**01 nos**	
05	Suit fire Proximity	**04 nos**	
06	Pump Floating	**01 nos**	–
07	Extension ladder	**04 nos**	
08	ABC Type(6 kg)	**15 nos**	
09	C o2 Type(4.5kg)	**01 nos**	
10	Fire Tender	**02 nos**	**02 nos**
11	Fire Fighting Foam	**500 liter**	
12	Rope Ladder	**02 nos**	**02 nos ,30 mtr.**
13	Hydraullic Cutter	–	**02 nos**
14	Shorvel	**02 nos**	
15	Spade	**02 nos**	
16	Crow bar	**04 nos**	
17	Helmet	**08 nos**	**10 nos**
18	Pick axe	**02 nos**	**02 nos**
19	Axe	**02 nos**	**02 nos**
20	Door Breaker	**02 nos**	**02 nos**
21	Hack Saw	**01 nos**	**02 nos**
22	Electric Torch	**01 nos**	**02 nos**
23	Steel Cutter	**02 nos**	
24	BA SET	**04 nos**	**04 nos**
25	Hose	**12 nos**	
26	Driver Hmv	**08 nos**	
27	Driver LMV	**11 nos**	
28	Gum boots	**08 Pair**	**08 Pair**
29	Heavy Duty Cloves	**04 Pair**	**08 Pair**
30	petrol chain saw	**01 nos**	
31	Hose ramp 4 lane	**00**	**04 nos**
32	Protable fire pump 275 lpm with accessories	**00**	**04 nos**
33	Flame proff lamp	**00 nos**	**02 nos**
34	Fire blanket	**00 nos**	**04 nos**
35	Fire Ball	**00 nos**	**08 nos**
36	Motorcycle	**00 nos**	**02 nos**
37	Hydraulic platforms	**00 nos**	**01 nos**
38	Human Detector Machine	**00 nos**	**00 nos**

3.2.4 सड़क दुर्घटना

भारत में मरने और घायल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा संख्या में होने वाली मौतों को रोकने के लिए परम्परागत तौर पर सरकार के द्वारा क़ानून और जुर्माना का सहारा लिया जाता है। लेकिन इससे सड़क दुर्घटना और उससे होने वाली मौतों में कोई कमी नही आ रही है। इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उनके सटीक कारणों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है।

पिछले पाँच वर्षों की सड़क दुर्घटनाओं की नीचे दी गयी तालिका से यह पता चलता है कि नगर में सड़क दुर्घटनाएँ बहुत कम हुई हैं और उनमें भी जान-माल की हानि नहीं हुई है। ट्रैफ़िक DSP से वार्ता के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि नगर के अंदर सड़कों पर भीड़-भाड़ के कारण गाड़ियों की गति काफ़ी धीमी होती है जिससे सड़क दुर्घटना होने की सम्भावना कम रहती हैं। ज़्यादातर सड़क दुर्घटना नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य उच्च पथ पर होती हैं। **दरभंगा शहर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो गाड़ियों के द्वारा ट्रैफ़िक के नियमों का सही से पालन नही करना, वन वे सड़क पर उल्टी दिशा में ड्राइविंग करना, जानवरों का मुक्त रूप से रोड पर आना, गाड़ी चलाते समय मल्टी टास्किंग जैसे फ़ोन पर बात करना, आपस में बात करना, खाना और पीना आदि।**

तालिका 15 दरभंगा में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

दरभंगा में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं का विवरण												
वर्ष	राष्ट्रीय उच्च मार्ग			राज्य उच्च पथ			मुख्य ज़िला सड़कें			शहरी सड़क		
	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल
2016												
2017	5	4	7	10	7	3	-	-	-	-	-	-
2018	4	3	18	-	-	-	2	-	2	-	-	-
2019	1	1	-	-	-	-	9	1	7	1	-	-
2020	6	2	12	5	2	4	11	5	5	1	-	-

स्रोत - पुलिस उपाधीक्षक- ट्रैफिक, कार्यालय

पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं जो लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें सम्भावित दुर्घटना वाले क्षेत्रों की पहचान बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसे जगहों पर कुछ साइनेज के साथ साथ फ़्लैक्स और बैनर भी चेतावनी के लिए लगाए गए हैं।

3.2.4.1 क्षमता विश्लेषण:

दरभंगा नगर के अंतर्गत मानक के अनुसार कोई भी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान नहीं की गई है। लेकिन दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 1 और 2 से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। वार्ड संख्या 1 के अली नगर का लगभग आधा कि.मी. का हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर पड़ता है। यहाँ पर महिंद्रा शोरूम के पास सड़क दुर्घटना की संभावना रहती है। वार्ड संख्या 2 का मंथ पोखर मोहल्ला (दुर्गा मंदिर के पास) का क्षेत्र NH - 27 पर पड़ता है जहाँ लगभग हर महीने एक दुर्घटना होती है। वहीं वार्ड संख्या 17 का दोनार चौक SH 56 (बेनीपुर पथ) के किनारे पड़ता है और वार्ड संख्या 30 में किलाघाट - एकमी पथ से लगने वाले मोहल्ले नीम चौक, मिर्ज़ा हयात बेग, शेर मोहम्मद, भीगो, जमलपुरा में सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 31 में भीगो - एकमी पथ से लगने वाले मोहल्ले भीगो, जमालपुरा, मीरग्यासचक में सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

दरभंगा नगर में नियमित रूप से प्रत्येक 03 माह पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष, दरभंगा की अध्यक्षता में की जाती है, जिसमें निम्न पदाधिकारीयों द्वारा भाग लिया गया है:

- पुलिस अधीक्षक, दरभंगा
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर
- सिविल सर्जन, दरभंगा
- नगर आयुक्त, दरभंगा
- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा
- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दरभंगा
- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण अनुमंडल, दरभंगा
- जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा
- पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, दरभंगा
- पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, दरभंगा
- प्रमंडलीय प्रवन्धक, पथ परिवहन निगम, मुंगेर
- मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा
- सभी प्रवर्तन निरीक्षक, दरभंगा
- स्थानीय अभियंता, एन०एच०ए०आई०
- स्थानीय अभियंता, एन०एच०ए०आई०
- अध्यक्ष, परिवहन महासंघ, दरभंगा
- सचिव, परिवहन महासंघ, दरभंगा

सड़क दुर्घटना के बारे में नगर के लोगों से बात करने के बाद यह बात भी स्पष्ट हुई कि आम तौर पर समुदाय में इस बात की कोई जानकारी नही थी कि दुर्घटना हो जाने के बाद घायलों की मदद के लिए किससे सम्पर्क करना चाहिए और किस आपातक़ालीन नम्बर पर बात की जानी चाहिए। इस संबंध में एक नियमित अंतराल पर आम जन के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाना जरुरी है और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित विभागों के द्वारा एक वार्षिक योजना का निर्माण करना एक सराहनीय कदम होगा।

3.2.4 तेज आँधी तूफ़ान

तेज आंधी या चक्रवात कम वायुमण्डलीय दबाव का एक क्षेत्र होता है जो उच्च वायुमण्डलीय दबाव से घिरा होता है। दरभंगा में आने वाले चक्रवात की प्रकृति सामान्य से तेज भी होती है। **BMTPC के अनुसार दरभंगा "High Damage Risk Zone" में आता है। जहां तेज हवा की गति 169.2 km/h (47 m/s) तक हो सकती है। आमतौर पर मार्च और जून के महीने में तेज हवायें (5-28 km/h की गति तक) चलती हैं।**

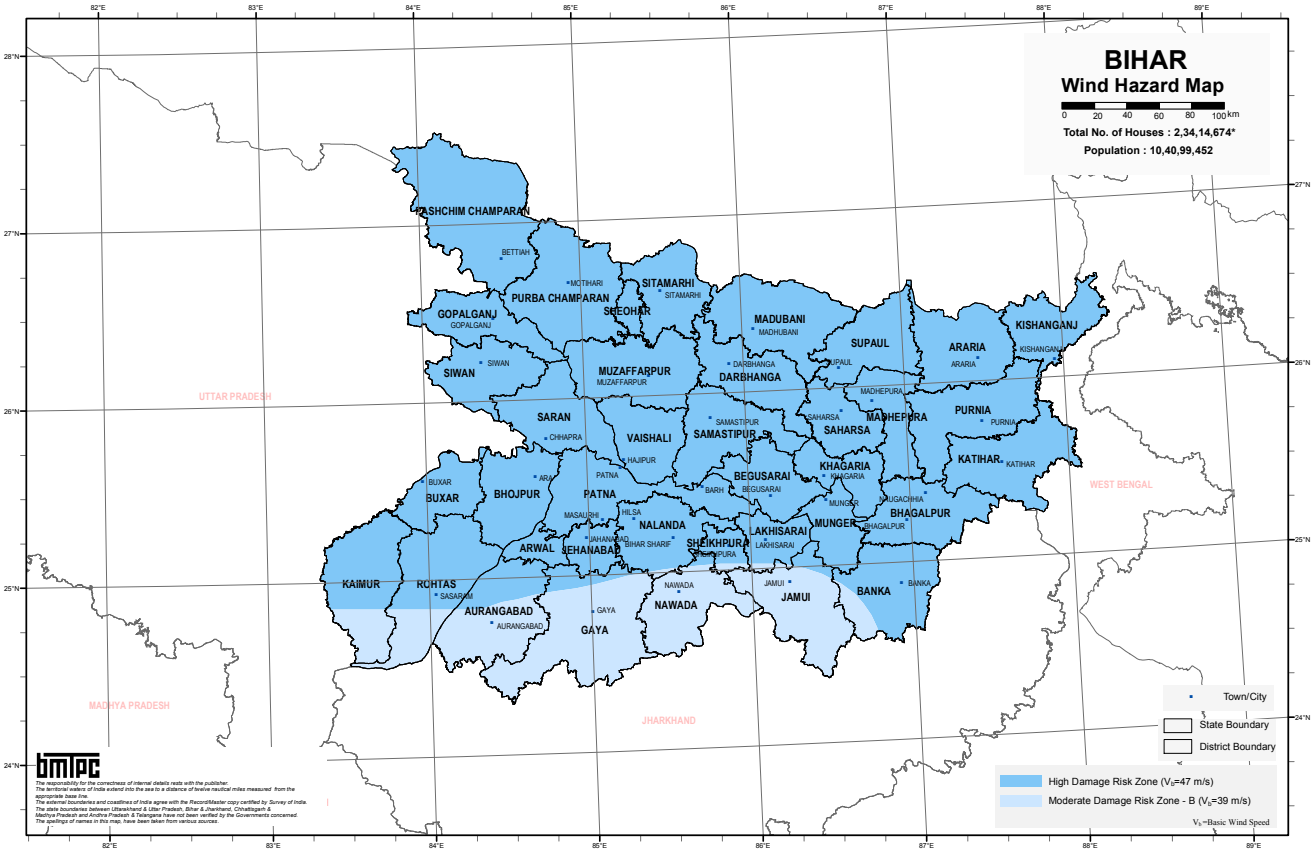

BMTPC : Vulnerability Atlas - 3rd Edition; Peer Group, MoHUA; Map is Based on digitised data of SOI, GOI ; Basic Wind Speed Map National Building Code 2016. Houses/Population as per Census 2011; *Houses including vacant & locked houses. Disclaimer: The maps are solely for thematic presentation.

चित्र11 : बिहार में तेज आंधी या चक्रवात के ज़ोन

दरभंगा नगर के बहुत सारे मकान अर्ध-पक्का संरचना/ झुग्गी झोपड़ी के रूप में है। ऐसे मकान काफ़ी तेज हवा और बारिश में नहीं टिक पाते हैं और कई बार इससे जान और माल का भी नुक़सान होता है। दरभंगा नगर पर बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का भी असर होता है। **वर्ष**

2021 में आए गुलाब और यस, वर्ष 2020 में अमफान तथा 2019 में फेनी चक्रवात प्रमुख रहे हैं। इस दौरान सामान्य तौर पर तेज आंधी तूफ़ान के साथ तेज बारिश भी देखने को मिलता है और नगर में जल जमाव भी हो जाती है। इसके साथ-साथ कई बड़े पेड़ गिर जाते हैं और कई बार बिजली आपूर्ति को भी बाधित हो जाती है। इस दौरान सबसे ज़्यादा नुक़सान कच्चे घरों को होता है।

3.2.6.1 तेज हवा के दौरान होने वाली क्षति के प्रकार

सपाट वस्तुएं यदि ठीक से बंधे न हों तो तेज हवा के pressure and suction प्रभाव के कारण वे उड़ सकते हैं। तालिका 4.1 हवा की कुछ गतियों के एयरोफिल प्रभावों को दर्शाती है। हवा के मार्ग में बाधा डालने वाले तत्वों पर काम करने वाले हवा के दबावों/सक्शन के परिणामस्वरूप उच्च हवा की गति के दौरान आमतौर पर निम्न प्रकार की क्षति देखी जाती है।

1. पेड़ों का गिरना जो परिवहन और राहत कार्य को बाधित करते हैं।
2. साइन पोस्ट, बिजली के खंभे और ट्रांसमिशन लाइन टावर जैसी कई कैंटिलीवर संरचनाओं में खराबी;
3. अनुचित रूप से संलग्न खिड़कियों या खिड़की के फ्रेम को नुकसान;
4. छत के प्रोजेक्शन, छज्जों और सनशेड को नुकसान
5. अनुचित रूप से निर्मित पैरापेट की विफलता,
6. परिसर की दीवारों का गिरना ;
7. कमजोर रूप से निर्मित दीवारों का गिरना और परिणामस्वरूप छतों और छत का गिरना
8. आंतरिक और बाहरी दबावों के संयोजन के कारण हल्के वजन की छत के आवरण और लंबी/लंबी दीवारों वाली बड़ी औद्योगिक इमारतों को नुक़सान ;
9. झुग्गी-झोपड़ियों को नुक़सान

3.2.6.2 तेज हवा का एरोफ़िल प्रभाव

तालिका *16* : **तेज हवा का एरोफ़िल प्रभाव**

Wind Speed m/sec	Typical Movement
5-10	Loose aluminium sheets fly
10-15	Loose galvanised iron sheets fly
15-20	Loose fibre cement sheets fly
25-30	Loose concrete and clay tiles fly
30-35	Roof sheets fixed to battens fly
35-40	Small aircrafts take off speed
40-45	Roof tiles nailed to battens fly
45-50	Garden walls blow over
50-55	Unreinforced brick walls fail
55-60	Major damage from flying debris
60-65	75 mm thick concrete slabs fly
65-70	100 mm thick concrete slabs fly
70-75	120 mm thick concrete slabs fly
75-80	150 mm thick concrete slabs fly

आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में तेज हवायें चलती हैं और बारिश होती है। वार्ड सदस्यों और नगर निगम अभियंताओं के साथ वार्ता के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि नगर के कई इलाक़ों में तेज आंधी तूफ़ान के कारण पेड़ तथा बिजली के पोल गिरने के मामले सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम द्वारा वन विभाग तथा बिजली विभाग से समन्वय कर पेड़ को काट कर सड़क पर आवागमन सुनिश्चित कर दिया जाता है और बिजली आपूर्ति बहाल की जाती है।

समुदाय, वार्ड पार्षद एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके क्षेत्र में वैसे मोहल्ले जहां, कच्चे घरों या कच्चे छतों वाले मोहल्ले, बहुत पुराने पेड़ों वाले क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जहां पुराने या जर्जर बिजली के खम्भे हैं, का नाम बताएँ जहां आंधी तूफ़ान आने पर नुक़सान की संभावना है। इस चर्चा के पश्चात निम्न तालिका में वर्णित क्षेत्रों को संभावित नुक़सान वाला क्षेत्र माना जा सकता है।

तालिका *17* : आंधी तूफ़ान से प्रभावित होने वाले क्षेत्र

क्र	वार्ड	मोहल्लों का नाम
1	1	शिव धारा, दर्जी टोला, पासवान टोला, ताज विष्णुपुर डीह
2	2	पासी मोहल्ला, पासवान मोहल्ला, मंथ पोखर पर राम मोहल्ला, नवटोलिया यादव मोहल्ला, नया
3	5	आजम नगर लीची बाड़ा, बिशनपुर, नूनठरवा
4	7	कबरा घाट, मिश्रीगंज, काफिगंज, राम चौक (महादलित टोला)
5	8	डीह पर कई कच्चे घर हैं
6	11	हसन बाग़, रामबाग क़िला के सामने कई कच्चे घर हैं
7	12	कैदराबाद चूड़ी मार्किट और कटहलबाड़ी के पास कई कच्चे मकान हैं
8	13	केबिन चौक से सरोज महतो के घर तक कई कच्चे मकान हैं जिनके छत उड़ जाते हैं
9	14	पासवान टोला (गंगवारा)
10	20	धुनिया टोला, सकमा पुल
11	21	मुफ़्ती मोहल्ला, क़िला घाट, सेना पथ (बेतरतीब ढंग से छतों पर एसबेस्टस या चदरा रखे हुए हैं)
12	23	वाजितपुर
13	25	उर्दू बाज़ार, फैजुल्ला खां
14	30	शेर मोहम्मद, फकीरा खां
15	31	नया टोला भीगो, जमालपुरा, मीरग्यासचक, सहनी टोला, लीची बाग़
16	33	बीबी पाकड़, युसुफगंज, रहमगंज, कसाब टोली में कई कच्चे घर हैं
17	34	TBDC रोड
18	36	फ़क़ीर टोला, अंधरिया बाग़ में कई कच्चे घर हैं
19	37	नुनिया टोला, इमामबाड़ी में कई कच्चे घर हैं
20	38	चमरटोली (बहादुरगंज), दुमदुमा, चकजोहरा में मलिन बस्ती है
21	40	अभंदा, कृष्णानगर, सराय, नूनथरवा
22	41	धोबी गली (बाकरगंज) में कई कच्चे घर हैं
23	42	बेलवा गंज में कई कच्चे घर हैं

क्र	वार्ड	मोहल्लों का नाम
24	43	चमरटोली, कुजरटोली में कई कच्चे घर हैं
25	44	शाहगंज में कई कच्चे घर हैं
26	46	कबिलपुर (मलिन बस्ती) में कई कच्चे घर हैं

3.2.6 लू

गर्म हवा / लू एक प्राकृतिक आपदा है जो मौसम से संबंधित है और सामान्यतः अप्रैल - जून माह के बीच घटित होता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जब तापमान सामान्य से 4.5-6.4 डिग्री ज्यादा हो। मैदानी क्षेत्रों के लिये गर्म हवाएँ/लू स्थिति तब मानी जाती है। जब अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री से अधिक हो। गर्म हवाएँ/लू एक वायुमंडलीय स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी-कभी जान लेवा हो सकता है। गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अधिकतम तापमान लगातार दो दिनों अथवा उससे अधिक दिनों तक सामान्य तापमान 3 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता हो। (*स्रोत - बिहार हीट एक्शन प्लान)*

3.2.6.1 गर्म हवाएँ/लू के स्थितियों के उत्पन्न होने से संबंधित मापदंड

यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक मैदानी क्षेत्रों में, कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में हो तो गर्म हवाएँ/लू की स्थिति मानी जाती है।

1. सामान्य तापमान से विचलन पर आधारित
    क. गर्म हवाएं - सामान्य से 4.5 डिग्री से0ग्रे0 से 6.4 डिग्री से0ग्र0
    ख. गंभीर/प्रचंड गर्म हवाएं - यदि सामान्य से 6.4 डिग्री से0ग्रे0 से ज्यादा हो
2. वास्तविक अधिकतम तापमान पर आधारित
    क. गर्म हवाएं - जब वास्तविक अधिकतम तापमान >_ 45 डिग्री से0ग्रे0
    ख. गंभीर/प्रचंड हवाएं - जब वास्तविक अधिकतम तापमान >_ 47 डिग्री से0ग्रे0

ऊपर दिए गए मापदंडों को सन्दर्भ में रखते हुए तथा दरभंगा नगर के पिछले आठ वर्षों के आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ गर्म हवाएँ/लू का प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं है। हांलांकि अप्रैल-मई माह में तापमान बहुत बढ़ता है और गर्मी बहुत रहती है परन्तु लू की स्थिति नहीं बनती है।

तालिका *18* दरभंगा नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं अधिकतम तापमान

दरभंगा नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं अधिकतम तापमान			
वर्ष	माह	औसत सामान्य तापमान	अधिकतम
2022	अप्रैल	36	43
2021	अप्रैल	38	43
2020	मई	35	39

दरभंगा नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं अधिकतम तापमान			
2019	मई	38	41
2018	जून	37	39
2017	मई	37	40
2016	अप्रैल	38	41
2015	मई	38	41

3.2.6.2 बिहार में गर्म हवाएँ/लू के प्रति भेद्यता मानचित्रण

गर्म हवाएँ/लू की भेद्यता के परिप्रेक्ष्य में, भौगोलिक परिवत्र्तनशीलता का आकलन, उपयुक्त अनुकूलन रणनीति के आधार है। बिहार हीट ऐक्शन प्लान के अनुसार दरभंगा नगर गर्म हवाएं और लू भेद्यता सूची में अधिक सामान्य श्रेणी 3 में आता है और इसकी ताप भेद्यता सूचकांक 1.308 है। इसका अर्थ ही कि यहाँ का अधिकतम तापमान औसत तापमान के आस-पास रहता है. बिहार के सभी जिलों के लिए गर्म हवाएँ भेद्यता सूचकांक श्रेणी बिहार के नक़्शे में निम्न रूप से दर्शाया गया है -

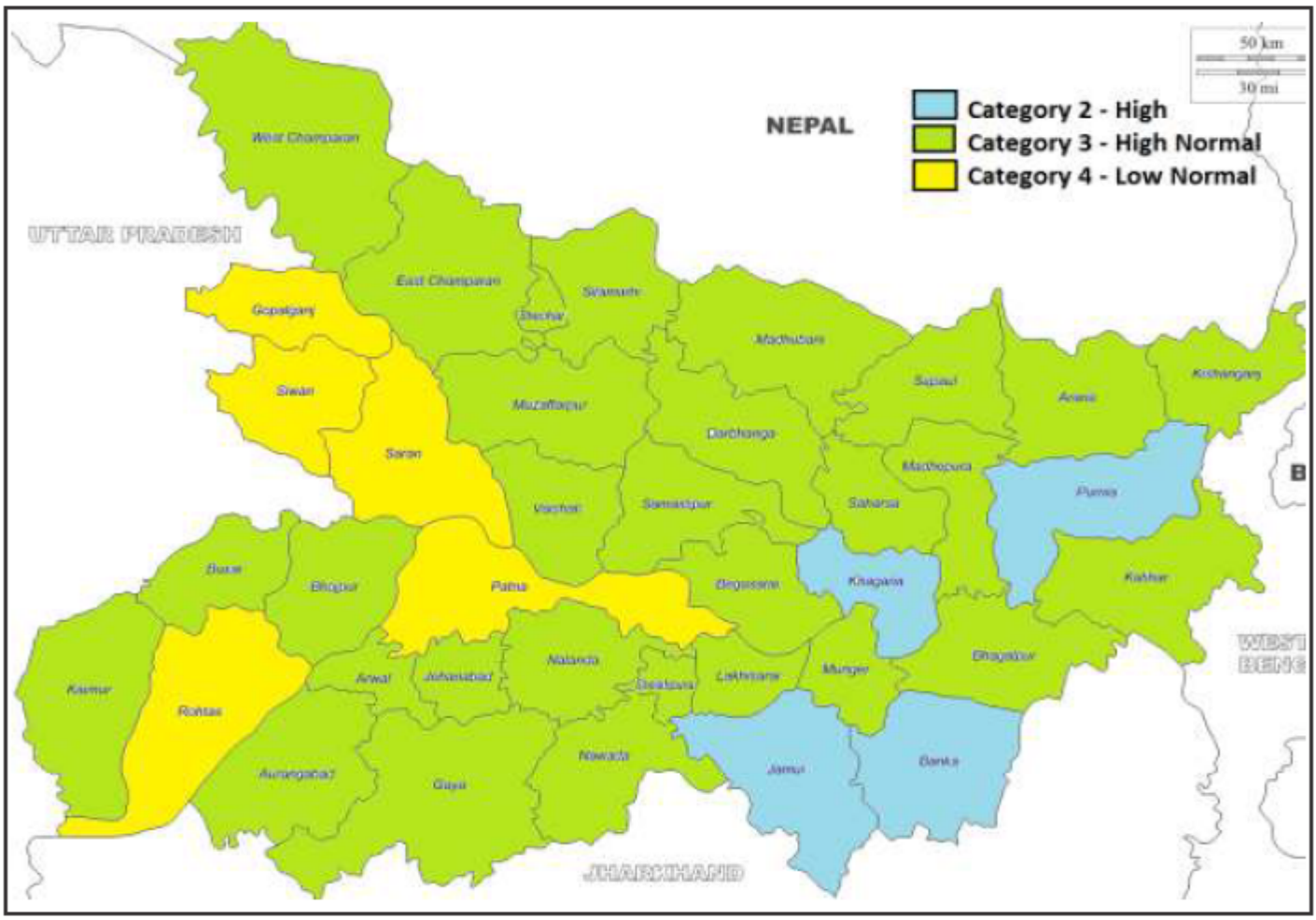

चित्र 12 गर्म हवाएँ भेद्यता सूचकांक (स्रोत – बिहार हीट एक्शन प्लान)

इस आपदा से निपटने के लिए इससे बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है । लोगों में बचाव की जानकारी देने के लिए बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण की तरफ़ से समय-समय पर अखबारों में कई एडवाईजरी जारी किए जाते हैं । आम लोगों तक इस संदेश को पहुँचाने के लिए मुख्य रूप से समाचार पत्रों में जानकारी छापी जाती है । बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हीट वेव से संबंधित मार्गदर्शिका भी बनायी गयी है जिसका अनुपालन जिले में किया जाना जरुरी है।

चित्र *13 BSDMA* द्वारा लू / गर्मी के लिए जारी की गयी एडवाईजारी

3.2.7 शीत लहर

शीतलहर एक प्राकृतिक आपदा है जो मौसम संबंधी चरम स्थितियां हैं और सामान्यतः दिसंबर के आखिरी सप्ताह से जनवरी माह के मध्य तक घटित होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शीतलहर को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान हो। शीतलहर एक वायुमंडलीय स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी-कभी जानलेवा हो सकता है। शीतलहर के कारण सामान्य जन-जीवन और उसके विभिन्न क्रियाकलाप प्रभावित हो जाते हैं। सबसे विकट प्रभाव बेघर लोगों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है।

दरभंगा नगर में शीतलहर की स्थिति नहीं होती है परन्तु वर्ष का न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। दरभंगा नगर में पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम तापमान जनवरी माह में दर्ज किया गया है -

तालिका *19* दरभंगा नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं न्यूनतम तापमान

क्र.	वर्ष	माह	औसत सामान्य तापमान	न्यूनतम
1	2022	जनवरी	20	13
2	2021	जनवरी	22	16
3	2020	जनवरी	20	15
4	2019	जनवरी	22	16
5	2018	जनवरी	21	15
6	2017	जनवरी	22	15
7	2016	जनवरी	22	16
8	2015	जनवरी	21	15

शीतलहर व पाला की स्थिति में प्रभावित लोगों को राज्य/राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से सहायता प्रदान की जाती है । राज्य के किसी जिले को शीतलहर या पाला से प्रभावित मानने के लिए मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जाता है । रबी या खरीफ फसल के 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक की क्षति होने पर अनुदान देय होता है । इससे पहले केन्द्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करके आकलन किया जाता है । इसी तरह किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए और यह रबी/खरीफ फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो, तब उस क्षेत्र को पाला प्रभावित माना जाएगा। लोगों में बचाव की जानकारी देने के लिए बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण तरफ़ से समय-समय पर कई एडवाईजरी जारी किए जाते हैं । आम लोगों तक इस संदेश को पहुँचाने के लिए मुख्य रूप से समाचार पत्रों में जानकारी छापी जाती है ।

चित्र *14* : *BSDMA* द्वारा शीत लहर के लिए जारी की गयी एडवाईजारी

नगर निगम के द्वारा शीतलहर के दौरान पूर्व के वर्षों में निम्न कार्य किए गए हैं -

- शीतलहर के प्रभाव से बचने के लिए दरभंगा नगर के निःसहाय औए बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल या रैनबसेरा का निर्माण किया जाता रहा है.
- ठंड के मौसम में नगर के अन्दर जगह-जगह अलाव की व्यवस्था कि जाती रही है.
- वार्डवार कंबल की भी व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यावसायिक संघों तथा अन्य के सहयोग से किया जाता रहा है.

3.2.4 संचारी रोग

संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न तरीक़ों से फैलता है जिसमें खून, शारीरिक तरल पदार्थ के सम्पर्क में आना, साँस के द्वारा या किसी के द्वारा काटे जाने से होता है। इन रोगों के पैटर्न और प्रवृति के बारे में समझ कर इन्हें काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सही समय पर हस्तक्षेप कर बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार द्वारा संचारी रोगों का पता लगाने और नियंत्रित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

दरभंगा नगर में होने वाले संचारी रोगों की बात करें तो डायरिया, वाइरल हेपेटायसिस, मलेरिया के साथ साथ हर कुछ वर्ष के अंतराल पर डेंगू में एक बड़ा उछाल और चिकनगुनिया के भी कई मामले मिल जाते हैं।

2020 में शुरू हुए COVID-19 महामारी ने नगर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी थी। इस महामारी में दरभंगा में कुल 13386 लोग संक्रमित हुए और 372 लोगों की मौत हो गई। शहर के अंदर स्वास्थ्य संरचना के ऊपर एक अनदेखा दबाव पैदा हुआ जिससे कोविड के दूसरे लहर में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। आमतौर पर शहर के अंदर मौजूद स्वास्थ्य संरचना सामान्य महामारी को झेलने के लिए तो तैयार थी लेकिन COVID-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित स्थिति ने, स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत ही असहज बना दिया।

3.2.4.1 दरभंगा में मेडिकल ऑक्सिजन सप्लाइअर

नाम और पता	सम्पर्क संख्या
प्रह्लाद बाबू	9431219158
अंजुम	7349911686
ऑक्सिजन रीफ़िल सेटर	8877469656
कल्पना गैस एजेन्सी	9006065858
मेघा ट्रेडस	7947335576
सांवेनय	9560979567
शदाब अख़्तर	8360032289
सत्य नारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट	9871991715

3.2.8 अन्य ख़तरे

दरभंगा नगर में इन आपदाओं के अलावे कुछ और ऐसी परिस्थितियाँ भी बनती है जिनसे आम नागरिकों के ऊपर ख़तरा और बढ़ जाता है और ये जीवन और सम्पत्ति के नुक़सान का कारण बनता है। आवारा पशु और ज़हरीले साँप और बिच्छू दंश के कई मामले भी आते रहते हैं। नगर के सरकारी अस्पतालों में Anti Rabbies Vaccine और Antidots की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है ताकि किसी भी सम्भावित ख़तरे की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सकता है ।

तीव्र शहरीकरण के कारण वन और हरित क्षेत्रों में लगातार कमी आयी है जिससे वायु प्रदूषण उतरोत्तर बढ़ता जा रहा है और यह वृद्धि शहर के पर्यावरण के लिए अनुपयुक्त है । शहर में वाहनों की अत्यधिक संख्या और पर्यावरणीय मानकों का ध्यान नही दिए जाने के कारण ज़हरीले गैसों के उत्सर्जन से स्थिति और भी दयनीय हो जाती है।

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय 4 : आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत रूपरेखा

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, आपदा प्रबंधन की तैयारियों को ले कर एक मील का पत्थर है। अधिनियम का उद्देश्य आपदाओं का प्रबंधन करना है, जिसमें आपदाओं की रोकथाम और शमन रणनीति तैयार करना, समुदाय एवं अन्य का क्षमता निर्माण आदि शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अधिनियम गृह मंत्रालय को देश में समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की देखभाल के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय के रूप में भी नामित करता है।

इसी के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार** होगा और **राज्य** के लिए एक **आपदा प्रबंधन योजना** होगी जिसके आधार पर राज्य में आपदा का प्रबंधन किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने राज्य क्षेत्र के लिये आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्ययोजना, नीति, मार्गदर्शिका एवं SOP बनाने का कार्य करेगा। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यरत है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक ज़िले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकारण की स्थापना की गयी है। ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दरभंगा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग/ बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण आदि के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न कार्य कर रही है। इसी तरह नगर निकाय अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य हेतु आवश्यक संस्थागत रूपरेखा तैयार कर सकती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कंडिका 41 (1 और 2) के अनुसार

1. स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए
    क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं,
    ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वह किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे
    ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी संनिर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और संबंध के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप है।
    घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा।
2. स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

आपदा प्रबंधन के लिए कोई एक विभाग या संस्था कभी भी सारी जिम्मदारियों को नही निभा सकती। इस बात को ध्यान में रखते हए बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में "बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015-2030)" बनाया गया जिसमें सुरक्षित शहर हेतु विभिन्न विभागों के लिए कई महत्वपूर्ण ज़िम्मदारियाँ तय की गयी हैं।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित संथाओं/विभागों के साथ आवश्यक समन्वय किया जा सकता है।

क्र.स.	लाईन विभाग	क्र.स.	लाईन विभाग
1	शहरी विकास विभाग	9	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग
2	स्वास्थ्य विभाग	10	शिक्षा विभाग
3	पुलिस विभाग	11	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोगता संरक्षण विभाग
4	सूचना एवं जन सम्पर्क	12	श्रम संसाधन विभाग
5	ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	13	पंचायती राज विभाग
6	परिवहन विभाग	14	योजना एवं विकास विभाग
7	अग्निशमन सेवा	15	खाद्य निगम
8	सामाजिक सुरक्षा विभाग	16	भवन निर्माण विभाग
17	भारत संचार निगम लिमिटेड	21	विज्ञान एवं प्राद्यौगिक विभाग
18	उद्योग विभाग	22	सांख्यिकी विभाग
19	ऊर्जा विभाग	23	जल संसाधन विभाग

4.1 राज्य में आपदा प्रबंधन की रूपरेखा

4.1.1 आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन:

नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स): नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय कार्यालय, पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्स के केवल चार जिले पटना, बेगूसराय, पूर्णिया एवे कटिहार में जिला कोर टीम कार्यरत है। मधुबनी सहित अन्य 24 जिलों में कोर टीम का विस्तार विचाराधीन है।

बिहार अग्निशमन सेवाएं: बिहार अग्निशमन सेवाएं, आपदा प्रबंधन की एक मौलिक ईकाई है जिसे अग्नि आपदा से बचाव एवं राहत कार्यो के साथ-साथ इससे संबंधित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को भी प्रमुखता से करना है। दरभंगा फ़ायर स्टेशन के पास 12 अग्निशमन वाहनों की कुल संख्या है।

राज्य आपदा मोचन बल: जिला में इसकी एक टीम कार्यरत है जिसमें 32 लोग होते है एस.डी.आर.एफ की टीम ने आपदाओं के दौरान, विशेष कर बाढ़ अवधि में, बचाव एवं राहत कार्यो का सफलतापूर्वक निष्पदान किया है।

4.2 आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC)

आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC), आपातकालीन प्रबंधन के हर चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी आपदा के दौरान रिकवरी को सुविधाजनक बनाने और निर्देशित करने तक में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। EOC किसी घटना का प्रबंधन नहीं करता है, यह समन्वय करता है। आपदा के दौरान विभिन्न हितभागियों में बेहतर समन्वय के लिए EOC की सक्रियता ज़रूरी हो जाती है। **ज़िले में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए एक ज़िला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) की सक्रियता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।**

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, दरभंगा, जिला मुख्यालय में आपदा प्रभारी के देख रेख में कार्यरत है। आपातकालीन संचालन केन्द्र में आपातकालीन सहायता कार्य ; (Emergency Support Function-ESF) हेतु टीम के सदस्यों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। टीम के सदस्य के रूप में प्रोग्रामर, डेटा इंट्री ऑपरेटर, लिपिक आदि सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यों में सहयोग करते हैं। आपदा के दौरान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को बेहतर तरीके से काम करना अति आवश्यक है। इसके लिए समयानुसार नई तकनीक एवं इससे प्रशिक्षित लोग एवं सुविधाओं का होना आवश्यक है।

सामान्य समय में आपातकालीन संचालन केन्द्र के कार्य:

केन्द्र सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों करता है।

- सुनिश्चित करना कि आपातकालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र जैसे कि डेस्क्टाप, इंटर्नेट, टेलिफ़ोन आदि सक्रिय है तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।
- लाईन डिपार्टमेन्टस से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आकड़ा इकट्ठा करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिले के आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/ चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मेकेनिज्म) को सक्रिय करना।

उपरोक्त ज़िला आपातक़ालीन संचालन केंद्र के अनुसार नगर निगम दरभंगा अपने स्तर आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) को भी सक्रिय रूप से कार्यरत करने हेतु विचार किया जा सकता है। इसके लिए नगर निगम दरभंगा के अधिकारियों/ कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

4.3 इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (IRS)

गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुशंसा है कि आपदाओं के प्रबंधन में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के अनुसार कार्य किया जाए। इस संबंध में National Disaster Management Authority (NDMA), New Delhi के द्वारा दिशानिर्देश भी निर्गत किया गया है जो NDMA के वेबसाइट https://ndma.gov.in/Reference_Material/NDMAGuidelines पर उपलब्ध है। IRS का संरचना नीचे दी गयी है

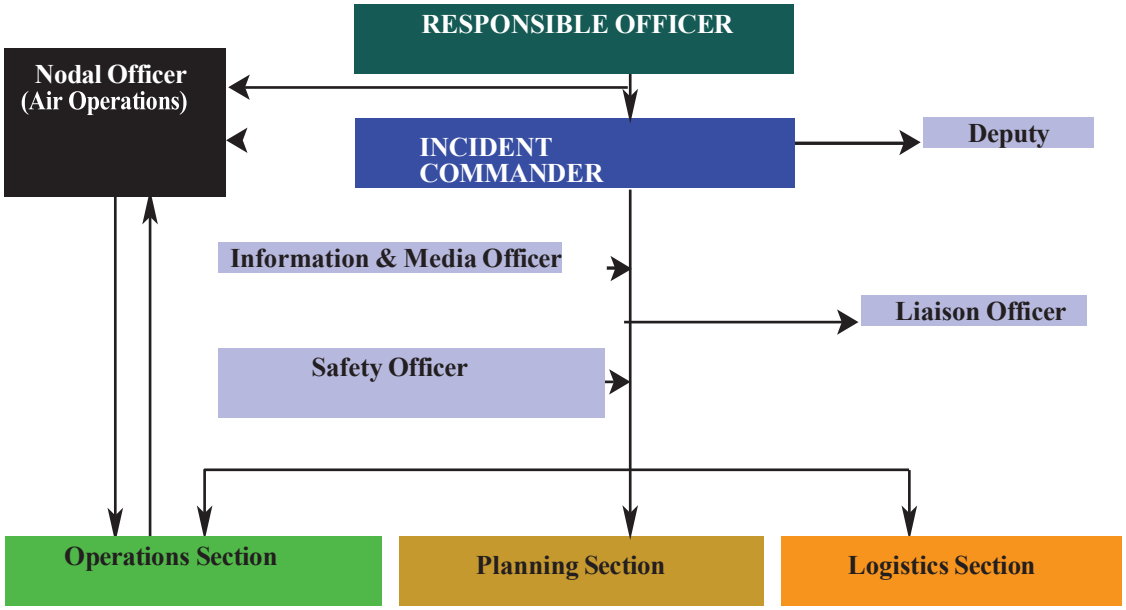

(Source: National Disaster Management Guidelines, Incident Response System

आपदा प्रतिक्रिया, के लिए राज्य, जिला और सामुदायिक स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों के प्रयासों, कार्यों और रणनीतियों के समन्वय की आवश्यकता होती है। आपदा प्रतिक्रिया में तीन महत्वपूर्ण प्रभाग होती हैं मौजूदा सरकारी तंत्र, गैर-सरकारी संगठन और प्रभावित समुदाय। **आपदा प्रतिक्रिया** में चार महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं: **योजना बनाना, लामबंद करना, समन्वय करना और संचालन करना**। जब कोई घटना होती है, और उसे आपदा घटना के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (आईआरएस) सक्रिय हो जाता है। घटना के समग्र प्रबंधन की जिम्मेदारी इंसीडेंट कमांडर की होती है। ज्यादातर घटनाओं पर, एक ही इंसीडेंट कमांडर कमांड

गतिविधि को अंजाम देता है। नगर आयुक्त के साथ हुई वार्ता के आलोक में, आपदा प्रतिक्रिया के दौरान कार्यात्मक जिम्मेदारियां नीचे संरचित की गई हैं:

तालिका *20 :* जिले में आपातकालीन कार्यों और संबंधित लीड की संरचना

क्र.	आपातकालीन प्रबंधन कार्य	कार्य लीड	कार्य अधिकारी/एजेंसियां
1	दिशा, नियंत्रण और समन्वय	ज़िलाधिकारी	नगर आयुक्त, एसपी, अपर समाहर्ता, हल्का कर्मचारी
2	सूचना संग्रहन, विश्लेषण और क्षति सर्वेक्षण	ज़िलाधिकारी	नगर आयुक्त, एसपी, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी, हल्का कर्मचारी, कार्यपालक अभियंता
3	संचार	ज़िला जन सम्पर्क अधिकारी (DPRO)	मोबाइल ऑपरेटर, टीवी, रेडियो, पुलिस, वन, अग्निशमन
4	चेतावनी	अपर समाहर्ता	आपदा प्रबंधन प्रभारी पदाधिकारी, DEOC, ज़िला जन सम्पर्क अधिकारी
5	परिवहन (ईएसएफ, निकासी, राहत आपूर्ति)	ज़िला परिवहन अधिकारी	ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी , एसपी
6	SAR (खोज और बचाव)	एसपी	अग्निशमन, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एसडीआरएफ (जब किसी भी आपदा की भयावहता इन प्रतिक्रिया एजेंसियों की क्षमता से परे हो; खोज और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की आवश्यकता हो सकती है)
7	आपातकालीन सार्वजनिक सूचना	उप विकास आयुक्त	DEOC/ पुलिस/परिवहन/वन
8	कानून और व्यवस्था / जन सुरक्षा	पुलिस अधीक्षक	पुलिस उपाधीक्षक, होमगार्ड कमांडेंट, गैर सरकारी संगठन, अर्ध-सैन्य और सशस्त्र बल
9	लोक कार्य	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई; पंचायत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , नगर निकाय, होमगार्ड, पुलिस
10	जन देखभाल/आपातकालीन सहायता/आश्रय	ज़िला शिक्षा अधिकारी	स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक, स्वास्थ्य, पीएचसी, राज्य परिवहन, जलापूर्ति, आरटीओ, हल्का कर्मचारी,
11	स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, मनो-सामाजिक देखभाल	सिविल सर्जन	अधीक्षक सरकारी अस्पताल, नगर निकाय , पीएचसी, सीएचसीएस, रेड क्रॉस, फायर ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा, गैर सरकारी संगठन, डॉक्टर, यूपीएचसी
12	पशु स्वास्थ्य और कल्याण	उप निदेशक, पशुपालन	पशु चिकित्सा निरीक्षक, गैर सरकारी संगठन
13	जलापूर्ति और स्वच्छता	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पीएचईडी, ज़िला स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय
14	बिजली	कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग	सहायक अभियंता, फ़िटर

क्र.	आपातकालीन प्रबंधन कार्य	कार्य लीड	कार्य अधिकारी/एजेंसियां
15	संसाधन प्रबंधन (भोजन और राहत आपूर्ति के साथ साथ अन्य रसद सहायता)	ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी	आरटीओ, डीएसओ, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र,

आपदा की तीव्रता एवं इसके प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए High Power Committee Report ने आपदाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

L-1 आपदा- इस श्रेणी के अंतर्गत वैसी आपदाएं आती हैं जिसे स्थानीय स्तर पर संबंधित ज़िला के द्वारा प्रबंध कर लिया जाता है। इस मामले में, जिला मजिस्ट्रेट इंसीडेंट कमांडर होंगे जो इंसीडेंट मैनेजमेंट टीम का गठन करेंगे। डीईओसी, नियंत्रण कक्ष और संचालन केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

L-2 आपदा- इस श्रेणी के अंतर्गत वैसी आपदाएं आती हैं जिसे स्थानीय स्तर से प्रबंध नहीं किया जा सकता और राज्य स्तर से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस मामले में, प्रधान सचिव, डीएमडी; इंसीडेंट कमांडर होंगे और एसईओसी नियंत्रण कक्ष और संचालन का केंद्र होगा।

L-3 आपदा- इस श्रेणी के अंतर्गत वैसी आपदाएं आती हैं जिसे राज्य स्तर से प्रबंध नहीं किया जा सकता और राष्ट्रीय स्तर से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में, मुख्य सचिव इंसीडेंट कमांडर होंगे और संकट प्रबंधन समूह/राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य आईएमटी का हिस्सा होंगे। SEOC नियंत्रण कक्ष और संचालन का केंद्र होगा।

आपदा के दौरान प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर कदम उठाना ज़रूरी हो जाता हैं:

1. ईओसी पर इकट्ठा होकर स्थिति का जायजा लेना
2. उच्च अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई पर निर्णय लेना (योजना)
3. खोज और बचाव के लिए आपातकालीन सहायता समूहों को जुटाना और भेजना
4. प्रतिक्रिया के लिए योजना और रणनीति बनाना
5. संसाधनों (सामग्री और मानव) को व्यवस्थित करना
6. संचालन प्रबंधन टीम का गठन कर जिम्मेदारियां तय करना
7. नुकसान का आकलन करना
8. घटना के बारे में विस्तार से उच्च अधिकारियों और मीडिया में जानकारी देना
9. राहत वितरण, आश्रय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की निगरानी करना
10. आवश्यक उपायों का समन्वय करना
11. निकासी की योजना (यदि आवश्यक हो)
12. सभी कार्यवाहियों, निर्णयों और घटनाओं का दस्तावेजीकरण करना

4.4 आपातकालीन सहायता समूह:

आपातकालीन सहायता कार्य (ईएसएफ) आपदा प्रतिक्रिया योजना की रीढ़ हैं और इसमें समर्पित तरीके से और मिशनरी उत्साह के साथ विशिष्ट सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किए गए व्यक्तियों के समूह शामिल होते हैं। इन टीमों को आपातकालीन सहायता समूह कहा जाता है। वे खतरे को कम करने के लिए सभी संभावित आवश्यक कदम उठाते हैं । ईएसएफ क्षति का आकलन कर नुकसान की मरम्मत तथा स्थिति को नियंत्रित करने के उपाय करता है । प्रत्येक ईएसएफ में सहायक विभागों का एक सेट होगा जो आपात स्थिति में और सामान्य समय में कार्यों को सम्पादित करेगा। निम्नलिखित ईएसएफ हैं:

4.4.1 संचार समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. बीएसएनएल और अन्य सेवा प्रदाता 2. आकाशवाणी/टेलीविजन 3. सैटेलाइट फोन, मोबाइल फोन सेवा प्रदाता 4. हैम रेडियो 5. पुलिस वायरलेस 6. FM रेडीयो	• संचार बहाल करने के लिए • EOCs, IMT को जोड़ने वाला आपातकालीन संचार प्रदान करने के लिए • समुदायों को संचार प्रदान करने के लिए • राज्य और जिले की सहायता के लिए संचार सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए • अस्थायी संचार आवश्यकताओं का समन्वय सुनिश्चित करने के लिए	• संचार प्रौद्योगिकियों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अद्यतन करना • EWS और संचार उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव • आपदा संबंधी व्यवस्थाओं के बीच संचार प्रणाली की आवधिक जांच • संचार प्रौद्योगिकियों पर ग्राम पंचायत ईओसी में प्रशिक्षण प्रदान करना

4.4.2 खोज एवं बचाव समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1) अग्निशमन विभाग 2) नागरिक सुरक्षा 3) SDRF/NDRF 4) नगर निगम 5) बीएमपी/पुलिस 6) सेना	• राहत और बचाव कार्य करना • राहत और बचाव कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना • निकासी योजना तैयार करना • शिविर कार्यालय के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना • पीड़ितों के लिए आश्रय, सुरक्षा, पीने का पानी और भोजन,	• राहत और बचाव कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव • टीम का फ़िटनेस बनाए रखना • जिला और नगर स्तर पर खोज और बचाव ऑपरेटरों की टीम तैयार करना

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
	आपातकालीन दवा आदि सुनिश्चित करना • बच्चों, महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों आदि की निकासी को प्राथमिकता देना।	• प्रशिक्षित जनशक्ति की एक सूची बना कर रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना

4.4.3 राहत और आश्रय समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. नगर निगम 2. अंचल कार्यालय 3. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 4. राज्य खाद्य निगम 5. भवन निर्माण विभाग 6. कॉर्पोरेट निकाय 7. स्वैच्छिक संगठन	• खाद्य सामग्रियों के तत्काल वितरण के लिए समुचित पैकेट तैयार करवाना • पेयजल की आपूर्ति को व्यवस्थित करना • आश्रय शिविर, रसोई शिविर लगाना, खाना पकाने, परोसने, धोने आदि के लिए स्वयंसेवकों को जुटाना। • खाद्यान्न और सब्जियों की आपूर्ति को व्यवस्थित करना • बचाए गए लोगों को राहत और आश्रय शिविरों में ले जाने के लिए स्थानीय युवाओं की टीमों को लगाना • पीड़ितों के नाम, गांवों, पंचायतों, प्रखंडों का रिकॉर्ड रखना • स्नानघर और शौचालय की व्यवस्था करना • बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों, विशेषकर परिवारों से बिछड़े लोगों का विशेष ध्यान रखना • राहत सामग्री प्राप्त करने, एकत्र करने, छांटने और वितरित करने के लिए आपदा राहत केंद्र स्थापित करना • पीड़ितों तक पहुंचने के लिए उचित आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित करना और अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करना	• जागरूकता पैदा करना और आपातकालीन जरूरतों के लिए खाद्यान्न बचाने की आदत को प्रेरित करना • प्रखंड स्तर पर कम से कम तीन दिनों के लिए चुड़ा और सत्तू जैसे तत्काल खाने का स्टॉक बनाए रखना

4.4.4 स्वास्थ्य और स्वच्छता समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. स्वास्थ्य विभाग 2. सरकारी और निजी अस्पताल 3. रेड क्रॉस सोसाइटी 4. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 5. नगर निगम 6. स्वैच्छिक निकाय	• उपकरण और दवाओं के स्टॉक का वितरण सुनिश्चित करना • प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने वाली टीम को संगठित करना • चिकित्सा कर्मियों की टीम बनाना और उनकी प्रतिनियुक्ति • आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन की व्यवस्था रखना • अविलम्ब चिकित्सा शिविर लगाने की तैयारी रखना • ट्रॉमा परामर्श डेस्क स्थापित करना • मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार करना • उपचारित रोगियों का रिकॉर्ड रखना • आश्रय शिविरों का दौरा करना और उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना और उसके लिए उचित व्यवस्था करना • आश्रय स्थल पर साफ़-सफाई की समुचित व्यवस्था करना • आश्रय स्थल पर महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना	• चिकित्सा किट/दवाओं की जांच, प्रतिस्थापन और रखरखाव • अद्यतन प्राथमिक चिकित्सा किट रखना और आपात स्थिति में उपयोग के लिए इसकी पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना • डॉक्टरों की सूची तैयार रखना • स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए नगर और सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षित करना • गंभीर रूप से घायलों की मदद करने और उन्हें ले जाने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना

4.4.5 पेयजल आपूर्ति समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग 2. नागरिक आपूर्ति 3. मिनरल वाटर निर्माता 4. कॉर्पोरेट निकाय	• पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्रोतों की पहचान करना और संदूषित होने पर समुचित उपचार करना • कुओं/तालाबों का उपचार कर उसका उपयोग बहाल करना • हैंडपंपों का उपचार कर उसका उपयोग बहाल करना	• आश्रय के चिन्हित क्षेत्रों में जोखिम प्रतिरोधी हैण्डपम्पों की स्थापना • आपात स्थिति के दौरान पानी की बोतलों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ कॉर्पोरेट के साथ अनुबंध कर के रखना • कुओं और हैंडपंपों के प्लेटफार्म को ऊंचा करना

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
5. दाता एजेंसियां 6. स्थानीय गैर सरकारी संगठन	• क्लोरीन गोलियों की पर्याप्त मात्रा में संग्रहण और उसका प्रावधान सुनिश्चित करना • आपातकालीन राहत के दौरान मिनरल वाटर की बोतलें वितरित करना	• समुदाय और घरों को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए वाटर प्यूरीफायर (टैबलेट) को अपने पास रखने के लिए प्रोत्साहित करना

4.4.6 बिजली आपूर्ति समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. ऊर्जा विभाग 2. बिजली बोर्ड 3. अपरंपरागत ऊर्जा विभाग 4. जेन-सेट आपूर्तिकर्ता	• जेनसेट आदि के लिए मरम्मत और रखरखाव किट का इंतज़ाम रखना • बिजली आपूर्ति लाइन की जांच कर निरंतर आपूर्ति बहाल करना • अस्पतालों, आश्रय शिविरों, रसोई शिविरों, ऑनसाइट ईओसी आदि को निरंतर बिजली आपूर्ति करना। • बिजली के वैकल्पिक स्रोतों को व्यवस्थित करना • जेन-सेट, डीजल, पेट्रोल, अतिरिक्त बैटरी आदि का इंतज़ाम करना • बैटरी चार्जर के साथ सोलर लैंप, पेट्रोमैक्स, मोमबत्तियां, टॉर्च आदि का स्टॉक बनाए रखना	• उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति को अद्यतन रखने के लिए बिजली बोर्ड के साथ बातचीत • आपातकालीन स्थिति में बिजली के संभावित स्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा विभाग के साथ बातचीत • जेन-सेट के आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार रखना • अतिरिक्त बैटरी चार्जर के साथ सोलर लैंप, पेट्रोमैक्स, मोमबत्तियां, टॉर्च आदि का स्टॉक बनाए रखना • आपात स्थिति के लिए मोमबत्ती, टॉर्च आदि का स्टॉक रखने के लिए समुदाय/घरों को बढ़ावा देना

4.4.7 यातायात संचालन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. परिवहन विभाग 2. ट्रैफ़िक पुलिस 3. परिवहन एजेंसियां 4. नाव के मालिक 5. एम्बुलेंस सेवा प्रदाता	• राहत और बचाव सामग्री के लिए परिवहन की व्यवस्था करना • सभी सहायता एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए उन्हें परिवहन सुविधाएं प्रदान करना • दुर्घटना साइट पर यातायात की आवाजाही को विनियमित करना • बीमार और घायलों के परिवहन की व्यवस्था करना	• परिवहन सुविधा प्रदाताओं की अद्यतन सूची तैयार रखना • एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं की अद्यतन सूची तैयार रखना • जिले में संवेदनशील क्षेत्रों के वैकल्पिक रोड मैप बना कर तैयार रखना • नाव मालिकों के फोन नंबर की अद्यतन सूची तैयार रखना

4.4.8 सार्वजनिक कार्य समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. लोक निर्माण विभाग 2. सड़क निर्माण विभाग 3. पुल निर्माण निगम	• सड़क संपर्क बहाल करना • जहां आवश्यक हो वहां अस्थायी पुलों का निर्माण करना • स्वास्थ्य केन्द्रों, विद्यालयों, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों की मरम्मत करना • किए गए निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण और निगरानी करना	• आपात स्थिति हेतु आवश्यक उपकरण और सामग्री का भंडारण • आपात स्थिति में सहायता के लिए निर्माण कंपनियों की सूची तैयार कर रखना • यदि आवश्यक हो तो उपकरण/ जनशक्ति /सामग्री उधार लेने की व्यवस्था करना

4.4.9 मलबा निस्तारण समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. नगर निगम 2. नागरिक सुरक्षा 3. होम गार्ड 4. स्काउट और गाइड 5. एन सी सी 6. एन वाई के	• मानव और पशुओं के शवों को हटाने/निपटान/दफन/जलाने के लिए स्वयंसेवकों को संगठित करना • पुनर्निर्माण के लिए भवन, पुल, सड़क आदि का मलबा हटाने के लिए स्थानीय बल को संगठित करना • विशेष रूप से चक्रवाती तूफान/भूकंप की घटनाओं के बाद पेड़ों को काटने और हटाने के लिए स्थानीय बल को संगठित करना	• गैस कटर, क्रेन जैसे उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना • व्यावसायिक वाहनों के मालिकों के फोन नंबरों की सूची तैयार करना • नगर निकाय के कामगारों को सूचीबद्ध करना और उन्हें एक टीम के रूप में काम करने के लिए तैयार करना • आपात स्थिति के दौरान समय पर प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए ऐसी टीमों के साथ नियमित बातचीत सुनिश्चित करना

4.4.10 सूचना प्रसार और हेल्प लाइन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 2. स्काउट्स एंड गाइड्स 3. मीडिया 4. कॉलेज और विश्वविद्यालय	• दुर्घटना साइट पर अधिकारियों से सही जानकारी इकट्ठा करना • बचाए गए व्यक्तियों की सूची तथा प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पूर्ण विवरण रखना • गुमशुदा व्यक्तियों की सूची अद्यतन करते रहना • मृतकों की संख्या और उनके स्थान अपडेट करना • टीमों और ईएसएफ की स्थिति का ट्रैकिंग रखना • जन संबोधन प्रणाली का उपयोग करना • एस्कॉर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें आपदा स्थल के पास रखना • छोटी पाली की अवधि में काम निर्धारित करना	• आघात में लोगों को संभालने के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण प्राप्त करना • संकट की स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मनोविज्ञान, जनसंपर्क, जनसंचार की व्यापक समझ विकसित करना

4.4.11 नुक़सान आकलन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. आपदा प्रबंधन विभाग 2. नगर निगम 3. शहरी विकास विभाग 4. लोक निर्माण विभाग	• नुकसान के आकलन का प्रारूप तैयार रखना • अति महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्टा करना (प्रभावित क्षेत्र, वार्ड, जनसंख्या, मानव जीवन की हानि, पशुधन की हानि, क्षतिग्रस्त संसाधनों की सूचि, क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना- सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल, सरकारी भवन, बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, इत्यादि • संश्लेषित मूल्यांकन	• त्वरित क्षति आकलन के लिए टूल्स और तकनीक विकसित करना • क्षति आकलन करने के लिए संबंधित लोगों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर उनका क्षमतावर्धन करना

4.4.12 डोनेसन मैनेजमेंट समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. आपदा प्रबंधन विभाग 2. नगर निगम 3. आपूर्ति विभाग 4. राज्य भंडारण निगम 5. सहकारिता विभाग	• आपदा राहत सहायता के लिए तीन तरह के शिविर लगाना: फंड, राहत, सेवाएं • नकद/चेक/ड्राफ्ट के लिए रसीदें आदि रखना • प्राप्त राहत सामग्री के भंडारण, पैकिंग, उसके उचित वितरण के लिए भंडारण केंद्र की पहचान करना • किसके साथ और कब भेजी गई आपूर्ति का रिकॉर्ड रखना • आवश्यक स्वयंसेवकों को तैनात करना और उनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना: भोजन, आराम, आदि। • एकत्र की गई राहत सामग्रियों को लाभुकों तक निर्धारित SOP के तहत पहुँचाना • वितरण में मानवीय गरिमा का ध्यान रखना	• गैर सरकारी संगठनों के काम के लिए मानव संसाधन और सामग्री प्रबंधन में अभिविन्यास प्रदान करना • स्वयंसेवकों को सामग्री प्रबंधन, पैकिंग और वितरण में प्रशिक्षित करें

4.4.13 मीडिया संचालन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 2. आपदा प्रबंधन विभाग	• प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समय-समय पर मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन • यथासंभव ग्राफिक और सांख्यिकीय विवरण प्रदान करना • राहत एवं बचाव कार्य की गुणवत्ता के आकलन के लिए निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा आश्रय, राहत और विभिन्न गतिविधि शिविरों में भ्रमण का आयोजन करना	• आपदा जागरूकता के लिए पर्चे, पोस्टर और संदर्भ सामग्रियाँ विकसित करना • आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में लोगों को शिक्षित करना

4.4.14 कानून और व्यवस्था प्रबंधन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. ज़िला प्रशासन 2. सिविल सोसाइटी	• महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा बलों की तैनाती • निगरानी रखने और आवश्यक आदेश देने के लिए एक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति • मोहल्ला या टोला समिति को सक्रिय बनाना	• आपदा के समय में क़ानून और व्यवस्था को बनाए रखने की मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करना • सुरक्षा बलों और स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय-5 : आपदापूर्व तैयारी के उपाय

किसी भी आपदा के न्यूनीकरण के लिए व्यापक आपदा तैयारी योजना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। आपदा प्रबंधन योजना में इस बारे में दिशानिर्देश दिए गए होते हैं कि आपदा के दौरान, पहले और बाद में किस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी योजनाएँ आपदा की स्थितियों में दिशा बोध कराती हैं और आपदा से होने वाले नुक़सान को कम करने में दिशा प्रदान करती हैं। आपदा तैयारी योजना का एकदम से तय रूपरेखा नही हो सकता और इसके अंदर पूरा लचीलापन होना चाहिए ताकि जिस नगर के लिए इसे बनाया गया हो वहाँ इसका सही उपयोग हो सके। आपदा की तैयारी की योजनाओं को तैयार करने में अलग-अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है और यह इस बात पर निर्भर करता है की योजना किस आपदा के लिए बनायी गयी है। इस अध्याय में आपदा पूर्व तैयारी को विभाग वार एवं आपदा वार बताया गया है।

5.1 विभिन्न विभागों / एजेन्सीयों के कार्य और उनकी भूमिका :

आपदा की तैयारी किसी अकेले विभाग या व्यक्ति की ज़िम्मदारी नही हो सकती है बल्कि यह विभिन्न विभाग एवं एजेन्सीयों के तालमेल और समन्वय से ही सम्भव है। दरभंगा नगर में आपदा की तैयारी के लिए विभिन्न विभागों की ज़िम्मेदारियों को नीचे दिए गए तालिक में दर्शाया गया है।

तालिका *21*: आपदा पूर्व तैयारी के संदर्भ में नगर निगम की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: नगर निगम		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	अन्तर-विभागीय/एजेन्सी से “नगर आपदा प्रबंधन योजना” का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना	ज़िला प्रशासन
2	“नगर आपदा प्रबंधन योजना” के अनुसार दरभंगा शहर का आकलन कर विभिन्न वार्डों का आपदा भेदयता (Vulnerability) श्रेणी बनाना	लाइन डिपार्टमेंट
3	“नगर आपदा प्रबंधन योजना” के सुझावों के आधार पर दरभंगा नगर के City Development Plan और नगर के विकास के लिए बनाए गए योजनाओं का पुनरावलोकन कर आपदा तैयारी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करना	DM-DDMA
4	नगर के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक जैसे तालाब, नाला, नदी, वेट लैंड और वन क्षेत्र में हुए बदलाव और अतिक्रमण की व्यापक समीक्षा कर पुनर्स्थापित करना।	जलवायु परिवर्तन पर्यावरण एवं वन विभाग, जल जीवन हरियाली मिशन, ज़िला प्रशासन

नोडल विभाग: नगर निगम		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
5	नगर में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आपदा प्रबंधन के on site और off site प्रावधानों का मूल्यांकन और "नगर आपदा प्रबंधन योजना" के साथ उनका जुड़ाव सुनिश्चित करना।	DM-DDMA और संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रबंधन
6	दरभंगा नगर निगम के द्वारा Resilience सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले संरचनात्मक और ग़ैर-संरचनात्मक उपायों हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधानों को सुनिश्चित करना।	योजना विभाग, वित्त विभाग, BSDMA
7	विभाग द्वारा तय आपदा से सुरक्षित मानक आधारित भवन निर्माण (सरकारी और निजी) सुनिश्चित करना जिससे भूकंप, बाढ़, आँधी तूफ़ान, अगलगी जैसी आपदाओं में क्षति को कम से कम किया जा सके। सुझाव है कि, नगर निकाय को इन मानकों के अनुसार बने बिल्डिंग में करों में विशेष रियायत देने की घोषणा करनी चाहिए।	DDMA, भवन निर्माण विभाग
8	नगर के सभी सरकारी एवं पुराने निजी भवनों का विभिन्न आपदाओं से होने वाले जोखिम को ध्यान में रखकर एक रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग और सेफ़्टी ऑडिट किया जाना चाहिए जिससे उनकी स्थिति का आकलन किया जा सके।	DDMA, भवन निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग
9	नगर में मौजूद सभी कार्यरत और पुराने भवनों का रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग और सेफ़्टी ऑडिट को केंद्र में रखकर रेट्रोफ़िटिंग किया जाना चाहिए या उसे ख़तरनाक घोषित कर ख़ाली कर देना चाहिए। इस कड़ी में सबसे पहले महत्वपूर्ण सरकारी भवनों जैसे विद्यालयों और अस्पतालों का रेट्रोफ़िटिंग किया जाना चाहिए।	DDMA, भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग
10	जल जमाव वाले क्षेत्रों की पहचान कर नगर निगम द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उचित समय पर उठा लिए जाने चाहिए: • पम्पिंग स्टेशन और उपलब्ध मोटरों का हर साल बरसात के पहले आकलन कर उसका मरम्मत कर लेनी चाहिए या नयी ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। • शहरी इलाक़ों में वैसे आश्रय स्थलों की पहचान कर लेनी चाहिए जहां आपदा की स्थिति में लोगों को रखा जा सके। • मानसून के पहले नगर के सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज की सफ़ाई करवा लेनी चाहिए।	DDMA
11	नगर में सीवरेज लाइन का कार्य प्रगति पर है, इसके अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए।	DDMA, लघु सिंचाई विभाग

नोडल विभाग: नगर निगम		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
12	नगर निगम के अंदर एक निगरानी सेल का गठन किया जाए जो यह सुनिश्चित करेगा कि बाढ़ रेखा या बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए दीवार के अंदर किसी भी तरह का भवन (सरकारी या निजी) निर्माण न हो।	DDMA, राजस्व एवं भूमि सुधार
13	"नगर आपदा प्रबंधन योजना" के आधार पर नगर निगम के कर्मचारियों, वार्ड सदस्यों, पदाधिकारियों के द्वारा ख़तरों का जोखिम आकलन, जोखिम को केंद्र में रखकर योजना तैयार करना और योजनाओं के अनुपालन के लिए उनका क्षमतावर्द्धन करना। इसके लिए मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कार्यशाला, प्रदर्शन, शैक्षणिक भ्रमण, निर्णय लेने में सहयोग करने वाले टूल्स के माध्यम से विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। • Community Disaster Response Team (CDRTs) का विभिन्न आपदा सम्बंधित SOPs, आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया पर प्रशिक्षण किया जाना। • भवन निर्माणकर्ता, अभियंता, आर्किटेक्ट और राज मिस्त्रियों का भवन निर्माण नियमावली, रेट्रोफ़िटिंग, और सिस्मिक ज़ोन आधारित भवन निर्माण कोड पर प्रशिक्षण किया जाना। इस संबंध में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची जिला प्रशासन के द्वारा प्रकाशित किया जाना। • यूथ क्लब के सदस्यों, कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, दुकानदारों और पुलिस कर्मियों को प्राथमिक उपचार, ट्रैफ़िक नियमों, कोहरा तथा अन्य विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षित ड्राइविंग, वाहन फ़िटनेस और रखरखाव के साथ-साथ दुर्घटना की स्थिति में ट्रॉमा सेंटर एवं पुलिस के साथ संवाद स्थापित करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ।	DDMA, अग्निशमन सेवा, SDRF, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग
14	"नगर आपदा प्रबंधन योजना" के अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संचार के उपयुक्त टूल (बैनर, पंप्लेट, फ़्लाइअर, AV स्पॉट, नुक्कड़ नाटक स्क्रिप्ट आदि) विकसित किया जाना चाहिए। जिन्हें TV,	DDMA, IPRD, BSDMA,

नोडल विभाग: नगर निगम		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
	Radio, समाचार पत्र के साथ-साथ स्कूल और कॉलेजों में होने वाले प्रदर्शनों का हिस्सा बनाना।	
15	"नगर आपदा प्रबंधन योजना" की हर साल समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उसमें अपेक्षित सुधार किया जा सके।	DDMA, लाइन विभाग

तालिका *22* : आपदा के पूर्व में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: आपदा प्रबंधन विभाग		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	नगर में बाढ़ एवं व्यापक जल जमाव की स्थिति में प्रभावित लोगों को बाहर निकालने के लिए नाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	परिवहन विभाग
2	नगर के सभी संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, अग्निकांड,आँधी-तूफ़ान, लू, शीत लहर, भगदड़ आदि के साथ साथ ट्रैफ़िक व्यवस्था, पूर्व सूचना आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना और नगर निगम को इन मानकों का अनुपालन हेतु प्रशिक्षित करना। जिसके लिए: • नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल • रियल टाइम ऑन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना • मानक संचालन प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों का समय-समय पर समीक्षा	नगर निगम, SDRF, BSDMA, CSOs
3	आपदा पूर्व चेतावनी को समुदाय के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना।	नगर निगम IPRD, CSOs
4	समुदाय, सिविल डिफ़ेंस और सिविल वेल्फ़ेयर एसोसीएशन के सक्रिय सहभागिता से वार्ड स्तर पर आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए Community Disaster Response Team (CDRTs) तैयार करना।	नगर निगम, CSOs,
5	आपदा की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मीडिया एवं सिविल सोसायटी संस्थाओं के साथ व्यापक संचार रणनीति तैयार करना।	नगर निगम, IPRD

तालिका 23 : आपदा पूर्व तैयारी के लिए अग्निशमन सेवा की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: अग्निशमन सेवा		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	- सभी सरकारी और महत्वपूर्ण निजी भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकास की योजना बनी होनी चाहिए। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं एवं विद्यालयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आवश्यकता है कि इससे संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। - अग्निकांड से निपटने के लिए उपयुक्त उपकरणों एवं संसाधनों की ससमय ख़रीदारी करना और उसे अग्निकांड के ख़तरे के संभावित जगहों पर स्थापित करना। - सभी सरकारी और निजी भवनों में आग से निपटने के लिए पानी, बालू और ज़रूरी रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। - अग्निकांड से सुरक्षा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए 15 मीटर ऊँचाई और 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रतिष्ठानो में वर्ष में कम से कम दो बार सेफ़्टी ड्रिल करना जिससे की गयी तैयारियों और आपातकालीन निकास की तैयारी का सही-सही आकलन किया जा सके।	नगर निगम

तालिका 24 : आपदा के पूर्व भवन निर्माण विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: भवन निर्माण विभाग		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	दरभंगा नगर निगम परिक्षेत्र में भूकम्प सुरक्षा क्लिनिक बनाना चाहिए ताकि भवन निर्माण के दौरान भूकम्प सुरक्षा से जुड़े संरचनात्मक एवं ग़ैर संरचनात्मक पहलुओं पर बेहतर समाधान दिया जा सके।	नगर निगम
2	दरभंगा नगर निगम में भूकंप आपदारोधी तकनीक के ऊपर भवन निर्माणकर्ता, अभियंता, आर्किटेक्ट और राज मिस्त्रियों का नियमित रूप से प्रशिक्षण का आयोजन करना	नगर निगम

तालिका 25 : आपदा के पूर्व परिवहन विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: परिवहन विभाग		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	ट्रैफ़िक नियमों का सही तरीक़े से अनुपालन कराना।	नगर निगम, ट्रैफ़िक थाना
2	हर मोड़ और चौराहे पर सिग्नल और साईनेज लगाना।	
3	महत्वपूर्ण स्थानो पर CCTV कैमरा लगवाना।	
4	वाहनों की सुरक्षा जाँच और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करवाना।	
5	लोगों को जागरुक करने के लिए “सड़क सुरक्षा सप्ताह” का आयोजन करना।	
6	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां सूचना पट लगाना।	

तालिका 26 : आपदा के पूर्व स्वास्थ्य विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: स्वास्थ्य विभाग		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	निजी अस्पतालों को नज़दीकी पुलिस थाना से टैग करना ताकि दुर्घटना उपरांत पीड़ित को जल्द से जल्द उपचार उपलब्ध कराया जा सके।	नगर थाना, DDMA
2	दुर्घटना उपरांत पीड़ितों को अविलंब अस्पताल पहुँचाने के लिए जीवन रक्षक साधनों से सुसज्जित आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।	DDMA
3	नगर के प्रमुख अस्पतालों में दुर्घटना उपरांत पीड़ितों को तुरंत चिकित्सीय सहायता देने की 24X7 की तैयारी रखना। सभी चिन्हित अस्पतालों में आपदा की तैयारी के रूप में अतिरिक्त बेडों के साथ सभी आवश्यक उपकरणों और दवाओं की व्यवस्था करना।	DDMA
4	किसी भी आपदा के समय मौक़े पर राहत पहुंचाने के लिए चलित अस्पताल की व्यवस्था करना।	नगर निगम
5	आपदा की स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए CSOs और सिविल डिफ़ेंस के साथ समन्वय रखना।	DDMA, CSOs

तालिका 27 : आपदा के पूर्व समेकित बाल विकास विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: समेकित बाल विकास सेवाएँ		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	आपदा के दौरान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं जैसे टीकाकरण, पूरक पोषाहार आदि को जारी रखने के लिए आवश्यक तैयारी रखना।	नगर निगम, CSOs
2	आपदा शिविरों में रह रहे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ICDS का एक प्रतिनिधि आपदा राहत शिविर में प्रतिनियुक्ति करना ।	नगर निगम, CSOs

5.2 आपदावार विभिन्न एजेंसियों/ विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारी

तालिका *28 :* आपदावार विभिन्न एजेंसियों/ विभागों द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी

आपदा	एजेन्सी/ विभाग	तैयारी
भूकम्प	DDMA, SDRF	• मॉक ड्रिल, • समुदाय का संवेदीकरण, • संवेदनशील जगहों की पहचान, • योजना बनाना
	DDMA	• योजना को आख़िरी रूप देना • विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करवाना
	शिक्षा विभाग	• सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का आयोजन करना • बच्चों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना
	भवन निर्माण	• अभियंताओं, आर्किटेक्ट एवं राज मिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षित करना • पुराने भवनों (सरकारी तथा निजी) का RVS कर रेट्रोफ़िट्टिंग के लिए सुझाव देना
	नगर निगम	• किसी भी सम्भावित भूकम्प के लिए कार्ययोजना तैयार रखना • सभी हितभगियों को भूकम्प की तैयारी के संबंध में प्रशिक्षित करना • भवन निर्माण का आकलन कर पुराने मकानों को रेट्रोफ़िट करवाना और जर्जर मकानों को ख़ाली करना या ध्वस्त करना • नए भवनों के निर्माण में भूकम्प रोधी मनकों का अनुपालन करवाना • नए बिल्डर, निर्माणकर्ता और इस्टेट डेवलपर का निबंधन व विनियमन करने वाले विभागों के कर्मचारियों का उन्मुखीकरण
	स्वास्थ्य विभाग	• निजी अस्पतालों को नज़दीकी पुलिस थाना से टैग करना • दुर्घटना उपरांत पीड़ितों को अविलंब अस्पताल पहुँचाना • जीवन रक्षक साधनों से सुसज्जित आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। • नगर के प्रमुख अस्पतालों में 24X7 चिकित्सीय सहायता • सभी चिन्हित अस्पतालों में आपदा की तैयारी के रूप में अतिरिक्त बेडों के साथ सभी आवश्यक उपकरणों और दवाओं की व्यवस्था करना। • किसी भी आपदा के समय मौक़े पर राहत पहुंचाने के लिए चलित अस्पताल की व्यवस्था करना। • आपदा की स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए CSOs और ब्लड बैंक के साथ समन्वय रखना।

आपदा	एजेन्सी/ विभाग	तैयारी
जल जमाव/ शहरी बाढ़	नगर निगम	• प्रभावी क्षेत्र से जमे हुए पानी को निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में मोटर पम्प की व्यवस्था रखना • मानसून से पहले सभी नालों का उड़ाही करना • संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फ़ॉगिंग की पर्याप्त व्यवस्था रखना • मानव एवं पशु हेतु सभी आधारभूत सुविधा युक्त ऊंचाई पर स्थित शरण स्थल को चिन्हित कर रखना • गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक जीवन रक्षक सामग्री जैसे जीवन रक्षक जैकेट, फ्लोटिंग रिंग, रस्सी एवं नाव की खरीदारी एवं भंडारण • कंट्रोल रूम की स्थापना तथा संचालन प्रक्रिया का निर्धारण • नगर के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक जैसे तालाब, नाला, नदी, वेट लैंड और वन क्षेत्र में हुए बदलाव और अतिक्रमण की व्यापक समीक्षा कर पुनर्स्थापित करना।
	ICDS	• आपदा के दौरान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं जैसे टीकाकरण, पूरक पोषाहार आदि को जारी रखने के लिए आवश्यक तैयारी रखना। • आपदा शिविरों में रह रहे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ICDS का एक प्रतिनिधि आपदा राहत शिविर में प्रतिनियुक्त करना ।
	स्वास्थ्य विभाग	• प्रभावितों को सतत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलंत अस्पताल हमेशा तैयार रखना तथा मोबाइल यूनिट का गठन करना • नगर में मौजूद सभी निजी चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सूची बनाकर आपदा की स्थिति में बेहतर व प्रभावी काम करने हेतु समन्वय करना • आपदा के समय सभी सरकारी तथा निजी एंबुलेंस सेवा की उपलब्धता तथा संचालन की तैयारी रखना
	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	• प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की तैयारी रखना • आपदा राहत शिविरों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की तैयारी रखना
	ज़िला आपूर्ति विभाग	• राहत सामग्री के पैकेट के वितरण की तैयारी रखना • आपदा शिविरों में भोजन की व्यवस्था के लिए समुचित अनाज का भंडारण

आपदा	एजेन्सी/ विभाग	तैयारी
अगलगी	अग्निशमन	• नगर और ज़िला प्रशासन के समन्वय से अगलगी के संबंध में समुदाय के बीच व्यापक जन जागरूकता एवं मॉक ड्रिल • हॉट स्पॉट की पहचान कर गर्मी के मौसम में फ़ायर टेंडर का पूर्व नियोजन • अग्निशमन कर्मियों के बचाव हेतु अग्निशमन किट की व्यवस्था • पुलिस और ट्रैफ़िक के साथ समन्वय तंत्र बनाना ताकि अगलगी स्थल तक अग्निशमन गाड़ियों को यथाशीघ्र पहुँचाया जा सके • सभी निजी एवं सरकारी भवन जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से ज़्यादा हो, उनकी नियमित रूप से Fire Audit करना
	नगर निगम	• जोखिम सम्भावित क्षेत्र के समीप वाटर टैंक, Hydrant और अन्य जल स्रोतों की मैपिंग • अगलगी के सम्बंध में जन जागरूकता एवं मॉक ड्रिल
	भवन निर्माण	• बड़े भवनों में मानक अनुसार जल स्रोत और Hydrant की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना • बड़े भवनों में वैकल्पिक सीढ़ियों एवं निकास की व्यवस्था
	स्वास्थ्य विभाग	• सभी प्रमुख अस्पतालों में बर्न वार्ड की वयवस्था एवं अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	• 'हर घर नल का जल' योजना के अंतर्गत सभी योजना में Hydrant के साथ साथ fire tender के लिए attachment की व्यवस्था सुनिश्चित करना
सड़क दुर्घटना	परिवहन विभाग	• ड्राइविंग लाइसेन्स देने से पूर्व सभी आवेदनकर्ताओं के लिए ट्रैफ़िक नियमों, संकेतों और ट्रैफ़िक अनुकूल व्यवहार के अनुपालन की वैधता सुनिश्चित कराना • वाहनों के फ़िट्नेस को बनाए रखने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम करना
	ट्रैफ़िक पुलिस	• सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों से ट्रैफ़िक नियमों एवं संकेतों का पालन करवाना • दुर्घटना की स्थिति में नज़दीकी अस्पताल से संपर्क कर घायल व्यक्तियों का इलाज सुनिश्चहित करवाना
	नगर निगम	• नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य उच्च पथ से लगने वाले क्षेत्रों में NHAI और परिवहन विभाग के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाना, सड़क सुरक्षा से संबंधित होर्डिंग्स लगवाना तथा नगर के अस्पतालों को आपात स्थिति से निपटने के लिए सचेत एवं सतर्क रखना

आपदा	एजेन्सी/ विभाग	तैयारी
लू , शीत लहर, ठनका	ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• आकस्मिक संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना • Now Cast मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना • मौसम के पूर्वानुमान के सटीक जानकारी उपलब्ध कराने वाले विभिन्न मोबाइल ऐप INDRAVAJRA, DAMINI, RAIN ALARM, MAUSAM, UMANG, और MEGHDOOT के बारे में समुदाय को जागरूक करना और उसे डाउनलोड करने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। • शीत लहर और लू से बचाव के लिए एडवाईज़री जारी करना
	नगर निगम	• शीत लहर से बचने के लिए अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण करवाना • शहर के चिन्हित जगहों पर अलाव की व्यवस्था • गर्मी के दिनों में चिन्हित जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय-6 : क्षमता निर्माण: प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता

दरभंगा नगर के प्रमुख हितधारकों को आपदा प्रबंधन के संदर्भ में समुदाय से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न भूमिकाएँ निभानी होती हैं। प्रमुख हितधारकों के अलावा सुनियोजित नगर आपदा प्रबंधन योजना के लिए सजग और जागरूक समुदाय एक महत्वपूर्ण घटक हैं। नगर आपदा प्रबंधन योजना में प्रावधानित कार्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए योजना में वर्णित सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सभी हितधारकों और समुदाय का क्षमता निर्माण कर के हम Resilient City की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।

आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण का आकलन करते समय, यह महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी परंपराएं; और स्थानीय रूप से आपदा प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और सामग्रियों पर विचार किया जाए और उन्हें यथोचित तरीक़े से आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया जाए। किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय समुदाय सबसे पहले आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता होते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में समुदाय के द्वारा उठाए गए आरम्भिक कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यही आरम्भिक उपाय संस्थागत मदद पहुँचने में हुई देरी के कारण होने वाले नुक़सान को कम कर सकते हैं। क्षमता निर्माण का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और समुदायों दोनों के कौशल, दक्षताओं और क्षमताओं को विकसित करना और मजबूत करना है ताकि आपदाओं के दौरान और बाद में उनके वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें, साथ ही साथ खतरनाक घटनाओं को आपदा बनने से रोका जा सके। स्थानीय समुदाय को प्रक्रिया और समाधान का हिस्सा बनाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि स्थानीय उपायों के साथ आपदा शमन के सकारात्मक उपायों को लागू किया जा सके। क्षमता निर्माण योजना एवं जागरूकता योजना नगर में किए गए HRVCA और योजना के अनुसार हितधारकों को सौंपी गई कार्यात्मक जिम्मेदारियों के आधार पर बनाया गया है ।

6.1 संस्थागत क्षमता का विकास

संस्थागत क्षमता का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। समुदाय के बाद आपदा पर सबसे पहली प्रतिक्रिया स्थानीय संस्थाओं से आती है। संस्थागत क्षमतावर्धन आपदा की तैयारी और उससे निपटने के हर पहलू पर समझ विकसित करती है और राहत व बचाव कार्यों को सही दिशा देती है।

तालिका *29 :* नगर विकास विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: नगर विकास और आवास विभाग/ ULB		
विभाग	**मुख्य कार्य**	**प्रशिक्षण के विषय**
नगर निगम	"नगर आपदा प्रबंधन योजना" का बेहतर अनुपालन	• Resilient City Programme • बिहार DRR रोड मैप 2015-30 • आपदा प्रबंधन पर समझ विकसित करना
	नगर के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा	• वायु प्रदूषण, पर्यावरणीय बदलाव और आपदा • दरभंगा नगर का पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र • पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर बनाने के कदम
	औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आपदा प्रबंधन के on site और off site प्रावधानों का मूल्यांकन	• मानव निर्मित आपदा • औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आपदा का प्रबंधन • औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आपदा प्रबंधन के मानक
	आपदा से सुरक्षित मानक आधारित भवन निर्माण (सरकारी और निजी) सुनिश्चित करवाना	• भूकंपरोधी भवनों का निर्माण कैसे करें • रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग और सेफ़्टी ऑडिट • इंजीनियर, आर्किटेक्ट, राजमिस्त्रीयों का कार्यरत और पुराने भवनों के लिए रेट्रोफ़िटिंग
	जल जमाव के प्रबंधन के लिए योजना का अनुपालन	• सीवरेज लाइन पर समझ विकसित करना • सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन एवं रख रखाव पर समझ विकसित करना
	निगरानी सेल का गठन (टास्क फ़ोर्स)	• आपदा प्रवण क्षेत्रों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए विभागीय कनवरजेंस • आपदा भेद्यता की समझ
	विभिन्न हितधारकों का क्षमतावर्धन करना	• आपदा प्रबंधन में नगर निगम एवं अन्य हितधारकों की भूमिका • सामुदायिक लामबंदी
	सामुदायिक जागरूकता अभियान	• सामाजिक व्यवहार परिवर्तन

तालिका *30 :* ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. "Resilient City Programme" के बेहतर अनुपालन में सहयोग	• Resilient City Programme • सेंडई फ़्रेमवर्क • बिहार DRR रोड मैप 2015-30 • Resilient city के लिए उठाए गए कदमों के विभिन्न चरणों की समझ • प्रधानमंत्री दस सूत्री एजेंडा
2. नगर में बाढ़ एवं व्यापक जल जमाव की स्थिति में प्रभावित लोगों को बाहर निकालने एवं राहत शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	• बाढ़ पूर्व तैयारियों की SOP • सुरक्षित निकास की SOP • राहत और बचाव की SOP • बाढ़ राहत शिविर के मानक और रख रखाव • विभिन्न विभागों से समन्वय
3. नगर के सभी संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, आगज़नी, आँधी-तूफ़ान, लू, शीत लहर, भगदड़ आदि के साथ-साथ ट्रैफ़िक व्यवस्था, पूर्व सूचना आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना और नगर निगम को इन मानकों का अनुपालन हेतु प्रशिक्षित करना। जिसके लिए: ○ नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल, ○ रियल टाइम ऑन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना, ○ मानक संचालन प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों का समय-समय पर समीक्षा करना	• Early warning system पर समझ, महत्व और अनुपालन • मॉक ड्रिल के लिए प्रशिक्षकों की पहचान और उनका TOT • अनुश्रवण व्यवस्था • आपदा के दौरान सूचना प्रणाली को कार्यशील रखना
4. समुदाय, स्वयं सेवकों और सिविल वेल्फ़ेयर एसोसीएशन की सक्रिय सहभागिता से वार्ड स्तर पर आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए Community Disaster Response Team (CDRTs) तैयार करना।	• वार्ड स्तर पर आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया में सामुदायिक सहभागिता और Community Disaster Response Team (CDRTs) का महत्व • Community Disaster Response Team (CDRTs) का गठन एवं उनका क्षमतावर्द्धन
5. आपदा की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मीडिया एवं सिविल सोसायटी संस्थाओं के साथ व्यापक संचार रणनीति तैयार करना।	• मीडिया को आपदा के विषय पर संवेदित करना • मीडिया एवं सिविल सोसायटी संस्थाओं को आपदा के दौरान संचार रणनीति एवं उसकी संवेदनशीलता

नोडल विभाग: ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
6. विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर टूटे सड़कों, घाटों एवं तटबंधों का मरम्मत सुनिश्चित करवाना। 7. संभावित आपदा के जगहों की पहचान कर अस्थायी बैरिकेड लगवाना। 8. आपातकालीन निकास के जगहों पर स्पष्ट निर्देश लगवाना। 9. जिन जगहों पर भगदड़ हो सकती है उन जगहों पर पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था करना। 10. समय समय पर आपदा को लेकर आवश्यक एडवाइज़री जारी करना। 11. नगर के आम जनों तक आपदा की तैयारी और उससे निपटने के उपायों को लेकर विभिन्न लाइन विभागों और CSOs के साथ मिलकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाना। 12. CDRTs (Community Disaster Response Team) के साथ समन्वय बनाना और उसका नियमित अंतराल पर क्षमतावर्धन करते रहना।	• विभागों से समन्वय स्थापित करने पर प्रशिक्षण • विभिन्न विभागों का आपदा के समय ज़िम्मेदारियों पर समझ बनाना • समुदाय और सामुदायिक संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर प्रशिक्षण

तालिका *31* : अग्निशमन सेवा विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: अग्निशमन सेवा	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. सभी सरकारी और निजी भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकास की योजना बनी होनी चाहिए। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्कूलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2. आगज़नी से निपटने के लिए उपयुक्त उपकरणों एवं संसाधनों की ससमय ख़रीदारी करना और उसे आगज़नी के ख़तरे के संभावित जगहों पर स्थापित करना। 3. सभी सरकारी और निजी भवनों में आग से निपटने के लिए पानी, बालू और ज़रूरी रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। 4. आगज़नी से सुरक्षा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए नियमित रूप से सेफ़्टी ड्रिल करना जिससे की गयी तैयारियों और आपातकालीन निकास की तैयारी का सही-सही आकलन किया जा सके। 5. “अग्नि सुरक्षा जागरूकता सप्ताह” का आयोजन करना।	• अग्निशमन SOP • विभिन्न संस्थानो को fire सेफ़्टी ऑडिट कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रशिक्षण • अग्नि सुरक्षा उपाय अपनाने के प्रति जागरूकता • अग्नि सुरक्षा पर चलाए जाने वाले अभियानों पर प्रशिक्षण • NOC प्राप्त करने के दिशानिर्देश पर प्रशिक्षण

तालिका 32: भवन निर्माण विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: भवन निर्माण विभाग	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. दरभंगा नगर निगम परिक्षेत्र में भूकम्प सुरक्षा क्लिनिक बनाना चाहिए ताकि भवन निर्माण के दौरान भूकम्प सुरक्षा से जुड़े संरचनात्मक एवं ग़ैर संरचनात्मक पहलुओं पर बेहतर समाधान दिया जा सके। 2. दरभंगा नगर निगम में आपदारोधी तकनीक के ऊपर भवन निर्माणकर्ता, अभियंता, आर्किटेक्ट और राज मिस्त्रियों के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना।	• आपदारोधी भवन निर्माण तकनीक के SOP के ऊपर प्रशिक्षण • भवनों के सुरक्षा ऑडिट पर प्रशिक्षण • RVS और रेट्रोफिटिंग के संबंध में जानकारी और जागरूकता

तालिका 33 : परिवहन विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: परिवहन विभाग	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. ट्रैफ़िक नियमों का सही तरीक़े से अनुपालन कराना। 2. हर मोड़ और चौराहों पर सिग्नल और साईनेज लगाना। 3. महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरा लगवाना। 4. वहनों की सुरक्षा जाँच और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करवाना। 5. लोगों को जागरुक करने के लिए “सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह” का आयोजन करना। 6. दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों एवं Black Spot की पहचान कर सूचना पट लगाना।	• रोड सेफ़्टी SOP पर TOT प्रशिक्षण • समुदाय को सड़क सुरक्षा नियमों और कानूनों की जानकारी • सडक सुरक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्हों के संबंध में • गुड सेमेरिटन और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने संबंधी • सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के संबंध में

तालिका 34 : स्वास्थ्य विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: स्वास्थ्य विभाग	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. निजी अस्पतालों को नज़दीकी पुलिस थाना से टैग करना ताकि दुर्घटना उपरांत पीड़ित का जल्द से जल्द उपचार किया जाए। 2. दुर्घटना उपरांत पीड़ितों को अविलंब अस्पताल पहुँचाने के लिए जीवन रक्षक साधनों से सुसज्जित आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। 3. किसी भी आपदा के समय मौक़े पर राहत पहुँचाने के लिए चलित अस्पताल की व्यवस्था करना। 4. आपदा की स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए CSOs और ब्लड बैंक के साथ समन्वय रखना।	• आपदा के दौरान आने वाले मरीज़ों के इलाज शुरू करने एवं प्रबंधन के ऊपर प्रशिक्षण • आपदा के दौरान आए गंभीर मरीज़ों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज और रेफेरल के प्रोटोकोल पर प्रशिक्षण • प्राथमिक उपचार के संबंध में

तालिका 35 : समेकित बाल विकास विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: समेकित बाल विकास सेवाएँ	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. आपदा के दौरान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं जैसे टीकाकरण, पूरक पोषाहार आदि को जारी रखने के लिए आवश्यक तैयारी रखना। 2. आपदा शिविरों में रह रहे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ICDS का एक प्रतिनिधि आपदा शिविर में प्रतिनियुक्त करना ।	• आपदा के दौरान निर्बाध सेवा कैसे जारी रखे पर प्रशिक्षण • आपदा के दौरान राहत शिविरों में सभी संवेदनशील की सुरक्षा और देखभाल से संबंधित

6.2 समुदाय/सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता का विकास

आपदा के दौरान समुदाय और सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। समुदाय की सक्रिय सहभागिता के बिना आपदा से संबंधित सही व समय पर जानकारी या अन्य राहत कार्य की पहुंच सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।

तालिका 36 : सामुदायिक संस्थाओं के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

सामुदायिक संस्थाओं का प्रशिक्षण		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**प्रशिक्षण के विषय**
1	सम्भावित आपदा के लिए समुदाय को तैयार, जागरूक एवं सतर्क करना	• आपदा की तैयारी में स्थानीय संसाधनों के उपयोग का महत्व • आपदा से निपटने के लिए समुदाय की भागीदारी • प्राथमिक चिकित्सा
2	आपदा के दौरान प्रथम सम्पर्क के रूप में काम करना	
3	राहत और बचाव कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए संबंधित विभागों को जानकारी मुहैया कराना	

प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं की प्रवृति निरंतर बाढ़ रही है लेकिन अपनी सीमित क्षमता के कारण अक्सर इनके प्रभावों से निपटने में समुदाय एवं संस्थाएँ ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं। संस्थागत क्षमता को मजबूत करने में बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद यह एक चुनौती बना हुआ है। विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आपदा प्रबंधन और जोखिम में कमी के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण किया जा सकता है। इस सोच के पीछे यह विचार है कि आपदा से निपटने में कुछ संस्थाओं की भूमिका दूसरे की तुलना में अधिक होती है और इस संस्थाओं की क्षमता और प्रभावशीलता, प्रशिक्षण और मानक संचालन प्रक्रिया कहीं अधिक होती है। ऐसे महत्वपूर्ण विभागों/ संस्थाओं के संस्थागत क्षमता निर्माण पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

1. लाईन विभाग (शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भवन निर्माण विभाग आदि)
2. नीति निर्माता (कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका)
3. ज्ञान प्रबंधन से जुड़े संस्थान

4. आँकड़ा संग्रहण से जुड़े संस्थान
5. शैक्षणिक संस्थानें
6. राहत कार्यों से जुड़ी संस्थाएँ

तालिका 37 : मुख्य हितधारकों की आपदा तैयारी व क्षमतावर्द्धन पर प्रशिक्षण

क्र.	गतिविधि	ज़िम्मेदारी
1	खोज और बचाव के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों पर होमगार्ड कर्मियों का प्रशिक्षण	पुलिस विभाग, DDMA
2	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में एनसीसी और एनएसएस कर्मियों को प्रशिक्षण	NCC निदेशालय
3	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मियों को प्रशिक्षण	शिक्षा विभाग और DDMA
4	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में नागरिक समाज, सीबीओ और कॉर्पोरेट संस्थाओं को प्रशिक्षण	DDMA, रेड क्रॉस, स्वयं सेवी संस्थाएँ
5	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण	अग्नि शमन विभाग
6	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में पुलिस और यातायात कर्मियों को प्रशिक्षण	पुलिस विभाग, यातायात, DDMA
7	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षण	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ; DDMA
8	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में सरकारी अधिकारीयों को प्रशिक्षण	DDMA
9	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में इंजीनियरों, वास्तुकारों, संरचनात्मक इंजीनियरों, बिल्डरों और राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण	लोक कार्य विभाग; DDMA

6.3 जन जागरूकता

आपदा जोखिम प्रबंधन में विशेष रूप से शमन, रोकथाम और तैयारी के उपायों में समुदाय की विशेष भागीदारी होती है। सामुदायिक भागीदारी मुख्य रूप से आपदा से उत्पन्न होने वाले ख़तरों और उससे निपटने की तैयारी के प्रति जागरूकता पर निर्भर करती है। आपदा प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जागरूक बनाना ज़रूरी हो जाता है।

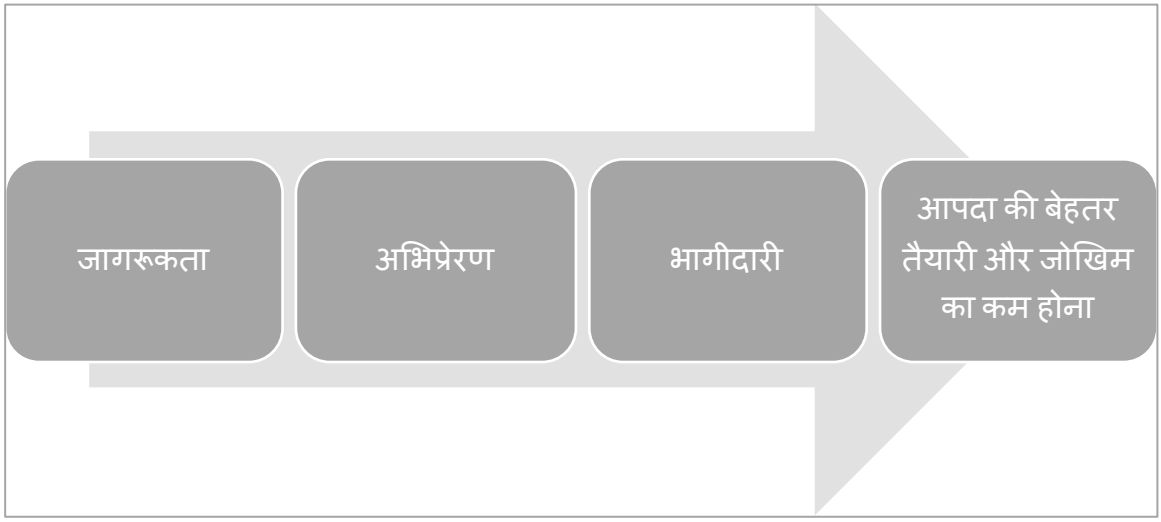

चित्र *16* जागरूकता के चरण

सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयास किया जा सकता है:

1. गैर-सरकारी संगठनों और CBO के माध्यम से खतरों, प्रभावों आदि पर केंद्रित करते हुए अभियान।
2. कठपुतली शो, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से प्रदर्शन ।
3. क्या करें और क्या न करें सहित मल्टी-मोड इंगेज़मेंट
4. छोटे समूह की बैठकों, फोकस समूह चर्चाओं, स्वयं सहायता समूह की बैठकों, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं, सामुदायिक और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक, शिक्षकों की बैठक आदि के माध्यम से सीखने का तरीका।
5. संस्थागत स्तर पर राज्य के भीतर और बाहर आपदा प्रभावित स्थलों का दौरा कर जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा सकता है। समुदायों और विशेष रूप से पीड़ितों के साथ सीधे संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए नगर निकाय, स्थानीय सीबीओ, गैर सरकारी संगठनों आदि को आपदा के जोखिम कम करने के लिए उनके संगठित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना ज़रूरी है ।

आपदा तैयारी के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्य गतिविधियाँ:

तालिका *38 :* आपदा की तैयारी में संचार

क्र.	विषय	गतिविधियाँ	ज़िम्मेदारी
1	सूचना	विज्ञापन, होर्डिंग, पुस्तिकाएं, पत्रक, बैनर, प्रदर्शन, लोक नृत्य और संगीत, नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनी, टीवी स्पॉट और रेडियो स्पॉट, ऑडियो-विजुअल और वृत्तचित्र	सूचना और जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी); जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम
2	शिक्षा	विद्यालयों में आपदा के विभिन्न विषयों पर जानकारी और जागरूकता अभियान और मॉक ड्रिल।	शिक्षा विभाग, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम
3	संचार	हितधारक के अनुसार विशिष्ट संचार योजना बनाना	सूचना और जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी); जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ज़िला पदाधिकारी, नगर निगम

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय - 7: आपदा से निपटने के लिए मोचन योजना

आपदा प्रतिक्रिया योजना सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करने, संपत्ति के नुकसान को कम करने और सार्वजनिक जीवन की रक्षा करने को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। प्रतिक्रिया योजना में योजनाओं, प्रक्रियाओं और सहयोग कार्यों के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों को शामिल किया गया है । नगर आपदा प्रतिक्रिया योजना का उपयोग ज़िले के लाइन विभागों द्वारा आगे विकसित की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए रूपरेखा भी प्रदान करेगी। बहु-राज्यीय आपदाओं की स्थिति में संसाधनों का इष्टतम उपयोग और राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है।

7.1 आपदा मोचन योजना:

इस आपदा मोचन योजना में स्थानीय स्तर पर आपदाओं के लिए प्रत्युत्तर कार्य का निर्धारण किया जाना है। इस संबंध में आपदा की तीव्रता निर्धारण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। आपदा मोचन के कमान अधिकारी भी जिलाधिकारी होते हैं। उनके निर्देशन तथा नेतृत्व में सभी हितधारकों को काम करना होता है।

आपदा के समय सामान्यतया जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में नगर निगम वे सभी कार्य संपन्न करेगा जो इनको सौंपा जाएगा या स्वीकृत जिला आपदा प्रबंधन योजना में नगर निगम के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो। इस दायरे में नगर आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा आपदा मोचन के सभी कार्य किए जाएंगे, इसके लिए सर्वप्रथम नगर निगम के प्रशासनिक ढाँचे को समझना ज़रूरी है ।

नगर निगम, दरभंगा की शासन संरचना को दो विंगों में विभाजित किया गया है:

1. निर्वाचित विंग एवं **2.** प्रशासनिक विंग

कार्य-संचालन व्यवस्था: बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 के तहत विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए नगर निगम मुख्यालय, दरभंगा में आवश्यक 19 अनुभाग हैं:

लेकिन आपदा मोचन हेतु नगर में ज़िला आपदा प्रबंधन समिति के नियंत्रणाधीन नगर स्तर पर एक त्वरित प्रत्युत्तर दल काम करेगा जिसका स्वरूप निम्नवत होगा:

- नगर आयुक्त-अध्यक्ष
- उप नगर आयुक्त-उपाध्यक्ष
- कार्यपालक अभियंता नगर विकास एवं आवास प्रमंडल- सदस्य
- मुख्य सफ़ाई निरीक्षक- सदस्य
- विद्युत पर्यवेक्षक- सदस्य

आपदा मोचन योजना में निम्न महत्वपूर्ण घटक हैं

7.3 नगर नियंत्रण कक्ष

दरभंगा नगर निगम की आपदा प्रबंधन गतिविधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम कार्यालय में एक आपदा संचालन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

- आपदा प्रबंधन टीमों के गठन में पूर्व चेतावनी, खोज और बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा, जल और स्वच्छता, आश्रय प्रबंधन, आघात परामर्श और क्षति आकलन के लिए प्रत्येक कार्य आधारित उप-टीम होनी चाहिए।
- सार्वजनिक डोमेन और कर्मचारी लॉगिन के साथ आपदा प्रबंधन पर एक समर्पित वेबसाइट विभिन्न हितधारकों की जागरूकता और क्षमता निर्माण करने के लिए ज़रूरी है। यह वेबसाइट आगे चलकर दरभंगा नगर निगम के विभिन्न वार्डों की सामुदायिक प्रतिक्रिया टीमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- नगर नियंत्रण कक्ष को एक टोल फ़्री नम्बर जारी करना चाहिए और इस नम्बर को वृहद् रूप से प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए।
- नगर नियंत्रण कक्ष और राज्य इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के साथ-साथ अन्य स्थानीय स्तर के अधिकारियों के साथ संवाद करने के लिए अत्याधुनिक आपातकालीन संचार उपकरणों के साथ मजबूत रखना चाहिए।
- जिला मुख्यालय दरभंगा में एक पूर्ण सुसज्जित आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) उपलब्ध है, जिसे नगर नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय रखना चाहिए।
- नगर नियंत्रण कक्ष में एक आपदा प्रतिक्रिया कॉल सेंटर स्थापित की जानी चाहिए जिसमें फोन पर रिवर्स इमरजेंसी कॉल करने और एसएमएस संदेश भेजने की भी सुविधा हो ।

सामान्य समय में नगर नियंत्रण कक्ष द्वारा निम्न कार्यों का सम्पादन किया जाना है-

- यह सुनिश्चित करना कि सभी चेतावनी और संचार प्रणाली सही ढंग से काम कर रहे हैं।
- विभिन्न वार्डों में आपदा की तैयारी को लेकर नियमित आधार पर जानकारी प्राप्त करते रहना।
- संबंधित जिला स्तरीय विभागों और अन्य विभागों से प्रारूपों के अनुसार आपदा की तैयारियों पर रिपोर्ट प्राप्त करना और इन रिपोर्टों के आधार पर, नगर नियंत्रण कक्ष द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन को राज्य नियंत्रण कक्ष को अग्रेषित करना।
- नगर में बदलते परिदृश्य के अनुसार नगर नियंत्रण कक्ष प्रणाली और डेटा बैंक को अपडेट करना ताकि संसाधनों की सटीक सूची बनायी जा सके ।
- डेटा बैंक को अपडेट करने सहित किसी भी बदलाव के बारे में SDRN/IDRN पोर्टल पर अपडेट करना, राज्य नियंत्रण कक्ष, राहत आयुक्त को सूचित करना।
- विभिन्न विभागों द्वारा किए गए मॉक ड्रिल सहित अन्य तैयारी के उपायों की निगरानी करना।

- स्थानीय स्तर और आपदा संभावित क्षेत्रों में नगर नियंत्रण कक्ष प्रणाली के बारे में सूचना का उचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना ।
- उपयुक्त गैर सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र के संगठनों की पहचान करना, जिन्हें सामुदायिक स्तर की तैयारी का कार्य सौंपा जा सकता है।
- आपदा के बाद का मूल्यांकन करना और नगर नियंत्रण कक्ष प्रणाली को तदनुसार अद्यतन करना।
- नगर स्तर पर आपदा घटनाओं पर रिपोर्ट और दस्तावेज तैयार करना और इसे राज्य नियंत्रण कक्ष, राहत आयुक्त को अग्रसारित करना।

आपदा के दौरान नगर नियंत्रण कक्ष द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य

- मौसम संबंधी अलर्ट की सूचना प्राप्त करना और पूर्व चेतावनी का प्रसार प्रभावित क्षेत्रों में करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण करना।
- नागरिक समाज संगठनों और स्वयंसेवकों की सेवा प्रभावित क्षेत्रों में लेना।
- नागरिक समाज संगठनों की नियमित बैठकों में निकल कर आए कार्य बिंदुओं का मूल्यांकन कर उसे अमल में लाना।

7.4 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) को आवश्यक क्षमताओं के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके माध्यम से समय पर और सार्थक चेतावनी सूचना उत्पन्न और प्रसारित किया जाता है जिससे संभावित चरम घटनाएँ या आपदाएँ (जैसे बाढ़, सूखा, आग, भूकंप और सुनामी) जो लोगों के जीवन के लिए खतरा हैं, के बारे में लोगों को त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके। समय पर और सटीक विश्वसनीय जानकारी के बिना तीव्र और सक्षम राहत और बचाव कार्य सम्भव नही है।

आपदा जोखिम प्रबंधन राष्ट्रीय नीति, आपदा जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत समुदाय को केंद्र में रख कर योजना का निर्माण करती है। जन केंद्रित पूर्व चेतावनी प्रणाली के चार घटक हैं:

7.4.1 जोखिमों का ज्ञान:

जोखिम मूल्यांकन, रणनीतियों को तैयार करने, जोखिम को कम करने, रोकने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

7.4.2 खतरों की निगरानी, विश्लेषण और पूर्वानुमान (चेतावनी सेवा):

निगरानी और भविष्यवाणी करने वाली प्रणालियाँ संभावित जोखिम का समय पर अनुमान प्रदान करती हैं। सटीक निगरानी से प्राप्त आँकड़ों के सही विश्लेषण से आपदाओं का पूर्वानुमान लगा पाना सहज हो जाता है।

7.4.3 प्रसारित की जाने वाली सूचनाओं में एकरूपता:

यह महत्वपूर्ण है कि सभी अलर्ट और चेतावनियां एक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाए ताकि वे सभी एक ही तरह का संदेश लोगों व संबंधित विभाग को भेज सकें। संदेशों को विश्वसनीय और सरल रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें न केवल अधिकारियों द्वारा बल्कि लोगों द्वारा भी समझा जा सके।

7.4.4 अलर्ट और चेतावनियों का प्रसार और संचार:

आपदा संभावित क्षेत्रों में चेतावनी संदेश पहुंचाने के लिए एक मजबूत संचार योजना की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह की चेतावनीयों के लिए संचार चैनलों की पहचान पूर्व चेतावनी प्रणाली योजना के हिस्से के रूप में की जाए, न कि आपदा आने पर घबराहट की स्थिति में।

7.5 पूर्व चेतावनी तंत्र

प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी में समन्वय, सुशासन और उपयुक्त कार्य योजनाएं एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लोगों तक प्रभावी सूचना पहुँचाने में संचार के माध्यमों जैसे समाचार पत्र, टेलीविज़न और रेडियो की जगह मोबाइल फोन लेता जा रहा है। स्मार्ट फ़ोन या फ़ीचर फोन डिवाइस पर ससमय लक्षित समुदाय को सूचना भेजी जा सकती है।

7.6 लॉजिस्टिक सपोर्ट

आपदा मोचन के दौरान मुख्यतया निकासी, राहत एवं बचाव, राहत शिविरों का संचालन, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना, अस्पताल में उनका समुचित इलाज, खून की कमी वालों के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन, मृतकों का अंतिम संस्कार, ध्वस्त संरचनाओं का मलवा निपटान तथा सार्वजनिक सेवाओं का त्वरित पुनर्स्थापना के लिए बहुत तरह के हल्के व भारी यंत्र संयंत्र उपस्कर और उसको चलाने वाले प्रशिक्षित ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। इस संबंध में आस पास आपदा मोचन हेतु उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN पोर्टल पर देखी जा सकती है।

7.7 जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं से संयोजन

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिला के सभी विभागों के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रतिनियोजित की गई है। नगर निगम क्षेत्र में आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 की निम्न उप धाराओं में स्पष्ट किया गया है।

(क) **30.2.(II)-** जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। आपदाओं के निवारण और इसके प्रभाव के संबंध के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए हैं।

(ख) **30.2 (IV)-** जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभाव के न्यूनीकरण, पूर्वतैयारी और राष्ट्रीय तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकृत मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(ग) **30.2 (X)-** जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनरावलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो आवश्यक हो।

(घ) **30.2 (XI)-** तैयारी उपायों का पुनरावलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबंधित पदाधिकारियों को, जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति है, का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हो निर्देश दे सकेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक तथा मानवीय घटना घटित होने पर प्रत्युत्तर प्रक्रिया के नेतृत्व तथा समन्वय का संपूर्ण दायित्व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को है। उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं।

(अधिनियम की धारा 30.2 (XVI) से 30.2 (XXIV) तथा 34(a) से 34(m) तक दृष्टव्य है)। इसके आलोक में नगर निगम क्षेत्र में प्रत्युत्तर हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

7.8 आपातकालीन समर्थन कार्य

नगर निगम किसी भी आपदा के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के नेतृत्व तथा निर्देशन में वैसे सभी आपातकालीन समर्थन कार्य करेगी जिसकी अधिकारिता बिहार म्युनिसिपल अधिनियम 2007 द्वारा नगर निगम को प्राप्त है एवं समय-समय पर शहरी विकास विभाग या अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्देशित किया जाता है। नगर निगम, आपदा काल में प्रत्युत्तर के लिए एक त्वरित प्रत्युत्तर दल (Quick Response Team) का गठन करेगी जो न्यूनतम समय अंतराल में अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए 24 * 7 टीम लीडर एवं उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी तथा आवश्यक यंत्र संयंत्रों के साथ तैयार रहेगी।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना में निम्नांकित 15 प्रकार के आपातकालीन समर्थन कार्यों की सूची दी गई है जो निम्नांकित है-

1. सूचना आदान-प्रदान
2. कानून व्यवस्था
3. खोज एवं बचाव
4. राहत एवं आश्रय
5. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

6. पेयजल आपूर्ति
7. पालतू पशु आश्रय एवं चारा
8. ऊर्जा आपूर्ति
9. परिवहन व्यवस्था
10. लोक निर्माण कार्य
11. मलवा निपटान एवं सफाई
12. क्षति आकलन
13. सूचना प्रवाह तथा सहायता केंद्र
14. दान प्रबंधन
15. मीडिया प्रबंधन

दरभंगा नगर के किसी भी वार्ड या वार्ड समूहों में अथवा पूरे शहर में आने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में उपरोक्त आपातकालीन समर्थन कार्य हेतु नगर निगम द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 30 एवं 31 के अनुसार गठित वार्डो की समिति तथा वार्ड समिति को सक्रिय किया जाएगा।

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय 8 : प्रतिक्रिया योजना और उसकी मानक संचालन प्रक्रिया

8.1 भूकंप - प्रतिक्रिया योजना

भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो भूमि के अन्दर होने वाली भूकंपीय गतिविधियों का परिणाम है। वास्तव में यह एक ऐसी आपदा है जिसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, इस कारण इससे बचाव के तरीकों में इसके लिए पूर्व तैयारी ही एकमात्र साधन है। भूकंप अपने आप में कोई नुकसान नहीं करता परन्तु यदि इसके प्रभाव क्षेत्र में संरचनात्मक परिक्षेत्र आ जाए तो भूकंप एक आपदा के रूप में हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि भूकंप के दौरान संरचनाओं के गिरने से जान-माल कि क्षति होती है।

उद्देश्य : किसी भी भूकंप के दौरान तथा बाद में कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम भूकंप के दौरान उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। भूकंप आपदा के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

भूकंप आने के पश्चात निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं -

- भगदड़
- मकानों का गिरना या ढहना,
- मकानों में आग लगना
- लोगों का घायल होना अथवा मलबे में दबना
- परिवार के सदस्यों का बिछुड़ना
- अफवाह का फैलना
- खुली जगहों पर लोगों का जमा होना तथा रात बिताना
- लोगों को खाने-पीने की दिक्कत होना इत्यादि

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- खोज एवं बचाव कार्य
- क़ानून एवं यातायात व्यवस्था प्रबंधन
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- मानवीय सहायता उपलब्ध कराना
- जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई
- सूचना सम्प्रेषण एवं मीडिया प्रबंधन
- आपदा की भयावहता का आकलन

- जर्जर एवं ख़तरनाक भवनों को चिन्हित कर तोड़कर हटाना

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भूकंप से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.1.1 भूकंप के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय

- दरभंगा शहर सिस्मिक ज़ोन-V के अंदर आता है।
- East Patna Sub Surface Fault दरभंगा नगर से होकर गुजरता है।
- 15 जनवरी 1934 में आए 8.4 तीव्रता का भूकम्प एवं 21 अगस्त 1988 में आए 6.7 तीव्रता के भूकम्प ने दरभंगा नगर में व्यापक क्षति पहुँचायी जिसमें क्रमशः 83 एवं 17 लोगों की मृत्यु हुई थी तथा सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
- नगर के कई वार्डों में विशेष कर वार्ड संख्या 10, 11, 12 और 47 में काफ़ी पुराने, आपदा की दृष्टि से असुरक्षित संरचनायें हैं। वार्ड संख्या 11, में पुराना क़िला है, जिसकी दीवारें और गुम्बदों को पिछले भूकंपों में काफ़ी नुक़सान पहुँचा है और वे किसी भी तीव्र भूकंप के झटकों में गिर सकते हैं। इसी प्रकार वार्ड संख्या 47 में ज़्यादातर सरकारी प्रतिष्ठान पुराने भवनों में अवस्थित हैं।
- यदि दरभंगा नगर में 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकम्प आता है तो निम्न वार्डों में बहुत ज़्यादा क्षति होने की सम्भावना है:

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	भूकम्प प्रवणता
1	1	शिव धारा, अली नगर	उच्च
2	2	मंथ पोखर, पासी मोहल्ला	उच्च
3	3	बेला दुड़ला, बेला चौक, नौवागढ़ही	उच्च
4	4	नयाटोला सुंदरपुर, छठी पोखर, कालेगंज, सोनार टोला, भेदराबाद	उच्च
5	5	आज़म नगर लीची बाड़ा, रूहेलागंज	उच्च
6	6	पूरा वार्ड	उच्च
7	7	बंगलागढ़, राम चौक, रूहेल्लागंज - कैदराबाद	उच्च
8	8	धोबी टोला, नवटोलिया, न्यू कॉलोनी	उच्च
9	9	ब्राह्मण टोला, रतनुपट्टी (गद्दी, साहू चौक, चनरिया)	उच्च
10	10	बड़ा बाज़ार, गुल्लो बाड़ा, टावर, सौदागर मोहल्ला, राम चौक	उच्च
11	11	राम बाग़ कॉलोनी, राज हाई स्कूल, हजारीनाथ मंदिर के लाइन में पिछले भूकंपों में क़िला के गुंबद और दीवार क्षतिग्रस्त हो गए हैं और संभावना है कि भविष्य के भूकंप में यह गिर सकता है जिससे व्यापक क्षति कि संभावना है	उच्च
12	12	कटहलबाड़ी गुरुदवारा, कैदराबाद बस स्टैंड, राजकुमारगंज	उच्च
13	13	रिवानी तकियागरखई, भंडार चौक, राकेश गली, केबिन चौक से उत्तर का इलाका	उच्च
14	14	धोबी टोला	उच्च
15	15	----------	
16	16	ज्ञान भारती, पासवान टोला	उच्च
17	17	पूरा वार्ड	उच्च
18	18	----------	
19	19	पासी टोला	उच्च
20	20	लाल बाग़, भगवानदास, मीरशिकार टोला, सकमा पुल	उच्च
21	21	मुफ़्ती मोहल्ला, क़िला घाट, सेना पथ	उच्च
22	22	बसंतगंज, कबीराबाद, जीतूगाछी, मसरफ बाज़ार (चौक)	उच्च
23	23	कर्पूरी चौक (धोबी आँगन)	उच्च
24	24	----------	

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	भूकम्प प्रवणता
25	25	उर्दू बाज़ार, पुरानी मुंसफ़ी, फ़ैज़ुल्ला खाँ	उच्च
26	26	मोगलपुरा, नाग मंदिर, सहनी टोला, मतियारी सराय, बारी टोला,	उच्च
27	27	अल्लपट्टी	उच्च
28	28	मौलागंज, मोगलपुरा	उच्च
29	29	----------	
30	30	मिर्ज़ा हयात बेग, फ़क़ीरा खाँ, राजटोली	उच्च
31	31	महेशपट्टी, लीची बाग, मीरग्यासचक, रहमखाँ, जमालपुरा	उच्च
32	32	----------	
33	33	रहम गंज, युसूफ गंज, बीबी पाकड़, कसाब टोला	उच्च
34	34	TBDC रोड	उच्च
35	35	शाहगंज, अयाच्ची नगर	उच्च
36	36	हॉस्पिटल रोड, पानी टंकी (इस्माइल गंज)	उच्च
37	37	----------	
38	38	दुमदुमा, बहादुरगंज, दिलदारगंज, चकजोहरा, महाराजगंज, इमामबाड़ी	उच्च
39	39	बाकरगंज मोमिन टोला, पुराणी मछट्टा सराय, सत्तर खां, महाराजगंज	उच्च
40	40	अभंदा, सैदनगर, कृष्णानगर, सराय, रामदास, नूनथरवा	उच्च
41	41	----------	
42	42	बेलवा गंज, इस्माइल गंज, जी.एन. गंज, बलभद्रपुर (पासवान टोला)	उच्च
43	43	----------	
44	44	न्यू बलभद्रपुर	उच्च
45	45	----------	
46	46	कबिलपुर (मलिन बस्ती)	उच्च
47	47	पूरा वार्ड (सभी महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान इसी वार्ड में हैं और वे पुराने हैं तथा लगभग तीन चौथाई क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र है)	उच्च
48	48	पूरा वार्ड	उच्च

- यह भी उल्लेखनीय है कि दरभंगा नगर के पास से मुंगेर-सहरसा फाल्ट लाइन गुजरती है, जो एक बड़े खतरे को पैदा कर सकती है।

8.1.2 भूकंप के संबंध में पूर्व तैयारी -

- भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है अतः पूर्व तैयारी आवश्यक है।
- भूकंप से बचाव की तैयारी को विभिन्न हिस्सों में बांटा जा सकता है जैसे
  - व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाना,
  - भवनों का RVS (Rapid Visual Screening) करना,
  - संरचनात्मक सुदृढिकरण (क्षतिग्रस्त मकानों के रेट्रोफिटिंग के लिए मकान मालिक को प्रेरित करना, नए भवनों का भूकंप रोधी निर्माण)
  - गैर-संरचनात्मक सुदृढिकरण (घर के अन्दर लगे सामानों को दीवारों से कस कर रखना),
  - भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का नियमित अभ्यास करना (अग्निशामक उपकरण चलाना प्रदर्शित कर प्रशिक्षण देना)
  - राहत कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्रशिक्षित करना तथा
  - ऐसी संभावित प्रस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था पूर्व से तैयार रखना इत्यादि

- **जागरूकता कार्यक्रम –** इसे निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है
  - दरभंगा नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूकंप सुरक्षा के बारे में जागरूक एवं प्रशिक्षित करना तथा उन्हें इससे संबंधित विस्तृत जानकारी एक नियमित अंतराल पर देना।

जिम्मेदारी • **प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की सूची और वार्षिक प्रशिक्षण योजना बनाना**- कनीय अभियंता, नगर निगम, • **Resource Person की व्यवस्था-** जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा SDRF • **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

  - नगर निगम के निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित और जागरूक करना।

जिम्मेदारी- • **प्रशिक्षण के लिए निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों की सूची और वार्षिक प्रशिक्षण योजना बनाना**-नगर प्रबंधक, नगर निगम • **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** - कनीय अभियंता, नगर निगम और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण • **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

  - तीसरे चरण में नगर निगम के निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों के सहयोग से वार्डवार भूकंप जागरूकता शिविर का आयोजन करना तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुँच बनाना।

जिम्मेदारी - **वार्ड वार प्रशिक्षण जागरूकता शिविर की वार्षिक योजना बनाना-** CMM -नगर निगम / नगर-प्रबंधक, नगर निगम, **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** - कनीय अभियंता, नगर निगम और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण **वित्तीय व्यवस्था--**नगर निगम

- **संरचनात्मक सुदृढ़िकरण**
  - भूकंप सुरक्षा पर प्रशिक्षित नगर निगम के अभियंताओं के माध्यम से दरभंगा नगर के पुराने क्षतिग्रस्त भवनों (सरकारी एवं निजी) का RVS करना तथा क्षतिग्रस्त निजी मकानों के मकान मालिकों को रेट्रोफिटिंग करवाने के लिए प्रेरित करना। सरकारी भवनों के लिए संबंधित विभागों को सूचित करना। (**जिम्मेदारी - कार्यपालक अभियंता, नगर निगम**)

- दरभंगा नगर में बनने वाले नए भवनों के निर्माण के लिए बिल्डिंग बायलॉज़ के मापदंडों को अनिवार्य करना। (**जिम्मेदारी - कार्यपालक अभियंता, नगर निगम**)

- **गैर-संरचनात्मक सुदृढ़िकरण**

भवनों अथवा कार्यालयों के अन्दर लगे सामानों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें उचित तरीके से दीवारों से कस कर रखना। इस संबंध में नियमित तौर पर लोगों को जागरूक किया जाना जरुरी है, क्योंकि भूकंप के दौरान कंपन के कारण घरों के अन्दर के सामानों के गिरने कि संभावना बहुत ज्यादा होती जिससे व्यक्ति को चोट लग सकती है अथवा घरों से बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो सकता है।

- सार्वजनिक स्थानों पर तथा कार्यालयों के अन्दर गैर-संरचनात्मक सुदृढ़िकरण से संबंधित पोस्टर लगाकर भी इससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। (**जिम्मेदारी - उप नगर आयुक्त, नगर निगम**)

जिम्मेदारी
- **IEC सामग्री का निर्माण**- DEOC / , दरभंगा
- **निर्मित सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम

- **भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल का नियमित अभ्यास**
  - भूकंप बिना किसी पूर्व सूचना के आता है, अतः इससे बचाव के लिए समय कम मिलता है। ऐसी परिस्थिति में भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल (झुको, ढको, पकड़ो) का नियमित अभ्यास एक महत्वपूर्ण कार्य है जो लोगों को अपनी जान बचाने में मदद करेगा।

झुको **ढ़को** **पकड़ो**

  - इसके लिए एक वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा।

जिम्मेदारी -
• **वार्षिक कैलेंडर बनाना**-नगर प्रबंधक, नगर निगम;
• **समुदाय को mobilize करना**- CMM और संबधित वार्ड के CRP
• **Mock drill team की व्यवस्था**-SDRF, दरभंगा

➢ **राहतकर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षित करना**

- नगर निगम के आपदा राहतकर्मी दल (Sanitation Inspectors, CRP, Sanitation Workers और Tax collectors) को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना अति आवश्यक है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके।

जिम्मेदारी - **वार्षिक कैलेंडर बनाना-**नगर प्रबंधक, नगर निगम; **प्रशिक्षण स्थल-** सदर अस्पताल; **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** -सिविल सर्जन, दरभंगा स्वास्थ्य विभाग एवं SDRF

- **नगर प्रशासन के द्वारा किए जाने वाली अन्य तैयारियां -**
  - घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों को चिन्हित करना जहाँ लोगों को निकाल कर रखा जा सके।
  - घायल लोगों के त्वरित इलाज़ के लिए अस्पतालों को वार्डवार चिन्हित करना तथा उनके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना।
  - किसी भी प्रकार की अफवाह को रोकने के लिए सूचना संप्रेषण की उचित व्यवस्था रखना जैसे लाऊडस्पीकर का इस्तेमाल करना।
  - भगदड़ की स्थिति को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण का प्रयास करने की समुचित तैयारी रखना।
  - घटना के तुरंत बाद एक कंट्रोल रूम को प्रारंभ कर सकें ऐसी व्यवस्था करना जिसके माध्यम से घटना स्थल पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य बनाया जा सके।
  - राहत शिविर के संचालन का प्रावधान रखना।

8.1.3 भूकंप के दौरान प्रतिक्रिया -

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना-** भूकंप की सूचना के प्राप्त होते ही कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	कमांड अधिकारी के रूप में- 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC, SDRF b. अग्निशाम सेवा c. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग d. ज़िला स्वास्थ्य समिति e. विद्युत विभाग f. संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस g. स्थानीय CSOs 3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. मानवीय सहायता के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं एवं CSR को सहयोग करने के लिए प्रेरित कर उनका सहयोग लेना 6. ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 7. प्रतिदिन शाम में दिनभर चली राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगले दिन की योजना का निर्धारण करना 8. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा प्रतिदिन शाम में नगर आयुक्त को घटना और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	कार्यपालक अभियंता	1. आपदा के दौरान संरचनात्मक क्षति का आकलन और मूल्यांकन कर नगर आयुक्त को घटना स्थिति से अवगत कराना 2. सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के सहयोग से कार्यपालक अभियंता, सभी आवश्यक सिविल कार्यों का निष्पादन करेंगे

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		3. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, SDRF और NDRF के साथ समन्वय कर भूकंप के दौरान बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 4. नगर निगम के द्वारा बनाए गए राहत एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 5. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना
4	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. दिनभर की गतिविधियों का प्रतिदिन शाम में उप नगर आयुक्त को प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम - नगर आयुक्त के द्वारा कमांड अधिकारी के रूप में सबसे पहला कार्य राहत दल का गठन करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना होगा (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. खोज एवं बचाव कार्य दल 2. क़ानून एवं यातायात व्यवस्था 3. संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल 4. स्वास्थ्य सेवा दल 5. मानवीय सहायता दल 6. जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल 7. सूचना सम्प्रेषण दल 8. आपदा आकलन दल

खोज एवं बचाव कार्य - प्रभावित क्षेत्र में राहतकर्मियों और आवश्यक उपकरणों के पहुँचते ही खोज एवं बचाव का कार्य प्रारंभ करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
खोज एवं बचाव कार्य दल	कार्यपालक अभियंता	1. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , SDRF और NDRF के साथ समन्वय कर बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों का घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 2. नगर निगम के द्वारा बनाए गए खोज एवं बचाव दल के कर्मियों को पदास्थापित करना 3. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना

क़ानून एवं यातायात व्यवस्था - प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राहत कार्यों की सुगमता तथा घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त-	संबंधित थाना के थानाध्यक्ष एवं उपाधिक्षक ट्रैफ़िक पुलिस की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. कानून व्यवस्था को बनाये रखना 2. राहत कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करवाना तथा 3. घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था 4. मानव तस्करी रोकने के लिए संबंधित थाना को निर्धारित मापदंडों के अनुसार आवश्यक उपाय करना 5. राहत शिविरों में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करना जिससे बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न को रोका जा सके

राहत उपकरण - भूकंप की तीव्रता और उससे हुए नुकसान को देखते हुए तत्काल ही सभी आवश्यक उपकरण को घटनास्थल पर भेजने का प्रबंध करना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)। आवश्यक उपकरणों की सूची अंत में दी गयी है।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल	टैक्स कलेक्टर	1. समुदाय के ऐसे लोगों की सूची तैयार करना जिनके पास भूकम्प आने पर खोज एवं बचाव में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों जैसे JCB, क्रेन, रस्सा, जैक, सा कटर आदि.

		2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित BSDRN पोर्टल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर यथाशीघ्र उनके मालिकों से संपर्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य सेवा - प्रभावित क्षेत्रों में घायलों के इलाज़ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही चिन्हित अस्पतालों को निर्देश देना तथा उनके टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
स्वास्थ्य सेवा दल	उप नगर आयुक्त	सिविल सर्जन की मदद से 1. नगर के सभी अस्पतालों (निजी सहित) को आकस्मिक सेवा के लिए संदेश भेजवाना 2. आवश्यकतानुसार ambulance की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना (DEOC की सेवा ली जा सकती है) 3. घटनास्थल के लिए आवश्यक संख्या में चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना 4. प्राथमिकता के आधार पर घायल व्यक्तियों की चिकित्सा सुनिश्चित करना 5. प्रभावित क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग जनों, बुजुर्गों, गम्भीर रूप से बीमार के लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना 6. बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना 7. प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 0-5 साल के बच्चों को ICDS मानक अनुसार पोषक आहार मिले इसके लिए ज़िला पदाधिकारी एवं DPO-ICDS के साथ समन्वय करना

जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई -

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल	सैनिटेशन इन्स्पेक्टर	1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , स्वयं सेवी संस्थाओं, Lions Club आदि के साथ समन्वय कर चलित शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना 2. क्षतिग्रस्त मकानों के मलवों का निस्तारण करना 3. क्षतिग्रस्त मकानों के मलवे को नीची जगहों अथवा गड्ढों को भरने में इस्तेमाल करना

		4. राहत शिविरों में समुचित मात्रा में सैनिटेरी पैड का इंतज़ाम सुनिश्चित करना

मानवीय सहायता - प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आवश्यक उपाय करना। खुली जगहों पर एकत्रित लोगों के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
मानवीय सहायता दल	CMM	1. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर चिन्हित खुले जगहों पर राहत शिविर लगवाना 2. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में ज़िला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना 3. समुदाय या City Level Federation की मदद से सामुदायिक रसोई घर का संचालन करवाना 4. वार्ड वार CRP एवं वार्ड पार्षद के सहयोग से प्रभावित लोगों को सांत्वना देना, उनकी संवेदनाओं को समझना एवं राहत सहायता प्राप्त करने में सहयोग करना 5. आवश्यकतानुसार सिविल सर्जन की मदद से सदमे या मानसिक आघात से प्रभावित व्यक्तियों को trauma management के लिए मनोविशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध कराना 6. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर मौसम अनुकूल रहात कार्यों का संचालन यथा ठंड के समय प्रभावित लोगों के लिए कम्बल तथा अलाव की व्यवस्था करना, बारिश के समय water proof tent लगवाना आदि 7. मानव तस्करी तथा अराजक गतिविधियों (बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न) में संलिप्त अराजक तत्वों की पहचान कर संबंधित थाना को तत्काल सूचित करना

सूचना सम्प्रेषण दल : भूकम्प जैसी आपदा के दौरान, after shock को लेकर अफ़वाह फैलाना सामान्य बात है जिस कारण समुदाय में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इस कारण प्रभावित क्षेत्र के लोग लम्बे समय तक खुले स्थानों पर रहने को मजबूर होते हैं। आवश्यकता है कि ऐसे अफ़वाह को फ़ैलने से रोकने का भरपूर प्रयास किया जाए।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
सूचना सम्प्रेषण दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त, IPRD की मदद से आपदा के दौरान प्रत्येक दिन शाम को Press Briefing देंगे 2. अफ़वाह रोकने के लिए Social Media का इस्तेमाल करना तथा नगर में Miking की व्यवस्था करना 3. Toll free हेल्प लाइन नम्बर जारी करना

अतिरिक्त सहायता के संदर्भ का आकलन - घटनास्थल पर पहुंचे पदाधिकारियों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करना। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता के लिए जिला प्रशासन, अग्निशाम सेवा, SDRF/NDRF या राज्य प्रशासन को सूचना देना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
आपदा आकलन दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त घटना स्थल का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे 2. आपदा से हुए नुक़सान का आकलन करते हुए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता के लिए ज़िला प्रशासन, अग्निशाम सेवा, SDRF/NDRF या राज्य प्रशासन से अनुरोध करेंगे 3. आवश्यकतानुसार नगर आयुक्त परिस्थिति के संदर्भ में वन विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, ज़िला परिवहन विभाग और अन्य किसी भी लाइन विभाग की सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं

8.2 बाढ़ एवं जल जमाव - प्रतिक्रिया योजना

जल जमाव एक मानव जनित आपदा है जो अत्यधिक बारिश तथा नगर के जल निकास व्यवस्था में रुकावट के कारण होती है। सामान्यतः नगर का वह क्षेत्र जिसका प्राकृतिक ढलान बाहर के ओर न होकर अवरुद्ध रहता है, वे निचले क्षेत्र में जल जमाव की समस्या पैदा होती है। मानसून के समय यह समस्या सामने आती है, विशेषकर जुलाई माह के उत्तरार्ध से सितम्बर माह के अंत तक। इसका एक दूसरा पहलू यह है इन निचले क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकास का साधन नहीं होता है, तथा कृत्रिम जल निकास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जल जमाव के कारण प्रभावित क्षेत्र में सामान्य जन जीवन अत्यधिक प्रभावित होता है। इस आपदा से जान की हानि नहीं होती है परंतु लम्बे समय तक जल जमाव कई प्रकार के संचारी रोगों को जन्म देती है, जो जन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

उद्देश्य : जल जमाव के दौरान तथा बाद में कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम जल जमाव के प्रति उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि जल जमाव आपदा के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

जल जमाव आने के पश्चात निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं -

- सड़कों पर अथवा गलियों में पानी का जमा होना
- मकानों में पानी घुस जाना तथा घर के समानों का नुक़सान होना
- लोगों को खाने-पीने की दिक्कत होना इत्यादि
- आवगमन में व्यवधान पैदा होना
- संचारी रोगों यथा डेंगू, मलेरिया, डायरिया, हैजा, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का फैलना
- जल का प्रदूषित होना
- भूमिगत सर्विस लाइन का नुक़सान

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- राहत एवं बचाव कार्य
- जल निकासी की व्यवस्था करना
- यातायात व्यवस्था प्रबंधन
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- मानवीय सहायता उपलब्ध कराना
- जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई
- सूचना सम्प्रेषण एवं मीडिया प्रबंधन

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जल जमाव से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.2.1 जल जमाव के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय

- दरभंगा नगर के लिए बाढ़ और जल जमाव एक मिश्रित घटना है।
- **दरभंगा** दरभंगा नगर में **बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है जिसका प्रमुख कारण बाग़मती नदी में जल स्तर का बढ़ना है।**
- नगर के पश्चिमी क्षेत्र जिधर **बाग़मती नदी है में 17 स्लुइस गेट बने हुए हैं।** जिनका इस्तेमाल नगर प्रशासन के द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए किया जाता है।
- **वर्ष 2017 से 2021 तक लगभग प्रत्येक वर्ष नगर में बाढ़ एवं जल जमाव की समस्या देखने को मिली है। दरभंगा नगर का वार्ड संख्या 8,9 और 23 बाढ़ के दौरान बुरी तरह प्रभावित होते हैं।**
- **चट्टी चौक ओऊलेट जो गायत्री मंदिर से लेकर लहेरियासराय टावर तक है जिसे नासी नाला भी कहते हैं की अधिकतम चौड़ाई 80 फ़ीट था वह अब मात्र 4 फ़ीट रह गयी है।** इस वजह से पानी के निकास का प्राकृतिक रास्ता अतिक्रमण से प्रभवित होने के कारण जल जमाव की बड़ी समस्या पैदा करता है।
- **नगर के तीन प्रमुख पोखर गंगा सागर, डिग्गी और हराहि में नगर के नाले मिलते हैं। ये तीनों पोखर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। गंगा हराहि पोखर का पानी अधिक होने पर कगवा गुमटी (रेल पुलिया संख्या 26) से निकला जाता है, वहीं डिग्गी पोखर का पानी अधिक हो जाने पर अलर पट्टी संप हाउस से निकला जाता है। गंगा सागर पोखर का पानी अधिक हो जाने पर भटवा सम्प हाउस एवं चट्टी चौक के द्वारा निकाल जाता है। इसके अतिरिक्त रेलवे पुलिया संख्या 22, 22A, 23 तथा 24 से निकाला जाता है।**
- नगर निगम के पास लगभग दो दर्जन शक्तिशाली मोटर हैं जो जल जमाव की स्थिति में आम नगर वासियों को राहत देने का काम करती हैं।

- **बाढ़ के दौरान राहत शिविर** लगाने हेतु नगर प्रशासन के द्वारा तीन जगहों पर, **CM Art कॉलेज, मदरसा हमिदीया एवं विश्वविद्यालय क्षेत्र, को चिन्हित किया गया है।**
- नीचे दिए गए तालिका में विभिन्न वार्ड एवं उनके मोहल्ले मानसून के दौरान जल जमाव से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और इस वजह से नगर वासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	बाढ़ / जलजमाव
1	1	शिव धारा, अली नगर, पासवान टोला, ताज विष्णुपुर डीह	बाढ़
2	2	मंथ पोखर	जलजमाव
3	3	बेला दुड़ला, बेला चौक	जलजमाव
4	4	नया टोला (बाढ़ प्रभावित है), नयाटोला सुंदरपुर, सोनार टोला, खडहा टोला (जलजमाव से प्रभावित)	बाढ़ एवं जलजमाव
5	5	आजम नगर, बिष्णुपुर (2 स्लुइस गेट है)	बाढ़
6	6	आजम नगर लीची बाड़ा, कुम्हार टोला, ततमा टोली, बालू घाट (4 स्लुइस गेट लगा हुआ है और जब गेट बंद कर दिया जाता है तो बैक फ्लो होता है)	बाढ़

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	बाढ़ / जलजमाव
7	7	कबरा घाट, मिश्रीगंज, काफिगंज, पटेल चौक, राम चौक (महादलित टोला) - 2 स्लुइस गेट हैं	बाढ़
8	8	पूरा वार्ड	बाढ़
9	9	पूरा वार्ड	बाढ़
10	10	बड़ा बाज़ार, गुल्लो बाड़ा, टावर, राम चौक	जलजमाव
11	11	कुम्हार टोली से हसन चौक, अंसारी मोहल्ला	जलजमाव
12	12	कैदराबाद चूड़ी मार्किट, कटहलबाड़ी डेन्मी रोड (MMT कॉलेज)	जलजमाव
13	13	दीवानी तकिया (निचला क्षेत्र है)	बाढ़ एवं जलजमाव
14	14	धोबी टोला, बंगाली कैंप, जानकीनगर, डी.ए.वी. स्कूल के पीछे	जलजमाव
15	15		
16	16	पूरा वार्ड	बाढ़
17	17	गाँधी नगर, कटरहिया	जलजमाव
18	18		
19	19	लालबाग पोस्ट ऑफिस से पुअर होम चौक तक, MRM स्कूल, नुनिया टोला, बंगला स्कूल, बाड़ी टोला	जलजमाव
20	20	लाल बाग़, भगवानदास, मीरशिकार टोला, धुनियाटोला	जलजमाव
21	21	----------	
22	22	जीतूगाछी, फुलवारी, इमलीघाट, शिवाजी चौक	बाढ़
23	23	पूरा वार्ड	बाढ़
24	24	सासुपन, सेनापथ कॉलोनी, मीरमंजन	बाढ़
25	25	पूरा वार्ड	जलजमाव
26	26	मोगलपुरा, सहनी टोला, बारी टोला,	बाढ़
27	27	अल्लपट्टी	जलजमाव
28	28	बैंकर्स कॉलोनी (साहू भवन रोड), मोगाल्पुरा-मदारपुर मुख्य सड़क	जलजमाव
29	29		
30	30	मिर्ज़ा हयात बेग, शेर मोहम्मद, भीगो (8 स्लुइस गेट लगे हुए हैं)	बाढ़
31	31	जमालपुरा, नयाटोला भीगो, सहनीटोला भीगो, मीरग्यासचक	बाढ़
32	32	काजीपुरा, अब्दुल्लागंज, छोटी काजीपुर मनहर रोड, पश्चिम बाग़ - यह क्षेत्र बागमती नदी के निचले क्षेत्र में आता है जिस कारण बागमती नदी के ओवरफ्लो से प्रभावित होता है - 1 स्लूइस गेट है जो कामयाब नहीं है अब्दुल्लागंज, महेशकट्टी नोसैया, काजीपुरा, मासूमनगर (जलजमाव से प्रभावित)	बाढ़ एवं जलजमाव
33	33	युसुफगंज, बीबी पाकड़, रहमगंज	जलजमाव
34	34	----------	
35	35	DMCH पोस्ट ऑफिस, भटवा पोखर, शाहगंज, गुमटी नं 22 से बेता	जलजमाव
36	36	DMCH कैंपस (मलिन बस्ती), हॉस्पिटल रोड, बेता, अंधरिया बाग़	जलजमाव

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	बाढ़ / जलजमाव
37	37	कर्मगंज, इमामबाड़ी, सहनी टोला (गायत्री मंदिर) - यह सभी क्षेत्र बागमती नदी के निचले क्षेत्र में आता है जिस कारण बागमती नदी के ओवरफ्लो से प्रभावित होता है नाका नं 6, ईदगाह गली, कर्मगंज, सहनी टोला (जलजमाव से प्रभावित)	बाढ़ एवं जलजमाव
38	38	चकजोहरा, दुमदुमा (कुर्मी टोला, कायस्थ टोला), महेशपट्टी	जलजमाव
39	39	चकजोहरा न्यू कॉलोनी, महाराजगंज पश्चिमी, सराय सत्तार खां, राम टोली (बागमती नदी के पास अवस्थित है)	बाढ़ एवं जलजमाव
40	40	अभंदा, सैदनगर, कृष्णानगर, सराय	जलजमाव
41	41	कनक मंदिर, दारु भट्टी के पीछे, गुदड़ी	जलजमाव
42	42	बंगाली टोला, जी.एन. गंज, वी.आई.पी. रोड	जलजमाव
43	43	बेत्ता (नागेन्द्र झा कॉलेज), वी.आई.पी. रोड (एम.एल.ए. अकादमी स्कूल)	जलजमाव
44	44	शाहगंज, बलभद्रपुर, न्यू बलभद्रपुर, खादी भंडार के पास	जलजमाव
45	45	सुन्दर वन, आर.एस. टैंक (नाली निकासी की समस्या)	जलजमाव
46	46	कबिलपुर, न्यू ख्वाजा सराय	जलजमाव
47	47	गुदरी बाज़ार, बलभद्रपुर, हाउसिंग कॉलोनी	जलजमाव
48	48	पूरा वार्ड (नाली का निर्माण डिफेक्टिव है)	जलजमाव

8.2.2 जल जमाव के संबंध में पूर्व तैयारी

- मानसून के पूर्व सभी छोटे, मध्यम तथा बड़े नालों के गाद की समुचित सफ़ाई करवाना।
- जल जमाव वाले चिन्हित जगहों पर मानसून के पूर्व पानी निकालने वाले मोटर पम्प की व्यवस्था करना।
- नगर निगम के स्तर से योजनाबद्ध तरीक़े से ठोस कचड़ा का सुरक्षित निस्तारण एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- विशेष रूप से जल जमाव वाले वार्ड स्थलों के संबंधित सफाई इंस्पेक्टरों को पूर्व से ही जल जमाव को ध्यान में रख कर नालों की ससमय सफ़ाई करवाना एवं नाले के मुख्य निकास पर जाली लगाना।
- नगर स्तर पर बाढ़ और जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन करवाना ।
- बाढ़ से प्रभावित होने वाले वार्डों के लोगों को बाढ़ के बारे में पूर्व चेतावनी जारी करने की प्रणाली DEOC और DSO (District Statistics Officer) के साथ समन्वय कर स्थापित करना ।

- वार्ड संख्या 8,9 और 23 मानसून के दौरान सामान्यतः हर वर्ष बाढ़ आती है इसलिए इन क्षेत्रों के लिए पूर्व से आश्रय स्थल को चिन्हित किए गए जगहों पर राहत कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की बुनियादी व्यवस्था पूर्व से करके रखना।

नगर प्रशासन के द्वारा किए जाने वाली अन्य तैयारियां -

- पर्याप्त संख्या में पानी निकालने के लिए मोटर पम्प को संवेदनशील इलाक़ों में स्थापित करना।
- मोटर मैकेनिक की सूची तैयार रखना ताकि मोटर ख़राब होने की स्थिति में तत्काल ठीक किया जा सके।
- बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के घरों में फँसे लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने हेतु नाव व मोटर बोट एवं गोताखोरों की व्यवस्था रखना।
- पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का भंडारण रखना ताकि पानी निकास के तुरंत बाद इसका छिड़काव किया जा सके।
- फ़ॉगिंग करने के लिए सभी ज़रूरी उपकरणो व रसायनों का भंडारण करना।
- घटना के तुरंत बाद एक कंट्रोल रूम को प्रारंभ कर सकें ऐसी व्यवस्था करना जिसके माध्यम से घटना स्थल पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य बनाया जा सके।
- राहत शिविर के संचालन का प्रावधान रखना।

8.2.3 जल जमाव के दौरान प्रतिक्रिया -

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना-** नगर परिधि के अंतर्गत किसी क्षेत्र में बाढ़ एवं जल जमाव की स्थिति बनते ही कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है। नगर निगम अवस्थित कंट्रोल रूम का संचालन नगर आयुक्त के निर्देशन में उप नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक करेंगे और उनकी मुख्य ज़िम्मदारियाँ आगे की तालिका में दी गयी है-

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	**कमांड अधिकारी के रूप में-** 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC, SDRF b. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग c. ज़िला स्वास्थ्य समिति d. विद्युत विभाग e. संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस f. स्थानीय CSOs 3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. मानवीय सहायता के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं एवं CSR को सहयोग करने के लिए प्रेरित कर उनका सहयोग लेना जैसे रोटरी क्लब आदि 6. आवश्यकतानुसार ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 7. प्रतिदिन शाम में दिनभर चली राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगले दिन की योजना का निर्धारण करना 8. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा प्रतिदिन शाम में नगर आयुक्त को घटना और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	कार्यपालक अभियंता	1. आपदा के दौरान संरचनात्मक क्षति का आकलन और मूल्यांकन कर नगर आयुक्त को घटना स्थिति से अवगत कराना 2. सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के सहयोग से सभी आवश्यक सिविल कार्यों का निष्पादन करेंगे

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		3. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, SDRF और NDRF के साथ समन्वय कर बाढ़ के दौरान बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 4. नगर निगम के द्वारा बनाए गए राहत एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 5. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना
4	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. दिनभर की गतिविधियों का प्रतिदिन शाम में उप नगर आयुक्त को प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम - नगर आयुक्त के द्वारा कमांड अधिकारी के रूप में सबसे पहला कार्य राहत दल का गठन करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना होगा (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत एवं बचाव कार्य दल 2. यातायात व्यवस्था 3. संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल 4. स्वास्थ्य सेवा दल 5. मानवीय सहायता दल 6. जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल 7. सूचना सम्प्रेषण दल

राहत एवं बचाव कार्य - प्रभावित क्षेत्र में राहतकर्मियों और आवश्यक उपकरणों के पहुँचते ही पानी निकासी का कार्य प्रारंभ करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
राहत एवं बचाव कार्य दल	कार्यपालक अभियंता* सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता	1. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , SDRF और NDRF के साथ समन्वय कर बाढ़ के दौरान बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 2. नगर निगम के द्वारा बनाए गए राहत एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 3. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना

यातायात व्यवस्था - प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों की सुगमता लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना/ ट्रैफ़िक थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त-	संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस उपाधिक्षक-ट्रैफ़िक/थाना अध्यक्ष- ट्रैफ़िक थाना, की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. राहत कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करवाना तथा 2. आवश्यकतानुसार ट्रैफ़िक को डाईवर्ट करना 3. गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था 4. राहत शिविरों में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करना जिससे बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न को रोका जा सके

राहत उपकरण - जल जमाव की तीव्रता और उससे हुए नुकसान को देखते हुए तत्काल ही सभी आवश्यक उपकरण को घटनास्थल पर भेजने का प्रबंध करना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)। आवश्यक उपकरणों की सूची अंत में दी गयी है.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
संसाधन लामबंद (Resource	टैक्स कलेक्टर	1. समुदाय के ऐसे लोगों की सूची तैयार करना जिनके पास जल जमाव या बाढ़ की स्थिति होने पर राहत एवं बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों जैसे लाइफ़ जैकेट, नाव, जेनरेटर आदि.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
Mobilization) दल		2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित BSDRN पोर्टल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर यथाशीघ्र उनके मालिकों से संपर्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य सेवा - प्रभावित क्षेत्रों में घायलों के इलाज़ कि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही चिन्हित अस्पतालों को निर्देश देना तथा उनके टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करना.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
स्वास्थ्य सेवा दल	उप नगर आयुक्त	सिविल सर्जन की मदद से 1. नियमित रूप से चिकित्सीय देखभाल में रहने वाले वैसे मरीज़ जिन्हें तत्काल ही अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है परंतु उनके बेहतर स्वास्थ्य देख भाल के लिए घर पर ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाना 2. आवश्यकतानुसार ambulance की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना ताकि गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा ससमय मिल सके (DEOC की सेवा ली जा सकती है) 3. संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए preventive medicine की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना 4. प्रभवित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती महिलाओं एवं 0-1 साल के बच्चों, दिव्यांग जनों, बुजुर्गों, गम्भीर रूप से बीमार के लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना 5. बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना 6. प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 0-5 साल के बच्चों को ICDS मानक अनुसार पोषक आहार मिले इसके लिए ज़िला पदाधिकारी एवं DPO-ICDS के साथ समन्वय करना

जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल-

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल	सैनिटेशन इन्स्पेक्टर	1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के साथ समन्वय कर **बायो डायजेस्टर युक्त चलित शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं कचरा प्रबंधन** सुनिश्चित करना 2. घरेलू स्तर पर पेयजल को शुद्ध करने के लिए Chlorine Tablet का वितरण करवाना 3. पानी निकासी के उपरांत जमे हुए मलवों का उचित निस्तारण करना 4. जल जमाव के दौरान एवं पानी निकासी के उपरांत ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं फ़ॉगिंग करवाना 5. राहत शिविरों में जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई सुनिश्चित करना 6. राहत शिविरों में समुचित मात्रा में सैनिटरी पैड का इंतज़ाम सुनिश्चित करना

मानवीय सहायता - प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आवश्यक उपाय करना। राहत शिविरों में एकत्रित लोगों के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
मानवीय सहायता दल	CMM	1. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर चिन्हित जगहों पर राहत शिविर लगवाना 2. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में ज़िला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना 3. समुदाय या City Level Federation की मदद से सामुदायिक रसोई घर का संचालन करवाना 4. ANM की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 0-5 साल के बच्चों की सूची अनुसार इन लोगों के लिए सामुदायिक रसोई में ICDS के मानक अनुसार पोषक आहार बनवाना

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
		5. वार्ड वार CRP एवं वार्ड पार्षद के सहयोग से प्रभावित लोगों को सांत्वना देना, उनकी संवेदनाओं को समझना एवं राहत सहायता प्राप्त करने में सहयोग करना 6. मानव तस्करी तथा अराजक गतिविधियों (बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न) में संलिप्त अराजक तत्वों की पहचान कर संबंधित थाना को तत्काल सूचित करना 7. ANM की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती महिलाओं एवं 0-1 साल के बच्चों की सूची तैयार कर स्वास्थ्य दल के साथ साझा करना

सूचना सम्प्रेषण दल : बाढ़ एवं जल जमाव के दौरान अफ़वाहों का फैलना सामान्य बात है जिस कारण समुदाय में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आवश्यकता है कि ऐसे अफ़वाह को फ़ैलने से रोकने का भरपूर प्रयास किया जाए।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
सूचना सम्प्रेषण दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त, IPRD की मदद से आपदा के दौरान प्रत्येक दिन शाम को Press Briefing देंगे 2. अफ़वाह रोकने के लिए Social Media का इस्तेमाल करना तथा नगर में Miking की व्यवस्था करना 3. Toll free हेल्प लाइन नम्बर जारी करना

8.3 अगलगी - प्रतिक्रिया योजना

नगर के अन्दर अगलगी एक मानवजनित आपदा है जो मानवीय भूल के कारण होती है। नगर में अगलगी के अनेकों कारण हो सकते हैं यथा विद्युत् लाइन में शार्ट सर्किट होना, रसोई घर में खाना बनाते समय चूल्हे की आग से, दिवाली या अन्य पर्व त्योहारों के दौरान पटाखों को छोड़ने से, घरों में दीपक, मोमबत्ती या लालटेन से, पूजा के दौरान हवन करते समय, ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित नियमों का उलंघन तथा ऐसी ही अनेकानेक प्रस्थितियों में आग लगने की संभावना रहती है। नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। वास्तव में यह एक ऐसी आपदा है जिसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमलोग दिन प्रतिदिन अगलगी के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करते है और थोड़ी सी असावधानी ऐसी घटना को अंजाम देती है। इससे संबंधित जागरूकता, सतर्कता और सावधानी से ऐसी घटनाओं के होने से रोका जा सकता है। यदि आग लग जाता है तो तीव्र प्रतिक्रिया से नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। अगलगी होने पर जान माल की क्षति होती है।

उद्देश्य : अगलगी के दौरान तथा बाद में कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम अगलगी के दौरान उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि अगलगी होने पर और पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

अगलगी होने पर निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं -

- मकानों में आग लगना
- लोगों का जल जाना / जीवन क्षति अथवा घायल होना
- घर के सामानों का जलना
- आस-पास के घरों में आग लगने कि संभावना
- लोगों का लंबे समय तक विस्थापन
- अफरा-तफरी फैलना या भगदड़ होना
- लोगों को खाने-पीने की दिक्कत होना इत्यादि

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- खोज, बचाव एवं राहत कार्य विशेषकर लोगों के साथ साथ उनके सामानों का आपातकालीन निकास
- आग को फैलने से रोकने कि व्यवस्था
- क़ानून एवं यातायात व्यवस्था प्रबंधन
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना

- मानवीय सहायता उपलब्ध कराना
- आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
- जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई
- सूचना सम्प्रेषण एवं मीडिया प्रबंधन
- आपदा की भयावहता का आकलन
- नगर निगम क्षेत्र में लैंड्मार्क स्थापित करने हेतु साइनेज

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगलगी से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण देखा जा सकता है-

8.3.1 अगलगी के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय

- दरभंगा नगर का मध्य भाग घनी आबादी का तथा मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र है और साथ ही इन क्षेत्रों में मकान काफी सटे-सटे बने हुए हैं, सडकों कि चौड़ाई बहुत ही कम है तथा खुली जगहों का अभाव है। इन क्षेत्रों में आग लगने पर ज़्यादा क्षति होने की सम्भावना सबसे अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि आग लगने पर ऐसे स्थानों पर अग्निशमन वाहनों का पहुँचना मुश्किल होता है, जिससे नुक़सान व्यापक पैमाने पर होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
- दरभंगा प्रखंड में अग्निकांड एवं उससे हुए जीवन क्षति का विवरण

क्र0सं0	वर्ष	अग्निकांड की संख्या	धायल मनुष्य	मृत्य मनुष्य
1	2020	22	01	00
2	2021	40	00	00
3	2022	26	05	00

स्रोत - ज़िला अग्निशमन विभाग

- अगलगी से उच्च प्रवण वार्ड और मोहल्ले

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	प्रवणता
1	1	पासवान टोला, ताज विष्णुपुर डीह	उच्च
2	2	पासी मोहल्ला, पासवान मोहल्ला, मंथ पोखर पर राम मोहल्ला, नवटोलिया यादव मोहल्ला, नया धरारी बेला (जनवरी में एक लड़की जल गयी)	उच्च
3	4	बेला औद्योगिक क्षेत्र, परमेश्वर चौक, सुंदरपुर	उच्च
4	5	पूरा वार्ड (बिजली के तार के कारण)	उच्च
5	6	बालू घाट बागमती नदी के किनारे बांध के अन्दर नदी के मुहाने पर बड़ी संख्या में फूस के मकान बने हुए हैं)	उच्च
6	8	सतियारा टोला, नवटोलिया, डीह, फुलबरिया टोला, वियला टोला	उच्च

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	प्रवणता
7	9	पासवान टोला, रामटोला रत्नोपट्टी	उच्च
8	12	कटहलबाड़ी	उच्च
9	13	दिवानीतकिया गरखई, राकेश गली, केबिन चौक के उत्तर का इलाका	उच्च
10	17	भीरा एवं भवानी टोला - दोनार चौक,कटरहिया बस्ती	उच्च
11	20	धुनिया टोला, सकमा पुल, जेठियाही	उच्च
12	21	मुफ़्ती मोहल्ला	उच्च
13	22	कबिराबाद (कॉटन के गोदाम में पूर्व में आग लगी है), बसंतगंज (पूर्व में यहाँ आग लगी है) - इस क्षेत्र में बहुत पतली सड़कें हैं जहाँ फायर टेंडर नहीं जा सकते हैं कबिराबाद मोहल्ले में बिजली के पोल कि कमी के कारण लोग दूर तक टोका खींच कर ले जाते हैं और इस कारण खतरा बढ़ जाता है	उच्च
14	23	वाजितपुर, अंसारी बस्ती	उच्च
15	28	मदारपुर से भगवती चौक मुख्य मार्ग के ऊपर से 33000 वोल्ट के तार गुजर रहे हैं जो एक खतरा है. हांलांकि अभी तक कोई घटना नहीं घटी है.	उच्च
16	30	शेर मोहम्मद, फकीरा खां	उच्च
17	31	नया टोला भीगो, जमालपुरा, मीरग्यासचक	उच्च
18	37	नूनिया टोला	उच्च
19	38	चमरटोली, दुमदुमा	उच्च
20	40	अभंदा, पासवान टोला, यादव टोला, सहनी टोला, ब्रहमस्थान, सैद नगर	उच्च

- नगर में अवस्थित 134 मलिन बस्तियों में शॉर्ट सर्किट तथा खाना बनाने के दौरान और अग्नि के खुले स्रोतों से आग लगने की सम्भावना प्रबल रहती है।
- दरभंगा नगर में अग्निशमन दस्ता के पास दो तरह के अग्निशमन वाहन हैं और नगर में कई जगह पर hydrant की भी व्यवस्था की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	अग्निशामालय का नाम	जल श्रोत का व्योरा	संख्या
1	अग्निशामालय दरभंगा,	बिग बाजार दरभंगा	01
		श्यामा सर्जिकल संस्थान	01
		पारस हॉस्पीटल, बेंता दरभंगा	01
		कृष्णा होटल, दरभंगा	01
		विशुधानंद हॉस्पीटल, दरभंगा	01
		होटल द्वारिका इंटरनेशनल दरभंगा	01
		पेंटालुईस दरभंगा	01
		आई0वी0 स्मृति हॉस्पीटल, दरभंगा	01
		दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिसन कम्पनी लिमिटेड देकुली, दरभंगा	01
		अग्निशामालय दरभंगा	01

स्रोत – ज़िला अग्निशमन विभाग

- नगर में जितने hydrant लगे हैं वह नगर के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में कम है। इसलिलिए अग्नि आपदा के सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड के आस पास Hydrant लगाना ज़रूरी है।
- दरभंगा अग्निशामानलय के पास उपलब्ध संसाधन:

Sl. No.	Item Name	अग्निशामालय दरभंगा में उपस्थित उपकरण की सूची	आवंटित सामग्री	आवश्यकता
01	Bolt Cutter	**02 nos**		
02	Jack With Ston lift	**01 nos**		
03	Sledge Hammer	**02 nos**		
04	Smoke hammer	**01 nos**		
05	Suit fire Proximity	**04 nos**		
06	Pump Floating	**01 nos**	**01 nos**	–
07	Extension ladder	**04 nos**		
08	ABC Type(6 kg)	**15 nos**		
09	C o2 Type(4.5kg)	**01 nos**		
10	Fire Tender	**02 nos**	**04 nos**	**02 nos**
11	Fire Fighting Foam	**500 liter**		
12	Rope Ladder	**02 nos**	**04 nos**	**02 nos ,30 mtr.**
13	Hydraullic Cutter	–	**02 nos**	**02 nos**
14	Shorvel	**02 nos**	**02 nos**	
15	Spade	**02 nos**	**02 nos**	
16	Crow bar	**04 nos**		
17	Helmet	**08 nos**	**18 nos**	**10 nos**
18	Pick axe	**02 nos**	**04 nos**	**02 nos**
19	Axe	**02 nos**	**024nos**	**02 nos**
20	Door Breaker	**02 nos**	**04 nos**	**02 nos**
21	Hack Saw	**01 nos**	**03 nos**	**02 nos**
22	Electric Torch	**01 nos**	**03 nos**	**02 nos**
23	Steel Cutter	**02 nos**		
24	BA SET	**04 nos**	**08 nos**	**04 nos**
25	Hose	**12 nos**		
26	Driver Hmv	**08 nos**		
27	Driver LMV	**11 nos**		
28	Gum boots	**08 Pair**	**16 Pair**	**08 Pair**
29	Heavy Duty Cloves	**04 Pair**	**12 Pair**	**08 Pair**
30	petrol chain saw	**01 nos**	**01 nos**	
31	Hose ramp 4 lane	**00**	**04 nos**	**04 nos**
32	Protable fire pump 275 lpm with accessories	**00**	**04 nos**	**04 nos**
33	Flame proff lamp	**00 nos**	**02 nos**	**02 nos**
34	Fire blanket	**00 nos**	**04 nos**	**04 nos**
35	Fire Ball	**00 nos**	**08 nos**	**08 nos**
36	Motorcycle	**00 nos**	**02 nos**	**02 nos**
37	Hydraulic platformS	**00 nos**	**01 nos**	**01 nos**
38	Human Detector Machine	**00 nos**	**00 nos**	**00 nos**

स्रोत - ज़िला अग्निशमन विभाग

8.3.2 अगलगी के संबंध में पूर्व तैयारी

- अगलगी का सामान्यतः पूर्वानुमान संभव नहीं है क्योंकि यह मानवीय भूल का परिणाम है, अतः जागरूकता, सतर्कता एवं पूर्व तैयारी आवश्यक है।
- अगलगी से बचाव की तैयारी को विभिन्न हिस्सों में बांटा जा सकता है जैसे
  - व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाना,
  - IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार
  - चिन्हित अग्नि आपदा सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड की पहचान कर वहां Hydrant लगाना
  - अगलगी से बचाव के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचाव की विधियों का प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार करना
  - राहत कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्रशिक्षित करना तथा
  - ऐसी संभावित प्रस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था पूर्व से तैयार रखना इत्यादि
- **जागरूकता कार्यक्रम** - इसे निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है
  - दरभंगा नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अगलगी से सुरक्षा के बारे में निम्न तथ्यों के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित करना-
    - क्षेत्र भ्रमण के दौरान अगलगी प्रवण इलाक़ों की पहचान कैसे करें
    - क्षेत्र में अगलगी के संभावित स्रोतों की पहचान कर संबंधित विभाग या संस्था को तत्काल ही सूचित करने की प्रक्रिया
    - लोगों को अगलगी से बचाव और सुरक्षा के उपायों को अपनाने के लिए कैसे प्रेरित करें

जिम्मेदारी

- **प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की सूची और वार्षिक प्रशिक्षण योजना बनाना**- कनीय अभियंता, नगर निगम,
- **Resource Person की व्यवस्था-** ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

  - नगर निगम के निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों को अगलगी से बचाव और सुरक्षा के उपायों पर प्रशिक्षित और जागरूक करना।

जिम्मेदारी-

- **प्रशिक्षण के लिए निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों की सूची और वार्षिक प्रशिक्षण योजना बनाना**- नगर प्रबंधक, नगर निगम
- **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** - कनीय अभियंता, नगर निगम और ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी
- **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

- तीसरे चरण में नगर निगम के निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों के सहयोग से वार्डवार अगलगी से सुरक्षा और बचाव के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन करना तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुँच बनाना।

जिम्मेदारी -
वार्ड वार प्रशिक्षण जागरूकता शिविर की वार्षिक योजना बनाना- CMM / नगर प्रबंधक, नगर निगम,
प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति - कनीय अभियंता, नगर निगम और ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी
वित्तीय व्यवस्था- नगर निगम

➢ **IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार**

- सार्वजनिक स्थानों पर तथा कार्यालयों के अन्दर अगलगी से सुरक्षा तथा अगलगी के पश्चात सुरक्षित निकासी (Evacuation Plan) संबंधित पोस्टर लगाकर भी इससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।

जिम्मेदारी
- **IEC सामग्री का निर्माण**- ज़िला अग्निशाम विभाग एवं विद्युत् विभाग, बेगूसराय
- **निर्मित सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम
- **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

➢ **अगलगी से संबंधित मॉक ड्रिल का नियमित अभ्यास**

- अगलगी सामान्यतः मानवीय भूल के कारण होता है, अतः इससे बचाव के लिए समय कम मिलता है। ऐसी परिस्थिति में अगलगी से बचाव संबंधित मॉक ड्रिल के माध्यम से आग बुझाने के विभिन्न तरीकों का नियमित अभ्यास करवाना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो लोगों को अपनी जान बचाने में मदद करेगा।
- शरीर में लगी आग को बुझाने के लिए (रुको, लेटो, लुढ़को) संबंधित मॉक ड्रिल का नियमित अभ्यास भी आवश्यक है।

- इसके लिए एक वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा।

जिम्मेदारी -

- **वार्षिक कैलेंडर बनाना-** नगर प्रबंधक, नगर निगम;
- **समुदाय को mobilize करना**- CMM और संबधित वार्ड के CRP
- **Mock drill team की व्यवस्था**- ज़िला अग्निशाम विभाग, बेगूसराय

➢ **राहतकर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षित करना**

- नगर निगम के आपदा राहतकर्मी दल (Sanitation Inspectors, CRP, Sanitation Workers और Tax collectors) को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना अति आवश्यक है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके।

जिम्मेदारी -
वार्षिक कैलेंडर बनाना- नगर प्रबंधक, नगर निगम;
प्रशिक्षण स्थल- सदर अस्पताल;
प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति -सिविल सर्जन, दरभंगा स्वास्थ्य विभाग एवं SDRF

➢ **नगर प्रशासन के द्वारा किए जाने वाली अन्य तैयारियां -**

- नगर निगम के द्वारा ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी को, वैसे सभी भवनों जिनकी ऊँचाई 15 मी0 या उससे ज़्यादा हो, गोदाम, पेट्रोल पम्प आदि की नियमित रूप से, फ़ायर ऑडिट करने के लिए अनुरोध करेंगे।
- घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों को चिन्हित करना जहाँ लोगों को निकाल कर रखा जा सके।
- घायल लोगों के त्वरित इलाज़ के लिए बर्न वार्ड वाले अस्पतालों को चिन्हित करना तथा उनके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना।
- किसी भी प्रकार की अफवाह को रोकने के लिए सूचना संप्रेषण की उचित व्यवस्था रखना जैसे लाऊडस्पीकर का इस्तेमाल करना।
- भीड़ की स्थिति को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण का प्रयास करने की समुचित तैयारी रखना।
- घटना के तुरंत बाद एक कंट्रोल रूम को प्रारंभ कर सकें ऐसी व्यवस्था करना जिसके माध्यम से घटना स्थल पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य बनाया जा सके।
- राहत शिविर के संचालन का प्रावधान रखना।

8.3.3 अगलगी के दौरान प्रतिक्रिया -

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना-** अगलगी की सूचना के प्राप्त होते ही कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	**कमांड अधिकारी के रूप में-** 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC, SDRF b. अग्निशाम सेवा c. विद्युत विभाग d. PHED e. ज़िला स्वास्थ्य समिति f. संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस g. स्थानीय CSOs 3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. मानवीय सहायता के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं एवं CSR को सहयोग करने के लिए प्रेरित कर उनका सहयोग लेना 6. ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 7. दिनभर चली राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगरेतर योजना का निर्धारण करना 8. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा नगर आयुक्त को घटना और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. दिनभर की गतिविधियों का उप नगर आयुक्त को प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम - राहत दल का गठन करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत एवं बचाव कार्य दल 2. अग्निशमन दल 3. क़ानून एवं यातायात व्यवस्था 4. संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल 5. स्वास्थ्य सेवा दल 6. मानवीय सहायता दल 7. जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दल 8. सूचना सम्प्रेषण दल 9. आपदा आकलन दल

राहत एवं बचाव कार्य - प्रभावित क्षेत्र में राहतकर्मियों और आवश्यक उपकरणों के पहुँचते ही राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
खोज एवं बचाव कार्य दल	कनीय अभियंता	1. अग्निशाम विभाग, DEOC, विद्युत् विभाग, SDRF/ NDRF और PHED के साथ समन्वय कर बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 2. नगर निगम के द्वारा बनाए गए खोज एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 3. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना 4. अगलगी प्रभावी क्षेत्र में समुदाय को अलर्ट करना तथा लोगों को सुरक्षित निकासी में मदद करना

अग्निशमन कार्य - प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राहत कार्यों की सुगमता तथा घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त-	संबंधित अग्निशामालय की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. घरों/ बाज़ारों/ मलिन बस्तियों में लगी आग को बुझाने का कार्य 2. फंसे हुए लोगों और आवश्यक सामानों को निकालने का कार्य (Evacuation करना) 3. आग को फैलने से रोकने का कार्य

क़ानून एवं यातायात व्यवस्था - प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राहत कार्यों की सुगमता तथा घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त-	संबंधित थाना एवं ट्रैफ़िक थाना की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. कानून व्यवस्था को बनाये रखना 2. राहत कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करवाना 3. अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना 4. घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना 5. राहत शिविरों में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करना जिससे बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न को रोका जा सके

राहत उपकरण - अगलगी की तीव्रता और उससे हुए नुकसान को देखते हुए तत्काल ही सभी आवश्यक उपकरण को घटनास्थल पर भेजने का प्रबंध करना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)। आवश्यक उपकरणों की सूची अंत में दी गयी है.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल	टैक्स कलेक्टर	1. समुदाय के ऐसे लोगों की सूची तैयार करना जिनके पास अगलगी होने पर राहत एवं बचाव में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों जैसे JCB, क्रेन, रस्सा, सा कटर आदि। 2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित BSDRN पोर्टल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर यथाशीघ्र उनके मालिकों से संपर्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य सेवा - प्रभावित क्षेत्रों में घायलों के इलाज़ कि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही चिन्हित अस्पतालों को निर्देश देना तथा उनके टीम कि उपस्थिति सुनिश्चित करना.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
स्वास्थ्य सेवा दल	उप नगर आयुक्त	सिविल सर्जन की मदद से 1. नगर के सभी अस्पतालों (निजी सहित) को आकस्मिक सेवा के लिए संदेश भेजवाना

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
		2. आवश्यकतानुसार ambulance की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना (DEOC की सेवा ली जा सकती है) 3. घटनास्थल के लिए आवश्यक संख्या में चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना 4. प्राथमिकता के आधार पर घायल व्यक्तियों की चिकित्सा सुनिश्चित करना 5. प्रभावित क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग जनों, बुजुर्गों, गम्भीर रूप से बीमार के लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना

जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल	सैनिटेशन इन्स्पेक्टर	1. PHED तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ समन्वय कर चलित बायो डाईजेस्टर शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना 2. जले हुए मकानों तथा सामानों के मलवों का सुरक्षित निस्तारण करना

मानवीय सहायता - प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आवश्यक उपाय करना। खुली जगहों पर एकत्रित लोगों के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
मानवीय सहायता दल	CMM	1. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर चिन्हित खुले जगहों पर राहत शिविर लगवाना 2. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में ज़िला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना 3. समुदाय या City Level Federation की मदद से सामुदायिक रसोई घर का संचालन करवाना 4. वार्ड वार CRP एवं वार्ड पार्षद के सहयोग से प्रभावित लोगों को सांत्वना देना, उनकी संवेदनाओं को समझना एवं राहत सहायता प्राप्त करने में सहयोग करना

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
		5. आवश्यकतानुसार सिविल सर्जन की मदद से सदमे या मानसिक आघात से प्रभावित व्यक्तियों को trauma management के लिए मनोविशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध कराना 6. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर मौसम अनुकूल रहात कार्यों का संचालन यथा ठंड के समय प्रभावित लोगों के लिए कम्बल तथा अलाव की व्यवस्था करना, बारिश के समय water proof tent लगवाना आदि

सूचना सम्प्रेषण दल : अगलगी जैसी आपदा के दौरान अफ़वाह का फैलना सामान्य बात है जिस कारण समुदाय में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आवश्यकता है कि ऐसे अफ़वाह को फैलने से रोकने का भरपूर प्रयास किया जाए।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
सूचना सम्प्रेषण दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त, IPRD की मदद से आपदा के दौरान Press Briefing देंगे 2. अफ़वाह रोकने के लिए Social Media का इस्तेमाल करना तथा नगर में Miking की व्यवस्था करना 3. Toll free हेल्प लाइन नम्बर जारी करना

अतिरिक्त सहायता के संदर्भ का आकलन - घटनास्थल पर पहुंचे पदाधिकारियों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करना। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता के लिए जिला प्रशासन, SDRF/NDRF या राज्य प्रशासन को सूचना देना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
आपदा आकलन दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त घटना स्थल का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे 2. आपदा से हुए नुक़सान का आकलन करते हुए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता के लिए ज़िला प्रशासन, SDRF/NDRF या राज्य प्रशासन से अनुरोध करेंगे 3. आवश्यकतानुसार नगर आयुक्त परिस्थिति के संदर्भ में वन विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, ज़िला परिवहन विभाग और अन्य किसी भी लाइन विभाग की सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं

8.4 सड़क दुर्घटना - प्रतिक्रिया योजना

सड़क दुर्घटना एक मानवजनित आपदा है जो मानवीय भूल का परिणाम है। सड़क दुर्घटना यातायात एवं परिवहन से जुडी हुई है जिसका मुख्य कारण वाहनों की तेज़ गति, तेज ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, ट्रैफिक संकेतों को समझने में विफलता, चालक का थका होना या सो जाना, नशे कि हालत में वाहन चलाना तथा पैदल यात्री की लापरवाही इत्यादि है। इससे संबंधित जागरूकता, नियमों का पालन, सतर्कता और सावधानी से ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है।

उद्देश्य : किसी भी सड़क दुर्घटना के दौरान तथा बाद में कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना आपदा के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

सड़क दुर्घटना होने के पश्चात निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं -

- जीवन क्षति अथवा लोगों का घायल होना
- वाहनों में आग लग जाना
- दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में लोगों का फंसा होना
- दुर्घटना के कारण सड़क जाम हो जाना तथा यातायात का अवरुद्ध हो जाना
- अफरा-तफरी फैलना

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- राहत एवं बचाव कार्य
- क़ानून एवं यातायात व्यवस्था प्रबंधन
- वाहनों में लगी आग को बुझाना
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- आपातकालीन परिस्थिति के लिए अस्पतालों का चिन्हीकरण करना
- मानवीय सहायता उपलब्ध कराना

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सड़क दुर्घटना से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.4.1 सड़क दुर्घटना के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय

- दरभंगा नगर के अंतर्गत मानक के अनुसार कोई भी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान नहीं की गई है।
- दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या *1* और *2* से राष्ट्रीय राजमार्ग *27* गुजरता है।
- वार्ड संख्या 1 के अली नगर का लगभग आधा कि.मी. का हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग *27* पर पड़ता है। यहाँ पर महिंद्रा शोरूम के पास सड़क दुर्घटना की संभावना रहती है।
- वार्ड संख्या 2 का मंथ पोखर मोहल्ला (दुर्गा मंदिर के पास) का क्षेत्र *NH - 27* पर पड़ता है जहाँ लगभग हर महीने एक दुर्घटना होती है।
- वहीं वार्ड संख्या 17 का दोनार चौक *SH* 56 (बेनीपुर पथ) के किनारे पड़ता है और वार्ड संख्या 30 में किलाघाट - एकमी पथ से लगने वाले मोहल्ले नीम चौक, मिर्ज़ा हयात बेग, शेर मोहम्मद, भीगो, जमलपुरा में सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
- इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 31 में भीगो - एकमी पथ से लगने वाले मोहल्ले भीगो, जमालपुरा, मीरग्यासचक में सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
- दरभंगा में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

दरभंगा में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं का विवरण												
वर्ष	राष्ट्रीय उच्च मार्ग			राज्य उच्च पथ			मुख्य ज़िला सड़कें			शहरी सड़क		
	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल
2017	5	4	7	10	7	3	-	-	-	-	-	-
2018	4	3	18	-	-	-	2	-	2	-	-	-
2019	1	1	-	-	-	-	9	1	7	1	-	-
2020	6	2	12	5	2	4	11	5	5	1	-	-

स्रोत- - पुलिस उपाधीक्षक- ट्रैफिक, कार्यालय

8.4.2 सड़क दुर्घटना के संबंध में पूर्व तैयारी -

- विभिन्न हितभागियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय कर ट्रैफ़िक नियमों का पालन करवाना।
- Black Spot चिन्हित स्थानों पर सड़क सुरक्षा चेतावनी लगवाना।
- सड़क दुर्घटना से बचाव की तैयारी को विभिन्न हिस्सों में बांटा जा सकता है जैसे
    - व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाना,
    - IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार
    - नगर निगम के राहत कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा तथा ट्रामा प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित करना

- NH-27 तथा उसके पास स्थित महिंद्रा शोरूम के कर्मचारियों एवं नजदीक रहने वाले पुलिसकर्मी को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना तथा प्रशिक्षित करना।

➢ **जागरूकता कार्यक्रम -**

- सड़क सुरक्षा से संबंधित व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम
- सभी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए नियमित तौर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना

जिम्मेदारी -

- **शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना बनाना**- जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में, DEOC, ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाएंगे (NHAI से तकनीकि सहयोग लिया जाएगा)
- **Resource Person की व्यवस्था-** ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / ट्रैफिक थाना
- **वित्तीय व्यवस्था-** NHAI
- **अनुश्रवण -** नगर निगम

➢ **IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार**

- NH-27 से सटे वार्डों में सड़क सुरक्षा संबंधित पोस्टर लगाकर भी इससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।

जिम्मेदारी

- **IEC सामग्री का निर्माण**- NHAI एवं उपाधिक्षक ट्रैफिक पुलिस, दरभंगा
- **निर्मित सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम
- **वित्तीय व्यवस्था**–NHAI

➢ **सड़क सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों का प्रचार प्रसार करना**

सड़क दुर्घटना सामान्यतः मानवीय भूल के कारण होता है, इससे बचाव के लिए पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है जिसके अंतर्गत -

कार्य	जिम्मेदारी
सड़क सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों का प्रचार प्रसार	उपाधिक्षक ट्रैफिक पुलिस एवं NHAI
गुड सेमिरेटन को प्रोत्साहित करना	जिला सड़क सुरक्षा समिति
ट्रैफिक संकेतकों का प्रचार प्रसार करना	उपाधिक्षक ट्रैफिक पुलिस
NH-27 के नजदीक अवस्थित सरकारी और निजी अस्पतालों को सड़क दुर्घटना के पश्चात घायलों के इलाज़ के लिए निर्देशित करना	जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं ज़िला स्वास्थ्य समिति

- **राहतकर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षित करना**
  - आपदा राहतकर्मी दल (दुर्घटनास्थल के पास प्रतिनियुक्त होनेवाले पुलिसकर्मी तथा नगर निगम के Sanitation Inspectors, Sanitation Workers और Tax collectors) को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना अति आवश्यक है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके।

जिम्मेदारी - **वार्षिक कैलेंडर बनाना-** जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में उपाधिक्षक ट्रैफिक पुलिस; **प्रशिक्षण स्थल-** ज़िला स्वास्थ्य समिति; **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** -सिविल सर्जन, दरभंगा स्वास्थ्य विभाग एवं SDRF

8.4.3 सड़क दुर्घटना के दौरान प्रतिक्रिया -

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना-** सड़क दुर्घटना की सूचना के प्राप्त होते ही कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	कमांड अधिकारी के रूप में- 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC, SDRF b. उपाधिक्षक ट्रैफिक पुलिस c. परिवहन विभाग d. अग्निशाम सेवा e. ज़िला स्वास्थ्य समिति f. संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस 3. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		4. आवश्यकतानुसार ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 5. राहत कार्यों का अनुश्रवण करना 6. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा नगर आयुक्त को घटना और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन्न राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. उप नगर आयुक्त को गतिविधियों का प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम - राहत दल का गठन करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत एवं बचाव कार्य दल 2. अग्निशमन दल (यदि वाहनों में आग लग जाती है) 3. क़ानून एवं यातायात व्यवस्था 4. संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल 5. स्वास्थ्य सेवा दल

राहत एवं बचाव कार्य - प्रभावित क्षेत्र में राहतकर्मियों और आवश्यक उपकरणों के पहुँचते ही राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
खोज एवं बचाव कार्य दल	नगर प्रबंधक	1. DEOC, ट्रैफ़िक थाना, NHAI, SDRF, परिवहन विभाग तथा आवश्यकतानुसार अग्निशाम विभाग के साथ समन्वय कर बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों का घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 2. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना

क़ानून एवं यातायात व्यवस्था - प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राहत कार्यों की सुगमता तथा घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त	संबंधित थाना एवं ट्रैफ़िक थाना, की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. कानून व्यवस्था को बनाये रखना 2. राहत कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करवाना 3. अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना 4. घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना 5. नजदीकी अस्पतालों एवं सिविल सर्जन को सूचित करना

राहत उपकरण - आवश्यक उपकरण को घटनास्थल पर भेजने का प्रबंध करना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)। आवश्यक उपकरणों की सूची अंत में दी गयी है.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल	टैक्स कलेक्टर	1. समुदाय के ऐसे लोगों की सूची तैयार करना जिनके पास सड़क दुर्घटना होने पर राहत एवं बचाव में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों जैसे JCB, क्रेन, रस्सा, जैक, सा कटर आदि. 2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित BSDRN पोर्टल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर यथाशीघ्र उनके मालिकों से संपर्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य सेवा - दुर्घटना में हुए घायलों के इलाज़ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही चिन्हित अस्पतालों को निर्देश देना तथा एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करना.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
स्वास्थ्य सेवा दल	उप नगर आयुक्त	सिविल सर्जन की मदद से 1. दुर्घटना स्थल से नजदीक के सभी अस्पतालों (निजी सहित) को आकस्मिक सेवा के लिए संदेश भेजवाना 2. आवश्यकतानुसार ambulance की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना (DEOC की सेवा ली जा सकती है) 3. प्राथमिकता के आधार पर घायल व्यक्तियों की चिकित्सा सुनिश्चित करना 4. दुर्घटना में यदि प्रभावित के तौर पर गर्भवती महिला, दिव्यांग जन, बुजुर्ग, गम्भीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं तो उनके लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना

8.5 गर्म हवा / लू - प्रतिक्रिया योजना

गर्म हवा / लू एक प्राकृतिक आपदा है जो मौसम से संबंधित है और सामान्यतः अप्रैल - जून माह के बीच घटित होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जब तापमान सामान्य से 4.5-6.4 डिग्री ज्यादा हो। मैदानी क्षेत्रों के लिये गर्म हवाएँ/लू स्थिति तब मानी जाती है। जब अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री से अधिक हो। गर्म हवाएँ/लू एक वायुमंडलीय स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी-कभी जान लेवा हो सकता है। गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अधिकतम तापमान लगातार दो दिनों अथवा उससे अधिक दिनों तक सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता हो। (स्रोत - बिहार हीट एक्शन प्लान)

उद्देश्य : गर्म हवा / लू के दौरान कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि गर्म हवा / लू आपदा के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

गर्म हवा / लू की स्थिति बनने से निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं -

- जीवन क्षति अथवा लोगों का मूर्छित होना
- शरीर में पानी की कमी होना
- इस दौरान आग लगने की संभावना बढ़ जाती है

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- राहत कार्य
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- अस्पतालों को लू से प्रभवित लोगों के इलाज के लिए सतर्क, सचेत और तैयार रखना
- समुदायों के बीच अलर्ट जारी करना
- जगह-जगह प्याऊ की व्यवस्था करना
- आश्रय स्थल की व्यवस्था करना

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गर्म हवा / लू से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.5.1 गर्म हवा / लू के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय

- दरभंगा नगर गर्म हवाएं और लू भेद्यता सूची में **अधिक सामान्य श्रेणी 3** में आता है और इसकी **ताप भेद्यता सूचकांक 1.308** है स्रोत - बिहार हीट एक्शन प्लान। इसका अर्थ ही कि यहाँ का अधिकतम तापमान औसत तापमान के आस-पास रहता है.
- दरभंगा नगर में पिछले 8 वर्षों का अधिकतम तापमान अप्रैल - मई माह में होता रहा है ।

दरभंगा नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं अधिकतम तापमान			
वर्ष	**माह**	**औसत सामान्य तापमान**	**अधिकतम तापमान**
2022	अप्रैल	36	43
2021	अप्रैल	38	43
2020	मई	35	39
2019	मई	38	41
2018	जून	37	39
2017	मई	37	40
2016	अप्रैल	38	41
2015	मई	38	41

8.5.2 गर्म हवा / लू से सुरक्षा हेतु नगर निगम के द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी -

- जिला सांख्यिकी विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए नगर परिक्षेत्र में मौसम अलर्ट जारी करने कि व्यवस्था करना
- विभिन्न हितभागियों यथा PHED, CSOs, नगर व्यावसायिक संघ आदि के सहयोग से लू से बचाव के लिए प्याऊ की व्यवस्था के लिए पूर्व से तैयारी रखना
- निर्जलीकरण से बचने के लिए ORS का भंडारण
- गर्म हवा / लू से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना

- **जागरूकता कार्यक्रम -**
  - गर्म हवा / लू से बचाव के लिए **"क्या करें, क्या ना करें"** के पोस्टर मुख्य चौराहों पर लगाया जाना
  - वार्डवार CMM एवं CRP की मदद से लोगों के बीच **"क्या करें, क्या ना करें"** का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना
  - सभी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना

जिम्मेदारी -
• नगर निगम

- **गर्म हवा / लू से सुरक्षा से संबंधित IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसा**

जिम्मेदारी

- **IEC सामग्री** - बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित एडवाइजरी का इस्तेमाल किया जा सकता है
- **IEC सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम
- **वित्तीय व्यवस्था– नगर निगम**

8.5.3 गर्म हवा / लू के दौरान प्रतिक्रिया -

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना-** गर्म हवा / लू की स्थिति बनने की अवस्था में कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	कमांड अधिकारी के रूप में- 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC b. जिला सांख्यिकी विभाग (मौसम सूचना के लिए) c. स्वास्थ्य विभाग d. शिक्षा विभाग e. अग्निशाम सेवा f. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) g. विद्युत् विभाग 3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		6. प्रतिदिन शाम में राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगले दिन की योजना का निर्धारण करना 7. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा प्रतिदिन शाम में नगर आयुक्त को मौसम कि स्थिति और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. उप नगर आयुक्त को गतिविधियों का प्रतिदिन प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम - राहत दल का गठन कर उसे क्रियाशील बनाना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत कार्य दल 2. अग्निशमन दल 3. स्वास्थ्य सेवा दल

राहत कार्य - लू की स्थिति में नगर क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों के साथ निरंतर राहत का कार्य करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
राहत कार्य दल	नगर प्रबंधक	- DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा आवश्यकतानुसार अग्निशाम विभाग के साथ समन्वय कर राहत में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी संसाधनों व सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे - जिला सांख्यिकी विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए नगर परिक्षेत्र में मौसम अलर्ट जारी करना - विभिन्न हितभागियों यथा PHED, CSOs, नगर व्यावसायिक संघ आदि के सहयोग से लू से बचाव के लिए जगह-जगह प्याऊ की व्यवस्था करना - समुदाय में CRP तथा शहरी स्वयं सहायता समूह की मदद से निर्जलीकरण से बचने के लिए ORS पैकट का वितरण करना - गर्म हवा / लू से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना

विभाग	जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग	- स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत कर्मियों को गर्म हवाएं / लू से जनित बीमारियों के संबंध में संवेदीकरण तथा क्षमता निर्माण यथा लू संबंधी चिकित्सीय स्थितियां, लक्षण तथा प्रबंधन करना - लू से प्रभावित व्यक्तियों का तत्काल ईलाज सुनिश्चित करना - अस्पतालों में ठन्डे आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करना जहाँ विद्युत् आपूर्ति निर्बाध रहे - सारे UPHC में पर्याप्त मात्रा में ORS, जीवन रक्षक दवाइयां एवं IV फ्लूइड का भंडारण सुनिश्चित करना - अत्यधिक गर्मी पड़ने पर समुदाय के बीच में भी ORS के पैकेट का वितरण करना - लू से पीड़ित गंभीर रोगियों के लिए चलंत चिकित्सा दल कि व्यवस्था सुनिश्चित करना
शिक्षा विभाग	- लू से सुरक्षा के लिए क्या करें, क्या नहीं करें के बारे में जागरूक करना (मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत) - विद्यालयों का संचालन सुबह की पाली में करना

विभाग	जिम्मेदारी
	- विद्यालयों में अकार्यशील हैण्ड पम्प/जलापूर्ति प्रणाली कि मरम्मती एवं संधारण
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	- पूर्व से लगे हुए हैण्ड पम्प को दुरस्त रखना तथा पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रणाली की मरम्मती तथा संधारण - जल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर के द्वारा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना
श्रम संसाधन विभाग	- लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लू की स्थिति में पूर्वाहन 6 बजे से 11 बजे तक तथा पुनः अपराहन 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित करने का निर्देश जारी करना - यह सुनिश्चित करना की उद्योगों तथा निर्माण कार्य स्थल पर पीने के पानी और ORS की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रहे - कार्मिकों को लू से सुरक्षा के लिए “क्या करें, क्या नहीं करें” के बारे में जागरूक करना
विद्युत् विभाग	- ढीले और लटके हुए तारों की मरम्मती सुनिश्चित करना ताकि तेज़ हवा से वे आपस में ना टकराएं
अग्निशमन विभाग	- अग्नि से प्रवण इलाकों में मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना - समुदाय के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना - अग्निशमक उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदर्शित कर करना - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ समन्वय कर hydrant की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना
नगर निगम के द्वारा गर्मी प्रारंभ होने से पहले ही सभी संबंधित विभागों को उपरोक्त कार्यों की तैयारी एवं निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र निर्गत किया जाएगा.	

8.6 शीतलहर - प्रतिक्रिया योजना

शीतलहर एक प्राकृतिक आपदा है जो मौसम संबंधी चरम स्थितियां हैं और सामान्यतः दिसंबर के आखिरी सप्ताह से जनवरी माह के मध्य तक घटित होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शीतलहर को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान हो। शीतलहर एक वायुमंडलीय स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी-कभी जानलेवा हो सकता है। शीतलहर के कारण सामान्य जन-जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप प्रभावित हो जाते हैं। सबसे विकट प्रभाव बेघर लोगों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है।

उद्देश्य : शीतलहर के दौरान कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि शीतलहर आपदा के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

शीतलहर की स्थिति बनने से निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं -

- जीवन क्षति अथवा लोगों का स्वास्थ्य खराब होना
- शरीर में पानी की कमी होना

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- राहत कार्य
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- अस्पतालों को शीतलहर से प्रभवित लोगों के इलाज के लिए सतर्क, सचेत और तैयार रखना
- समुदायों के बीच अलर्ट जारी करना
- जगह-जगह अलाव की व्यवस्था करना
- बेघरों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शीतलहर से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.6.1 शीतलहर के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय

- दरभंगा नगर में शीतलहर की स्थिति नहीं होती है परन्तु न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है।
- दरभंगा नगर में पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम तापमान जनवरी माह में दर्ज किया गया है

क्र.	वर्ष	माह	औसत सामान्य तापमान	न्यूनतम तापमान
1	2022	जनवरी	20	13
2	2021	जनवरी	22	16
3	2020	जनवरी	20	15
4	2019	जनवरी	22	16
5	2018	जनवरी	21	15
6	2017	जनवरी	22	15
7	2016	जनवरी	22	16
8	2015	जनवरी	21	15

8.6.2 शीतलहर के संबंध में नगर निगम के द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी -

- जिला सांख्यिकी विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए नगर परिक्षेत्र में मौसम अलर्ट जारी करने कि व्यवस्था करना
- विभिन्न हितभागियों यथा CSOs, नगर व्यावसायिक संघ आदि के सहयोग से शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था के लिए पूर्व से तैयारी रखना
- शीतलहर से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना

➢ **जागरूकता कार्यक्रम -**

- शीतलहर से बचाव के लिए **"क्या करें, क्या ना करें"** के पोस्टर मुख्य चौराहों पर लगाया जाना
- वार्डवार CMM एवं CRP की मदद से लोगों के बीच **"क्या करें, क्या ना करें"** का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना
- सभी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना

जिम्मेदारी -
- नगर निगम

➢ **शीतलहर से सुरक्षा से संबंधित IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार**

जिम्मेदारी
- **IEC सामग्री** - बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित एडवाइजरी का इस्तेमाल किया जा सकता है
- **IEC सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम
- **वित्तीय व्यवस्था– नगर निगम**

8.6.3 शीतलहर के दौरान प्रतिक्रिया -

शीतलहर के दौरान यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना-** शीतलहर की स्थिति बनने की अवस्था में कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	कमांड अधिकारी के रूप में- 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC b. जिला सांख्यिकी विभाग (मौसम सूचना के लिए) c. स्वास्थ्य विभाग d. शिक्षा विभाग e. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) f. विद्युत् विभाग 3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 6. प्रतिदिन शाम में राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगले दिन की योजना का निर्धारण करना 7. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा प्रतिदिन शाम में नगर आयुक्त को मौसम कि स्थिति और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन्न राहत दलों का supportive supervision करना

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. उप नगर आयुक्त को गतिविधियों का प्रतिदिन प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम - राहत दल का गठन करना और उसे कार्यशील बनाना

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत कार्य दल 2. स्वास्थ्य सेवा दल

राहत कार्य - शीतलहर की स्थिति में नगर क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों के साथ निरंतर राहत का कार्य करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
राहत कार्य दल	नगर प्रबंधक	1. DEOC तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर राहत में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे 2. जिला सांख्यिकी विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए नगर परिक्षेत्र में मौसम अलर्ट जारी करना 3. विभिन्न हितभागियों यथा CSOs, नगर व्यावसायिक संघ आदि के सहयोग से शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था करना 4. शीतलहर से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना 5. अस्थायी आश्रय स्थल निर्माण करना

विभाग	जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग	- स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत कर्मियों को शीतलहर से जनित बीमारियों के संबंध में संवेदीकरण तथा क्षमता निर्माण यथा शीतलहर संबंधी चिकित्सीय स्थितियां, लक्षण तथा प्रबंधन करना - शीतलहर से प्रभावित व्यक्तियों का तत्काल ईलाज किया जाए - अस्पतालों में गर्म आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करना जहाँ विद्युत् आपूर्ति निर्बाध रहे - सारे UPHC में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां का भंडारण सुनिश्चित करना - शीतलहर से पीड़ित गंभीर रोगियों के लिए चलंत चिकित्सा दल कि व्यवस्था सुनिश्चित करना
शिक्षा विभाग	- शीतलहर से सुरक्षा के लिए क्या करें, क्या नहीं करें के बारे में जागरूक करना (मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत) - विद्यालयों का संचालन सुबह की पाली में ना कर 9 बजे के बाद से करने का निर्देश जारी करना
नगर निगम	- बेघरों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना तथा ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण की यथासंभव व्यवस्था करना - जगह-जगह अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना
नगर निगम के द्वारा ठंड प्रारंभ होने से पहले ही सभी संबंधित विभागों को उपरोक्त कार्यों की तैयारी एवं निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र निर्गत किया जाएगा तथा अपने अधीन आने वाले कार्यों कि प्रगति सुनिश्चित करेगा.	

8.2 तेज आंधी तूफ़ान, वज्रपात - प्रतिक्रिया योजना

तेज आंधी तूफ़ान एक प्राकृतिक आपदा है। तेज आंधी या चक्रवात कम वायुमण्डलीय दबाव का एक क्षेत्र होता है जो उच्च वायुमण्डलीय दबाव से घिरा होता है। दरभंगा में आने वाले चक्रवात की प्रकृति सामान्य से तेज भी होती है। **BMTPC के अनुसार दरभंगा "High Damage Risk Zone" में आता है। जहां तेज हवा की गति 169.2 km/h (47 m/s) तक हो सकती है। आमतौर पर मार्च और जून के महीने में तेज हवायें (5-28 km/h की गति तक) चलती हैं।** इसी तरह मानसून के समय **ठनका या वज्रपात** भी जान-माल का नुकसान करता है। हाल के वर्षों में ठनका गिरने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ठनका एक प्रकार का विद्युत तरंग है जो मानसून के समय आसमान में उत्पन्न होता है। यह आमतौर पर बादलों के बीच जब विद्युत आवेश उत्पन्न होता है तो उस विद्युत आवेश के कारण, विद्युत धारा बन जाती है जो बादल और धरती के बीच एक संपर्क बनाती है। यह संपर्क आमतौर पर एक तेज धमाके या फिर एक बहुत तेज बिजली के चमक के रूप में दिखाई देता है। इसकी ताकत दस करोड़ वोल्ट तक होती है।

उद्देश्य : सपाट वस्तुएं यदि ठीक से बंधे न हों तो तेज हवा के pressure and suction प्रभाव के कारण वे उड़ सकते हैं। जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही तेज आंधी तूफ़ान आपदा के प्रति उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ठनका या वज्रपात के कारण बिजली गिरने से लोगों की मौत हो जाती है। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि तेज आंधी तूफ़ान आपदा के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।
वज्रपात या तेज आंधी तूफ़ान आने के पश्चात निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं -

- पेड़ों का गिरना जो परिवहन और राहत कार्य को बाधित करते हैं;
- जीवन का नुकसान;
- साइन पोस्ट, बिजली के खंभे और ट्रांसमिशन लाइन टावर जैसी कई कैंटिलीवर संरचनाओं में खराबी;
- अनुचित रूप से संलग्न खिड़कियों या खिड़की के फ्रेम को नुकसान;
- छत के प्रोजेक्शन, छज्जों और सनशेड को नुकसान
- परिसर की लंबी दीवारों का गिरना;
- कमजोर रूप से निर्मित दीवारों का गिरना और परिणामस्वरूप छतों का गिरना
- आंतरिक और बाहरी दबावों के संयोजन के कारण हल्के वजन की छत के आवरण और लंबी-लंबी दीवारों वाली बड़ी औद्योगिक इमारतों को नुक़सान ;
- झुग्गी-झोपड़ियों को नुक़सान

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- राहत एवं बचाव कार्य
- समुदायों के बीच अलर्ट जारी करना
- यातायात व्यवस्था प्रबंधन
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- मानवीय सहायता उपलब्ध कराना
- जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई
- आश्रय स्थल की व्यवस्था करना

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वज्रपात या तेज आंधी तूफ़ान से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.2.1 तेज आंधी तूफ़ान के दृष्टिकोण से दरभंगा नगर का परिचय

- दरभंगा नगर के बहुत सारे मकान अर्ध-पक्का संरचना/ झुग्गी झोपड़ी के रूप में है। ऐसे मकान काफ़ी तेज हवा और बारिश में नहीं टिक पाते हैं और कई बार इससे जान और माल का भी नुक़सान होता है।
- दरभंगा नगर पर बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का भी असर होता है।
- **वर्ष 2021 में आए गुलाब और यस, वर्ष 2020 में अमफान तथा 2019 में फेनी चक्रवात प्रमुख रहे हैं।**
- नीचे दिए गए तालिका में विभिन्न वार्ड एवं उनके मोहल्ले में तेज आंधी तूफ़ान से नुक़सान होते हैं और इस वजह से नगर वासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम
1	1	शिव धारा, दर्जी टोला, पासवान टोला, ताज विष्णुपुर डीह
2	2	पासी मोहल्ला, पासवान मोहल्ला, मंथ पोखर पर राम मोहल्ला, नवटोलिया यादव मोहल्ला, नया धरारी बेला
3	5	आजम नगर लीची बाड़ा, बिशनपुर, नूनठरवा
4	7	कबरा घाट, मिश्रीगंज, काफिगंज, राम चौक (महादलित टोला)
5	8	डीह पर कई कच्चे घर हैं
6	11	हसन बाग़, रामबाग क़िला के सामने कई कच्चे घर हैं
7	12	कैदराबाद चूड़ी मार्किट और कटहलबाड़ी के पास कई कच्चे मकान हैं
8	13	केबिन चौक से सरोज महतो के घर तक कई कच्चे मकान हैं जिनके छत उड़ जाते हैं

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम
9	14	पासवान टोला (गंगवारा)
10	20	धुनिया टोला, सकमा पुल
11	21	मुफ़्ती मोहल्ला, क़िला घाट, सेना पथ (बेतरतीब ढंग से छतों पर एसबेस्टस या चदरा रखे हुए हैं)
12	23	वाजितपुर
13	25	उर्दू बाज़ार, फैजुल्ला खां
14	30	शेर मोहम्मद, फकीरा खां
15	31	नया टोला भीगो, जमालपुरा, मीरग्यासचक, सहनी टोला, लीची बाग़
16	33	बीबी पाकड़, युसुफगंज, रहमगंज, कसाब टोली में कई कच्चे घर हैं
17	34	TBDC रोड
18	36	फ़क़ीर टोला, अंधरिया बाग़ में कई कच्चे घर हैं
19	37	नुनिया टोला, इमामबाड़ी में कई कच्चे घर हैं
20	38	चमरटोली (बहादुरगंज), दुमदुमा, चकजोहरा में मलिन बस्ती है
21	40	अभंदा, कृष्णानगर, सराय, नूनथरवा
22	41	धोबी गली (बाकरगंज) में कई कच्चे घर हैं
23	42	बेलवा गंज में कई कच्चे घर हैं
24	43	चमरटोली, कुजरटोली में कई कच्चे घर हैं
25	44	शाहगंज में कई कच्चे घर हैं
26	46	कबिलपुर (मलिन बस्ती) में कई कच्चे घर हैं

8.2.2 तेज आंधी तूफ़ान के संबंध में पूर्व तैयारी

- आँधी के कारण नुकसान से बचाने के लिए भवनों का ढालीदार छत का निर्माण और J कील के द्वारा उन्हें कसने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- मानसून से पूर्व तेज़ आंधी तूफान से प्रभावित होने वाले वार्ड के संबंधित सफाई इंस्पेक्टरों एवं CRP के माध्यम से लोगों को सुरक्षित रहने के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम को चलाना।
- नगर स्तर पर तेज आंधी तूफ़ान वाले क्षेत्रों के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन करवाना।
- प्रभावित होने वाले वार्डों के लोगों को मौसम के बारे में पूर्व चेतावनी जारी करने की प्रणाली DEOC और DSO (District Statistics Officer) के साथ समन्वय कर स्थापित करना ।

- संबंधित वार्डों में मानसून के दौरान पूर्व से आश्रय स्थल के लिए चिन्हित किए गए जगहों पर राहत कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की बुनियादी व्यवस्था पूर्व से करके रखना।
- बहुमंजीला इमारत, सरकारी भवन, ऊँचे मीनारों पर तड़ित चालकों का अधिष्ठापन ।
- सामाजिक संगठनों और समुदाय के लोगों को ठनका, एवं आंधी तूफ़ान जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण देना ताकि जब भी इस प्रकार की दुर्घटना की संभावित स्थिति बने तो अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें।
- घर में अर्थिंग वाला तार अवश्य लगवाएं।
- मौसम ख़राब होने पर यथासंभव घरों में या पक्के मकानों में शरण लें
- बारिश होते समय पेड़ के नीचे या खुले मैदान में न खड़े हों।

नगर प्रशासन के द्वारा किए जाने वाली अन्य तैयारियां -

- पर्याप्त संख्या में इन मौसम संबंधी चरम स्थितियों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता पोस्टर, होर्डिंग इत्यादि लगाए जाएं।
- झुग्गी-झोपड़ियों को ज्यादा से ज्यादा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पक्के मकानों में बदला जाए।
- घटना के तुरंत बाद एक कंट्रोल रूम को प्रारंभ कर सकें ऐसी व्यवस्था करना जिसके माध्यम से घटना स्थल पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य बनाया जा सके।
- राहत शिविर के संचालन का प्रावधान रखना।

8.2.3 तेज आंधी तूफ़ान के दौरान प्रतिक्रिया -

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना-** नगर परिधि के अंतर्गत किसी क्षेत्र में तेज आंधी तूफ़ान या वज्रपात की स्थिति बनते ही कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है। नगर निगम अवस्थित कंट्रोल रूम का संचालन नगर आयुक्त के निर्देशन में उप नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक करेंगे और उनकी मुख्य ज़िम्मदारियाँ आगे की तालिका में दी गयी है-

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	**कमांड अधिकारी के रूप में-** 9. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 10. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC, SDRF b. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग c. ज़िला स्वास्थ्य समिति d. विद्युत विभाग e. अग्निशमन विभाग f. संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस g. वन विभाग h. स्थानीय CSOs 11. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 12. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 13. मानवीय सहायता के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं एवं CSR को सहयोग करने के लिए प्रेरित कर उनका सहयोग लेना जैसे रोटरी क्लब आदि 14. आवश्यकतानुसार ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 15. प्रतिदिन शाम में दिनभर चली राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगले दिन की योजना का निर्धारण करना 16. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	5. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा प्रतिदिन शाम में नगर आयुक्त को घटना और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 6. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 7. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन राहत दलों का supportive supervision करना 8. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	कार्यपालक अभियंता	6. आपदा के दौरान संरचनात्मक क्षति का आकलन और मूल्यांकन कर नगर आयुक्त को घटना स्थिति से अवगत कराना

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		7. सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के सहयोग से सभी आवश्यक सिविल कार्यों का निष्पादन करेंगे 8. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, वन विभाग, अग्निशमन विभाग एवं SDRF के साथ समन्वय कर बाढ़ के दौरान बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 9. नगर निगम के द्वारा बनाए गए राहत एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 10. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना
4	नगर प्रबंधक	6. कंट्रोल रूम का संचालन करना 7. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 8. घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 9. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 10. दिनभर की गतिविधियों का प्रतिदिन शाम में उप नगर आयुक्त को प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम - नगर आयुक्त के द्वारा कमांड अधिकारी के रूप में सबसे पहला कार्य राहत दल का गठन करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना होगा (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत एवं बचाव कार्य दल 2. यातायात व्यवस्था 3. संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल 4. स्वास्थ्य सेवा दल 5. मानवीय सहायता दल 6. जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल

राहत एवं बचाव कार्य - प्रभावित क्षेत्र में राहतकर्मियों और आवश्यक उपकरणों के पहुँचते ही पानी निकासी का कार्य प्रारंभ करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
राहत एवं बचाव कार्य दल	कार्यपालक अभियंता सहयोगी - सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता	4. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , SDRF और NDRF के साथ समन्वय कर बाढ़ के दौरान बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 5. नगर निगम के द्वारा बनाए गए राहत एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 6. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना

यातायात व्यवस्था - प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों की सुगमता लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना/ ट्रैफ़िक थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त-	संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस उपाधिक्षक-ट्रैफ़िक/थाना अध्यक्ष- ट्रैफ़िक थाना, की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 5. राहत कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करवाना तथा 6. आवश्यकतानुसार ट्रैफ़िक को डाईवर्ट करना 7. गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था 8. राहत शिविरों में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करना जिससे बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न को रोका जा सके

राहत उपकरण - तेज आंधी तूफ़ान की तीव्रता और उससे हुए नुकसान को देखते हुए तत्काल ही सभी आवश्यक उपकरण को घटनास्थल पर भेजने का प्रबंध करना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)। आवश्यक उपकरणों की सूची अंत में दी गयी है.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल	टैक्स कलेक्टर	3. समुदाय के ऐसे लोगों की सूची तैयार करना जिनके पास तेज आंधी तूफ़ान की स्थिति होने पर राहत एवं बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों जैसे क्रेन, JCB, जेनरेटर आदि. 4. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित BSDRN पोर्टल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर यथाशीघ्र उनके मालिकों से संपर्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य सेवा - प्रभावित क्षेत्रों में घायलों के इलाज़ कि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही चिन्हित अस्पतालों को निर्देश देना तथा उनके टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करना.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
स्वास्थ्य सेवा दल	उप नगर आयुक्त	सिविल सर्जन की मदद से 7. आवश्यकतानुसार ambulance की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना ताकि गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा ससमय मिल सके (DEOC की सेवा ली जा सकती है) 8. नजदीकी अस्पतालों को घायल व्यक्तियों के तुरंत इलाज़ के लिए सतर्क करना 9. प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती महिलाओं एवं 0-1 साल के बच्चों, दिव्यांग जनों, बुजुर्गों, गम्भीर रूप से बीमार के लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना 10. बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना 11. प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 0-5 साल के बच्चों को ICDS मानक अनुसार पोषक आहार मिले इसके लिए ज़िला पदाधिकारी एवं DPO-ICDS के साथ समन्वय करना

जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल-

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल	सैनिटेशन इन्स्पेक्टर	7. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के साथ समन्वय कर **बायो डायजेस्टर युक्त चलित शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं कचरा प्रबंधन** सुनिश्चित करना 8. घरेलू स्तर पर पेयजल को शुद्ध करने के लिए Chlorine Tablet का वितरण करवाना 9. तेज़ आंधी तूफ़ान के कारण फैले कचड़े को साफ़ करने की व्यवस्था करना 10. राहत शिविरों में जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई सुनिश्चित करना 11. राहत शिविरों में समुचित मात्रा में सैनिटरी पैड का इंतज़ाम सुनिश्चित करना

मानवीय सहायता - प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आवश्यक उपाय करना। राहत शिविरों में एकत्रित लोगों के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
मानवीय सहायता दल	CMM	8. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर चिन्हित जगहों पर राहत शिविर लगवाना 9. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में ज़िला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना 10. समुदाय या City Level Federation की मदद से सामुदायिक रसोई घर का संचालन करवाना 11. ANM की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 0-5 साल के बच्चों की सूची अनुसार इन लोगों के लिए सामुदायिक रसोई में ICDS के मानक अनुसार पोषक आहार बनवाना 12. वार्ड वार CRP एवं वार्ड पार्षद के सहयोग से प्रभावित लोगों को सांत्वना देना, उनकी संवेदनाओं को समझना एवं राहत सहायता प्राप्त करने में सहयोग करना

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
		13. मानव तस्करी तथा अराजक गतिविधियों (बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न) में संलिप्त अराजक तत्वों की पहचान कर संबंधित थाना को तत्काल सूचित करना 14. ANM की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती महिलाओं एवं 0-1 साल के बच्चों की सूची तैयार कर स्वास्थ्य दल के साथ साझा करना

8.7 महत्वपूर्ण संपर्क नंबर -

क्र०	पदनाम	नाम	संपर्क संख्या
1	नगर आयुक्त	कुमार गौरव	7004085779
2	उप नगर आयुक्त	सुधांशु कुमार	9798527123
3	नगर प्रबंधक	अज़हर हुसैन	8210751663
4	नगर मिशन प्रवन्धक- NULM	संतोष कुमार सिंह	8789229171
5	नगर मिशन प्रवन्धक- NULM	अरुण कुमार साहनी	9110145207
6	कंप्यूटर ऑपरेटर	शिव शंकर सिन्हा	9431253774
7	अमिन	नंदन कुमार मिश्रा	7209038267
8	कनीय अभियंता	उदय नाथ झा	8210894275
9	नगर निगम नियंत्रण कक्ष	आनंद कुमार	6202777740
10	मुख्य सफ़ाई निरीक्षक, नगर निगम	अरुण दास	8581923494
11	DEOC नियंत्रण कक्ष	एकता कुमारी	9304190266
12	Help line Number		
13	प्रभारी पदाधिकारी ज़िला आपदा प्रबंधन (ADM-Disaster Management)	सत्यम कुमार	8766259934
14	ज़िला पदाधिकारी	राजीव रौशन	0672240200
15	उप विकास आयुक्त	अमरिशा वैन्स	9431818365
16	अपर ज़िला समाहर्ता		9473191318
17	SDM सदर	स्पर्श गुप्ता	9473191319
18	पुलिस अधीक्षक	अवकाश कुमार	9431822992
19	SDPO सदर	कृश नंदन कुमार	9431800062
20	ज़िला सूचना पदाधिकारी	नागेंद्र कुमार गुप्ता	7739109858
21	ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी		9939923026
22	अग्निशामलय दरभंगा		06272222707

क्र०	पदनाम	नाम	संपर्क संख्या
23	अंचलाधिकारी सदर		9431414270
25	सिविल सर्जन	डॉक्टर अनिल कुमार	9470003245
26	ज़िला अस्पताल प्रबंधक		
27	ज़िला पशुपालन पदाधिकारी	बी.के. राय	7070524439
28	ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी	राकेश रंजन	7739943022
29	District Statistic Officer	उमेश कुमार सिंह	9431221313
30	कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	नितिन कुमार	8544428581
31	कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग	बिक्रम कुमार	7763815318
32	यातायात उपअधीक्षक	बिरजु पासवान	9113117135
33	ज़िला परिवहन पदाधिकारी	राजेश कुमार	8084572525
34	नगर निगम परिधि के अंदर आने वाले थाना का नम्बर	लहेरियासराय थाना विश्वविद्यालय थाना बेंता ओ॰पी॰	9431822500 9431822501 06272233084

8.8 दरभंगा नगर में उपलब्ध संसाधन की सूची

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
1	JCB	Accidents (Rail, Road, Air) , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Collapse Structure , Cyclonic storm , Earthquake , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	1	Free	Municipal Corporation	7011528438	Municipal Corporation, Darbhanga	Benipur
2	JCB	Accidents (Rail, Road, Air) , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Collapse Structure , Cyclonic storm , Earthquake , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	1	Free	Municipal Corporation	7011528438	Municipal Corporation, Darbhanga	Benipur
3	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	5	Free	DDMA Darbhanga	8544412511	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , KUSESHWARSTHAN EAST
4	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	10	Free	DDMA Darbhanga	8544412510	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , KUSESHWARSTHAN

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
5	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	5	Free	DDMA Darbhanga	8544412509	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , KIRATPUR
6	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	30	Free	DDMA Darbhanga	8544412508	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , GHANSHYAMPUR
7	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	7	Free	DDMA Darbhanga	8544412507	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , GAURABAURAM
8	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	20	Free	DDMA Darbhanga	8544412521	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , TARDIH
9	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	9	Free	DDMA Darbhanga	8544412519	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , MANIGACHI
10	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	4	Free	DDMA Darbhanga	8544412513	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE ,BAHERI
11	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	100	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	DARBHANGA	collectorate campus godown
12	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	100	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	DARBHANGA	collectorate campus godown
13	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	1	Free	DDMA Darbhanga	8544412511	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , KUSESHWARSTHAN EAST
14	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	4	Free	DDMA Darbhanga	8544412508	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , GHANSHYAMPUR
15	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	57	Free	DDMA Darbhanga	8544412505	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , BENIPUR
16	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	58	Free	DDMA Darbhanga	8544412519	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , MANIGACHI
17	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	50	Free	DDMA Darbhanga	8544412513	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , BAHERI
18	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	3	Free	DDMA Darbhanga	8544412518	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE ,KEOTI
19	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	4	Free	DDMA Darbhanga	8544412520	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , SINGHWARA
20	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	3	Free	DDMA Darbhanga	8544412517	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE ,JALE
21	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	57	Free	DDMA Darbhanga	8544412515	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE ,

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
								HANUMAN NAGAR
22	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	1	Free	DDMA Darbhanga	854412516	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , HAYAGHAT
23	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	8	Free	DDMA Darbhanga	8544412512	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE ,BAHADURPUR
24	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	2	Free	DDMA Darbhanga	8544412514	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE ,DARBHANGA SADAR
25	boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	22	Free	DDMA Darbhanga	8544412506	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , BIRAUL
26	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	3000	Free	DDMA Darbhanga	9473191321	DARBHANGA	SDM OFFICE GODOWN, BIRAUL
27	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	1100	Free	DDMA Darbhanga	8544412514	DARBHANGA	CIRCLE OFFICE , DARBHANGA
28	Net Big	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	2	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS GODOWN	COLLECTORATE CAMPUS GODOWN
29	Net Big	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	2	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS GODOWN	collectorate campus godown
30	Tent	Flood ,	177	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS GODOWN	collectorate campus godown
31	Tent	Flood ,	177	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS GODOWN	collectorate campus godown
32	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	190	Free	DDMA Darbhanga	8544412516	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , HAYAGHAT
33	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	500	Free	DDMA Darbhanga	8544412511	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , KUSESHWARSTHAN EAST
34	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	400	Free	DDMA Darbhanga	8544412510	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , KUSESHWARSTHAN

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
35	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	362	Free	DDMA Darbhanga	8544412509	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , KIRATPUR
36	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	248	Free	DDMA Darbhanga	8544412507	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , GAURABAURAM
37	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	350	Free	DDMA Darbhanga	8544412508	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , GHANSHYAMPUR
38	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	250	Free	DDMA Darbhanga	8544412506	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , BIRAUL
39	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	300	Free	DDMA Darbhanga	8544412519	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , MANIGACHI
40	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	105	Free	DDMA Darbhanga	8544412520	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , SINGHWARA
41	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	443	Free	DDMA Darbhanga	8544412517	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE ,JALE
42	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	500	Free	DDMA Darbhanga	8544412513	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE ,BAHERI
43	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	1552	Free	DDMA Darbhanga	8544412512	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , BAHADURPUR
44	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	200	Free	DDMA Darbhanga	8544412504	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , ALINAGAR
45	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	270	Free	DDMA Darbhanga	8544412505	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , BENIPUR

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
46	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	750	Free	DDMA Darbhanga	8544412521	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , TARDIH
47	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	300	Free	DDMA Darbhanga	8544412518	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE ,KEOTI
48	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	250	Free	DDMA Darbhanga	8544412515	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , HANUMAN NAGAR
49	Polythene sheets	Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood , Flood ,	20000	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS	collectorate campus godown
50	Life buoys	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	20	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS	collectorate campus godown
51	Life buoys	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	10	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS	collectorate campus godown
52	Inflatable boat with OBM (FRP)	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	5	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS	collectorate campus godown
53	Inflatable boat with OBM (FRP)	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	1	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS	collectorate campus godown
54	Satellite phone	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood ,	5	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE DARBHANGA	Disaster management Office,darbhanga
55	Satellite phone	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood ,	5	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE DARBHANGA	Disaster management Office,darbhanga
56	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	100	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS	collectorate campus godown
57	Life Jackets	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Flood ,	10	Free	DDMA Darbhanga	8544412516	COLLECTORATE CAMPUS	CIRCLE OFFICE , HAYAGHAT

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
58	inflatable boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	2	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS	collectorate campus godown
59	inflatable boat	Drowning / Boat capsizing , Flood ,	2	Free	DDMA Darbhanga	6272245055	COLLECTORATE CAMPUS	collectorate campus godown
60	HOGE PIPE	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood ,	10	Free	BIHAR FIRE SERVICE	7485805830	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR , DARBHANGA
61	PILAS	Accidents (Rail, Road, Air) , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Earthquake , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809462596	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA
62	HOGE PIPE	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood ,	11	Free	BIHAR FIRE SERVICE	7485805828	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION, BIRAUL, DARBHANG
63	GENERATER	Accidents (Rail, Road, Air) , Earthquake , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	7485805828	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION, BIRAUL, DARBHANG
64	HYDENT	Accidents (Rail, Road, Air) , Cyclonic storm , Earthquake , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION, BIRAUL, DARBHANG
65	HOOK LADDER	Accidents (Rail, Road, Air) , Earthquake , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	7485805828	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION, BIRAUL, DARBHANG
66	DOOR BREAKER	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
67	SHOVEL	Accidents (Rail, Road, Air) , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Collapse Structure , Cyclonic storm , Cyclonic storm , Earthquake , Earthquake , Earthquake , Fire , Fire , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
68	FIRE MAN AXE	Accidents (Rail, Road, Air) , Fire , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
69	FIRE MAN AXE	Accidents (Rail, Road, Air) , Fire , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	7485805828	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION, BIRAUL, DARBHANG
70	FIRE MAN AXE	Accidents (Rail, Road, Air) , Fire , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809462596	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
71	SPADE	Earthquake , Earthquake , Fire , Fire ,	2	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809462596	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA
72	SPADE	Earthquake , Earthquake , Fire , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
73	WOODEN SAW	Earthquake , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
74	PICKAXE	Earthquake , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
75	BOLT CUTTER	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
76	BOLT CUTTER	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	7485805828	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION, BIRAUL, DARBHANG
77	BOLT CUTTER	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809462596	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA
78	MANNUAL COMBI TOOLS	Earthquake , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
79	LARGE AXE	Earthquake , Earthquake , Fire , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
80	LARGE AXE	Earthquake , Earthquake , Fire , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809462596	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA
81	CROW BAR	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Earthquake , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809462596	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA
82	CROW BAR	Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Earthquake , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
83	hammer	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Cyclonic storm , Earthquake , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
84	hammer	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Cyclonic storm , Earthquake , Fire ,	2	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809462596	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
85	ROPE	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809462596	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA
86	ROPE	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
87	LADDER	Accidents (Rail, Road, Air) , Earthquake , Fire ,	7	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
88	B.A SET (BREATHING APPARATUS)	Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster , Earthquake , Fire , Nuclear disaster ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANG
89	FIRE MIST-TECHNOLOGY	Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809082253	FIRE STATION DARBHANG	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA
90	FIRE MIST-TECHNOLOGY	Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster , Fire ,	1	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8709006956	FIRE STATION DARBHANG	FIRE STATION, BIRAUL, DARBHANG
91	FIRE MIST-TECHNOLOGY	Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster , Fire ,	11	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANG	FIRE STATION DARBHANG
92	Water Tender	Accidents (Rail, Road, Air) , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire , Fire , Fire , Nuclear disaster ,	2	Free	BIHAR FIRE SERVICE	8809462596	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION BENIPUR, DARBHANGA
93	Water Tender	Accidents (Rail, Road, Air) , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire , Fire , Fire , Nuclear disaster ,	2	Free	BIHAR FIRE SERVICE	9939200805	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION, BIRAUL, DARBHANGA
94	Water Tender	Accidents (Rail, Road, Air) , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire , Fire , Fire , Nuclear disaster ,	2	Free	BIHAR FIRE SERVICE	06272-22707	FIRE STATION DARBHANGA	FIRE STATION DARBHANGA
95	HOGE PIPE	Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Fire , Flood ,	10	Free	BIHAR FIRE SERVICE	7485805828	FIRE STATION SAHARSA	FIRE STATION, BIRAUL, DARBHANG
96	Polythene sheet	Flood, Eartquake, Accident	20470	Free	DISASTER MANAGEMENT DARBHANGA	6272245055	collectorate campus godown	collectorate campus godown
97	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412514	badi pokhar bhinda	panchayat chotaipatti

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
98	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412515	Ekbhinda Phokhar,bhawanipur	Panchayat Bijuli
99	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412516	Gausa ghat swasthya kendra	panchayat khutwara
100	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412517	kakar ghati station	panchayat balha
101	Shelter	Fllod and Earthquake	500	Free	Circle office,Sadar	8544412518	loaam madsa	panchayat loaam
102	Shelter	Fllod and Earthquake	500	Free	Circle office,Sadar	8544412519	Madhya Vidyalaya bela	Panchayat Ranipur
103	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412520	Madhya vidyalaya Kabir chak	Kabir chak panchayat
104	Shelter	Fllod and Earthquake	1500	Free	Circle office,Sadar	8544412521	Madhya Vidyalaya kanshi chakka	Madhya Vidyalaya kanshi chakka
105	Shelter	Fllod and Earthquake	1500	Free	Circle office,Sadar	8544412522	madhya vidyalaya ketuka	madhya vidyalaya ketuka
106	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412523	Madhya Vidyalaya sisho	Madhya Vidyalaya sisho
107	Shelter	Fllod and Earthquake	5 Rooms	Free	Circle office,Sadar	8544412524	madhya vidyalaya sishu kanya	madhya vidyalaya sishu kanya
108	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412525	madhya vidyalaya thakurnia	Panchayat Muriya
109	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412526	Madhya Vidyalya sonaki halka kachhari	Panchayat sonaki
110	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412527	Nadrsa naina ghat	panchayat nainaghat
111	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412528	pokhar bhinda dakhshin bhag	Panchayat Bhalpatti
112	Shelter	Fllod and Earthquake	500	Free	Circle office,Sadar	8544412529	Primary School Basedevpur	Basdevpur Panchayat
113	Shelter	Fllod and Earthquake	4000	Free	Circle office,Sadar	8544412530	Primary School dularpur	Panchayat Dularpur
114	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412531	Primary School panta	ghaoghatta
115	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412532	Primary School sisho	Primary School sisho
116	Shelter	Fllod and Earthquake	2000	Free	Circle office,Sadar	8544412533	R.U college mohanpur	saramahmud
117	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412534	samu bhawan dhoei	dhoei Panchayat
118	Shelter	Fllod and Earthquake	500	Free	Circle office,Sadar	8544412535	Samudaiyk Bhawan adalpur	Panchayat Adalpur
119	Shelter	Fllod and Earthquake	1500	Free	Circle office,Sadar	8544412536	sanskrit ucch Vidyalaya atihar	Panchayat Atihar
120	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412537	Sisho halt	panchayat Shawajpur
121	Shelter	Fllod and Earthquake	1000	Free	Circle office,Sadar	8544412538	Sundar Railwaty Ghumti	Panchayat kharuwa

Sr No	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Available Quantity / No./Capacity	Rented/ Free	Owners Name	Contact No	Address	Available Location/Revenue Circle & Police Station
122	Shelter	Fllod and Earthquake	1500	Free	Circle office,Sadar	8544412539	ucch madhya vidyalaya makhnahi	ucch madhya vidyalaya makhnahi
123	BLS (Basic life support t i e BP machine Pulse oxymetry etc) Ambulance	Fllod and Earthquake	14	Free	DMCH	6272256203	DMCH ROAD, ALLALPATTI, LAHERIASARAI, DARBHANGA BIHAR-846003	DMCH
124	WATER TANKER	Fllod and Earthquake	22	Free	EXUCUTIVE ENG.	8544428581	KARPURI CHOWK	DARBHANGA STORE
125	jarrycan	Fllod and Earthquake	95	Free	EXUCUTIVE ENG.	8544428581	KARPURI CHOWK	DARBHANGA STORE

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय - 9 : रिकवरी, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास योजना

आपदा के बाद उठाए जाने वाले कदमों में रिकवरी, पुनर्निर्माण और पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण है। "शॉर्ट-टर्म रिकवरी" महत्वपूर्ण लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है जबकि "दीर्घकालिक पुनर्वास" को क्षेत्र के पूर्ण पुनर्विकास तक जारी रहना होता है । आपदा से राहत और बचाव अभियान के तुरंत बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण चरण शुरू हो जाता है। रिकवरी चरण पहले से मौजूद रणनीतियों और नीतियों पर आधारित होना चाहिए जो रिकवरी कार्य के लिए स्पष्ट संस्थागत जिम्मेदारियों को सुविधाजनक बनाता है तथा सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है । रिकवरी चरण का महत्व एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा सकता है जिससे इसे बेहतर बनाने के लिए (Build Back Better), पहले की तुलना में आपदारोधी बनाने के उपायों को सुनिश्चित किया जा सके।

आपदा के बाद का यह दौर तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रभावित लोगों का जीवन सामान्य नहीं हो जाता। इसलिए, पुनर्प्राप्ति योजना उन गतिविधियों के लिए एक समन्वय तंत्र स्थापित करके बेहतर निर्माण पर केंद्रित है, जिन्हें अल्पकालिक से मध्यम / दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति अवधि में निष्पादित करने की आवश्यकता है।

आपदा के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सुधार के लिए निम्नलिखित गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए।

- नुकसान का आकलन
- मलबे का निपटान
- सहायता पैकेज तैयार करना
- घरों के लिए सहायता का सही वितरण
- स्थानांतरण
- जागरूकता और क्षमता निर्माण
- निगरानी और समीक्षा
- नगर योजना और विकास योजनाएं
- आवास प्रतिस्थापन नीति के रूप में पुनर्निर्माण
- आवास बीमा
- शिकायतों का अविलम्ब निपटारा

9.1 प्रशासनिक राहत

किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद रिकवरी, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास की मुख्य जिम्मेदारी ज़िला की होती है जिसके तहत प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, क्षति मूल्यांकन के बाद उचित पुनर्वास के उपायों को सुनिश्चित कराना है। इस

पूरे प्रयासों में नगर निगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका, विभिन्न विभागों तथा प्रत्येक वार्ड के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करने की बन जाती है।

9.2 बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करना

घरों और अन्य बुनियादी ढांचों की मौजूदा संरचनाओं के नुकसान का आकलन करने के बाद उनके स्तर के आधार पर, पीड़ित को तत्काल पुनर्वास करवाने एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों को करने के लिए वित्तीय प्रावधान किया जाता है ।

बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी नोडल एजेंसी है और इस प्रक्रिया में आवास बोर्ड को भी पुनर्निर्माण योजनाओं का ध्यान रखना है । बुनियादी ढांचों को बहाल करते समय आपदा के प्रकार और डिग्री के आधार पर ज़ोनिंग कानूनों और अन्य आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जाता है ।

9.3 क्षतिग्रस्त इमारतों/ सामाजिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण

क्षतिग्रस्त इमारतों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसके लिए बीमा, अल्पकालिक ऋण, जैसे अन्य महत्वपूर्ण किफ़ायती साधनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए:

- निजी संरचनाओं का पुनर्निर्माण कार्य संचालित करना
- सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम (पीपीपीपी) के तहत, गैर सरकारी इमारतों और बुनयादी ढाँचों का पुनर्निर्माण किया जाता है।
- आपदा प्रवण क्षेत्रों में सभी घरों का बीमा कराने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय, तकनीकी और भौतिक सहायता की जानकारी दे कर सहायता पाने में मदद करना ।
- सरकार द्वारा प्रदान किए गए घरों के भूकंपरोधी पुनर्निर्माण के लिए डिजाइन जारी करना ।
- सामग्री बैंकों के माध्यम से रियायती दरों पर सामग्री सहायता प्रदान की जाती है।
- अपने स्वयं के डिज़ाइन के विकल्प के साथ मॉडल हाउस के डिज़ाइन का विकल्प देना।

9.4 आजीविका फिर से सुनिश्चित करना

आपदा के बाद के चरण में आजीविका को फिर से सुनिश्चित करना, पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण घटक है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, लक्षित सीएसआर कार्य, एवं एक दीर्घकालिक पुनर्वास, और टिकाऊ आजीविका की दिशा में बहु-एजेंसी प्रयासों के अभिसरण (convergence) से दरभंगा नगर निवासियों की भविष्य की आपदाओं के प्रति जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

9.5 सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक मदद

महिलाओं और बच्चों सहित प्रभावित समुदाय के सदस्यों की मनो-वैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने से आपदा के बाद के पुनर्वास में "बिल्ड बैक बेटर" के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू कराया जा सकता है । सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक मदद का मतलब केवल आपदा की घटनाओं के बाद चिकित्सीय, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता का प्रावधान नहीं है बल्कि इसमें विभिन्न आपदा प्रभावों की गहन समझ और प्रभावों के स्पेक्ट्रम में सहायता का प्रावधान भी शामिल है। आपदा के बाद सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक मदद का एक उदाहरण महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र, जो सूखे और किसानों के संकट से ग्रस्त है) का "सुखी बलिराजा पहल (एसबीआई)" है । एसबीआई के अंतर्गत विभिन्न विषयगत हस्तक्षेपों के माध्यम से सूखा प्रभावित किसानों के संकट को कम करने के लिए एक समग्र रणनीति विकसित की गयी है। इस रणनीति के तहत स्थायी कृषि, मिट्टी और जल संरक्षण, सामुदायिक विकास, किसान उत्पादक समूहों को बढ़ावा देना और सामूहिक कृषि तकनीक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पहल आदि शामिल हैं ।[6]

9.6 आपदा से क्षति और हानि का आकलन

पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों को शुरू करने से पहले आपदा की घटना से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन आवश्यक है। आपदा के बाद के नुकसान के आकलन में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ भौतिक एवं स्थायी संपत्तियों के नुक़सान का मूल्यांकन शामिल है। आपदा से हुए प्रभावों और कुल क्षति का पता लगाने के लिए सभी क्षेत्रों में हुए नुक़सान का एकत्रीकरण किया जाना भी आकलन प्रक्रिया में शामिल हैं।

नुकसान के आकलन का उद्देश्य नुकसान की सटीक प्रकृति और सीमा का निर्धारण करना है ताकि जिला प्रशासन द्वारा राहत और पुनर्वास के आवश्यक उपाय किए जा सकें। उल्लेखनीय है कि, केंद्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 17/2015/1973 के अंदर अधिसूचित आपदाओं में प्रभावित लोगों को राहत पैकेज प्रस्तावित है। राष्ट्रीय एवं राजकीय अधिसूचित आपदाओं की सूची में से निम्न आपदाओं से दरभंगा नगर आमतौर पर प्रभावित रहता है :

1. भूकम्प	2. अग्निकांड
3. बाढ़ एवं जल जमाव	4. चक्रवात
5. शीत लहर एवं लू	6. ठनका, ओला वृष्टि
7. कीटों का हमला	8. बेमौसम या अधिक वर्षा
9. नाव त्रासदी	10. डूबना (नदियाँ, तालाब, खाई
11. मानव प्रेरित दुर्घटनाएं जैसे सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, गैस रिसाव	

[6] http://www.tatatrusts.org/section/inside/sukhi-baliraja-initiative

निम्न तालिका के माध्यम से क्षति आकलन की प्रविधि को अच्छी तरह समझा जा सकता है।

तालिका *39 :* आपदा के बाद हुए नुक़सान के आकलन की प्रविधि और जिम्मेदारियाँ

घटक विवरण	प्रविधि	जिम्मेदार एजेंसियां
1. आपदा के प्रकार 2. आपदा की तिथि और समय 3. प्रभावित नगर क्षेत्र (नाम और संख्या) 4. नाम और वार्ड संख्या 5. कुल प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठान 6. कुल प्रभावित आबादी (उम्र और लिंग के अनुसार) 7. कुल मानव जीवन क्षति (उम्र और लिंग के अनुसार) 8. कुल लापता लोगों की संख्या (उम्र और लिंग के अनुसार) 9. कुल प्रभावित जानवरों की संख्या (बड़े, छोटे और पोल्ट्री) 10. कुल क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या (आंशिक और पूर्ण) 11. कुल क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना (रोड, पुल, बांध आदि) 12. राहत कार्य के लिए उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण (राहत शिविरों की संख्या, स्थान और उनमें रहने वाले लोगों की उम्र एवं लिंग आधारित संख्या) 13. वितरित राहत सामग्रियों का विवरण	नुक़सान आकलन के लिए टूल्स: (a) एरियल सर्वेक्षण (b) प्रभावित क्षेत्र के फोटोग्राफ, वीडियो ग्राफ (c) सैटेलाइट इमेजरी (d) फील्ड रिपोर्ट (e) टीवी/प्रेस कवरेज (f) दृश्य निरीक्षण चेकलिस्ट: a. कैमरा b. लैपटॉप c. नोटबुक d. जीआईएस मानचित्र e. GPS	क्षेत्र निरीक्षण और वार्ड स्तर की जानकारी के लिए वार्ड सदस्य ज़िम्मेदार होंगे जिसमें मानव जीवन की हानि, प्रभावित आबादी , क्षतिग्रस्त घरों की संख्या शामिल है • संबंधित विभाग बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग, सड़कों, तटबंधों आदि के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग, पशुधन विवरण के लिए कृषि और मत्स्य पालन विभाग, राहत के लिए आपदा प्रबंधन विभाग

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को न केवल आवश्यक संस्थागत तंत्र तैयार करना चाहिए बल्कि निगरानी भी करनी चाहिए वहीं गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों के काम के साथ समन्वय करना भी आवश्यक है ताकि जिले में उपलब्ध विशेषज्ञता और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाहरी एजेंसियों का एक समयबद्ध दृष्टिकोण होता है और परियोजना के समाप्त होने तक राहत और पुनर्वास कार्य पूरी तरह से ख़त्म हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसलिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रिकवरी प्रक्रिया के लिए ज़िम्मेदार एजेन्सी है और इसे योजना के क्रियान्वयन, इसकी प्रगति और रिपोर्टिंग की निरंतरता को सुनिश्चित करनी है।

रिकवरी प्रक्रिया के दौरान, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि समुदाय पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन की सहायता पर निर्भर न हों। रिकवरी प्रक्रिया के दौरान इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए कि रिकवरी प्रक्रिया में समुदाय की स्पष्ट भागीदारी हो और धीरे-धीरे पूरी प्रक्रिया समुदाय द्वारा ही संचालित हो। इसके साथ-साथ समुदाय के परामर्श से रिकवरी प्रक्रिया में बहु-अनुशासनात्मक गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समुदाय और पूरे जिले के सतत विकास को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

9.7 बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण

बेहतर बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं। इससे प्रभावित आबादी के आजीविका और जीवन स्तर को पुनर्स्थापित कर पटरी पर लाया जा सकता है। बुनियादी ढाँचे की बहाली के मुख्य मार्गदर्शक निम्नलिखित हैं:

बुनियादी ढांचे की बहाली के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. एक अच्छी पुनर्निर्माण नीति समुदायों को फिर से सक्रिय करने में मदद करती है और लोगों को उनके आवास, जीवन और आजीविका के पुनर्निर्माण के लिए सशक्त बनाती है।
2. पुनर्निर्माण आपदा के दिन से शुरू होता है।
3. समुदाय के सदस्यों को नीति निर्माण में भागीदार और स्थानीय कार्यान्वयन में अग्रणी होना चाहिए।
4. पुनर्निर्माण नीति और योजनाएं आपदा जोखिम में कमी के संबंध में वित्तीय रूप से यथार्थवादी लेकिन महत्वाकांक्षी होनी चाहिए।
5. विभिन्न संस्थाओं के बीच परस्पर समन्वय से परिणामों में सुधार होता है।
6. पुनर्निर्माण भविष्य के लिए योजना बनाने और अतीत को संरक्षित करने का एक अवसर है।
7. स्थानांतरण जीवन को बाधित करता है और इसे न्यूनतम रखा जाना चाहिए।
8. आकलन और निगरानी से पुनर्निर्माण के परिणामों में सुधार हो सकता है।
9. दीर्घकालिक विकास में योगदान करने के लिए, पुनर्निर्माण टिकाऊ होना चाहिए।

आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण से नगरों की संरचना गाँव की तुलना में अलग होती है। शहरी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं :

शहरी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं:

1. उच्च जनसंख्या घनत्व और विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास विकल्प
2. अधिक संख्या अनौपचारिक आवास, इसका अधिकांश भाग उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित होना
3. बहु-परिवार आवास और किराएदारों का एक बड़ा अनुपात
4. स्वामित्व संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है
5. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के उपाय सुनियोजित योजना और विनियमन पर आधारित
6. उच्च आय स्तर और प्रभावित आबादी के जीवन स्तर के आधार पर उदार सहायता रणनीतियाँ
7. उच्च भूमि मूल्य और कम अविकसित भूमि
8. चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय जोखिम
9. उच्च मूल्य और अधिक बुनियादी ढांचा निवेश
10. अधिक जटिल सामाजिक संरचनाएं जो संघर्षों को जन्म दे सकती हैं और पुनर्निर्माण योजना में भागीदारी जटिल हो सकती हैं

9.8 बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए किए जाने वाले कार्य

तालिका *40* : बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए किए जाने वाले कार्य की तालिका

आधारभूत संरचना	विवरण	ज़िम्मेदार एजेन्सी
सुदृढ़ीकरण और रेट्रोफिटिंग	पीडब्ल्यूडी और भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी महत्वपूर्ण भवनों में कार्य की शुरुआत की जाएगी। नहरों और तटबंधों के लिए क्रमशः सिंचाई विभाग और डब्ल्यूआरडी ज़िम्मेदार होंगे। स्कूलों के लिए ये कार्य शिक्षा विभाग का आधारभूत संरचना निगम करेगा।	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग का आधारभूत संरचना विकास निगम
सड़कों और पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण	रिकवरी चरण के दौरान **NHAI** और पीडब्ल्यूडी-सड़क (राज्य और ग्रामीण) द्वारा सड़कों और पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की निगरानी और निष्पादन किया जाएगा।	**NHAI** **RCD** नगर निकाय
आवास	पीड़ितों के लिए स्थायी आवास का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी के तहत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों,	नगर विकास एवं आवास विभाग

आधारभूत संरचना	विवरण	ज़िम्मेदार एजेन्सी
	निजी कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग, आदि जैसी बाहरी एजेंसियों के सहयोग और वित्तीय सहायता में आवास समाधान प्रदान किए जा सकते हैं। योजना और निष्पादन में स्थानीय समुदाय को परामर्श और मूल्यांकन के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाते हुए शामिल करना होता है।	
जैव विविधता का पुनर्जनन **Regeneration of biodiversity**	वनों और जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, वन और जल संसाधन विभाग द्वारा वनीकरण की पहल की जानी है। केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में कन्वर्जेन्स के माध्यम से मनरेगा और जल जीवन हरियाली मिशन के तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण योजनाओं को लागू करना।	पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग पर्यावरण और वन विभाग जल संसाधन विभाग जल जीवन हरियाली मिशन

9.9 सामाजिक और आर्थिक रिकवरी

पुनर्वास
इस चरण के दौरान, अपने घरों के नुकसान, विनाश या उनकी भूमि के कटाव के कारण अस्थायी आश्रयों में रखे गए परिवारों का आवश्यक बुनियादी ढांचे की रिकवरी के माध्यम से पुनर्वास किया जाना है। इन परिवारों को मूल बस्तियों के करीब स्थानों पर पुनर्वास के प्रयास किए जाने चाहिए।
शिक्षा
आपदा के बाद यथाशीघ्र स्कूलों को शुरू करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
दैनिक मज़दूरी की व्यवस्था
शहरी ग़रीबों की एक बड़ी आबादी नगर क्षेत्र के मलिन बस्तियों में रहती है और किसी भी आपदा या महामारी के दौरान उनके रोज़गार के अवसर लगभग ख़त्म हो जाते हैं। इस स्थिति में नगर निगम की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि दैनिक मज़दूरों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।
आजीविका

आजीविका को आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ बनाने के साथ-साथ भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनाने की दिशा में कार्य किए जाने चाहिए। इस दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति प्रयास में, आजीविका विविधीकरण, वैकल्पिक आय सृजन गतिविधियों के निर्माण, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने तथा मौजूदा और नई आजीविका के लिए बाजारों के साथ आगे के संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने चाहिए।
ऋण की व्यवस्था
प्रभावित समुदायों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के द्वारा माइक्रोक्रेडिट प्रदान करके घरेलू पशुओं, कृषि उपकरण, शिल्प उपकरण और अन्य जैसी संपत्तियों को खरीदने या पुनर्निर्माण में सहायता की जा सकती है ।
सूक्ष्म बीमा
भविष्य में किसी भी आपदा से नुकसान के मामले में जोखिम हस्तांतरण लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक किसानों और पशुधन मालिकों और उनकी उत्पादक भूमि/पशुधन को शामिल करने के लिए सूक्ष्म बीमा के कवरेज में वृद्धि की जानी चाहिए ।

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय -10 आपदा और जोखिम न्यूनीकरण योजना

संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक जोखिमों और क्षति के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक शमन उपायों की पहचान की जानी चाहिए। पहले से किए गए सक्रिय उपायों से जीवन, संपत्ति, बुनियादी ढांचे के नुकसान आदि पर आपदाओं से प्रतिकूल प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी चर्चा इस अध्याय में की जाएगी। जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार करने में संबंधित विभागों एवं उनके कार्यकर्मों की पहचान की जाएगी तथा जन जागरूकता वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा दिए जाने के उपायों को सम्मिलित किया जाएगा । साथ ही इन योजनाओं को विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ शामिल करने के उपायों पर चर्चा किया जाएगा।

10.1 अल्पकालिक, मध्यम-कालिक और दीर्घ-कालिक आपदा न्यूनीकरण योजना

दरभंगा नगर के अंतर्गत भूकम्प के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• भवनों का आंशिक और पूर्ण नुक़सान। • मानव और पशुओं का घायल होना या मृत्यु होना। • आधारभूत संरचनाओं का नुक़सान जैसे सड़क, तटबंध, आदि। • घरेलू हिंसा और मानव तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी।	• आपदा के बाद, **अंचल पदाधिकारी** की मदद से **राहत शिविरों** की व्यवस्था कराना। • **मलबों के निष्पादन** की अविलम्ब व्यवस्था **PWD और ULB** के द्वारा किया जाना। • **शवों के निस्तारण** की समुचित व्यवस्था **स्वास्थ्य विभाग** की मदद से **ULB** द्वारा किया जाना। • **सिविल सर्जन** के साथ समन्वय कर स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता प्रभावी ढंग से लागू करना।	• नए बनने वाले इमारतों को बिल्डिंग बायलॉज के स्थापित मानकों के अनुसार ही निर्माण करने के लिए ULB के द्वारा अनुमति प्रदान की जाए और इसे सख़्ती से लागू किया जाए। • कार्यालय अथवा आवासीय भवनों में अवस्थित ग़ैर संरचनात्मक वस्तुओं को भूकम्प के दौरान गिरने से बचाने के लिए समुचित व्यवस्था कियेजाने के लिए ULB द्वारा व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। • अभियंताओं/ वास्तुविदों/ संवेदकों/ निर्माणकर्ताओं/ राज मिस्त्रियों को भूकम्प रोधी निर्माण एवं रेट्रोफिट्टिंग तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण BSDMA अथवा इनजिनियरिंग महाविद्यालयों के सहयोग से दिया जाना। • भूकम्प के बाद राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने के लिए ज़िला प्रशासन अथवा राज्य के द्वारा SOP निर्माण करना और उसका सख़्ती से ULB द्वारा पालन करवाना।	• नए भवनों का भूकम्परोधी तकनीक से निर्माण को ULB द्वारा बढ़ावा देना। • पूर्व से निर्मित भवनों का प्रशिक्षित अभियंताओं के द्वारा रेट्रोफ़िट्टिंग करना। • सभी संबंधित विभागों, विद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संबंधित कार्यालयों में ULB एवं संबंधित संस्थाओं जैसे SDRF, NDRF, सिविल डिफ़ेंस के सहयोग से समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना।

दरभंगा नगर के अंतर्गत जल-जमाव एवं बाढ़ के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• घरों का डूब जाना। • संक्रामक रोगों का तेज़ी से बढ़ना, पशुओं का नुक़सान, बच्चों का डूबना, घरेलू हिंसा और मानव तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी।	• प्रभावित आबादी (मानव और पशु) के लिए अस्थायी आवास के लिए अंचल पदाधिकारी और भोजन के लिए ज़िला खाद्य एवं आपूर्ति पदाअधिकारी के साथ समन्वय कर ULB के द्वारा व्यवस्था करना। • सिविल सर्जन के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता प्रभावी ढंग से लागू करना। • ULB के स्तर से स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना। • ULB के स्तर से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंताओं के साथ समन्वय कर अविलम्ब जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	• ULB के स्तर से मानसून से पूर्व सभी नालों का उड़ाहि करना। • ULB के स्तर से योजनाबद्ध तरीक़े से ठोस कचड़ा का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना। • ULB के द्वारा ज़िला प्रशासन के सहयोग से राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने के लिए SOP निर्माण करना।	• सीवरेज लाइन का निर्माण । • कम से कम 6 सम्प हाउस का निर्माण। • STP और FSTP का निर्माण ।

दरभंगा नगर के अंतर्गत अगलगी के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• भवनों का आंशिक और पूर्ण नुक़सान। • मानव और पशुओं का घायल होना या मृत्यु होना, घरेलू हिंसा और मानव तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी।	• प्रभावित आबादी (मानव और पशु) के लिए अस्थायी आवास के लिए अंचल पदाधिकारी और भोजन के लिए ज़िला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के साथ समन्वय कर ULB के द्वारा व्यवस्था करना। • सिविल सर्जन के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता प्रभावी ढंग से लागू करना ।	• नगर निगम, ज़िला अग्निशमन कार्यालय एवं ज़िला प्रशासन के सहयोग से राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने के लिए SOP निर्माण करना।	• चिन्हित अग्नि आपदा सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड की पहचान कर वहां Hydrant लगाना । • **नगर निगम, ज़िला अग्निशमन कार्यालय के सहयोग से वार्डों में निर्मित स्वयं सहायता समूहों** के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना ।

दरभंगा नगर के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• वाहन चालकों/ यात्रियों / पैदल यात्रियों का घायल होना अथवा मृत्यु होना। • सड़क के किनारे लगे दुकानों/घरों की क्षति होना। • वाहनों में आग लग जाना।	• दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को नज़दीकी अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करना। • ULB, ज़िला ट्रैफ़िक उपाधीक्षक के साथ समन्वय कर पुलिस कर्मी को प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित प्रशिक्षण देना। • ULB, ज़िला ट्रैफ़िक उपाधीक्षक के साथ समन्वय कर Black Spot की पहचान करना।	• विभिन्न हितभागियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना। • ट्रैफ़िक नियमों का पालन करवाना। • सभी वाहनों का बीमा होना तथा लोगों का दुर्घटना बीमा होना। Black Spot चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा चेतावनी लगवाना ।	• सड़क सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों का प्रचार प्रसार करना। • सड़कों के संरचनात्मक डिज़ाइन में आवश्यक सुधार हेतु कार्य करना। • गुड सेमिरेटन को प्रोत्साहित करना। • Black Spot चिन्हित स्थानों पर संरचनात्मक सुधार करवाना

दरभंगा नगर के अंतर्गत तेज आंधी तूफ़ान के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• कच्चे और अर्ध पक्के घरों के छतों का उड़ जाना, • फ़सलों का नुक़सान, • पेड़ों का गिर जाना • बिजली के खंभों एवं तारों का गिरना एवं उससे बिजली आपूर्ति ठप हो जाना।	• घरों की मरम्मत करवाएँ • कच्चे मकान की छतों को 'J' किल की मध्यम से सुरक्षित करना।	• चक्रवात का पुर्वानुमान और चेतावनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, चक्रवात से सुरक्षा हेतु लोगों को जागरुक करना, फ़सलों एवं चक्रवात से ख़तरे वाली सम्पत्तियों का बीमा करना	• चक्रवात से सुरक्षित निर्माण हेतु बिल्डिंग बाय लॉज़ के संबंध में लोगों को जागरुक करना • सघन वृक्षारोपण/ वनीकरण

दरभंगा नगर के अंतर्गत लू के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• गम्भीर रूप से बीमार पड़ना। • हीट स्ट्रोक से मानव और पशुओं की मृत्यु।	• आहत व्यक्ति को अविलम्ब ठंडे और हवादार जगह पर रखना, ORS का पानी/ निम्बू पानी या छाछ देना और तुरंत स्वास्थ सेवा मुहैया कराना	• लू से बचने के उपायों पर लोगों को जागरुक करना। • लोगों को जागरुक करने के लिए मीडिया के सभी रूपों का उपयोग करना।	• वन आच्छादन को बढ़ाना, गर्मी के दिनों में जगह-जगह प्याऊ की व्यवस्था करना।

दरभंगा नगर के अंतर्गत शीत लहर के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• गम्भीर रूप से बीमार पड़ना, मानव और पशुओं की मृत्यु।	• बीमार व्यक्ति को स्वास्थ सेवा मुहैया कराना।	• जगह-जगह अलाव का इंतज़ाम करना। • लोगों को जागरुक करने के लिए मीडिया के सभी रूपों का उपयोग करना।	• शहरी बेघरों के लिए रैन बसेरा का इंतज़ाम करना।

दरभंगा नगर के अंतर्गत नाव दुर्घटना के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• मानव और पशुओं का डुबना, मृत्यु होना, सम्पत्ति का नुक़सान होना।	• नाव डूब जाने पर अविलम्ब सहायता पहुँचाने की व्यवस्था कराना ।	• नाविक और सवारियों को नाव सुरक्षा को लेकर जागरुक करना।	• नाव सुरक्षा के मानक संचालन प्रक्रिया को सही ढंग से लागू कराना, सुरक्षित नावों का कोडिंग कराना।

दरभंगा नगर के अंतर्गत औद्योगिक ख़तरे के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• लोगों के स्वास्थ्य का नुक़सान, मानव और पशु जीव एवं सम्पत्ति का नुक़सान ।	• प्रभावित लोगों को अविलम्ब स्वास्थ्य सहायता पहुँचाना ।	• कर्मचारियों और समुदाय को सम्भावित औद्योगिक दुर्घटना होने पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जागरूक करना।	• औद्योगिक इकाइयों का समय समय पर सुरक्षा ऑडिट करवाना • सभी सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करवाना ।

दरभंगा नगर के अंतर्गत वज्रपात के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• मानव और पशु, जीव एवं सम्पत्ति का नुक़सान ।	• प्रभावित लोगों को अविलम्ब चिकित्सकीय सहायता पहुँचाना।	• लोगों को जागरुक करने के लिए मीडिया के सभी रूपों का उपयोग करना, वज्रपात होने की सम्भावना की सूचना समय पर समुदाय तक पहुँचना।	• पूर्व चेतावनी प्रणाली को और बेहतर बनाना।

दरभंगा नगर में सर्प दंश से बचाव के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• मानव और पशु जीव का नुक़सान।	• प्रभावित व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाना।	• लोगों को सर्प दंश होने के बाद समुदाय में विद्यमान अंध विश्वासों के बारे में जागरूक करना।	• अस्पतालों में Anti Dot दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, सर्प दंश के अधिक मामले वाले क्षेत्रों के चिकित्सा कर्मियों को संवेदित करना ।

10.2 आपदा मोचन के संरचनात्मक उपाय:

आपदा प्रबंधन के लिए शमन उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे नुकसान को कम करने और आपदाओं के प्रबंधन में लोगों की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं । विकास के लिए किए जाने वाले संरचनात्मक कार्य व निर्माण पूरी तरह से आपदारोधी होने चाहिए। इसी कड़ी में पुरानी संरचनाओं की समीक्षा कर रेट्रोफ़िट्टिंग द्वारा उन्हें आपदारोधी बना देना चाहिए। नए निर्माण को Building bylaws के मानकों के अनुरूप होने पर ही अनुमोदित करना चाहिए।

नगर में बाढ़ के पानी के आने की सम्भावना को कम करने के लिए सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के लिए रोकथाम और शमन योजनाएं विकसित की जानी चाहिए। विशिष्ट क्षेत्रों के जोखिम और संवेदनशीलता की डिग्री के आधार पर रोकथाम और शमन रणनीतियों की सीमा अलग-अलग होगी। इन रणनीतियों के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को केंद्र में रखा जाएगा। जोखिम में कमी के प्रमुख कार्य हैं:

- विशिष्ट आपदाओं के प्रति प्रवण क्षेत्रों की पहचान करें
- बाढ़ क्षेत्रों/जोखिम वाले स्थानों पर विकास/निर्माण को रोकें
- खतरनाक क्षेत्रों में बसावट होने से रोकें
- संभावित खतरों को केंद्र में रखकर आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं का विकास करना
- आवास निर्माण में बहु आपदारोधी डिज़ाइन व तकनीक को बढ़ावा देना
- खतरनाक क्षेत्रों को तेजी से खाली करने या निवासियों को सुरक्षित संरचनाओं में स्थानांतरित करने की क्षमता विकसित करना।
- आपदा प्रतिरोधी तकनीक से प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करना।

10.3 शमन रणनीति के तहत विकास योजनाओं से जुड़ाव :

चक्रवात और बाढ़ जैसे खतरों का एक निश्चित आवृत्ति और पैटर्न होता है। तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक परिघटनाओं की बढ़ती समझ ने आपदाओं का वैज्ञानिक कुशलता से मुकाबला करना संभव बना दिया है। चक्रवात की चेतावनी और बाढ़ के स्तर की भविष्यवाणी में स्थानीय समुदायों

द्वारा अपनाए जाने वाले पारंपरिक ज्ञान को राज्य में लागू की जा रही वैज्ञानिक विधियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं को कम करने की रणनीतियों को सभी हितधारकों जैसे सरकारी तंत्र, अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी एजेंसियों और समुदाय के समर्थन से बनायी जानी चाहिए। शमन रणनीति के मुख्य चरणों में शामिल हैं:

- जोखिम मूल्यांकन और भेद्यता विश्लेषण।
- अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- जन जागरूकता और प्रशिक्षण।
- अंतर्ज्ञान तंत्र को बढ़ावा देना।
- शमन के लिए प्रोत्साहन और संसाधन।
- आपदा के बाद विस्थापितों को मुख्यधारा में लाने के लिए भूमि उपयोग योजना और विनियम।
- पूर्व चेतावनी केंद्रों आदि द्वारा स्थापित निगरानी तंत्र को विश्लेषण आधारित बनाना।

पिछली आपदाओं के डेटा विश्लेषण के आधार पर विकसित शमन रणनीतियां उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं जहां निगरानी तंत्र विकसित नहीं हैं। राज्य स्तर पर शमन रणनीति को मजबूत करने के लिए चेतावनी प्रणाली को तकनीक आधारित और सटीक किया जाना आवश्यक है। विभिन्न माध्यमों से शीघ्र चेतावनी प्रसारित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुसंधान/प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ गठजोड़ करके आपदा सिमुलेशन अभ्यास करना चाहिए।

रिमोट सेंसिंग, उपग्रह संचार और भू-स्थिति प्रणाली (जीपीएस) जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का विभिन्न प्रकार की आपदाओं की पूर्व चेतावनी और निगरानी तंत्र में व्यापक उपयोग होता है। रिमोट सेंसिंग का उपयोग बड़े पैमाने पर खतरों की प्रगति की निगरानी में किया जाता है, विशेष रूप से चक्रवात और बाढ़ के दौरान। **राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी (NRSA), राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान (NGRI), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO), भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) और भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT)** का उपयोग राज्य में आपातकालीन निगरानी तंत्र को बढ़ाने में किया जाता है। राज्य में आपदाओं को कम करने के लिए इन संस्थानों के साथ तकनीकी गठजोड़ को प्राथमिकता के तौर पर शुरू किया जाना चाहिए और इससे प्राप्त आँकड़ों को ज़िला एवं नगर निगम के साथ साझा करने की एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। इसी तरह विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को स्नातक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में आपदा न्यूनीकरण को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग और वास्तु संस्थानों को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

10.4 कार्य योजना

आपदा शमन के संरचनात्मक उपायों को कारगर रूप से लागू करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता है। यह कार्य योजना विभिन्न हितभागियों और लाइन विभागों के साथ संवाद के बाद विकसित किया जाना चाहिए। आपदा शमन की कार्य योजना को निम्नलिखित बिन्दुओं के संदर्भ में विकसित किया जाना चाहिए:

- भविष्य के शहर को सम्भावित आपदा से तैयार बनाने के लिए नगर विकास योजना में आपदा प्रतिक्रिया रणनीतियों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। समुदाय की जरूरतों को विस्तृत रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। शमन और अनुकूलन उपायों को उचित रूप से चरणबद्ध करने और शहर की लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- **आँधी तूफ़ान** से बिजली के ग्रिड को नुकसान होता है विशेष रूप से बिजली के वितरण, साथ ही संचार व्यवस्था भी प्रभावित होती है, इसके साथ-साथ पर्यावरण को काफ़ी नुक़सान होता है। ओवरहेड पावर और संचार लाइनों को चरणबद्ध तरीक़े से भूमिगत करना आवश्यक है।
- **बाढ़:** प्राकृतिक नालों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से समय के साथ बनते हैं। अतिक्रमणों को रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश होना चाहिए और उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। बिना ठहराव के पानी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नालियों को समय-समय पर रखरखाव की आवश्यकता होती है। गुणवत्तापूर्ण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नेटवर्क जल जमाव की स्थिति में निकासी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।
- **महामारी:** स्वास्थ्य और स्वच्छता विशेष रूप से आपदा के बाद एक चिंता का विषय है। स्लम क्षेत्र सबसे अधिक असुरक्षित हैं और निवासियों के लिए जागरूकता अभियानों के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रबंधन के उपाय किए जाने चाहिए। विशेष रूप से बरसात के मौसम में जलभराव वाले क्षेत्रों को जल निकासी नेटवर्क से ठीक से जोड़ा जाना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन:** भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान व वनस्पतियों और जीवों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग और विकास योजनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन के पहलुओं को सुनिश्चित करेगा। टैक्स-सब्सिडी और पेनल्टी के माध्यम से क्लाइमेट प्रूफिंग बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन को लागू किया जाना चाहिए।
- **आईसीटी:** शहर की सूचना और डेटा प्रबंधन सुशासन की कुंजी है। दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में जीआईएस, SCADA (Supervisiory Control and Data Aquisition) जैसे प्रविधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। डेटा आपदाओं के दौरान तैयारियों, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति में भी उपयोगी होगा।

10.5 समुदाय का प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ

आपदाओं का समुदाय पर बहुत गम्भीर प्रभाव होता है; आर्थिक प्रभाव और ढांचागत क्षति से समुदाय आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी कमजोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रभावी नेतृत्व के द्वारा आपदा से संबंधित विभिन्न नीतियों का सही तरीक़ों से कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो जाता है। विशिष्ट आपात स्थितियों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' पर जागरूकता के माध्यम से समुदाय को तैयार किया जा सकता है। समुदाय आधारित संगठन और गैर सरकारी संगठन समुदाय को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तैयारियों में समुदाय को मजबूत करने के लिए, निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

- ऐसे कार्यक्रम विकसित करना जिनमें स्थानीय भाषा में जागरूकता या प्रशिक्षण नियमावली शामिल हो, जिसमें सभी खतरों के दौरान क्या करें और क्या न करें, को रेखांकित किया गया हो । कार्यक्रमों में मूल्यांकन और निगरानी तंत्र भी शामिल किया जाना ज़रूरी है जो प्रशिक्षण और जागरूकता उपायों के संशोधन और सुधार में मदद करेंगे।
- आपदा प्रबंधन को केंद्र में रख कर वार्ड /समुदाय स्तर की सामाजिक सभाओं में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना ।
- राज्य और स्थानीय निर्वाचित अधिकारियों का क्षमता निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना ताकि खतरे के शमन का समर्थन करने वाले कानून और प्रशासनिक नीतियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली रणनीतियों को बढ़ावा देना।
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना ताकि वे आपदाओं, संभावित प्रभावों और बरती जाने वाली सावधानियों को समझ सकें।
- स्कूलों के भीतर आपदा सिमुलेशन का आयोजन; सुरक्षित निकासी के लिए अभ्यास आयोजित करना; आपदा/आपात स्थिति में कर्मचारियों और छात्रों की आपातकालीन प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की जानी चाहिए ।
- सम्भावित आपदाओं के प्रभाव से बचने या कम करने के तरीके निर्धारित करने में समुदाय की मदद ली जानी चाहिए।

10.6 बीमा

बीमा किसी आपदा या जोखिम से क्षति को कम करने का एक प्रभावी उपाय है। आपदा से जुड़े बीमा को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और बीमा कवर न केवल जीवन के लिए बल्कि घरेलू सामान, पशुधन, संरचनाओं और फसलों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए । आपदा के दौरान प्रभावित होने वाले भूमिहीन मजदूरों, झोपड़पट्टियों के निवासियों को शामिल करने के लिए विशेष बीमा योजना बनायी जानी चाहिए । संरचनाओं के लिए आपदा बीमा शुरू करने की रणनीति में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए :

- खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना।
- रियल एस्टेट एजेंटों पर जोखिम प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू करना।
- विशेष बीमा अभिसरण और पॉलिसी राइडर्स की पेशकश।
- किफायती दरों पर प्रीमियम बनाए रखना।

10.7 स्वयंसेवकों का क्षमता वर्धन

उच्च स्तर की दक्षता बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों को आपदा और उसके व्यवहार, चेतावनी संकेत और उनके प्रसार के साथ साथ निकासी, आश्रय, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और राहत अभियान पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा विशेष प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी कड़ी में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सामुदायिक स्वयं सेवकों का 12 दिवसीय बहुआपदा पर प्रशिक्षण निरंतर जारी है।

10.8 जन जागरूकता

जन जागरूकता आपदा के शमन और तैयारी गतिविधियों का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ध्यान में रखते हुए, आपदा प्रवण क्षेत्रों में निम्नलिखित जन जागरूकता गतिविधियों को करना चाहिए :

- अभ्यास और प्रदर्शन
- फिल्म/वीडियो शो/लोक गीत
- प्रचार अभियान
- रेडियो और टेलीविजन
- पोस्टर, पत्रक और पुस्तिकाएं
- नुक्कड़ नाटकों का मंचन

10.9 नगर में आपदा प्रबंधन के लिए उपकरण एवं मशीनरी की आवश्यकता

रेस्क्यू दल के द्वारा ले जाने वाले उपकरणों में 10 फीट लंबे आयरन शोड लीवर, फलक्रम, क्रॉबर, पिक्स, फावड़ा, हाफ राउंड फाइलें, स्लेज हैमर, हैवी एक्स, लाइट एक्स, दो हैंडल क्रॉस-कट आरी, हैवी ब्लॉक होनी चाहिए । हैंड सॉ, 3 इंच की 100 फीट लंबी फाइबर रस्सी, 5/8 " की 100 फीट लंबी तार रस्सी, 40 फीट लंबाई 1 1/2" फाइबर लैशिंग लाइन, चेन टैकल, सिंगल शीव स्नैच ब्लॉक, 20 फीट बांस की सीढ़ी, पेट्रोमैक्स लैम्प, इलेक्ट्रिक टार्च, हरिकेन लालटेन, तिरपाल 12' x 12', विविध उपकरणों का बॉक्स, रोप टैकल का सेट-3 शीव्स-2 शीव्स, जैक 5 टन लिफ्ट करने में सक्षम, 1 1⁄2" की 20 फीट लंबी रेशेदार रस्सियां, रबर के दस्ताने (एक जोड़ी, 25000 वोल्टेज तक परीक्षण किया हुआ), 3" या 4" की 200 फीट लंबी रस्सी (जब आवश्यक हो), स्ट्रेचर हार्नेस (सेट), मलबे की टोकरियाँ, फायरमैन की कुल्हाड़ियाँ (पाउच ले जाने के साथ) , छोटी सीढ़ी (8 या 10 फीट), बाल्टी, तिरपाल या मोटा कैनवास शीट 12'xl2' (फंसे

हुए व्यक्तियों को गिरने पर मलबे से बचाने के लिए), चमड़े के दस्ताने, प्राथमिक चिकित्सा पाउच, प्राथमिक ए आईडी बॉक्स, स्ट्रेचर। बचाव दल के बैग का हिस्सा बनने के लिए सामग्री हैं पट्टियां त्रिकोणीय, कामचलाऊ टूर्निकेट्स को कसने के लिए केन, ड्रेसिंग शैल, ड्रेसिंग फर्स्ट-एड, लेबल, हताहत पहचान (20 के पैकेट), सेफ्टी पिन (बड़े) 6 के कार्ड, कैंची, टूर्निकेट।

भूकंप बचाव उपकरण: कंक्रीट कटर, स्टील कटर, वुड कटर, इमरजेंसी लाइट, हैंड हेल्ड कटर, स्प्रेडर्स, कॉम्बीटूल और मिनी कटर, लिफ्टिंग किट, हेड टॉर्च, हेलमेट और सर्च लाइट, चमड़ा और रबर हैंड ग्लव्स, इंसुलेटेड फायरमैन एक्स, न्यूमेटिक जैक । कंप्रेसर के साथ एयर सिलेंडर और श्वास उपकरण सेट, दूरबीन (2-3 किलोमीटर रेंज)।

अग्नि बचाव उपकरण: प्राक्सिमटी सूट, जल (C02, फोम , डीसीपी), थर्मल कैमरा, पाइप के साथ उच्च दबाव पोर्टेबल पंप, रस्सी (मनीला), चार्जेबल टॉर्च, तार 2.4 केवी जेनरेटर के साथ फ्लड लाइट स्टैंड, श्वास उपकरण सेट।

बाढ़ बचाव उपकरण : बोरवेल कैमरा/पानी के नीचे खोज करने वाला कैमरा, इन्फ्लेटेबल बोट (OBM के साथ और OBM के बिना (10 एचपी), HRP नावें (OBM के साथ और ओबीएम के बिना (10 एचपी)), लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, गमबूट, हेलमेट, स्ट्रेचर, सुरक्षा गॉगल्स, चेन पुली ब्लॉक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रोप लैडर, डायमंड सॉ कटर, सर्च लाइट्स, हाई-पावर टॉर्च, हाइड्रोलिक या पेट्रोल से चलने वाला वुड कटर, एयर सिलेंडर के साथ डाइविंग सूट, पेट्रोल संचालित कंप्रेसर आदि ।

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय -11 : वित्तीय व्यवस्था

आपदा प्रबंधन में संसाधन जुटाना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है । 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम ने प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन के लिए संस्थागत और वित्तीय संरचनाओं की स्थापना को अनिवार्य किया है । जैसा कि वैश्विक प्रक्रियाओं और समझौतों ने समुदाय के बीच आपदा जोखिम में कमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है, राष्ट्रीय प्रयास भी आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए आगे आए हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजना में आपदाओं के शमन और तैयारियों की सैद्धांतिक समझ को उजागर किया गया है और अपनाया गया है, लेकिन इस दूरदर्शी दृष्टिकोण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपदा न्यूनीकरण के वित्तपोषण के रास्ते तलाशने की जरूरत है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, धारा 48(1) में राज्यों और जिलों के लिए आपदा प्रतिक्रिया हेतु वित्तीय संसाधनों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष के रूप में परिभाषित किया गया है। संबंधित निधियां राज्य कार्यकारी समिति और जिला समितियों को आपदा प्रतिक्रिया जुटाने हेतु उपयोग करने के लिए स्थापित की गईं हैं । अधिनियम के भीतर ऐसे प्रावधान हैं, जो विशेष परिस्थितियों में राज्य के लिए केंद्र से धन उधार लेना संभव बनाते हैं। **राज्य स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए कोष की स्थापना केंद्र और राज्य के योगदान से क्रमशः 75:25 अनुपात के साथ की गई है। संबंधित राज्य और जिला शमन कोष का प्रावधान** भी स्थापित किया गया है।

हाल ही में, **15वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप, आपदा न्यूनीकरण को केंद्र** में रखते हुए राज्य और जिला स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधियों को प्राथमिकता देने और स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है ।

“इन शमन निधियों का उपयोग उन स्थानीय स्तर और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए किया जाएगा जो जोखिमों को कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, बड़े पैमाने पर शमन हस्तक्षेप जैसे तटीय दीवारों का निर्माण, बाढ़ तटबंध, सूखा प्रतिरोध के लिए समर्थन आदि को नियमित विकास योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, न कि शमन कोष से।”

वित्त आयोग ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए छह आवंटन की सिफारिश की है, दो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत और चार राष्ट्रीय आपदा शमन कोष । वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता (2021-2026) भी प्रदान की है, जिसे राज्य भर में स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त शहरी विकास निधि में एकीकृत करके प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

बिहार डीआरआर रोडमैप (2015-2030) ने शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न नगर-स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों और योजनाओं के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मान्यता दी है। रोडमैप सभी सरकारी विभागों के लिए विभाग स्तर की वार्षिक योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए धन की व्यवस्था करने के प्रावधानों का सुझाव और प्रोत्साहन भी देता है। आपदा प्रबंधन का बहु-विषयक आयाम है और व्यापक एवं समग्र योजना के लिए सभी सरकारी विभागों की भागीदारी की आवश्यकता है।

डीआरआर रोडमैप ने आपदा प्रबंधन और वित्त विभाग के सहयोग से योजना और विकास विभाग के दायरे में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम से संबंधित योजनाओं को अपनाने और एकीकरण का प्रावधान भी किया है। बिहार डीआरआर रोडमैप और राज्य आपदा प्रबंधन योजना में खाद्य और वित्तीय सुरक्षा और रिकवरी के उपायों का एकीकरण एक प्रमुख विषय है। यह शहरों को आपदा सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काम की तलाश में प्रवास करने वाले समुदायों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं।

सार्वजनिक भवनों का निर्माण आपदा प्रतिरोधी तकनीक से होना चाहिए और विकास निधि और योजना के समन्वय से वित्तपोषित होना चाहिए। शहर के स्तर पर स्थापित आपातकालीन संचालन केंद्रों को भी शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक बजट के प्रावधानों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन योजना में पहचाने गए दो तरीकों से वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है, जिनमें शामिल हैं:

- कुल वार्षिक बजट के एक निश्चित प्रतिशत का आवंटन, स्थापना, कार्यक्रम और गतिविधियों की लागत, बचाव, राहत, प्रतिक्रिया और पुनर्वास लागत को पूरा करने के लिए किया जाता है ।
- वार्षिक आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार वार्षिक बजट में आपदा न्यूनीकरण व्यय को पूरा करने के लिए एक निश्चित प्रतिशत का आवंटन किया जाता है ।

वार्षिक बजट आपदाओं के लिए तैयारी और आपदाओं के बाद विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। शहर के स्तर पर आपदा प्रबंधन संरचनाओं की स्थापना, व्यय लागत, प्रशिक्षण सामग्री, और संचार लागतों को सालाना प्रस्तुत और नियोजित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में निजी संगठनों के साथ सहयोग का पता लगाया जाना चाहिए और इसका उपयोग लचीलापन बनाने तथा सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए।

निजी संस्थानों में जोखिम हस्तांतरण तंत्र और वित्तीय जोखिम प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करने से आपदा जोखिमों के खिलाफ संरचनाओं की सुरक्षा में मदद मिलती है। बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की पूंजीगत लागत, उपकरण और सामग्री लागत, कार्यक्रम और गतिविधि लागत

सहित अन्य संबंधित लागतों को संबंधित विभागों, भागीदारी संस्थानों और द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा शहर स्तर पर संचालित किया जाएगा।

11.1 आपदा प्रबंधन के लिए बजटीय और वित्तीय प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **आपदा प्रबंधन विभाग,** बिहार सरकार का नोडल विभाग है, जिसे राज्य के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन का दायित्व है। यह विभाग आपदाओं एवं इसके जोखिमों से निपटने हेतु तैयारी ; रोकथाम ; शमन ; प्रत्युत्तर ; सहाय्य (Relief) ; पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु उत्तरदायी है। आपदा प्रबंधन विभाग, आवश्यक राशि उपलब्ध कराता है। भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार में भी आपदा प्रबंधन हेतु दो प्रकार के फंड बनाए गए हैं।
    - State Disaster Mitigation Fund
    - State dDisaster Response Fund

- **जिला आपदा प्रतिक्रिया और शमन कोष:** आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 48 (1) (बी) और (डी) के अनुसार, राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष और जिला आपदा शमन कोष के प्रयोजनों के लिए स्थापित करेगी। 48(2)(iii) के तहत राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिला प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध हो।

- **विभागों द्वारा निधियों का आवंटन:** प्रत्येक विभाग अपनी आपदा प्रबंधन योजना में निर्धारित गतिविधियों और कार्यक्रमों को चलाने के प्रयोजनों के लिए निधियों के लिए अपने वार्षिक बजट में प्रावधान कर सकते हैं और ऐसे प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, राज्य सरकार के विभागों पर लागू होंगे ।

11.2 आपदा न्यूनीकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष: केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है और इसका उपयोग आपदा की स्थिति में आपातकालीन राहत, आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास के दौरान किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) कहा जाता था, जिसे 11वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता था। 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) अधिनियमित किया गया और इसने एनसीसीएफ का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) कर दिया। तदनुसार, एनसीसीएफ के फंड को एनडीआरएफ में मिला दिया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 46 एनडीआरएफ को परिभाषित करती है। एनडीआरएफ को भारत सरकार के "सार्वजनिक खाते" में "आरक्षित निधि जिसमें ब्याज नहीं है" के तहत रखा गया है। चूंकि इसे सार्वजनिक खातों में रखा जाता है, इसलिए सरकार को इस फंड से पैसा निकालने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में तत्काल

राहत की सुविधा के लिए राज्य निधि के साथ पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की पूर्ति करता है। NDRF का ऑडिट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार ने मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने, प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार, क्षमता निर्माण और आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है (गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2011)। राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित योजनाएं और फंडिंग पैटर्न हैं:

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष - आपदा प्रभावित परिवारों और समुदायों को राहत/सहायता पर ध्यान देने के साथ, राहत के मानदंड अनुबंध (पत्र 1418) में दिए गए हैं।

आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण : आपदा प्रतिक्रिया के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासनिक तंत्र के भीतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। जिला और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण के दिशा-निर्देश, पत्र संख्या: 23(32) एफसीडी/2010 दिनांक 05.10.2010 दिए गए हैं।

अग्निशमन सेवाओं में सुधार - शहरी स्थानीय निकायों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं के सुधार के लिए अनुदान (पत्र संख्या 12(2) एफसीडी/2010 दिनांक 23.09.2010)

11.3 अन्य विकल्प:

11.3.1 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS):

प्रत्येक संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के विकास के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये आवंटित किए जा सकते हैं। परियोजनाओं की पहचान सांसदों द्वारा की जाती है और जिला प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसके अलावा, आवंटित निधि को मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं जैसे मनरेगा, आदि के साथ जोड़ा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में भी MPLADS के कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकता है। गैर-प्रभावित राज्यों के लोकसभा सांसद भी प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष तक अनुमेय कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। गंभीर आपदा की स्थिति में एक सांसद प्रभावित जिले के लिए 50 लाख रुपये तक के कार्य की सिफारिश कर सकता है।

11.3.2 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALADS):

सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदा / राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों को राहत के लिए संबंधित विधायक के अनुरोध पर प्रति विधायक प्रति वर्ष 35 लाख रुपये तक की धनराशि जारी किया जा सकता है जिसे मुख्यमंत्री सहायता कोष को उपलब्ध कराया जाता है।

11.3.3 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदा/ राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों को राहत के लिए धनराशि जारी किया जा सकता है।

11.3.4 जोखिम और सूक्ष्म बीमा

आपदा जोखिम प्रबंधन में शमन, तैयारी और न्यूनीकरण महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन आपदा की प्रकृति एवं उनकी तीव्रता से होने वाले नुक़सान की क्षतिपूर्ति के लिए जोखिम बीमा एक महत्वपूर्ण साधन है। जोखिम बीमा के लिए उपलब्ध दो प्रमुख योजनाएं हैं:

1. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना - एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता से सुरक्षा प्रदान करती है, जो 2[‘
2. 0/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2,00,000/ कुल कवरेज प्रदान करता है।

2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - 436/- प्रति वर्ष रुपये के प्रीमियम पर 2,00,000/- कुल कवरेज के साथ बीमा योजना।

3. अन्य योजनाओं जैसे फसल बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना, भूकंप और संपत्ति के लिए बाढ़ बीमा को राज्य और केंद्र सरकारों के परामर्श से बढ़ावा दिया जा सकता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बंधन, कैशपोर, उज्जीवन, सीडीओटी, साईजा जैसे मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से सूक्ष्म बीमा योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है।

11.3.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

आपदा प्रबंधन में कॉरपोरेट्स की भूमिका आती है जो राहत कार्य में एक बड़ा बदलाव लाती है। कॉरपोरेट्स की सीएसआर गतिविधियां आपदा के बाद के राहत, पुनर्वास और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कर्मचारी योगदान, धन या दान के माध्यम से विकास कार्यों में सीएसआर के योगदान से लोगों के लिए ट्रैक पर वापस आना आसान बनाता है। आपदा प्रबंधन में कॉर्पोरेट क्षेत्र को एकीकृत करने के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान के हिस्से के रूप में सभी आपदा राहत व्यय को शामिल किया है।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी (सीएसआर पॉलिसी) आजकल एक आम बात हो गई है। अधिकांश कंपनियां विभिन्न परोपकारी और सीएसआर कार्यों में आगे आई हैं। अधिकांश कंपनियों ने लंबे समय से समाज की भलाई में योगदान देने के व्यापक लक्ष्य के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के किसी न किसी रूप का अभ्यास किया है। लेकिन आजकल, सीएसआर को एक व्यवसायिक दिनचर्या के रूप में दिखाने का दबाव बढ़ रहा है, जिसे सर्वोत्तम परिणाम देना है। कंपनी की सीएसआर नीति होने से कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कंपनी के वित्तीय परिणामों में योगदान होता है, और बड़े पैमाने पर समुदाय की मदद करता है। कंपनियों को अपनी सीएसआर गतिविधियों को मौलिक लक्ष्यों पर फिर से केंद्रित करना चाहिए और सीएसआर रणनीतियों में सुसंगतता और अनुशासन लाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करनी चाहिए।

धारा 135 r/w कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार CSR को अनिवार्य बनाती है यदि कोई कंपनी:

a. जिस कम्पनी का कुल सम्पत्ति 500 करोड़ या अधिक हो । या
b. जिस कम्पनी का कुल कारोबार 1,000 करोड़ या अधिक हो । या
c. जिस कम्पनी का कुल लाभ 5 करोड़ या अधिक हो ।

कॉर्पोरेट जगत की सीएसआर नीतियां विभिन्न आपदा प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से समाज के ज्ञान, क्षमता और कौशल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि औद्योगिक संपत्ति और बुनियादी ढांचा आपदा प्रतिरोधी हों । आपदा संभावित क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के बीच सुरक्षा और शमन रणनीति और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास सहित संवेदीकरण कार्यक्रम आपदा जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी कदम है। सरकार की मदद से, कॉर्पोरेट क्षेत्र आपदा प्रबंधन के लिए उद्योग के लोगों, समुदायों, स्वयंसेवकों आदि को प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता है। विभिन्न एजेंसियों के साथ तैयारी के स्तर और संबंधों को प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। मॉक अभ्यास के संचालन के कुछ उद्देश्य हैं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को उजागर करना और योगदानकर्ताओं के बीच समन्वय को बढ़ाना, संसाधनों, संचार और प्रणालियों में अंतराल की पहचान करना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए क्षेत्रों की पहचान करना और समुदाय को सामना करने के लिए सशक्त बनाना। आपदा प्रबंधन के दौरान गरीबों, मध्यम वर्ग और प्रभावित लोगों के लिए बीमा के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण के तंत्र को लाना भी महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में प्रभावी आपदा प्रबंधन को लागू करना, जो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, एक लंबा और कठिन कार्य है। हालांकि, एक उचित रोड मैप और सरकार, कॉरपोरेट्स और अन्य योगदानकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों के साथ, यह निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ देश को मजबूत कर सकता है।

----------अध्याय समाप्त----------

अध्याय -12: योजना क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

12.1 नगर आपदा प्रबंधन योजना क्रियान्वयन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दरभंगा नगर आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की जवाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में "नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए सशक्त स्थाई समिति की होगी। इसी अधिनियम के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थाई समिति, लिखित आदेश द्वारा, इस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अपने किन्ही शक्तियों या कार्यों को महापौर या आयुक्त नगर निगम दरभंगा को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

बिहार म्यूनिसीपल एक्ट 2007 के अध्याय 39 में उद्धृत धारा 361:
प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा का प्रबंधन-

(1) जहां तक सम्भव हो सकेगा दरभंगा नगर निगम मौसम विज्ञान सम्बन्धी कार्यालय के आलावा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के संबंधित पदाधिकारियों के सहयोग से मौसम नक़्शा तथा प्रभावी क्षेत्र-आरेख तैयार कराएगा तथा अन्य सुसंगत आँकड़े एकत्र करेगा। प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अपेक्षित सहायक उपकरण को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) दरभंगा नगर निगम आपदा प्रबंधन के संबंध में आपातक़ालीन क्रिया-कलाप आयोजित करेगी तथा जन चेतना को बढ़ावा देगी।

(3) योजना तथा नगर विकास प्राधिकारों के द्वारा उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में भूकम्प की भयावहता को कम करने तथा इस सम्बंध में नागरिक चेतना जगाने के लिए बनाए गए विनियमों को यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

12.2 अनुश्रवण और मूल्यांकन फ़्रेमवर्क:

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 32 के आलोक में ज़िला स्तर पर भारत और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय ज़िला पदाधिकारी ज़िला प्राधिकरण के अधीन रहते हुए -आपदा प्रबंधन योजना में निहित प्रावधानों का नियमित रूप से पुनरावलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे। इसके लिए योजना क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ज़रूरी हो जाता है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है। कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी ख़ास माह में अधिक होती है और कुछ आपदाएँ बिना किसी पूर्व सूचना/ आभास के अचानक ही घटित होती हैं। दोनो तरह की आपदाओं का जोखिम आकलन, शमन, पूर्व तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनःप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। पहले के सफल अनुभवों से सीख लेते हुए उसका उपयोग पूरी प्रतिक्रिया में किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के बाद इसका दस्तावेज़ीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनों तरह के प्रयासों की विवेचना की जानी चाहिए। इन समीक्षा दस्तावेज़ों के आलोक

नगर आपदा प्रबंधन का संरचनात्मक ढाँचा

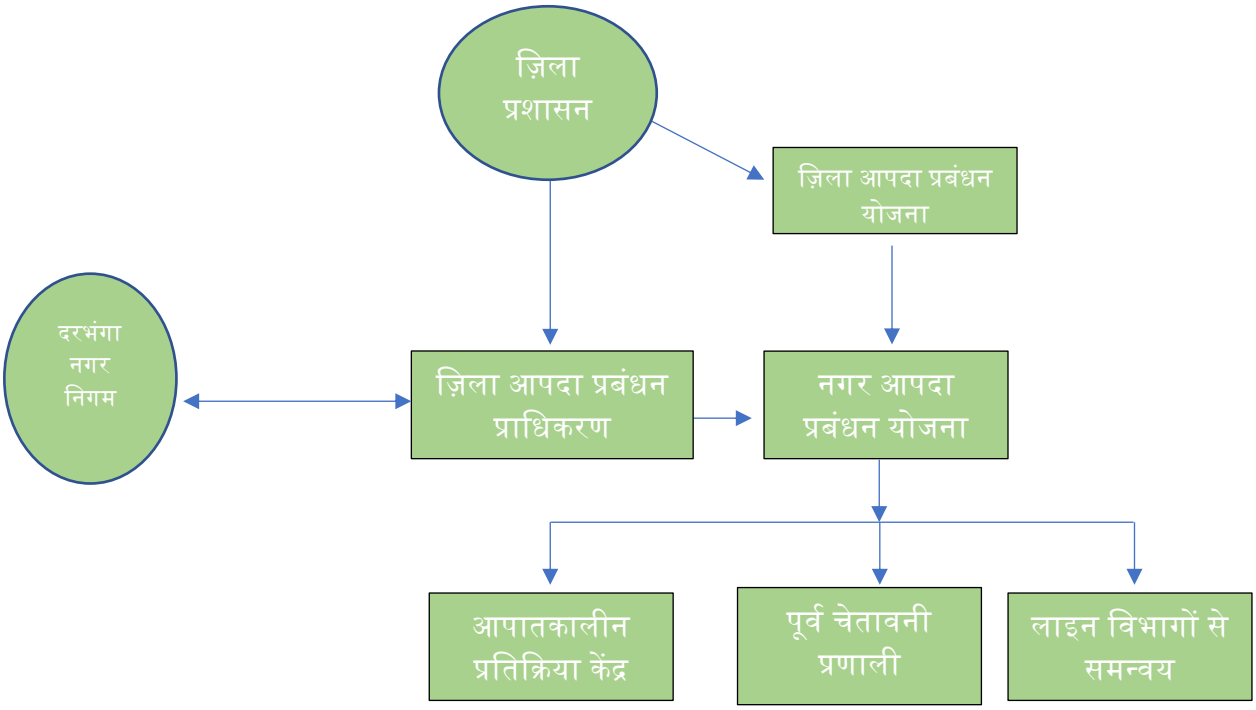

चित्र *17* : नगर आपदा प्रबंधन का संरचनात्मक ढाँचा

में **प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनःमूल्यांकन** कर उसे अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि भीषण आपदा के समय योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता की जाँच की जाए। आपदा के बाद, उससे निपटने की योजना के प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना ज़रूरी है। इस मूल्यांकन से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन से उपाय आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य संचालन, पुनर्स्थापित या पुनःप्राप्ति में अधिक प्रभावी साबित हुए हैं। भविष्य के आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को शामिल किया जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपदा के दौरान अनुपालित योजनाओं के सटीक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए सूचक (indicators) का तय किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है । इन सूचकों में समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण, आवास, आधारभूत संरचना, असमय मृत्यु और विभिन्न विभागों/ एजेन्सीयों से होने वाले जुड़ाव के मानक शामिल होने चाहिए।

तालिका *41* : अनुश्रवण और मूल्यांकन फ्रेमवर्क

माइलस्टोन	सूचक
भवनों और परियोजनाओं के सुरक्षित निर्माण में सरकार और समुदायों की सहायता के लिए क्षमता। (इंजीनियरों का प्रशिक्षण, सुरक्षित	• .....% प्रशिक्षित निर्माण-संबंधित प्रोफ़ेशनल ।

माइलस्टोन	सूचक
निर्माण के लिए आर्किटेक्ट, राजमिस्त्री आदि)।	
सभी सरकारी कार्यालयों, निजी भवनों और सामाजिक बुनियादी ढांचे (जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन आदि) का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट ।	• .....% सरकारी कार्यालयों, निजी भवनों और सामाजिक बुनियादी ढांचे जिनका वार्षिक संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कर लिया गया है। • .....% सरकारी कार्यालयों, निजी भवनों और सामाजिक बुनियादी ढांचे की संख्या जिनमें संरचनात्मक सुरक्षा उपाय या रेट्रोफ़िट्टिंग शुरू किए गए।
सभी प्रमुख नयी सरकारी परियोजनाओं और भवनों का निर्माण आपदा सुरक्षित मानकों के अनुसार शुरू किया गया है।	• .....% परियोजनाओं और भवनों के निर्माण में बिल्डिंग बाय लॉज के मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन ।
ज़िला में आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसीएस) का गठन ।	• कार्यात्मक आपातकालीन संचालन केंद्र
सभी व्यावसायिक भवनों (जैसे मॉल, सिनेमा हॉल और सामूहिक सभा के अन्य सार्वजनिक स्थानों) की संरचनात्मक सुदृढीकरण सुनिश्चित की गयी है।	• .....% पहचान किए गए व्यावसायिक भवनों के सुधारात्मक उपायों के लिए योजनाएं विकसित की गयीं। • .....% पहचान किए गए व्यावसायिक भवनों के संरचनात्मक सुरक्षा के उपाय किए गए।
सभी संबंधित विभागों और नगर निगम की वार्षिक योजनाओं और पीआईपी बहु-जोखिम को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है ।	• ....% लाइन विभाग जिन्होंने बहु-जोखिम को केंद्र में रखकर अपना वार्षिक योजना और पीआईपी तैयार किया है । • .....% लाइन विभाग जिन्होंने अपने बहु-जोखिम शमन योजना में स्थानीय स्वशासन की स्पष्ट भागीदारी रखी है । • ....% लाइन विभाग जिन्होंने अपने बहु-जोखिम शमन योजना में समुदाय की भागीदारी रखी है विशेषकर अधिक जोखिम वाले समूह जैसे किशोर, बच्चे, महिलाएँ, बुजुर्ग, दिव्यांग, मलिन बस्ती में रहने वाले आदि ।
सभी संबंधित विभागों और नगर निगम ने अपनी बुनियादी सेवाओं और महत्वपूर्ण ढांचे को एसडीसीपी / आईसीपी को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है ।	• .....% लाइन विभाग जिन्होंने अपनी योजनाएं एसडीसीपी/आईसीपी के हिसाब से बनायीं हैं।

माइलस्टोन	सूचक
आपदा जोखिम न्यूनीकरण निर्णय लेने के लिए डीडीएमए को संसाधनों, अधिदेशों और क्षमताओं के साथ अधिसूचित किया गया है।	• पिछले वर्ष की तुलना में DDMA के लिए कितना .....% बजट बढ़ा । • पिछले वर्ष की तुलना में DDMA के पास कितने .....% प्रशिक्षित प्रोफ़ेशनल बढ़े । • पिछले वर्ष की तुलना में DDMA के पास आपदा से निपटने के लिए कितना ज़रूरी उपकरण बढ़े ।
पूर्व चेतावनी सूचना प्राप्त करने, प्रसार करने और तत्काल उचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) स्थापित ।	• कार्यशील और प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)
आपदा को लेकर जागरुक और संवेदनशील समुदाय।	• .....% वार्डों में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयं सेवक • .....% वार्डों में गठित आपदा शमन कमिटी
आपदा जोखिम न्यूनीकरण निर्णय लेने के लिए दरभंगा नगर निगम को संसाधनों, अधिदेशों और क्षमताओं के साथ अधिसूचित किया गया है।	• पिछले वर्ष की तुलना में नगर निगम का आपदा मद में कितना .....% बजट बढ़ा । • पिछले वर्ष की तुलना में आपदा से निपटने के लिए नगर निगम में कितने .....% प्रशिक्षित प्रोफ़ेशनल बढ़े । • पिछले वर्ष की तुलना में निगम के पास आपदा से निपटने के लिए ज़रूरी उपकरण बढ़े।
आपदा के बाद आजीविका गतिविधियों को पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार योजना।	• नगर निगम द्वारा अपनाई गई आजीविका जोखिम प्रबंधन संबंधी नीतियों की संख्या और प्रकृति। • निगम में आजीविका जोखिम प्रबंधन संबंधी नीतियों और उपायों पर प्रशिक्षित आजीविका प्रोफ़ेशनल की संख्या ।

----------अध्याय समाप्त----------

अनुलग्नक I : रेसिलीयंट सिटी चेकलिस्ट UNDRR

अनुलग्नक II : लाइन विभागों द्वारा दिए गए आँ

जिला परिवहन विभागः

1. जिला परिवहन विभाग कि मुख्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विवरणः

नाम	पद	ईमेल Id	मोबाईल नम्बर
श्री रवि कुमार	जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा	dto-darbhanga-bih@nic.in	6202751046
श्री निशांत कुमार	मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा	–	6202751047
श्री धर्मवीर कुमार आजाद	प्रवर्तन अवर निरीक्षक, दरभंगा	–	7903590115
श्री बसंत कुमार	प्रवर्तन अवर निरीक्षक, दरभंगा	–	8877659094

क्रमांक– 2–
क्रमांक– 3–

District Trahsport Officer
Darbhanga

बिहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा भवन, करमगंज
दरभंगा–846001

Bihar Education Project
SHIKSHA BHAWAN, Karamganj
Darbhanga-846001

पत्रांक 637

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा०शि० एवं समग्र शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम,
जिला दरभंगा।

दरभंगा, दिनांक 16/06/2022 ई०

विषयः– नगर आपदा प्रबंधन योजना, दरभंगा के निर्माण हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक 785 दिनांक 04.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दरभंगा नगर निगम अंतर्गत नगर आपदा प्रबंधन योजना, दरभंगा के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग से संबंधित विहित प्रपत्र में पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय सेवा में आवश्यक कार्यार्थ समर्पित की जा रही है।

कृपया पावती स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/06/22

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा०शि० एवं समग्र शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

E-mail- ssadarbhanga@gmail.com Website- www.bepdarbhanga.org

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान

Scanned with CamScanner

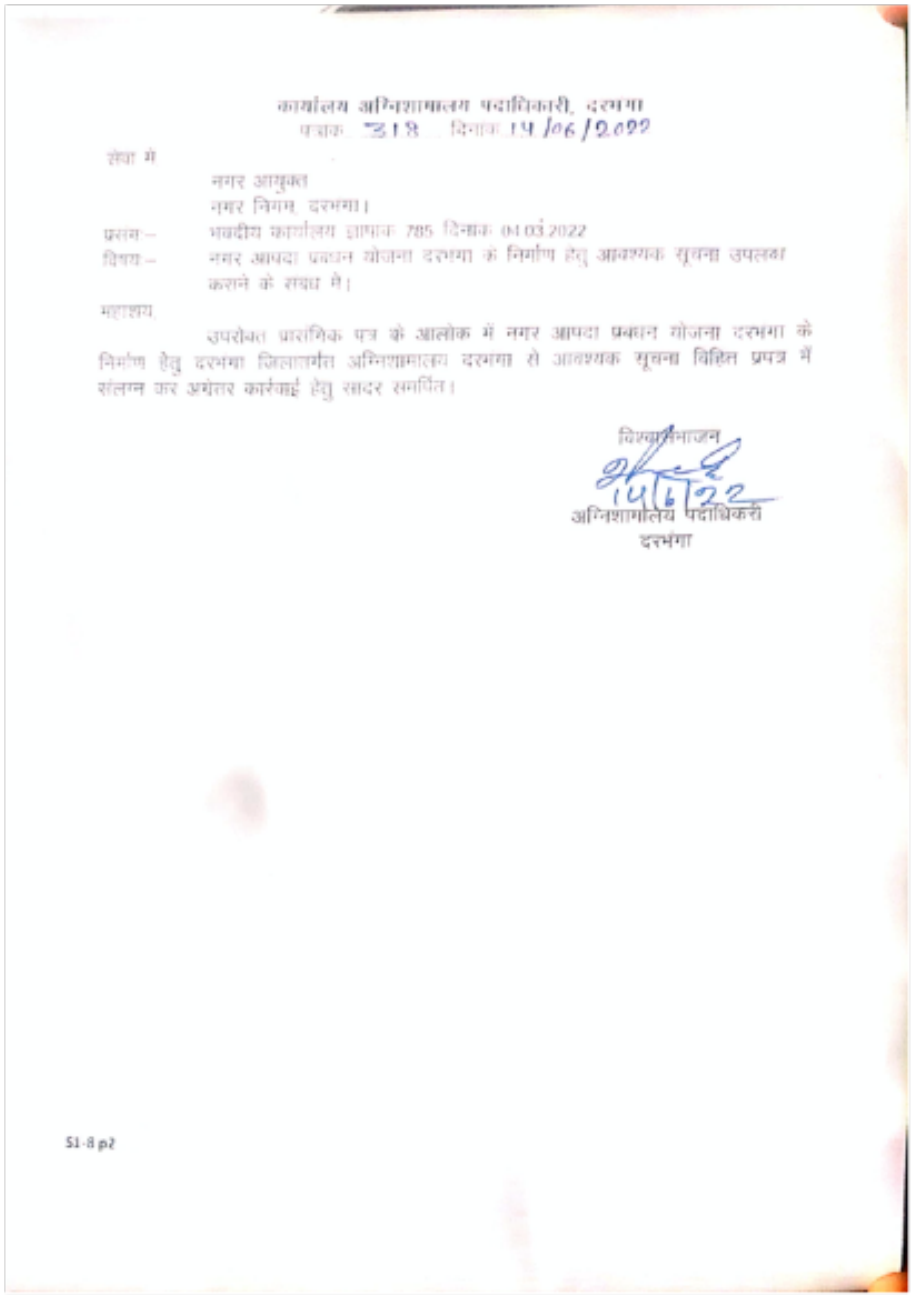

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, दरभंगा

पत्रांक 318 दिनांक 14/06/2022

सेवा में

नगर आयुक्त
नगर निगम, दरभंगा।

प्रसंग— भवदीय कार्यालय ज्ञापांक 785 दिनांक 04.03.2022

विषय— नगर आपदा प्रबंधन योजना दरभंगा के निर्माण हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में नगर आपदा प्रबंधन योजना दरभंगा के निर्माण हेतु दरभंगा जिलान्तर्गत अग्निशामालय दरभंगा से आवश्यक सूचना विहित प्रपत्र में संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

विश्वासभाजन

14/6/22

अग्निशामालय पदाधिकारी
दरभंगा

S1-8 p2

कार्यालय, कारखाना निरीक्षक, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर।

पत्रांक - 139

प्रेषक,

मनोज कुमार चौधरी
प्रभारी कारखाना निरीक्षक,
समस्तीपुर अंचल,समस्तीपुर।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा-846004 ।

समस्तीपुर,दिनांक- 06.06.2022

विषय- नगर आपदा प्रबंधन योजना, दरभंगा के निर्माण हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में
प्रसंग- भवदीय का कार्यालय पत्रांक-785, दिनांक-04.03.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवम प्रासंगिक पत्र के आलोक में इस कार्यालय के क्षेत्रांतर्गत दरभंगा जिला अवस्थित परिसंकटग्रस्त (Hazardous) कारखानों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है। साथ ही सूचित करना है कि स्थापित उद्योगों का रिक्त अन्य विवरणी एवं कंडिका 3, 4 & 5 से संबंधित सूचना के लिए कारखानों की निरीक्षण की आवश्यकता है। श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या/पत्र संख्या-संचिका संख्या-1/ओ0एल0एस0-02/2017 श्र0सं0-4464, दिनांक-29.08.2017 के अनुसार एकल निरीक्षण की प्रक्रिया बंद कर दी गई है।

यह भवदीय के सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वासभाजन,

06.06.2022

(मनोज कुमार चौधरी)
प्रभारी कारखाना निरीक्षक
समस्तीपुर अंचल,समस्तीपुर

कार्यालय–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दरभंगा।
शाहगंज बेंता, सूर्य भवन, दरभंगा।
ई–मेल ee.mi.darb-bih@gov.in / दुरभाष सं0–7366857905

पत्रांक 276 / दरभंगा / दिनांक 7/3/22

सेवा में,

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा।

विषय– नगर आपदा प्रबंधन योजना, दरभंगा के निर्माण हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक–785 दिनांक–04.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि इस प्रमंडल अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्रों का कार्य कराया जाता है।

भवदीय को सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, दरभंगा।
08/03/2022

NAGAR AYUKT
D.M.C. DARBHANGA

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

1 कार्यपालक अभियंता का नाम/मोबाईल नम्बर एवं ई मेल आई० डी० श्री नितिन कुमार/8544420501 cepheddarbhanga@gmail.com

2 जिले तथा नगर मे पेय जल स्त्रोत कौन से है शहरी जलापूर्ति योजना।

क्र०	जल स्त्रोत का नाम	स्थल का नाम	किस वार्ड में अवस्थित है	क्षमता
1	शहरी जलापूर्ति योजना	सुंदरपुर(वार्ड 5)	5	2 लाख गैलेन
2	शहरी जलापूर्ति योजना	लक्ष्मीसागर (15)	15	1 लाख गैलेन
3	शहरी जलापूर्ति योजना	लालबाग (नगर निगम गोदाम)	20	1 लाख गैलेन
4	शहरी जलापूर्ति योजना	लालबाग पुरानी टंकी	20	1 लाख गैलेन
5	शहरी जलापूर्ति योजना	मिल्लत कॉलेज	31	1 लाख गैलेन
6	शहरी जलापूर्ति योजना	थाना चौक	29	2 लाख गैलेन
7	शहरी जलापूर्ति योजना	जिला स्कूल	36	50 हजार गैलेन
8	शहरी जलापूर्ति योजना	सैदनगर	47	1 लाख गैलेन
9	शहरी जलापूर्ति योजना	रायसाहेब पोखर	46	50 हजार गैलेन
10	शहरी जलापूर्ति योजना	यांत्रिक प्रमंडल	47	2 लाख गैलेन
11	शहरी जलापूर्ति योजना	डी०एम०सी०एच० कैम्पस	34	2 लाख गैलेन

Nitin Kumar
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

Scanned with CamScanner

समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, दरभंगा।)

पत्रांक– 372

प्रेषक,

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग
दरभंगा।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा।

लहेरियासराय, दिनांक 22/04/2022

विषय – जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरणी का अग्रसारण।
प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–785 दिनांक–04.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरणी विहित प्रपत्र में मांग की गई है।

अतः उक्त आदेश के आलोक में पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरणी विहित प्रपत्र में संलग्न कर अग्रसारित की जाती है।

अनुलग्नक :– यथौक्त।

विश्वासभाजन

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग
दरभंगा।

पत्रांक.../.../...... / स0सु0को0
पुलिस उपाधीक्षक,यातायात का कार्यालय, दरभंगा।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा।

प्रसंगः– भवदीय के कार्यालय का पत्रांक–785 / दिनांक–04.03.2022

विषयः– नगर आपदा प्रबंधन योजना, दरभंगा के निर्माण हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के साथ मिलकर AFC INDIA LTD दरभंगा नगर के लिए व्यापक नगर आपदा प्रबंधन योजना के उपर कार्य करने के आलोक में दरभंगा नगर के लिए आपदा प्रबंधन को लेकर की जाने वाली तैयारी एवं दरभंगा को आपदा से सुरक्षित बनाने हेतु माँगी गई वांछित विवरणी विहित प्रपत्र में निम्नवत है:–

पुलिस उपाधीक्षक, यातायात :

1. ट्रैफ़िक विभाग के मुख्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण :

क्र0सं0	नाम	पद	ईमेल id	मोबाइल नम्बर
01.	श्री बृजु पासवान	पुलिस उपाधीक्षक, यातायात	—	9430448291
02.	श्री निलमणी रंजन	थाना अध्यक्ष, यातायात	—	6287742994

2. पिछले पाँच वर्षों में नगर निगम क्षेत्र मीन हुई सड़क दुर्घटना का विवरण.

वर्ष	राष्ट्रीय उच्च मार्ग			राज्य उच्च पथ			मुख्य ज़िला सड़कें			शहरी सड़क		
	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल
2016												
2017	5	4	7	10	7	3	–	–	–	–	–	–
2018	4	3	18	–	–	–	2	–	2	–	–	–
2019	1	1	–	–	–	–	9	1	7	1	–	–

जिला आपूर्ति पदाधिकारी

1. जिला आपूर्ति के मुख्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण :

क्र.	नाम	पद	ई–मेल ID	मोबाइल नम्बर
1.	अजय कुमार	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	darbhangadso@gmail.com	6287891699

2. नगर क्षेत्र में AYY कार्डधारी परिवारों की संख्या – 7445
3. नगर क्षेत्र में PHH कार्डधारी परिवारों की संख्या – 35990
4. सुरक्षित अनाज भंडारण की व्यवस्था – L.Shed (Laheriasarai, Darbhanga)
5. आपदा के समय विभाग, संभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विवरण – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

वर्ष	आपदा का प्रकार	अनाज प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या PHH+AYY (दरभंगा शहरी+सदर)	लाभार्थियों में PHH+AYY की संख्या (दरभंगा शहरी+सदर)	वितरित अनाज की मात्रा	समबंधित विभाग या योजना जिसके तहत अनाज का वितरण किया गया
मई–2021 से अप्रैल–2022 तक	COVID-19	102843	AYY - 13464 PHH - 80449	गेहूँ – 10312547.000 kg. चावल–15477602.600 kg	PMGKAY

15/6/22

योजना पदाधिकारी

1. ज़िला योजना एवं विकास विभाग के मुख्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण :

क्र.	नाम	पद	ईमेल id	मोबाइल नम्बर
1.	Navin Kumar	Dist. Planning Officer Darbhanga	dpo.darbhanga2013@gmail.com	9304120084

2. क्या विभाग के द्वारा अन्य विभागों को विभिन्न योजनाओं के निर्माण में सहयोग किया जाता है ....लागू नहीं

3. यदि हाँ तो क्या आपदा प्रबंधन के पहलू को योजनाओं में समावेशित करने के लिए विभाग के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है (यदि हाँ तो कृपया निर्देश संलग्न करें) –

जागरूकता संबंधी ....लागू नहीं ..(कार्यपालक अभियंता इन पहलुओं का ध्यान रखते हैं।)

पूर्व तैयारी संबंधी ....लागू नहीं (")

Build Back Better संबंधी ....लागू नहीं......(")

4. अभी तक किन किन विभागों को इस प्रकार का निर्देश दिया गया है (यदि हाँ तो कृपया निर्देश संलग्न करें)
–.............................लागू नहीं

5. क्या विभाग के द्वारा जारी किये गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा या अनुश्रवण किया गया है (यदि हाँ तो उसका रिपोर्ट संलग्न करें)
Not applicable

6. समीक्षा / अनुश्रवण के पश्चात क्या कोई निर्देश निर्गत किया गया है.
Not applicable

16/6/2022
जिला योजना पदाधिकारी
दरभंगा

Scanned with CamScanner

Annexure III: BSDMA के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण

नाविकों को दिए गए प्रशिक्षण की सूची

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, पटना– 800001

विषय :– नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स की सूची

जिला– सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी एवं दरभंगा

20.09.2017 से 22.09.2017 तक

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	पता	जिला	मोबाईल नं0
1	निर्मल साह	श्री चन्द्र देव साह	ग्राम+पो0– शाहपुर, प्रखंण्ड– सोनवर्षा (राज), जिल– सहरसा।	सहरसा	7631506428
2	अनिल मुखिया	श्री योगेन्द्र मुखिया	ग्राम– पड़वनियाँ, पो0– ढिवारी, जिला– सहरसा।	सहरसा	7765071724
3	मनोज राम	श्री दुलारचन्द्र राम	ग्राम– मधुवन, पो0– खमहौती प्रखण्ड– सिमरी ब0, जिला – सहरसा।	सहरसा	8676953501
4	बैजनाथ पंडित	श्री चेतो पंडित	ग्राम– गोरगामा, पो0– घौड़दौड़, थाना– सुलखुआ, जिला– सहरसा।	सहरसा	9693574171
5	संजय कुमार सहनी	महावीर सहनी	ग्राम– इंमपुर, पा0– धरमपुर, प्रखंड– नवहटा, जिला– सहरसा।	सहरसा	7549449232
6	अमन कुमार	श्री उमेश चन्द्रा	लक्ष्मीपुर मोहल्ला, वार्ड नं0–16, मधेपुरा।	मधेपुरा	9709898106
7	गणेश कुमार	स्वः शिव नारायण साह	ग्राम+पो0– मजरहट भाया सिद्धश्वर, मधेपुरा	मधेपुरा	8084903656
8	शंभू चौधरी	स्वः गुगली चौधरी	ग्राम+पो0– मजरहट भाया सिद्धश्वर, मधेपुरा	मधेपुरा	9523954662
9	बालक दास	श्री विष्णुदेव राम	ग्राम+पो0– सुखासन (चकला), थाना+जिला– मधेपुरा	मधेपुरा	9534711044 7631526393
10	अमीर राम	श्री विष्णुदेव राम	ग्राम+पो0– सुखासन (चकला), थाना+जिला– मधेपुरा	मधेपुरा	7631526393
11	नरेन्द्र यादव	श्री जिवछ यादव	ग्राम– रामनगर, पो0– सुरियाही, थाना– फुलपरास, ब्लॉक– फुलपरास।	मधुबनी	9771399066
12	विजय कुमार	श्री पंडित प्रसाद यादव	ग्राम+पो0+थाना– फुलपरास।	मधुबनी	7549454458
13	विजय कुमार सहनी	स्वः बिन्दश्वर सहनी	ग्राम– कटैया, प्रखण्ड– विस्पी, जिला– मधुबनी	मधुबनी	7481938511
14	शम्भू सहनी	श्री सोगारथ सहनी	ग्राम– रमौस घाट, पो0– बरदाहा, वार्ड– 6, पंचायत सगवन पूवी, थाना– बिस्फी (पतौना)	मधुबनी	9934548097
15	पवन मुखिया	श्री रामअवतार मुखिया	ग्राम– दलदल, प्रखण्ड– मधेपुर, जिला– मधुबनी।	मधुबनी	7549588542
16	गौतम कुमार	श्री शैलेन्द्र ठाकुर	ग्राम– कोलहटा, पो0– पटोरी वसन्त, जिला– दरभंगा	दरभंगा	7654080013
17	अमरजीत यादव	श्री उमेश प्रसाद यादव	ग्राम– खपरपुरा, पो0– अरैया, थाना– मोरो, प्रखण्ड– हनुमान नगर, जिला– दरभंगा	दरभंगा	8229828760
18	मंजय पासवान	श्री बिन्दा पासवान	ग्राम– ब्रहमपुर, पो0– ब्रहमपुर, थाना– कमतौल, जिला– दरभंगा	दरभंगा	8051939514
19	छोटे कुमार पासवान	श्री राम आशिष पासवान	ग्राम+पो0– ब्रहमपुर, थाना– कमतौल, दरभंगा	दरभंगा	7352448238 8521932743
20	वीरेन्द्र कुमार पासवान	स्वः उतीम पासवान	ग्राम+पो0– राढ़ी, थाना– जाले, जिला– दरभंगा।	दरभंगा	8051304544

विशेष कार्य पदाधिकारी
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण, पटना

SDMA द्वारा भूकम्प रोधी निर्माण हेतु प्रशिक्षित अभियंताओं की सूची

Darbhanga: List of trained engineers on earthquake resistant construction

Sr. no.	Name (Er.)	Designation	Department	Place of Posting	Mobile No.
1	Krishna Kumar	JE	PHED	Darbhanga	9110999615
2	Bivesh Kumar	AE	BCD	Darbhanga	7635042454
3	Iftekhar Imam	AE	WED	F.C.D. Hathauri	9905779093
4	Vijay Kumar Sinha	JE	WED	F.C.D. Hathauri	7463889874
5	Sikandar Pandit	AE	RWD	Kusheshwar Asthan East.	9430480619
6	Birendra Kumar	JE	WRD	Darbhanga	8051923023
7	Krishna Kumar Roy	JE	WRD	Darbhanga	9631020785
8	Shankar Kumar Jha	JE	WRD	Darbhanga	7463889863
9	Manoj Kumar	JE	WRD	F.C.D. Jhanjhapur	9939491566
10	Yogendra Kumar	JE	WRD	Jhanjharpur	7463889847
11	Ranjeet Kumar	JE	WRD	Jhanjharpur	9708921462
12	Sunil Kumar Prasad Singh	JE	WRD	Darbhanga	9006645551
13	Ashwani Kumar	JE	WRD	Darbhanga	8271421041
14	Nirmal Kumar	JE	WRD	Darbhanga	8789481016
15	Akhilesh Kumar Mishra	JE	WRD	Darbhanga	9431675411
16	Pradeep Kumar	JE	WRD	Darbhanga	9304505949
17	Yuvraj Aman	EO	WRD	Jhanjharpur	8825201470
18	S.Md. Gausur Rahman	JE	PHED	Darbhanga	8544428899
19	Suman Kumar Singh	AE	WRD	Jhanjharpur	8084937581
20	Sudhir Pradad	JE	WRD	Jhanjharpur	9472422490

Sr. no.	Name (Er.)	Designation	Department	Place of Posting	Mobile No.
21	Ashish Kumar	JE	WRD	Jhanjharpur	9006306959
22	Prabhash Shanker	JE	WRD	Jhanjharpur	8987050849
23	Barun Kumar Singh	JE	WRD	Jhanjharpur	7463889839
24	Satyendra Kumar	JE	WRD	Jhanjharpur	7463889848
25	Pravin Kumar	JE	WRD	Darbhanga	9835676915
26	Manoj Kumar	AE	WRD	Darbhanga	7463889828
27	Priyanka Kumari	AE	RCD	Darbhanga	8541051487
28	Sandeep Kumar Mahto	JE	WRD	Hathuri	9472563519
29	Bodh Krishna Babloo	JE	WRD	Hathuri	9122678714
30	Bijendra Kumar	AE	WRD	Hathuri	7463889868
31	Suresh Prasad	JE	WRD	Hathuri	7463889872
32	Chandra Shekhar Singh	JE	WRD	Hathuri	8340465191
33	Raju Kumar	JE	RCD	Darbhanga	9955246660
34	Prem Prakash	SDO	WRD	Jhanjharpur	9471562069
35	Rajesh Kumar Arya	SDO	WRD	Jhanjharpur	8521342371
36	Amarjit Kumar	JE	WRD	Hathuri	9308410962
37	Manoj Kumar Suman	JE	WRD	Hathuri	9835468218
38	Prakesh Kumar	JE	WRD	Hathuri	9472268516
39	Ram Binay Kumar	EE	WRD	Hathuri	7463889867
40	Murlidhar Sudhanshu	JE	WRD	Darbhanga	9801741656
41	Rakesh Kumar	JE	WRD	Darbhanga	8789399492
42	Uday Nath Jha	JE	Darbhanga Nagar Nigam	Darbhanga	9470488945
43	Ajay Kumar Gupta		WRD	Hathuri	7463889870

Sr. no.	Name (Er.)	Designation	Department	Place of Posting	Mobile No.
44	Vijay kumar	AE	WRD		7870681514
45	Sanjay Sharan Singh	JE	Darbhanga Nagar Nigam	Darbhanga	9470488943
46	Pawan Kuamr		PHED	Darbhanga	8544429018
47	Pawan Kumar	JE	PHED	Darbhanga	8544429017
48	Madan Mohan Ram	JE	WRD	Jhanjharpur	8877572186
49	Lakshman Yadav	AE	WRD	Jhanjharpur	7463839836
50	Arbendra Kumar	JE	WRD	Jhanjharpur	9308531469
51	Ajit Kumar	JE	WRD	Jhanjharpur	8407845443
52	Satyendra Narayan Upadhyay	EE	WRD	Darbhanga	9771282614
53	Md. Wahid Alam	JE	RCD	Darbhanga	9472907614
54	Pravin Kumar	JE	WRD	Darbhanga	9006523712
55	Chandra Shekhar Azad	JE	RCD	Jhanjharpur	8936077278
56	Bibhuti Kumar Singh	JE	WRD	Jhanjharpur	898613281
57	Nagendra Rai	EE	WRD	Jhanjharpur	7463889833
58	Aditya Prakash	AE	WRD	Phulparas	7463889835

BSDMA द्वारा राज मिस्त्रियों को दिए गए प्रशिक्षण की सूची

7 days Mason Training on Earthquake Resistant Building				
List of Trained Mason at Darbhanga Block, Darbhanga District				
Sr.No.	**Name of Mason**	**Father's Name**	**Name of Village**	**Mobile No.**
1	Baidhnath Das	Bajrangi Das	Donar	7762862229
2	Mahendra Das	Late. Lakshmi Das	Donar	9939440613
3	Santosh Das	Late. Damodar Das	Gandhi Nagar	9162547340
4	Singesar Das	Sitaram Das	Lakshmisagar	9576047586
5	Mustak Momin	Shafik Momin	Ghoi	9631006275
6	Shyam Das	Bachche Das	Donar	996536892
7	Gauri Das	Late. Ayodhi Das	Donar	9162999813
8	Lakshman Das	Sindheshwar	Lakshmisagar	8271264391
9	Mangal Das	Late. Mahesh Das	Donar	9931562194
10	Deepak Kumar	Ramnarayan Raut	Shubhankarpur	7091846337
11	Rajendra Das	Sitaram Das	Donar	9525559058
12	Kanhaiya Das	Baidhnath Das	Gangasagar Donar	6204264045
13	Dinesh Das	Ram Khelawan Das	Donar	8677925395
14	Rajesh Paswan	Kishori Paswan	Lakshmisagar	9708509207
15	Suraj Das	Late. Mungalal Das	Donar	8409078692
16	Shyam Das	Singeshwar Das	Lakshmisagar	8877517276
17	Pramod Das	Ramdhin Das	Donar	8002743713
18	Sanichar Paswan	Biltu Paswan	Lakshmisagar	8797572962
19	Deepak Kumar Das	Kapileshwar Das	Donar	8540012285
20	Jiwachh Das	Kailash Das	Donar	8757745792
21	Umesh Paswan	Late. Mangal Paswan	Lakshmisagar	9546063927
22	Umesh Das	Ramu Das	Lalbag	9334213218
23	Ram Kumar Das	Late. Ram Dyal Das	Gandhi Nagar	8002612868
24	Shyam Kumar	Late. Ram Dyal Das	Donar	7281034552
25	Pawan Ram	Butan Ram	Dhoi	7654730934
26	Suresh Sahni	Chalittar Sahni	Bagdiha	8538935429
27	Ram Kumar Yadav	Ram Vilash Yadav	Behat	9122885764
28	Raj Kumar Mahto	Subai Mahto	Maulaganj	9955914703

BSDMA द्वारा BEPC के अभियंताओं को दिए गए प्रशिक्षण की सूची

FOUR DAYS ENGINEERS TRAINING BIHAR EDUCATION PROJECT COUNCIL

Sr. No.	Name (Er.)	Designation	Department	Place of Posting	Mobile No.
1	Dhananjay Kumar Das	AE	BEPC	Darbhanga	8544411226
2	Md. Reyaz Ansari	JE	BEPC	Darbhanga	8544411214
3	Dukhendra Kumar	JE	BEPC	Darbhanga	8544411224
4	Subhash Kumar Suman	JE	BEPC	Darbhanga	8544411225
5	Shiveshwar Prasad Singh Yadav	JE	BEPC	Darbhanga	9507814740
6	Sunil Kumar Yadav	JE	BEPC	Darbhanga	9934235325
7	Amit Kumar	JE	BEPC	Darbhanga	7631894337
8	Dilip Kumar Ram	JE	BEPC	Darbhanga	8544411215
9	Dharmendra Kumar Mandal	JE	BEPC	Darbhanga	9771847004
10	Amresh Kumar	JE	BEPC	Darbhanga	9122476354
11	Pankaj Kumar	JE	BEPC	Darbhanga	8544411220
12	Sanjeev Kumar	JE	BEPC	Darbhanga	9708867244
13	Gaurav Kumar	JE	BEPC	Darbhanga	7545064614

BSDMA द्वारा RVS पर दिए गए प्रशिक्षण की अभियंताओं की सूची

List of trained Engineers on RVS_Dated 20-9-2017					
Sr. No.	Name	Designation	Department	District	Mobile No.
1	Dhananjay Kumar Das	AE	BEPC	Darbhanga	8544411226

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित MT की सूची

1	Pawan Kumar	Assistant Engineer	Building Construction Department	Darbhanga	9473379935
2	Mukesh Kumar	Assistant Engineer	Public Health Engineering Department	Darbhanga	8544428693
3	Sanjay Kumar Mishra	Assistant Engineer	Public Health Engineering Department	Darbhanga	9470482302

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित वरिष्ठ अभियंताओं की सूची

List Trained Senior Engineers					
Sr No	Name	Designation	Department	Distict (Posting)	Mobile No
17	Subhash Chandra	Superintending Engineer	Rural Works Department	Darbhanga	8986915223
34	Rajeev Kumar Chaurasia	Superintending Engineer	Water Resource Department	Darbhanga	7463889768
39	Sanjay Kumar Singh	Superintending Engineer	Water Resource Department	Darbhanga	9308602150
47	Suresh Purbey	Superintending Engineer	Water Resource Department	Darbhanga	9835642191
62	Sadanand Chaudhary	Superintending Engineer	Water Resource Department	Jainagar & Darbhanga	7463889743
95	Rama Nand Mahto	Superintending Engineer	Road Construction Department	Darbhanga	9470001341
106	Indrajeet Kumar	Superintending Engineer	Road Construction Department	Darbhanga	9470488393
139	Siyaram Pasawan	Chief Engineer	Water Resource Department	Darbhanga	7463889741

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित दरभंगा के MT की सूची

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना– 800001

विषय :– आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।
जिला :– दरभंगा
दिनांक :– 27–28 फरवरी, 2018

मास्टर ट्रनर्स की सूची

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	नाम (Name)	पदनाम (Designation)	पंचायत का नाम (Name of Panchayat)	मोबाईल नं0 (Mobile Number)	प्रमाणपत्र सं0 (Certificate Number)
1	मनीगाछी	मो0 मोजाहिदुल इस्लाम	सरपंच	राघोपुर पूर्वी	9473455009	1
2	तारडीह	श्री रामश्रय चौधरी	मुखिया	लगमा	9431826468	2
3		श्री ईदरीश	सरपंच	विसहथ बथिया	9973449360	3
4	बिरौल	श्री बेचन मांझी	मुखिया	इटवा शिवनगर	7761994600	4
5		श्री अच्युतानन्द ठाकुर	सरपंच	पड़री	9431691360	5
6	सिंहवाड़ा	श्री सुधीर कान्त मिश्र	मुखिया	सिंहवाड़ा दक्षिणी	8409768772	6
7		श्री राजीव कुमार साह	सरपंच	अरैई विरदीपुर	9122833587	7
8	बहेड़ी	श्री संजय कुमार राकेश	सरपंच	धनौली	9931988133	8
9	जाले	श्री राघवेन्द्र प्रसाद	मुखिया	राढी दक्षिणी	9110033647	9
10		श्री हरेश कुमार सिंह	सरपंच	जोगियारा	8651490518	10
11	किरतपुर	श्री रोमी कुमार पंडित	सरपंच	रसियारी पौनी	9572060215	11
12	कैवटी	श्री मिथिलेश कुमार मिश्र	सरपंच	पिण्डारुच	9801423303	12
13	हनुमाननगर	श्री ललितेश्वर प्रसाद सिंह	मुखिया	सिनुआर	9835088324	13
14		श्री चंदन कुमार सिंह	सरपंच	रामपुरडीह	8873848435	14
15	बेनीपुर	श्री रतन कुमार सिंह	सरपंच	सज्जनपुरा	8651465547	15
16	घनश्यामपुर	श्री सुधीर कुमार ईश्वर	मुखिया	बुढैय ईनायतपुर	9472059818	16
17		श्री मनसुर आलम	सरपंच	बुढैय ईनायतपुर	9955748498	17
18	गौड़ाबौराम	श्री हीरा कुमर	सरपंच	बेलवाड़ा	9934972102	18

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	नाम (Name)	पदनाम (Designation)	पंचायत का नाम (Name of Panchayat)	मोबाईल नं0 (Mobile Number)	प्रमाणपत्र सं0 (Certificate Number)
19	अलीनगर	श्री रामनाथ सहनी	सरपंच	मोतीपुर	7654575533	19
20	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	श्री टक्को सदा	मुखिया	ईटहर	9155550795	20
21		श्री कृष्ण मोहन सदा	सरपंच	ईटहर	7759073699	21
22	सदर दरभंगा	मो0 शम्सतबरेज	मुखिया	लोआम	7992339013	22
23		मो0 हूमायूँ	सरपंच	लोआम	9431686897	23
24	हायाघाट	श्री लालबाबु	मुखिया	मल्हीपट्टी दक्षिणी	9931830449	24
25	कवेटी	श्री इफ्तेखार अहमद	मुखिया	रजोरा	9934782896	25
26	बेनीपुर	श्री लालबाबु यादव	मुखिया	माधोपुरा मोहम्मदपुर	8298624563	26

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना– 800001

विषय :– आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।

जिला :– दरभंगा (जो दिनांक 27–28 फरवरी, 2018 को अनुपस्थित थे)

दिनांक :– 10–11 मई, 2018

मास्टर ट्रनर्स की सूची

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	नाम (Name)	पदनाम (Designation)	पंचायत का नाम (Name of Panchayat)	मोबाईल नं0 (Mobile Number)	प्रमाणपत्र सं0 (Certificate Number)
27	कुशेश्वर स्थान	श्री शालिग्राम सिंह	सरपंच	हरौली	8084875313	27
28	बहादुरपुर	फेजान अहमद	मुखिया	जलवार	9801946027 8051130142	28
29	बहादुरपुर	श्री मनोज कुमार सिंह	सरपंच	जलवार	9199613031	29
30	हायाघाट	श्री विजय पासवान	मुखिया	आनन्दपुर सहोड़ा	9430502482	30
31	बहेड़ी	श्री राम विनोद मंडल	मुखिया	बिढ़ौली	9430044274	31

अनुलग्नक V: BSDMA द्वारा जारी किए गए एडवाईजरी

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड , पटना-800001

visit: www.bsdma.org; e-mail: info@bsdma.org

सुरक्षित छठ पूजा हेतु सलाह (Advisory)

प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा लोगों द्वारा बहुत श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान व्रती पवित्र गंगा सहित अन्य नदियों, तालाबों, नहरों के किनारे डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ्य देने हेतु भारी संख्या में इक्ट्ठा होते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की असावधानी हादसे का कारण बन सकती है। इन हादसों को रोकने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें–

सामान्य नागरिक

क्या करें

- प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करें।
- निर्धारित मार्गों पर ही चलें और गाड़ियों को निर्धारित स्थलों पर ही पार्क करें।
- महिलाएं/बुजुर्ग अपने पास घर का पता और फोन नम्बर अवश्य रखें।
- यदि आप छोटे बच्चों को छठ पर्व में घाटों पर लेकर जा रहें हैं तो उनकी जेबों में (या गलों में लॉकेट की तरह) घर का पता एवं फोन नं. अवश्य रख दें।
- किसी प्रकार की समस्या होने पर अधिकृत पदाधिकारियों/स्वयं सेवकों से ही संपर्क करें।

क्या न करें

- बैरीकेडिंग को पार न करें।
- खतरनाक घाटों की ओर या गहरे पानी में न जायें।
- आतिशबाजी न करें।
- किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएँ।
- अफवाहें न फैलाएँ न उन पर विश्वास करें।
- कोरोना से बचाव हेतु मास्क का उपयोग करें एवं एक स्थान पर ज्यादा लोग एकत्रित न हों।

प्रशासन क्या करें

- खतरनाक घाटों का चिह्नितकरण एवं बैरीकेडिंग करें ताकि लोग वहां न जायें।
- घाट जाने के मार्ग तथा घाटों पर सुनुचित प्रकाश की व्यवस्था हो।
- मार्गों का चिह्नितकरण–संकेतीकरण किया जाए।
- घाटों पर जानेवाले रास्तों की सुनुचित साफ–सफाई हो।
- बिजली के जर्जर तारों को बदल दिया जाये एवं अबाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
- घाटों की अच्छी प्रकार से सफाई की जाए।
- घाटों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए।
- पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से भीड़ का नियंत्रण एवं अन्य सूचनाओं का प्रसारण किया जाए।
- घाटों पर तैनात सभी प्रशासनिक कर्मियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
- घाटों पर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था हेतु त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया टीम (QMRT) उपलब्ध कराया जाए।
- सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करें।
- आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो।
- अग्निशाम की गाड़ियों/दलों की तैनाती पहले से ही संवेदनशील स्थानों पर की जाए।
- पूजा स्थल के निकटतम अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की व्यवस्था रखें।
- छठ पूजा समितियों के स्वयंसेवकों का छठ पर्व के प्रबंधन में सहयोग लिया जाए।
- घाटों पर गोताखोरों एवं एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. टीमों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति की जाए।
- घाटों एवं संवेदनशील स्थानों पर 'हेल्प लाईन' नम्बर का प्रदर्शन किया जाए।
- यथा संभव जाने एवं आने का रास्ता निर्धारित किया जाए।
- कोविड–19 के वर्तमान परिदृश्य में कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन आवश्यक रूप से कराया जाय।

मास्क पहनिए, छठ पूजा में चलिए।

आपात स्थिति में पुलिस की सहायता हेतु–100, अग्निशमन हेतु–101, एम्बुलेंस हेतु–102, एवं आपदा प्रबंधन हेतु–1070 पर संपर्क करें।

संपर्क करें-0612-2294204,206 राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन विभाग, पटना

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001

Tel.: + 91 (0612) 2547232, Fax,+ 91 (0612) 2547311, visit: www.bsdma.org; e-mail:info@bsdma.org

सुरक्षित दीपावली पर्व हेतु सलाह (Advisory)

दीपावली भारतवर्ष के प्रमुख त्यौहारों में से एक है। इस मौके पर लोग अपने घरों को रोशनी से जगमगाते हैं और अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए पटाके जलाते हैं, लेकिन जरा सी असावधानी के कारण हर साल अनेकों लोग इन्हीं पटाकों के कारण न सिर्फ झुलस जाते हैं बल्कि अपंगता के शिकार हो जाते हैं। यह दीपावली खुशियों से आबाद रहे और आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहें इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार निदेशों का उल्लंघन करने वालों पर दंड/अर्थदंड लगाया जा सकता है।

क्या करें

- दीपावली ज्योति का पर्व है, दिये जलाएँ पटाके न जलाएँ।
- चकरी/अनार को समतल जमीन पर ही जलाएँ।
- आतिशबाजी के लिए कम ध्वनि के हरित पटाके सुरक्षित तरीके से जलाएँ।
- आतिशबाजी करते समय सूती या अज्वलनशील वस्त्रों का ही उपयोग करें।
- बच्चे अभिभावक की निगरानी में ही आतिशबाजी करें।
- आतिशबाजी करते समय पास में पानी से भरी बाल्टी अवश्य रखें।
- आँख में कूछ पड़ने पर ठंडे पानी से धोएँ एवं अविलम्ब चिकित्सक से सलाह लें।

प्राथमिक उपचार

- सर्वप्रथम घायल व जले हुए व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जायें।
- घायल या जले हुए व्यक्ति को जल्द से जल्द नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुचाएं एवं चिकित्सीय सलाह लें।
- जले हुए भाग पर राख, मिट्टी, पाउडर, बटर, ग्रीस अथवा कोई अन्य पदार्थ न डालें।
- जले हुए भाग को साफ सूती कपड़ों से ढक दें।
- प्राथमिक उपचार के बाद और अधिक जल जाने की स्थिति में विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें।

क्या न करें

- हरित पटाके जलाते समय ढीले या सिन्थेटिक कपड़े न पहनें।
- यदि आँख में कूछ आ जाए तो इसे जबरदस्ती निकालने का प्रयास न करें।
- घर के अंदर आतिशबाजी न करें।
- हरित पटाके हाथ में रख कर न जलाएँ।
- आधे जले या न जल सके (Misfired) हरित पटाकों को पुनः जलाने का प्रयास न करें।
- हवा में उड़ने वाले हरित पटाकों को जलाने से परहेज करें।

आपात स्थिति में पुलिस की सहायता हेतु–100, अग्निशमन हेतु–101, एम्बुलेंस हेतु–102, एवं आपदा प्रबंधन हेतु–1070 पर संपर्क करें।

पटाकों से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर शहरों में पटाकों की बिक्री एवं उपयोग पर रोक है।

सुरक्षित दीपावली

शुभ दीपावली

"विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए, ऐसा न हो जो कि आफत बन जाए"

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह

1-7 जून 2021

हमारा बिहार भारत के अधिकतम बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। हमारे 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण हैं। राज्य के कुल आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं। सरकार द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए जिला एवं पंचायत स्तर पर अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जागरूकता एवं बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। बाढ़ से पूर्व, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद उपायों को अपनाकर बाढ़ से बचने एवं उससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। आम जनता की सुरक्षा के लिए ये उपाय नीचे दिये जा रहे हैं :-

बाढ़ के दौरान

क्या करें | क्या ना करें

बाढ़ के बाद

क्या करें | क्या ना करें

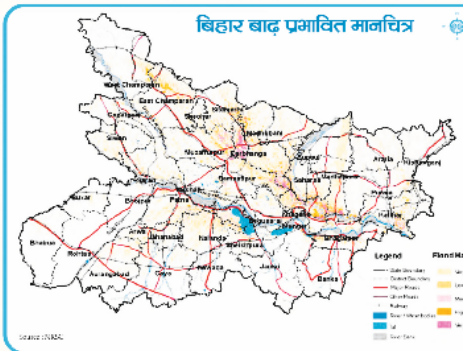

बिहार बाढ़ प्रभावित मानचित्र

Source : NRSC

15 अति बाढ़ प्रवण जिलों के नाम :

1. सुपौल
2. मधेपुरा
3. शिवहर
4. सहरसा
5. खगड़िया
6. सीतामढ़ी
7. दरभंगा
8. मुजफ्फरपुर
9. मधुबनी
10. समस्तीपुर
11. वैशाली
12. कटिहार
13. पूर्वी चम्पारण
14. बेगूसराय
15. भागलपुर

13 बाढ़ प्रवण जिलों के नाम :

1. सारण
2. नालन्दा
3. पूर्णियाँ
4. प. चम्पारण
5. पटना
6. सिवान
7. गोपालगंज
8. बक्सर
9. अररिया
10. शेखपुरा
11. किशनगंज
12. भोजपुर
13. लखीसराय

Source: DISASTER MANAGEMENT DEPT., GoB

बाढ़ से पहले

क्या करें

बाढ़ के समय

क्या करें

पीने का पानी एवं भोजन

- गहराई में गड़े चापाकल का ही पानी पियें तथा जो ऊँचाई पर भी हो।
- क्लोरीन टेबलेट की एक गोली 20 लीटर पानी में डालकर 30 मिनट बाद पानी पियें।
- सामान्य चापाकल को हर 20–30 दिन के अन्तर पर 30–40 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर से शुद्ध करें।
- कोशिश करें पानी उबालकर ही पियें। पीने के पानी व भोजन को ढक कर रखें।

आत्म सुरक्षा

- सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। सूखे, सूती व हल्के कपड़े पहनें।
- घर में उचित प्रकाश की व्यवस्था रखें।
- सांप के काटे व्यक्ति को तुरन्त अस्पताल ले जायें। सांप काटे व्यक्ति का हौंसला बढ़ाये रखें।
- नाविक के निर्देशों का पालन अवश्य करें।

स्वास्थ्य व सफाई

- शौच के बाद राख या मिट्टी अवश्य डालें।
- बच्चों के शौच को तत्काल राख या मिट्टी से ढक दें और उसे गड्ढे में ही डालें।
- शौच के बाद सदैव हाथ साबुन या राख से ही धुलें।
- माहवारी के समय साफ, सूती व धुले कपड़े का प्रयोग करें।

प्राथमिक उपचार

- डूबे व्यक्ति के मुंह में यदि कुछ फंसा हो तो निकाल कर पीठ के सहारे लिटा दें।
- डूबे व्यक्ति को ऊँचे स्थान पर या घड़े के ऊपर पेट के बल लिटा दें।
- डूबे व्यक्ति को उठा कर पुनः पीठ के सहारे लिटा कर आराम करने दें।
- मूर्च्छा आ जाने पर मुंह पर पानी का छींटा मारें।
- प्रसव के लिये गांव की आशा बहन से संपर्क कर एम्बुलेन्स की सहायता से नजदीकी अस्पताल पर जायें।
- यदि घर में प्रसव होना है तो प्रशिक्षित दायी से ही कार्य करवायें।
- तेज बुखार हो जाने पर शरीर को पानी से पोंछते रहे व डाक्टर से संपर्क करें।

पशुओं का रख–रखाव

- पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दें।
- पशुओं को मच्छर से बचाने के लिए नीम के पत्ते का धूआँ करें।
- पशुओं को बाढ़ के बाद कीड़े की दवा अवश्य दें।
- पशुओं के खुर व पूंछ को पानी से धुलायी करें।

क्या न करें

पीने का पानी एवं भोजन

- बाढ़ में डूबे चापाकल का पानी न पियें। खुला व देर तक रखा पानी न पियें।
- पीने के पानी में हाथ न डालें।
- बासी व देर का रखा भोजन न खायें। भोजन को खुला न छोड़ें।
- साबुन या राख से हाथ धुले बिना भोजन न करें। भोजन पर मक्खियों को न बैठने दें।

आत्म सुरक्षा

- चर्मरोग व सड़न की बीमारी से बचने के लिये गीले कपड़े न पहनें।
- रात में बाहर जाते समय बिना जूता, टार्च, लाठी या डण्डे के न जाएं।
- सांप के काटने पर झाड़–फूंक न करायें। सांप काटे व्यक्ति को सोने न दें।
- नाव पर क्षमता से ज्यादा बोझ न लादें। बाढ़ के पानी में बिना सुरक्षा के न जायें।

स्वास्थ्य व सफाई

- अस्थायी शौचालय का निर्माण पेय जल स्रोत व आवास के पास न करें।
- घर के आस–पास पानी जमा न होने दें।
- साबुन या डिटरजेन्ट पाउडर के बिना धुले कपड़े न पहनें।
- घर के कूड़े कचरे को घर के आस–पास न फेंके।

प्राथमिक उपचार

- डूबे व्यक्ति का पैर पकड़ कर कदापि न घुमायें।
- अपनी सुरक्षा के उपाय किये बिना डूबते हुये को बचाने का प्रयास न करें।
- डूबे व्यक्ति को बिना डाक्टर की सलाह के कोई दवा न दें।
- हड्डियों में चोट लगने पर मालिश न करें।
- कट–फट जाने पर किसी घरेलू सामग्री जैसे हल्दी, चूना इत्यादि न लगायें।
- प्रसव के दौरान किसी भी गन्दी वस्तु जैसे कपड़ा, पुराना ब्लेड आदि का प्रयोग न करें।
- तेज बुखार के दौरान व्यक्ति को चादर, कम्बल न ओढ़ायें।

पशुओं का रख–रखाव

- कीचड़ वाले स्थान पर पशुओं को न बाँधे।
- पशुओं को बाढ़ का पानी न पीने दें।
- बाढ़ में डूब घास को न खाने दें।
- पशुओं को सड़ा व पहले का भीगा भूसा न खिलायें।

सौजन्य : Unicef & Grameen Development Services, Sitamarhi

आपदाओं में हर पशु का महत्व

आपदा से पहले

- सुनिश्चित करें कि सभी पशुओं के पहचान चिन्ह हो, जैसे कान पर टैग, ब्रांडिंग, रंगीन टैटू, दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि कोई हो।
- अपने और अपने पशुओं के लिए एक आपातकालीन किट तैयार करें।

आपदा के दौरान

- पशु छोड़ते समय पट्टा, रस्सी, मोहरा एवं गर्दन की रस्सी के उन पर नहीं छोड़ें क्योंकि इनके द्वारा पशुओं को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में रुकावट आ सकती है।
- पशुओं को एक साथ नहीं बांधे, इसे उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना और संभालना कठिन होगा।
- पशुओं को उनकी जरूरतों के आधार पर चुनें। पशुओं को अन्य जोखिमों में डालने से बचें और गंभीर रूप से प्रभावित पशुओं को झुंड से अलग करें।
- अपने पशुओं को पर्याप्त चारा, पानी, पशु चिकित्सीय देखभाल और आवास प्रदान करें।

सौजन्य : WSPA, India

आपदा के बाद

- मृत पशुओं का उचित रूप से निवारण करें ताकि संदूषण की रोकथाम हो सके।
- पशु आवासों, नादों का विसंक्रमण और सफाई करें।
- अपने मौजूदा और नए लाए गए पशुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए, टीकाकरण और पेट के कीड़े के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लें।

कोविड से बचाव संबंधी सावधानियाँ

1. कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाएँ, सामाजिक दूरी बनाये रखें एवं हाथों को साबुन से बार-बार धोएं।
2. सर्दी, खांसी, बुखार, एन्टी एलर्जी संबंधी दवाएँ एवं कोविड-19 संक्रमण से संबंधी सामान्य दवाओं का भी संग्रहण अवश्य कर लें।
3. कोविड-19 के दृष्टिगत सेनेटाईजर/साबुन एवं पल्स ऑक्सीमीटर भी साथ रखें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800 001, फोन : (0612) 2522032, फैक्स : (0612) 2547311

visit us : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC - (0612) 2294204, 205)

बिहार सरकार

आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी।।

कोविड–19 के प्रकोप के संदर्भ में बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु मार्गदर्शिका

आवश्यक उपाय

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह-2022

15-21 जनवरी 2022

भूकम्प से पहले

प्राधिकरण द्वारा राज्यभर में अभियंताओं और राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनका सहयोग लेकर भूकम्परोधी घर का निर्माण करवायें।

भारी एवं शीशे का सामान निचले खाने में रखें

अलमारी को क्लैम्प से, दीवार में जकड़ दें।

बचाव एवं प्राथमिक उपचार का नजदीकी अस्पताल / रेड क्रॉस से संपर्क कर प्रशिक्षण लें

झुको–ढको–पकड़ो का नियमित अभ्यास करें।

आवश्यक सामान के साथ सुरक्षा किट तैयार रखें।

अपने आस–पास सुरक्षित स्थलों की पहचान कर लें।

बाहर जाने वाले रास्तों को बाधामुक्त रखें

भूकम्प के समय

सिर को बचाएं।

गिरने वाले चीजों से दूर रहें।

हड़बड़ाकर मत भागें।

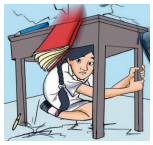

मजबूत टेबल या पलंग के नीचे छिप जाएँ।

अगर टेबल या पलंग न हो तो कमरे के अंदरूनी कोने के पास रहे।

यदि गाड़ी चला रहे हों, तो

सड़क के किनारे रूकें, पुल पर न चढ़ें।

अपनी जगह पर शांत रहें, झटका रूकने पर, क्रम से बाहर निकलें।

पुलिस	100
अग्निशमन	101
एम्बुलेंस	102,108
राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष, पटना	0612–2217302/2217305
जिला आपदा नियंत्रण कक्ष Toll Free No.	1070

भूकम्प के झटका रूकने पर

गैस सिलिन्डर बन्द करें।

मेन स्विच ऑफ करें।

लिफ्ट का उपयोग न करें। सीढ़ी से उतरें।

घर से बाहर निकलें।

खुले मैदान में आ जाए, घायलों की सहायता करें।

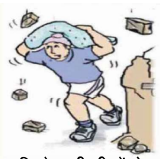

गिरने वाली चीजों से सिर को बचाए।

बिजली पोल, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ से दूर रहें।

अफवाहों पर ध्यान न दें सरकार एवं प्रशासन से प्राप्त सुचनाओं का पालन करें

भूकम्प के उपरांत अगले एक–दो दिनों तक भूकम्पीय झटके (After Shocks) संभावित हैं। इस अवधि में विशेष सावधानी एवं चौकसी बरतने की आवश्यकता है। घबराएँ नहीं एवं धैर्य के साथ ऊपर बतायी गयीं सावधानियों का पालन करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना- 800 001, Tel. : +91 (612) 2547032, Fax. : +91 (612) 2547311

visit us : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org

www.bsdma.org

बिहार सरकार

आपदा नहीं हो भारी, यदि पूरी हो तैयारी।।

पाठकों से अनुरोध है कि इस विज्ञापन की उपयोगिता को ध्यान रखकर इसे कार्यालय की दीवार पर आवश्यक स्थानों एवं इसे निरंतर उपयोग में लायें।

शीत लहर / ठंड से बचाव हेतु सलाह (ADVISORY)

राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतया दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीत लहर का प्रकोप रहता है। सामान्यतया यदि तापमान 7 डिग्री से0 से कम हो जाय तो इसे शीत लहर की स्थिति माना जाता है। शीत लहर से मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव शीत लहर से बचाव हेतु जन साधारण को निम्नानुसार सलाह दी जा रही है।

शीत लहर या ठंड लगने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं :-

1. शरीर का ठंडा होना एवं इसके अंगों का सुन्न पड़ना।
2. अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन।
3. बार–बार जी मिचलाना या उल्टी होना।
4. अर्द्धबेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना।

शीत लहर या ठंड से बचाव के उपाय :-

क्या करें :-

1. अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ और यथासम्भव घर के अंदर सुरक्षित रहें (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चे)।
2. यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लें।
3. समाचार पत्र/रेडियो/टेलीविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।
4. शरीर में उष्मा के प्रवाह को बनाये रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।
5. बन्द कमरों में जलती हुई लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुंएँ के निकास का उचित प्रबंध करें। प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह से बुझा दें।
6. हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है।
7. राज्य सरकार शीत लहर के समय रात्रि में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करती है, जिसका लाभ उठाकर शीतलहर से बचा जा सकता है।
8. राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए रैन–बसेरों का प्रबंध किया जाता है, जहाँ कंबल/बिस्तर आदि उपलब्ध रहते हैं। इन सुविधाओं का प्रयोग करें।
9. उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।
10. विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल से अविलम्ब चिकित्सा परामर्श लें।

एम्बुलेन्स की सहायता लेने हेतु दूरभाष संख्या-102 या 108 पर सम्पर्क करें।

11. पशुओं के बथान गर्म रखने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को ठंड लगने पर पशु अस्पताल/पशु चिकित्सक की सलाह लें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार सरकार

द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना – 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org : e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-612-2217301-305) आपदा प्रबंधन विभाग– 0612-2215680

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदाओं से रक्षा हेतु मानो एक सुझाव। बेहतर पूर्व तैयारी से ही होता है बचाव॥

गर्म हवाएं/लू

हमारे राज्य में गर्मी के महीनों में गर्म हवाएँ एवं लू चलती हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है जो कभी-कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों का पालन कर के गर्म हवाओं/लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।

गर्म हवाएं/लू से सुरक्षा के उपाय

क्या करें :-

- जितनी बार हो सके पानी पीयें, बार–बार पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।
- जब भी बाहर धूप में जायें यथा संभव हल्के रंग के, ढीले ढाले एवं सूती कपड़े पहने। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें व हमेशा जूता या चप्पल पहनें।
- हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे– तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिकाधिक सेवन करें।
- घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक–चीनी का घोल, छाछ, नींबू–पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।
- अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस को भी शामिल करें।
- जानवरों को छाँव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें।
- रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें।
- स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से लगातार जानकारियां लेते रहें।
- अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

लू लगने पर क्या करें:

- लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें। अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- लू लगे व्यक्ति का शरीर ठंडे गीले कपड़े से पोछें या ठंडे पानी से नहलायें।
- उसके शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करें।
- उसके गर्दन, पेट एवं सिर पर बार–बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें।
- उस व्यक्ति को ओ0आर0एस0/नींबू – पानी, नमक–चीनी का घोल, छाछ या शर्बत पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके।
- लू लगे व्यक्ति की हालत में यदि एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जायें।

क्या न करें :-

- जहाँ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।
- अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें।
- चाय, कॉफी जैसे– गर्म पेय तथा जर्दा तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन कम से कम अथवा न करें।
- ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे – मांस, अंडा व सूखे मेवे, जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं, का सेवन कम करें अथवा न करें।
- यदि व्यक्ति गर्मी या लू के कारण उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने–पीने को न दें।
- बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें।